25495

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta . .....Applicant

Versus

Union of India & Ors. ... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

I N D E X

Srl	Particulars	Pages
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Rudraprayag, Uttarakhand through District Magistrate, Rudraprayag, Uttarakhand in compliance of orders dated 05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the abovementioned matter	1-35
2.	ANNEXURE-A: A true copy of the order dt.05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.	36-46
3.	ANNEXURE-B: A copy of the Compliance Report along with its Annexures.	47-496

Filed by:

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

Dated : 20.11.23

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /
Respondent
C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

1-A

DOCUMENTS ENCLOSED WITH ANNEXURE-B

S.NO	DOCUMENT PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ANNEXURE-1 Gazette notification dated 18.07.2017 vide which District Ganga Protection Committee in District Rudraprayag was constituted	70-71
2.	ANNEXURE-2 Constitution of District Ganga Protection Committee as per para 53 (2) of the 2016 order with district magistrate as chairperson, ex-officio members and nominated members vide letter number 5473/33-3 (2016-17) dated 07.09.2017	72-73
3.	ANNEXURE-3 Minutes of meetings held under district Ganga committees	74-187
4.	ANNEXURE-4 Minutes of 4M meeting held by district Rudraprayag.	188-192
5.	ANNEXURE-5 Status of ongoing pollution abatement works in the basin of Rudraprayag district and detailed gap analysis	193-200
6.	ANNEXURE-6 Report of GMDIC submitted vide letter number 1181/2023-24 dated 20-10-2023.	201-219
7.	ANNEXURE-7 Compliance report submitted by project manager, construction and maintenance, unit, Ganga, Uttarakhand, Peyjal Nigam, Srinagar, Garhwal to DGC, Rudraprayag.	220.
8.	ANNEXURE-8 Report by executive engineer, irrigation division, Kedarnath and executive engineer Rudraprayag reporting that demarcation work in floodplain zones has been completed in district Rudraprayag and floodplain zone have been notified.	221-223
9.	ANNEXURE-9 A compliance report dated 20.10.2023 submitted by renew Jal Urja Pvt Ltd reporting that Singoli Bhatwari HEP is maintaining E flow as per norms.	224-233
10.	ANNEXURE-10 Report regarding segregation of waste and selling of compost.	234-239

1-B

11.	ANNEXURE-11 Compliance report regarding disposal of solid waste in separate centres by Swajal and Panchayat in all the gram Panchayat of the district	240-248
12.	ANNEXURE-12 Copy of record of fine collected from a total of 16 districts for illegal mining and transportation in the district from April 2023 to September 2024.	249-250
13.	ANNEXURE-13 Details of the 75 Amrit Sarovar Constructed in District Rudraprayag.	251-253
14.	ANNEXURE-14 Steps taken for protection of water bodies and undertake conservation works.	254-260
15.	ANNEXURE-15 Report on surface water quality characteristics of rivers by UKPCB	261-266
16.	ANNEXURE-16 Detailed report on IEC activities organized by DGC.	267-298
17.	ANNEXURE-17 Steps taken for afforestation and setting up of biodiversity parks.	299-360
18.	ANNEXURE-18 Notice regarding appointment of nodal officers as per para 56 of the order.	361-364
19.	ANNEXURE-19 Tributary wise plan/presentation prepared by DGC.	365-409
20.	ANNEXURE-20 Declaration by District Agriculture officer regarding District Rudraprayag being completely organic since 2015.	410
21.	ANNEXURE-21 Implementation of Digital Deposit refund system	411-442
22.	ANNEXURE-22 Steps taken to dispose off Donkey and horse dunk.	443-492
23.	ANNEXURE-23 Detailed report prepared by NH and fprst department.	493-496

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta . .....Applicant

Versus

Union of India & Ors. ... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

I, Saurabh Gaharwar S/o Dr. Pradeep Kumar Singh aged about 38 years, presently posted as District Magistrate, Rudraprayag, District Rudraprayag, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Rudraprayag, Uttarakhand through District Magistrate, Rudraprayag, Uttarakhand.

2. That the above mentioned matter was listed on 05.09.2023 before this Hon'ble Tribunal and after hearing, this Hon'ble

District Magistrate
Rudraprayag

Tribunal was pleased to pass a detailed order, the relevant portion of the same is quoted below:-

"……

"……

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant

NOIDA Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

XXXXXXXXX

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

i. Chamoli

ii. Dehradun

iii. Haridwar

iv. Pauri Garhwal

v. Rudraprayag

vi. Tehri

vii. Uttarkashi

Tributaries

viii. Nainital

ix. Almora

x. Pithoragarh

xi. Champawat

xii. Bageshwar

xiii. Udham Singh Nagar

NOIDA Govt of Uttarakhand 16-1-23

District Magistrate
Rudraprayag

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016. 6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag) II. Middle range (Devprayag till Rishikesh) III. Plains (Rishikesh to Roorkee) 7. The Counsel for the applicant in her submissions have raised the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

Xxxxxxxxx

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023."

A copy of the order dated 05.09.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.

3. That introduction about District Rudraprayag and River Ganga basin in the District:- Rudraprayag District lies in the main stream of river Ganga in Uttarakhand and falls in Upper Himalayas stretch (from source to Devaprayag) of river Ganga in the State of Uttarakhand. The two major tributaries of Ganga-Alaknanda and Mandakini form its basin in District Rudraprayag. Alaknanda and Mandakini confluences at Rudraprayag to form Alaknanda. Various small streams and rivulets form tributaries to River Alaknanda and Mandakini in the District. River Alaknanda is one of two headstreams of the Ganges, the major river of Northern India. Alaknanda rises at the confluence and foot of the Satopanth and Bhagirath Kharak glaciers in Chamoli district, Uttarakhand. It enters Rudraprayag district at Kameda near Gauchar and confluences with Mandakini at Rudraprayag town and flows with the same name till district boundary at Sirobagad.

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

River Mandakini- Mandakini River is a tributary of the Alaknanda River in the State of Uttarakhand. The river emerges from the Chorabari Glacier runs for approximately 81 kilometers and confluences with Alaknanda at Rudraprayag Town.

4. Roles and Responsibility of District Ganga Protection Committee under River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016, issued by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Govt of India.

The Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016 under Environment (Protection) Act,1986.

5. That in terms of para 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting River Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report.

The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under: 53. Constitution of District Ganga Protection Committees

1. The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for The prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

   Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-

   (a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;

   (b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

   (c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;

(d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio;

(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by

NOTARY Govt. of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

55. Functions and powers of District Ganga Committees.-

(1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of subparagraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made there under, every District Ganga Committee shall have the

NOIDA Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order).

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

District Magistrate
Rudraprayag

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.- (1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order — (a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries; (b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

Committee for remedial action. (3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.- (1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval. (2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed. "

6. That in compliance of the above mentioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following steps were taken by the

District Magistrate
Rudraprayag

District Ganga Committee, Rudraprayag, as far as District Rudraprayag is concerned: -

ISSUES RAISED BY APPLICANT ON MATTERS RELATED TO DISTRICT GANGA COMMITTEE DISTRICT RUDRAPRAYAG:

The Counsel for the applicant in submissions have raised the several issues relating to the three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand in Chart form. The general and specific issues pertaining to District Rudraprayag and concerning areas falling within jurisdiction of District Ganga Protection Committee, District Rudraprayag are as follows-

1. UPPER HIMALAYAS (from source till Devprayag)

Sr.No.	Cities /Panchayats	Issues pertaining to district Rudraprayag
1	Alaknanda Basin i. Rudraprayag	1. Untapped Sewage 2. Municipal solid waste 3. High Tourist influx at all Prayags, leading to pollution, traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well. 4. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.
2	Mandakini Basin i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist foot-fall at Kedarnath and Sonprayag. 2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley) 3. Sewage disposal 4. Plastic waste and bottles 5. Donkey/ horse dung disposed in the valley

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

		6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region. 7. Phata- Landslide zone, unstable slope.

As per the list of drains in Ganga River region in the submission of Counsel for the applicant, no drain from the district of Rudraprayag are listed. Also according to the information catered by the applicant, none of listed industrial estates in Ganga basis are located in District Rudraprayag

REPORT ON IMPLEMENTATION ON 2016 ORDER

Sr. No.	Key paras of *River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016 issued by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Govt. of India,* pertaining to District Ganga Committee's	Implementation by District Ganga Protection Committee
1	53. Constitution of District Ganga Protection	(1) In exercise of power conferred by sub-sections(l) and (3) of Environment Protection Act 1986 and para 53 of the 2016 order, Central Government constituted District Ganga

District Magistrate
Rudraprayag

	Committees.-	Protection Committee in District Rudraprayag vide order S.O. 2249(E) [F. No Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II) dated 18th July 2017. (2) The constitution of District Ganga Protection committee has been done as per para 53(2) of the 2016 order with District Magistrate as Chairperson, ex-officio members and nominated members vide letter no 5473/33-3 (2016-17) dated 07, September, 2017 is annexed. (3) District Ganga Committees have been meeting regularly since the constitution of DGPCs in July 2017. More than 52 DGC meeting have been convened and various aspect of control, abatement and management of pollution in river Ganga and its tributaries have been discussed in holistic manner. (4) As per directions given by NMCG, District Ganga Committee, District Rudraprayag has been conducting their Monthly, Mandated, Monitored, Minuted meetings (4M meeting) with the minutes being uploaded regularly on digital dashboard - Ganga District performance monitoring system (GDPMS)
2	54. Superintendence, direction, and control of District Ganga Committee	The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee is being exercised by National Mission for Clean Ganga through State Programme Management Group (SPMG), Namami Gange, Dehradun Uttarakhand. Meetings of Supervisory Committee and Executive Committee with Chairman of DGCs and representatives of different departments have been regularly convened under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand and Principal Secretary, Forest and Environment, Govt of Uttarakhand.
3	55. Functions and	In respect of implementation of the provisions of the 2016 Authority Notification Order, Rudraprayag

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

	powers of District Ganga Committees.	District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries. The key functions and powers of DGC as per the said order and its compliance are listed below-	
		a. Setting up of the STPs, Interception and Diversion (I&D) of drains and preventing untreated sewage and effluents in the River Ganga.	Project Manager, Construction & Maintenance Unit(Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Srinagar, Garhwal vide letter no-1178-G-4/113 dated 20-102013 has provided details of STPs, Interception and Diversion (I&D) of drains and preventing untreated sewage and effluents in the River Ganga as follows- 1- Near Anoop Negi School 2- Near Rudra complex 3- NearBus Stand 4- Near State Bank 5- Near Masjid 6- Near Steel Bridge 7- Beleni Road Rudraprayag There are 5 new STPs with I&D are being constructed at 04 Gaurikund and 01 Tilwara. Status of ongoing pollution abatement works in the Basin of Rudraprayag District is annexed in detailed report.
		b. Preventing discharge of industrial	General Manager District Industry Centre (GMDIC) vide letter no- 1181/2023-24

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

		effluents in Ganga and its tributaries / drains by ensuring installation of proper functioning of ETPs/ CETPs.	dated 20-10-2023 has reported that with respect to discharge of industrial effluents in Ganga and its tributaries, it is to be informed that 2964 units of manufacturing and service sector of micro and medium enterprises (MSME) are registered in District Industry Rudraprayag. These industries come under micro category through which no industrial waste is reported to be discharged into rivers.
		c. Utilization of treated sewage, use of sludge as a manure and septage management.	Project Manager, Construction & Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Srinagar, Garhwal vide letter no-camp-1-Haridwar dated 21-10-2023 has reported to DGC that in District Rudraprayag STPs are constructed for treatment of nala tapping, which were directly flowing on river. In view of this after treatment of sewage, the less quantity of sludge has been generated at STPs, which is utilized as fertilizer for gardening of STPs plant.
		d. Demarcation of flood plain zones and preventing encroachments	Executive Engineer, Irrigation Division Kedarnath vide letter no 865 dated 21.10.2023 and Executive

NOTARY Govt of Uttarakhand Rudraprayag

District Magistrate
Rudraprayag

		thereof	Engineer, Rudraprayag vide letter no-1719 dated 21-10-2023have reported that demarcation work in flood plain zones has been completed in District Rudraprayag and Flood plain zone have been notified vide Government Order no 1943/11(2)/2021-06(14)/2020 dated 31-12-2021. It has also been reported that there are no encroachment in floodplains as of date.
		(e) Maintenance oft-flow.	There is one functional Hydroelectric project in the upstream of River Mandakani- Singoli Bhatwari HEP. Environmental flow (e-flow) is monitored regularly through Central Water Commission installed flowmeters and displayed online through dashboard. A compliance report vide letter no-RJUPL/DFO/23-24/246 dated 20 October 2023 by Renew Jal Urja Pvt Ltd is annexed. It is reported that Singoli Bhatwari HEP is maintaining e-flow as per Norms. A Compliance report by Executive Engineer, Irrigation Division, Kedarnath vide letter no 865 dated 21.10.2023 has reported that

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

			e-flow is as per norms and Executive Engineer, Rudraprayag vide letter no-1719 dated 21-10-2023 has reported that e-flow is being maintained at Khankara Reservoir under the jurisdiction of Irrigation Division Rudraprayag.
		(f) Preventing dumping of solid and other waste in and around Ganga.	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag vide letter no-720/2023-24 dated 20.10.2023 has informed that 50 environment friends have been deployed in Nagar Panchayat Kedarnath, through which cleaning is done in the city area in 2 shifts every day. Ukhimath- For disposal of organic waste in Ukhimath Nagar Panchayat, a segregation center has been built near Ward 03 Nagar Panchayat office. Tilwara- 17 environment friends have been deployed in municipal body Tilwara. Door to door garbage collection is done in all the four wards of the city. Rudraprayag- Nagar Palika Rudraprayag has deployed 52 environment friends for the disposal of organic and inorganic waste emitted in all 7 wards.

District Magistrate
Rudraprayag

			MSW is disposed in Raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation from each household. After Segregation composting and compacting the waste revenue is also generated by selling the compost. A compliance report vide letter no-546/PIL200/2014/2023-24 dated 27-10-2023 by DPRO Rudraprayag reported that Solid waste is disposed of in waste separation centers by Swajal and Panchayat Raj in all the Gram Panchayats of the district. Garbage vehicles have been provided through Swajal in all three development blocks of the district.
		(g) Clearing old legacy waste dump sites.	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag vide letter no-720/2023-24 dated 20.10.2023 reported that MSW is disposed in Raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation

District Magistrate
Rudraprayag

			from each household. After segregation composting and compacting the waste, revenue is also generated by selling the compost.
		(h) Preventing and regulating illegal sand mining.	Through the letter no-736/DTF/illegal mining/ 2023-24 dated 20 October 2023, Geology and Mining Department Rudraprayag has informed that for effective control and prevention of illegal mining, District Anti Illegal Mining Force has been formed at the District Level and Tehsil level. A fine of Rs 19,93,498/- was collected from a total of 16 districts for illegal mining and transportation in the District from April 2023 to September 2024.
		(i) Steps for conservation groundwater particularly with reference to critical, semi-critical and overexploited areas.	District Development officer/ Sub District Program Coordinator, Rudraprayag vide letter no-1347 /33-V/ 11- accounts /MANREGA/202324 dated 25-10-2013 has provided details of around 75 Amrit Sarovar that have been constructed in District Rudraprayag. These are aimed at conservation of water including recharge and rejuvenation of groundwater.

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

		(j) Restoration of water bodies	For restoration and wetland development 28 wetlands have been developed in the district. 27 wetlands are in reserve forest/protected areas while 1 wetland have been identified for conservation as per Wetland (Conservation) Rules 2017. Brief documents have been prepared and sent to State Wetland Conservation Authority. Also directions have been given by DGC to respective members to undertake measures for protection of water bodies and undertake conservation works.
		(k) Monitoring and displaying of water quality.	Regular monitoring of water quality is ensured by DGC by reviewing Surface water quality Characteristics of Rivers of District Rudraprayag. Based on water quality data, as per CPCB mandated Designated Best Use(DBU) Water quality criteria [standards the DBU water quality class is "A" for all the 4 monitoring stations in District Rudraprayag for month of April, May, June, July and August 2023. Annexure- Surface water quality characteristics of Rivers by Uttarakhand Pollution Control Board.

NOTARY Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

		(l) Taking action against polluters by way of recovering compensation restoration the damage to the environment	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag vide letter no-720/2023-24 dated 20.10.2023 reported that they are taking action against polluters and recovering fine charge for restoration of the damage to the environment.
		(m) Public awareness and involvement prevention and control of pollution of Ganga.	Several public awareness activities were organized by Rudraprayag District Ganga Committee, such as 1. Azadi ka Amrit Mahotsav 2. Mission Life 3. International Day of Yoga 4. Swachhta hi Seva 5. Har Ghar Har Ghat Tiranga 6. Ganga Arti 7. Cleanliness and Plantation Drive 8. Ganga Utsav 9. SwachhtaPakhwada A detailed report of various IEC activities organized by DGC are annexed.
		(n) Regulating activities on and around river Ganga including ghats and other establishments	Executive Engineer, Irrigation Division, Kedarnath vide letter no 865 dated 21.10.2023 and Executive Engineer, Rudraprayag vide letter no-1719 dated 21-10-2023 have reported that

NOIA ★ Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

			demarcation work in flood plain zones has been completed in District Rudraprayag and Flood plain zone have been notified vide Government Order no 1943/11(2)/2021-06(14)2020 dated 31-12-2021. It has also been reported that there are no encroachment in flood plains as of date.
		(o) Afforestation and setting up of biodiversity parks.	DGC and its members have conducted various kind of plantation drive on the occasion of Harela festival, Meri Mati Mera desh, Mission Life and other awareness programme. For biodiversity conservation in Rudraprayag district, Eco-Park has been developed at Jawari and one Ganga Vatika has been proposed at Syalsaud.
4.	56. Designation of Nodal Officer.-	District Ganga Committee through Chairman, DGC has nominated as Nodal Officer for the purposes of this Order — (a) Gram Pradhan of Gram Sabha of 91 revenue villages in the areas abutting the River Mandakini and Alaknanda. (b) Chairperson of 5 Nagar Panchayat and Nagar Palika Parishads covering 21 revenue villages/wards abutting the river Mandakini and	

District Magistrate
Rudraprayag

		Alaknanda. The nodal officers have been entrusted with responsibilities as per para 56 of 2016 order. It includes responsibilities and power to take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area. They shall report the violation of this Order to the District Ganga Committee for remedial action.
5.	57. Preparation of plans-	As per directions of NMCG and State Programme Management Group, Namami Gange, a Tributary wise plan/presentation was prepared by DGC and submitted to SPMG, Namami Gange vide letter no 6536/33-namamigange (2020-21) dated 18 September, 2023. Also preparation of District Ganga Plan is underway. NMCG has conducted training cum workshops for preparation of District Ganga Plan (DGP) and have been attended by members of DGC. Tributary wise plan.

Report on issues raised by the Applicant

Sr. No.	Cities/ Panchayats	Issues raised pertaining to the District Rudraprayag	Action taken/initiated In District Rudraprayag
1	Alaknanda Basin i. Rudraprayag	1. Untapped Sewage	Project Manager, Construction & Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Srinagar, Garhwal vide letter no-1178/G-4/113 dated 20-102023 has reported that 8 nala in Rudraprayag District were tapped and these tapped nalas

NOIAK
Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

			discharge into the 6 STPs. 05 new STPs with I&D are being constructed at (04) Gaurikund and (01) Tilwara.
		2. Municipal solid waste	Disposal of MSW is done by Nagarpalika Rudraprayag /Nagar panchayat Kedarnath, Ukhimath, Agustmuni in urban/semi-urban areas and by Zila Panchayat in rural areas. A compliance report vide letter no- 720/ ganga sanrakhan/ 2023-24 dated 20-102023 has mentioned that MSW is disposed in raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation from each household. After Segregation, composting and compacting the waste revenue is also generated by selling the compost.
		3. High Tourist influx at	In order to regulate the

District Magistrate
Rudraprayag

		all Prayags, leading to pollution, traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well.	tourist football, online registration system has been put in place. Multi-level parking system, queue system has been put in place to manage high traffic footfall.
		4. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.	As per report provided by District Agriculture Officer vide letter no909/2023-24 dated 20-10-2023 District Rudraprayag has been declared completely organic since 2015 and there is no distribution of chemical pesticides and other chemicals for agriculture use.
2	Mandakini Basin i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag.	In order to regulate the tourist football online registration system has been put in place. Multi-level parking system, queue system has been put in place to manage high traffic footfall.
		2. MSW disposal burning of waste (dumping in the valley)	Disposal of MSW is done by Nagarpalika/ Nagar panchayat Kedarnath, Ukhimath, Agustmuni in urban/semi-urban areas and by Zila Panchayat in rural areas. 100% door to door collection and

District Magistrate
Rudraprayag

			segregation is ensured by nagarpalikas. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag vide letter no. 720/2023-24 dated 20.10.2023 has informed that 50 environment friends have been deployed in Nagar Panchayat Kedarnath, through which cleaning is done in the city area in 2 shifts every day. Ukhimath- For disposal of organic waste in Ukhimath Nagar Panchayat, a segregation center has been built near Ward 03 Nagar Panchayat office. Tilwara- 17 environment friends have been deployed in municipal body Tilwara. Door to door garbage collection is done in all the four wards of the city. Rudraprayag- Nagar Palika Rudraprayag has deployed 52 environment friends for the disposal of organic and inorganic waste emitted in all 7 wards. MSW is disposed in

NO 1A
Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

			raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation from each household. After Segregation composting and compacting the waste revenue is also generated by selling the compost. A compliance report vide letter no. 546/PIL-200/2014/2023-24 dated 27-10-2023 by DPRO Rudraprayag reported that Solid waste is disposed of in waste separation centers by Swajal and Panchayat Raj in all the Gram Panchayats of the district. Garbage vehicles have been provided through Swajal in all three development blocks of the district.
		3. Sewage disposal	Project Manager, Construction & Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Srinagar, Garhwal vide letter no 1178/G-4/113 dated 20-10-2023 has

NOIA
Govt of Uttarakhand

District Magistrate
Rudraprayag

			reported that 8 nala in Rudraprayg District were tapped and these tapped nalas discharge into the 6 STPs. 0 5 new STPs with I&D are being constructed at 04 Gaurikund and 01 Tilwara. Status of ongoing pollution abatement works in the Basin of Rudraprayag District is annexed.
		4. Plastic waste and bottles	SDM, Ukhimath has informed in his letter dated 25.07.2023 that for the eradication of plastic in Shri Kedarnath Dham, Digital Deposit Refund System is being run by Recykal Company, through which all the businessmen (shopkeepers located on the Shri Kedarnath Yatra route) were given QR code by the group. This QR is applied on water bottles. Only QR coded water bottles can be used by shopkeepers located on the Kedarnath Yatra route. From consumer an additional charge of Rs 10/- is taken on the coded bottle and the consumer gets back his

NOIAA
Govt of Uttarakhand
Rudraprayag

District Magistrate
Rudraprayag

			extra charge of Rs 10/- by returning the water bottle to the Digital Deposit Refund System Centre. This year Recykal company has so far issued 1.95 lakh QR bottles, out of which more than 50.00 thousand bottles have been collected and sent for recycling.
		5. Donkey/ horse dung disposed in the valley	A total of 390 sanitation workers and 30 supervisors have been deployed on the Shri Kedarnath Yatra route by Sulabh International Social Service Organization. The garbage and dung collected manually by sanitation workers/ environmental friends on the Yatra route is transported to Gaurikund through horses and mules and from Gaurikund, through vehicles, plastic waste is transported to Sonprayag and horse dung is transported to the dumping zone Rampur. A total of 9.70 tonnes of plastic material was compacted by the said organization and sent for recycling and 3000 tonnes of mule dung

NO IAL ★ Govt of Uttarakhand ★

District Magistrate
Rudraprayag

			was deposited in the dumping zone Rampur.
		6. Floods/ landslides and avalanche indicative of fragility of the region 7. Phata Landslide zone, unstable slope.	With respect to Flood, Landslide, unstable slope which are as per NH P D Rudraprayag letter no. 1702 dt 1910-2023 indicative of fragility of the region, following action has been taken by NHAI and Irrigation department along river Alaknanda & Mandakini and along Chardham Route in District Rudraprayag- 1. A total of 31 vulnerable spots have been identified which are sinking and sliding zone. 2. Out of these 31 site, on 12 sites treatment work is under progress or work has been sanctioned. 3. For rest of the sites DPR is being prepared by THDC for landslide treatment. Also as per direction given by Supreme Court Monitored High Powered Committee (HPC) on Char Dham Project, Afforestation and Landslide

District Magistrate
Rudraprayag

			Mitigation Plan/ DPR is being prepared by NH and Forest Department to address the issue of fragility of the region.

As per the list of drains in Ganga River region in the submission of Counsel for the applicant, no drain from the district of Rudraprayag are listed. Also according to the information catered by the applicant, none of listed industrial estates in Ganga basis are located in District Rudraprayag.

District Ganga Protection Committee, District Rudraprayag is actively monitoring and undertaking efforts for rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries. The roles, responsibility and functions of District Ganga Committee as per 2016 order is being complied with. Various efforts are being taken in the district that address various issues raised in the submission of Counsel for the applicant.

The detailed Compliance Report by District Ganga Protection Committee, Rudraprayag, Uttarakhand along with its Annexures is annexed hereto and marked as ANNEXURE-2.

7. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Ganga Protection Committee, District Rudraprayag, in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent

District Magistrate
Rudraprayag

hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above Status report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at _____, Uttarakhand on this 16th day of November, 2023.

DEPONENT

Filed by:

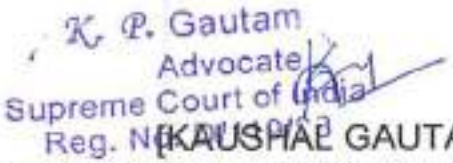

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent
C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

ANNE25532A

Item No. 09 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(BY HYBRID MODE)

Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)

M.C. Mehta Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 05.09.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Ms. Katyayni, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Gigi C. George, Adv. for NMCG
Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand & SIDCUL
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB

ORDER

1. This Original Application, registered after transfer of the CWP No. 2737/1985 from the Hon'ble Supreme Court, involves the issue of prevention, control and abatement of pollution of river Ganga. The Tribunal vide order dated 28.08.2023, had expressed that the matter will be heard State-wise/city-wise involving the State of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

> *"53. Constitution of District Ganga Protection Committees.- (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.*

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-
(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;
(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;
(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;
d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,;

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio
(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- *The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.*

55. **Functions and powers of District Ganga Committees.-** *(1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.*

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State

Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.-

(1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order –
(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.-

(1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other

authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

i. Chamoli
ii. Dehradun
iii. Haridwar
iv. Pauri Garhwal
v. Rudraprayag
vi. Tehri
vii. Uttarkashi

Tributaries

viii. Nainital
ix. Almora
x. Pithoragarh
xi. Champawat
xii. Bageshwar
xiii. Udham Singh Nagar

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.

5

6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:-

I. Upper Himalayas (from source till Devprayag)

II. Middle range (Devprayag till Rishikesh)

III. Plains (Rishikesh to Roorkee)

7. The Counsel for the applicant in her submissions have rasied the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

I. **UPPER HIMALAYAS** (from source till Devprayag)

#	Cities / Panchayats	Issues
1.	**Bhagirathi Basin** i. Chirbasa ii. Gangotri iii. Dharali iv. Harshil v. Dharasu vi. Uttarkashi vii. Ghanshali viii. Narendra Nagar ix. Tehri	1. Receding glaciers which serves as the main source of fresh water supply for the Himalayan Rivers and their tributaries. Glacier retreat will directly impact- Food security, water security and energy security of the Northern part of the country. 2. Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well. **Gangotri-** Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, (WIHG), an autonomous institution under Department of Science & Technology, in a study conducted at Chirbasa station near Gangotri Glacier, for the Year 2016, found that black carbon (BC) concentration in this region has changed drastically during summer. **Black carbon** is emitted as a result of incomplete combustion of fossil fuels, the use of brick kilns, household cooking with firewood and the burning of animal dung and coal briquettes. The combustion of fossil fuels in motor vehicles and aircrafts also contributes to the emission of black carbon. It was revealed by investigating the occasional high values of black carbon extricated, that the seasonal cycle of increase was significantly influenced by the emissions resulting from agriculture burning (in western part of the country), forest fires

#	Cities / Panchayats	Issues
		(along the Himalayan slopes) in summer, and to some extent by the contribution from long-range transport of pollutants in winter, depending the prevailing meteorological conditions. (As reported by WIHG, Ministry of Science & Tech, March 2020, PIB) 3. Ecological Flow not maintained at the upper stretches of River basins owing to Dams/ weirs/ barrages and erratic rainfall patterns and drying of natural springs. Deforestation may also be a reason for drying up of small/ local streams. 4. Sewage from Hotels/ dharmshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas. 5. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals. 6. Narendra Nagar and Tehri- MSW disposal and legacy waste.
2.	**Alaknanda Basin** i. Mana village ii. Badrinath iii. Govindghat iv. Vishnuprayag v. Joshimath vi. Pipalkoti vii. Chamoli viii. Gopeshwar ix. Nandprayag x. Kaleshwar xi. Karnprayag xii. Gauchar xiii. Rudrapraya g xiv. Srinagar xv. Kirtinagar	1. Untapped Sewage 2. Municipal solid waste 3. High Tourist influx at all Prayags and Badrinath temple, leading to pollution (same as mentioned above) 4. Joshimath and Chamoli- are experiencing serious landslides and land subsidence problems. State government had to evacuate many villages owing to land sinking. 5. Srinagar- River Alaknanda runs dry during lean season (after the HEP) Sand mining at riverbed is also very rampant and unregulated (impacting river ecology, ground water in long run and availability of resource for inter- generational usage). 6. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.
3.	**Mandakini Basin** i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag. 2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley) 3. Sewage disposal 4. Plastic waste and bottles 5. Donkey/ horse dung disposed in the valley 6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region. 7. Phata- Landslide zone, unstable slope.
5.	**Yamuna Basin** i. Badkot	1. Mostly clean at Yamunotri.

#	Cities / Panchayats	Issues
	ii. Naugaon iii. Nainbagh iv. Vikasnagar v. Dhakrani	2. STP needed for towns/ panchayats with hotels and commercial buildings. 3. MSW disposal needed

II. **MIDDLE RANGE** (Devprayag till Rishikesh)

#	Cities/Panchayats	Issues
	Ganga Basin i.Devprayag ii.Kaudiyala iii. Singtali iv. Byasi v.Shivpuri vi.Rishikesh Tributary cities i. Almora ii. Haldwani iii. Kashipur iv. Sitarganj	1. Devprayag- Sewage/ FC. Status of STP operating and proposed. 2. Kaudiyala- Rishikesh: lots of hotels, tourists and related footprints, eg solid waste and sewage. Rishikesh also has SIDC Industrial Estate at Muni ki Reti. Tributaries cities- industrial and municipal/ legacy waste. Almora also witnesses mining issues. Agricultural run- off: Agricultural practices on the river bank may have considerable impact on contribution of pesticide residues such as total Endosulfan, Dieldrin and DDT.

III. **PLAINS** (Rishikesh to Roorkee)

#	Cities/Panchayats	Issues
	Ganga Basin i. Dehradun ii. Haridwar iii. Roorkie	1. Forest fires 2. water scarcity 3. sewage 4. MSW disposal 5. construction demolition waste 6. Industrial effluent discharge 7. Legacy waste 8. water consumption and waste water generation by Industries/ STPs and CETPs. 9. Mining

	Yamuna Basin i. Dehradun	1. Sewage 2. Industrial effluent discharge 3. MSW disposal 4. Assan river sand mining

8. The written submission also discloses the list of drains in Ganga River Rejuveation in Uttarakhand which is as under:-

LIST OF DRAINS IN GANGA RIVER REGION

Uttarkashi & Devprayag	1. Storm Water Drain Uttarkashi 2. Kodia nala Devprayag
Rishikesh	3. Triveni Drain/ Saraswati Nala 4. Rambha River 5. Lakkar Ghat STP Drain 6. IDPL- STP Drain 7. Swarg Ashram STP Drain 8. Gadhi Shyampur Drain
Haridwar	9. Jagjeetpur STP Drain 10. Kassavan Drain 11. Pandey wala Drain 12. Matri Sadan Drain
Laksar	13. Laksar Drain
Dehradun	

https://cpcb.nic.in/wqm/pollution-assessment-ganga-2015.pdf

9. According to the information catered by the applicant, following industrial estates have been set up in the Ganga basin:

INDUSTRIAL ESTATE IN GANGA BASIN

Integrated Industrial Estate	SIDCUL	Private Industrial Estate
• Integrated Industrial Estate, IIE Haridwar • Integrated Industrial Estate, Pantnagar • Integrated Industrial Estate, Kotdwar • Integrated Industrial Estate, Dehradun (IT Park) • Integrated Industrial Estate, Selaqui (Pharma City) • Integrated Industrial Estate, Kashipur (Escort Farm) • Integrated Industrial Estate, Sitarganj Phase II	• SIDC, Tatasu Mazadi, Karnaprayag • SIDC, Muni Ki Reti (Rishikesh) • SIDC, Selaqui (Dehradun) • Textile Park, Kashipur • SIDC Kashipur • SIDC-Haridwar-Site-II	• Dev Bhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee. • M/S Omega Industrial Estate, Dabhora, Ahatmali, Kashipur. • Raipur Co-operative Industrial Area, Raipur-Bhagwanpur, Roorkee. • M/S Meel Chand Industrial Estate PVt. Ltd, • M/S Gangapur Kashipur Industrial Area, Kashipur. • M/S Rajpur-Bhagwanpur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee. • M/S Sara Industrial Estates Ltd. Shankarpur-Hukmatpur, Dehradun (Joint venture between IEL and SIIDCUL).

INDUSTRIAL & CETP PROFILE

Total Number of Industries, 2023	Total CETPs, 2023
12728 (890 water polluting)	3 CETPs- 1 CETP Pantnagar & 1 CETP US Nagar- non-compliant.

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand

for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

September 05, 2023
Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)
SN

ANNEXURE - B

25543

REPORT ON COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED BY

HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

MC MEHTA V/S UNION OF INDIA

Original Application No. 200/2014

(C.W.P. No. 3727/1985)

(I.A. No. 340/2022)

AND

IMPLEMENTATION OF RIVER GANGA (REJUVENATION, PROTECTION AND MANAGEMENT) AUTHORITIES ORDER 2016

NAMAMI GANGE

DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE

DISTRICT RUDRAPRAYAG

Background

In reference to NGT order passed on Original Application No. 200/2014 MC Mehta vs Union of India (C.W.P. No. 3727/1985) (I.A. No. 340/2022) in the matter related to Ganga Pollution and its cleaning in state of Uttarakhand, Honourable tribunal directed that

"The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks."

INTRODUCTION

About District Rudraprayag and River Ganga basin in the district

Rudraprayag District lies in the main stream of river Ganga in Uttarakhand and falls in Upper Himalayas stretch (from source to Devaprayag) of the river Ganga in the state of Uttarakhand The two major tributaries of Ganga – Alakhnanda and Mandakini form its basin in District Rudraprayag. Alakhnanda and Mandakini confluences at Rudraprayag to form Alakhnanda. Various small streams and rivulets form tributaries to River Alakhnanda and Mandakini in the district.

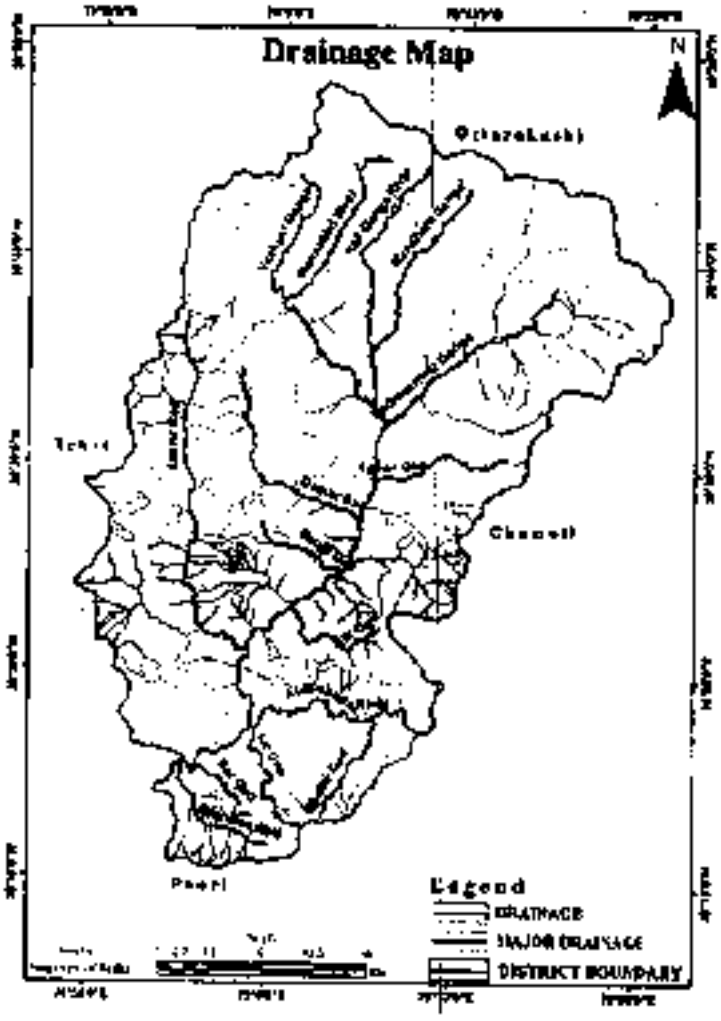

River Alakhnanda- Alaknanda is one of the two headstreams of the Ganges, the major river of Northern India. Alaknanda rises at the confluence and foot of the Satopanth and Bhagirath Kharak glaciers in Chamoli district, Uttarakhand. It enters Rudraprayag district at Kameda near Gauchar and confluences with Mandakini at Rudraprayag town and flows with the same name till district boundary at Sirobagad.

River Mandakini- Mandakini River is a tributary of the Alaknanda River in the Indian state of Uttarakhand. The river emerges from the Chorabari Glacier runs for approximately 81 kilometres and confluences with Alakhnanda at Rudraprayag Town.

Roles and Responsibility of District Ganga Protection Committee under River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016.

Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016 under Environment (Protection) Act 1986 .

In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report.

The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

53. Constitution of District Ganga Protection Committees.-

(1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-

(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;

(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;

d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio ;

(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

55. Functions and powers of District Ganga Committees.-

(1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State 4 Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.- (1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order :- (a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries; (b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the

Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action. (3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.- (1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval. (2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other 5 authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

DIRECTIONS PASSED BY NGT WITH RESPECT TO IMPLEMENTATION OF 2016 ORDER

A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.

The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks.

ISSUES RAISED BY APPLICANT ON MATTERS RELATED TO DISTRICT GANGA COMMITTEE, DISTRICT RUDRAPRAYAG

The Counsel for the applicant in her submissions have raised the several issues relating to the three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand in Chart form. The general and specific issues pertaining to district Rudraprayag and concerning areas falling within jurisdiction of District Ganga Protection Committee, District Rudraprayag are as follows-

I. UPPER HIMALAYAS (from source till Devprayag)

Sr no	Cities/Panchayats	Issues pertaining to district Rudraprayag
1.	Alaknanda Basin i. Rudraprayag	1. Untapped Sewage 2. Municipal solid waste 3. High Tourist influx at all Prayags, leading to pollution, traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well. 4. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.
2.	Mandakini Basin i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag. 2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley) 3. Sewage disposal 4. Plastic waste and bottles 5. Donkey/ horse dung disposed in the valley 6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region. 7. Phata- Landslide zone, unstable slope.

As per the list of drains in Ganga river region in the submission of Counsel for the applicant, no drain from the district of Rudraprayag are listed. Alsoaccording to the information catered by the applicant, none of listedindustrial estates in Ganga basis are located in District Rudraprayag

REPORT ON IMPLEMENTATION ON 2016 ORDER

Sr no	Key paras of 2016 order pertaining to DGCs	Implementation of order by DGC
1.	53. Constitution of District Ganga Protection Committees.-	(1) In exercise of power conferred by sub-sections(1) and (3) of Environment Protection Act 1986 and para 53 of the 2016 order, Central Government constituted District Ganga Protection Committee in District Rudraprayag vide order S.O. 2249(E) [F. No Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II) dated 18th July 2017. **(ANNEXURE-1)** (2) The constitution of District Ganga Protection committee has been done as per para 53(2) of the 2016 order with District Magistrate as Chairperson, ex-officio members and nominated members vide letter no 5473/33-3 (2016-17) dated 07, September, 2017 is annexed. **(ANNEXURE-2)** (3) District Ganga Committees have been meeting regularly since the constitution of DGPCs in July 2017. More than 52 DGC meeting have been convened and various aspect of control, abatement and management of pollution in river Ganga and its tributaries have been discussed in holistic manner.All the minutes of the meetings held under DGC till date have been attached with the report in **(ANNEXURE-3)** (4) As per directions given by NMCG, District Ganga Committee, District Rudraprayag has been conducting their Monthly, Mandated, Monitored, Minuted meetings(4M meeting) with the minutes being uploaded regularly on digital dashboard - Ganga District performance monitoring system (GDPMS)**(ANNEXURE-4)**
2.	54. Superintendence, direction, and control of District	The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee is being exercised byNational Mission for Clean Ganga through State Programme Management Group (SPMG), Namami Gange, Dehradun Uttarakhand. Meetings of Supervisory Committee and Executive Committee with Chairman of DGCs and representatives of different departments have been regularly convened under the

	Ganga Committee		**Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand and Principal Secreatary, Forest and Environment, Govt of Uttarakhand.**
3.	**55. Functions and powers of District Ganga Committees.**		**In respect of implementation of the provisions of the 2016 Authority Notification Order, Rudraprayag District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries. The key functions and powers of DGC as per the said order and its compliance are listed below-**
		a. *Setting up of the STPs. Interception and Diversion (I&D) of drains and preventing untreated sewage and effluents in the River Ganga.*	Project Manager, Construction & Maintenance Unit(Ganga), Uttarakhand Peyjal nigam, Srinagar, Garhwal vide letter no-1178-G-4/113 dated 20-10-2013 has provided details of STPs, Interception and Diversion (I&D) of drains and preventing untreated sewage and effluents in the River Ganga as follows- 1- Near Anoop Negi School 2- Near Rudra complex 3- NearBus Stand 4- Near State Bank 5- Near Masjid 6- Near Steel Bridge 7- Beleni Road Rudraprayag There are 5 new STPs with I&D are being constructed at 04 Gaurikund and 01Tilwara.Status of ongoing pollution abatement works in the Basin of Rudraprayag District and Detailed Gap Analysis is annexed.**(ANNEXURE-5)**

		b. *Preventing discharge of industrial effluents in Ganga and its tributaries / drains by ensuring installation of proper functioning of ETPs/ CETPs.*	General Manager District Industry Centre (GMDIC) vide letter no- 1181/2023-24 dated 20-10-2023 has reported that with respect to discharge of industrial effluents in Ganga and its tributaries, it is to be informed that 2964 units of manufacturing and service sector of micro and medium enterprises (MSME) are registered in District Industry Rudraprayag. These industries comes under micro category through which no industrial waste is reported to be discharged into rivers. Report of GMDIC vide letter no1181/2023-24 dated 20-10-2023 is annexed. **(ANNEXURE-6)**
		c. *Utilization of treated sewage, use of sludge as a manure and septage management.*	Project Manager, Construction & Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjal nigam, Srinagar, Garhwal vide letter no- camp-1-Haridwar dated 21-10-2023has reported to DGC that in District Rudraprayag STPs are constructed for treatment of nala tapping, which were directly flowing on river. In view of this after treatment of sewage, the less quantity of sludge has been generated at STPs, which is utilized as fertilizer for gardening of STPs plant. Compliance report is annexed.**(ANNEXURE-7)**
		d. *Demarcation of flood plain zones and preventing encroachments thereof.*	Executive Engineer, Irrigation Division Kedarnath vide letter no 865 dated 21.10.2023 and Executive Engineer, Rudraprayag vide letter no-1719 dated 21-10-2023have reported that demarcation work in flood plain zones has been completed in District Rudraprayag and Flood plain zone have been notified vide Government Order no 1943/11(2)/2021-06(14)/2020 dated 31-12-2021. It has also been reported that there are no encroachment in floodplains as of date.**(ANNEXURE-8)**

	e. *Maintenance of e-flow:*	There are one functional Hydroelectric project in the upstream of River Mandakani- Singoli Bhatwari HEP. Environmental flow(e-flow) is monitored regularly through Central Water Commission installed flowmeters and displayed online through dashboard. A compliance report vide letter no-RJUPL/DFO/23-24/246 dated 20 October 2023 by Renew Jal Urja Pvt Ltd is annexed. It is reported that Singoli Bhatwari HEP is maintaining e flow as per Norms. **(ANNEXURE-9)** A Compliance report by Executive Engineer, Irrigation Division Kedarnath vide letter no 865 dated 21.10.2023 is reported that e-flow is monitoring as per norms and Executive Engineer, Rudraprayag vide letter no-1719 dated 21-10-2023 is reported that e-flow is being maintained at Khankara Reservoir under the jurisdiction of Irrigation Division Rudraprayag is annexed **(ANNEXURE-8)**
	f. Preventing dumping of solid and other waste In and around Ganga.	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag vide letter no-720/2023-24 dated 20.10.2023 is inform that 50 environment friends have been deployed in Nagar Panchayat Kedarnath. Through which cleaning is done in the city area in 2 shifts every day. **Ukhimath-**For disposal of organic waste in Ukhimath Nagar Panchayat, a segregation center has been built near Ward 03 Nagar Panchayat office. **Tilwara-**17 environment friends have been deployed in municipal body Tilwara. Door to door garbage collection is done in all the four wards of the city. **Rudraprayag-**Nagar Palika Rudraprayag has deployed 52 environment friends for the disposal of organic and inorganic waste emitted in all 7

			wards. MSW is disposed in raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation from each household. After Segregation composting and compacting the waste revenue is also generated by selling the compost and compost is annexed.(ANNEXURE-10) A compliance report vide letter no-546/PIL-200/2014/2023-24 dated 27-10-2023 by DPRO Rudraprayag reported that Solid waste is disposed of in waste separation centers by Swajal and Panchayat Raj in all the Gram Panchayats of the district. Garbage vehicles have been provided through Swajal in all three development blocks of the district is annexed. (ANNEXURE-11)
		g. *Clearing old legacy waste dump sites.*	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag vide letter no-720/2023-24 dated 20.10.2023 reported that MSW is disposed in Raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation from each household. After segregation composting and compacting the waste, revenue is also generated by selling the compost.(ANNEXURE-10)
		h. *Preventing and regulating illegal sand mining.*	Through the letter no-736/DTF/illegal mining/2023-24 dated 20 October 2023, Geology and Mining Department Rudraprayag has informed that for effective control and prevention of illegal mining, District Anti Illegal Mining Force has been formed at the district level and tehsil level. A fine of Rs 19,93,498/- was collected from a total of 16 districts for illegal mining and transportation in the district from April 2023 to

		September 2024. is annexed.(ANNEXURE-12)
	i. Steps for conservation of groundwater particularly with reference to critical, semi-critical and over-exploited areas.	District Development officer/ Sub District Programme Coordinator, Rudraprayag vide letter no- 1347 /33-V/ 11- accounts /MANREGA/ 2023-24 dated 25-10-2013 as provided details of around 75 Amrit Sarovar have been constructed in district Rudraprayag. These are aimed at conservation of water including recharge and rejuvenation of groundwater. (ANNEXURE-13)
	j. Restoration of water bodies.	For restoration and wetland development 28 wetlands have been developed in the district. 27 wetlands are in reserve forest/protected areas while 1 wetland have been identified for conservation as per Wetland(Conservation) Rules 2017. Brief documents have been prepared and sent to State Wetland Conservation Authority. Also directions have been given by DGC to respective members to undertake measures for protection of water bodies and undertake conservation works in different DGC meetings. (ANNEXURE-14)
	k. Monitoring and displaying of water quality.	Regular monitoring of water quality is ensured by DGC by reviewing Surface water quality Characteristics of Rivers of District Rudraprayag. Based on water quality data, as per CPCB mandated Designated Best Use(DBU) Water quality criteria /standards the DBU water quality class is "A" for all the 4 monitoring stations in District Rudraprayag for month of April, May, June, July and August 2023. Annexure- Surface water quality characteristics of Rivers by Uttarakhand Pollution Control Board. (ANNEXURE-15)

	l. *Taking action against polluters by way of recovering compensation for restoration of the damage to the environment.*	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag vide letter no-720/2023-24 dated 20.10.2023 reported that is taking action against polluters recovering fine charge for restoration of the damage to the environment.. Action Taken report is annexed.**(ANNEXURE-10)**
	m. *Public awareness and involvement for prevention and control of pollution of Ganga.*	There are Several public awareness activities was organised by RudraprayagDistrict Ganga Committee these are following below- 1- Azadi ka Amrit Mahotsav 2- Mission Life 3- International Day of Yoga 4- Swachhta hi Seva 5- Har Ghar Har Ghat Tiranga 6- Ganga Arti 7- Cleanliness and Plantation Drive 8- Ganga Utsav 9- SwachhtaPakhwada: A detailed report of various IEC activities organised by DGC is annexed. **(ANNEXURE-16)**
	n. *Regulating activities on and around river Ganga including ghats and other establishments.*	Executive Engineer, Irrigation Division Kedarnath vide letter no 865 dated 21.10.2023 and Executive Engineer, Rudraprayag vide letter no-1719 dated 21-10-2023 have reported that demarcation work in flood plain zones has been completed in District Rudraprayag and Flood plain zone have been notified vide Government Order no 1943/11(2)/2021-06(14)/2020 dated 31-12-2021. It has also been reported that there are no

			enctoachment in flood plains as of date. (ANNEXURE-8)
		o. *Afforestation and setting up of biodiversity parks.*	DGC and its members have conductedvarious kind of plantation drive on the occasion ofHarela festival, Meri Mati Mera desh, Mission Life and other awareness programme. For biodiversity conservation in Rudraprayag district, Eco-Park has been developed at Jawari and one Ganga Vatika has been proposed at Syalsaud.(ANNEXURE-17)
4.	56. Designation of Nodal Officer.-	District Ganga Committee through Chairman, DGC has nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order – (a) Gram Pradhan of Gram Sabha of 91 revenue villages in the areas abutting the River Mandakini and Alaknanda. (b) Chairperson of 5 Nagar Panchayat and Nagar Palika Parisheds covering 21 revenue villages/wards abutting the river Mandakini and Alakhanda. The nodal officers have been entrusted with responsibilities as per para 56 of 2016 order. It includes responsibilities and power to take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area.He shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.(ANNEXURE-18)	
5.	57. Preparation of plans.-	As per directions of NMCG and State Programme Management Group, Namami Gange, a Tributary wise plan/presentation was ptepared by DGC and submitted to SPMG, Namami Gange vide letter no 6536/33-namamigange (2020-21) dated 18 September, 2023. Also preparation of District Ganga Plan is underway. NMCG has conducted training cum workshops for preparation of District Ganga Plan(DGP) on have been attended by members of DGC.Tributary wise plan is annexed.(ANNEXURE-19)	

REPORT ON ISSUES RAISED BY APPLICANT

Sr no	Cities/Panchayats	Issues pertaining to district Rudraprayag	Action taken/Initiated in District Rudraprayag
1.	Alaknanda Basin i. Rudraprayag	1 Untapped Sewage	Project Manager, Construction & Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjalnigam, Srinagar, Garhwal vide letter no-1178/G-4/113 dated 20-10-2023 has reported that 8 nala in rudraprayg district was tapped and these tapping nalas flow discharge into the 6 STPs. There are 5 new STPs with I&D are being constructed at 04 Gaurikund and 01Tilwara.. Status of ongoing pollution abatement works in the Basin of Rudraprayag District is annexed.(ANNEXURE-5)
		2. Municipal solid waste	Disposal of MSW is done by Nagarpalika Rudraprayag /Nagar panchayat Kedarnath, Ukhimath, Agustmuni in urban/semi-urban areas and by Zilla Panchayat in rural areas. A compliance report vide letter no- 720/ ganga sanrakhan/ 2023-24 dated 20-10-2023 by MSW is disposed in raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation from each household. After Segregation composting and compacting the waste revenue is also generated by selling the compost. (ANNEXURE-10)
		3. High Tourist	In order to regulate the tourist football

		influx at all Prayags, leading to pollution, traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well.	online registration system has been put in place. Multi-level parking system, queue system has been put in place to manage high traffic footfall.
		4. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.	As per report provided by District Agriculture Officer vide letter no-909/2023-24 dated 20-10-2023 District Rudraprayag has been declared completely organic since 2015 and there is no distribution of chemical pesticides and other chemicals for agriculture use. **(ANNEXURE-20)**
2.	Mandakini Basin i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag.	In order to regulate the tourist footfall online registration system has been put in place. Multi-level parking system, queue system has been put in place to manage high traffic footfall.
		2. MSW disposal-burning of waste (dumping in the valley)	Disposal of MSW is done by Nagarpalika/Nagar panchayat Kedarnath, Ukhimath, Agustmuni in urban/semi-urban areas and by Zilla Panchayat in rural areas. 100% door to door collection and

			segregation is ensured by nagarpalikas . Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraptayag vide letter no-720/2023-24 dated 20.10.2023 is inform that 50 environment friends have been deployed in Nagar Panchayat Kedarnath. Through which cleaning is done in the city area in 2 shifts every day. **Ukhimath**-For disposal of organic waste in Ukhimath Nagar Panchayat, a segregation center has been built near Ward 03 Nagar Panchayat office. Tilwara-17 environment friends have been deployed in municipal body Tilwara. Door to door garbage collection is done in all the four wards of the city. **Rudraprayag**- Nagar Palika Rudraprayag has deployed 52 environment friend for the disposal of organic and inorganic waste emitted in all 7 wards. MSW is disposed in raintoli which is located in ward 7 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Raintoli processing plant/ dump site after source segregation from each household. After Segregation composting and compacting the waste revenue is also generated by selling the compost and compost is annexed. (ANNEXURE-10) A compliance report vide letter no-546/PIL-200/2014/2023-24 dated 27-10-2023 by DPRO Rudraprayag reported that Solid waste is disposed of in waste separation centers by Swajal and

			Panchayat Raj in all the Gram Panchayats of the district. Garbage vehicles have been provided through Swajal in all three development blocks of the district is annexed. **(ANNEXURE-11)**
		3. Sewage disposal	Project Manager, Construction & Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjalnigam, Srinagar, Garhwal vide letter no-1178/G-4/113 dated 20-10-2023 has reported that 8 nala in rudraprayg district was tapped and these tapping nalas flow discharge into the 6 STPs. There are 5 new STPs with I&D are being constructed at 04 Gaurikund and 01Tilwara. Status of ongoing pollution abatement works in the Basin of Rudraprayag District is Annexed. (ANNEXURE-5)
		4. Plastic waste and bottles	SDM, Ukhimath has informed in his letter dated 25.07.2023 that for the eradication of plastic in Shri Kedarnath Dham. Digital Deposit Refund System is being run by Recykal Company, through which all the businessmen /shopkeepers located on the Shri Kedarnath Yatra route will be given this information. QR by Group The code is given. This QR is applied in water bottles. Only QR can be used by shopkeepers located on the Kedarnath Yatra route. Coded water bottles are being sold. QR from consumer An additional charge of Rs 10/- is taken on the coded bottle and the consumer gets

			back his extra charge of Rs 10/- by returning the water bottle to the **Digital Deposit Refund System** Centre. This year Recykal company has so far issued QR. 1.95 lakh bottles were sold with the code, out of which more than 50.00 thousand bottles have been collected and sent for recycling.**(ANNEXURE-21)**
		5. Donkey/ horse dung disposed in the valley	A total of 390 sanitation workers and 30 supervisors have been deployed on the Shri Kedarnath Yatra route by Sulabh International Social Service Organization. The garbage and dung collected manually by sanitation workers/environmental friends on the Yatra route is transported to Gaurikund through horses and mules and from Gaurikund, through vehicles, plastic waste is transported to Sonprayag and horse dung is transported to the dumping zone Rampur. A total of 9.70 tonnes of plastic material was compacted by the said organization and sent for recycling and 3000 tonnes of mule dung was deposited in the dumping zone Rampur. **(ANNEXURE-22)**
		6. Floods/ landslides and avalanche-indicative of fragility of the region	With respect to Flood, Landslide, unstable slope which are as per NH PWD Rudraprayag letter no. 1702 dt 19-10-2023 indicative of fragility of the region, following action has been taken by NHAI and Irrigation department along river Alaknanda & Mandakini and along Chardham Route in district Rudraprayag-
		7. Phata-Landslide zone, unstable	

		slope.	1- A total of 31 vulnerable spots have been identified which are sending and sliding zone for treatment. 2- Out of these 31 site, for 12 sites treatment work is under progress or work has been sanctioned. 3- For rest of the sites DPR is being prepared by THDC for landslide treatment. Detailed report by NH is annexed. (ANNEXURE-23). Also as per direction given by Supreme Court Monitored High Powered Committee (HPC) on Char Dham Project. Afforestation and Landslide Mitigation Plan/DPR is being prepared by NH and Forest Department to address the issue of fragility of the region.

As per the list of drains in Ganga river region in the submission of Counsel for the applicant, no drain from the district of Rudraprayag are listed. Also according to the information catered by the applicant, none of listedindustrial estates in Ganga basis are located in District Rudraprayag.

District Ganga Protection Committee, District Rudraprayag is actively monitoring and undertaking efforts for rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries. The roles, responsibility and functions of District Ganga Committee as per 2016 order is being complied with. Various efforts are being taken in the district that address various issues raised in the submission of Counsel for the applicant.

ANNE25566 1

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2249(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला रुद्रप्रयाग के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

i.	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग	—अध्यक्ष
ii.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iii.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग ,रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iv.	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रण सेवा, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
v.	परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
vi.	सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	—सदस्य
vii.	उप-प्रभागीय वन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	—सदस्य व संयोजक

ख- नामित सदस्य;

i.	जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
ii.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iii.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि	—सदस्य
iv.	श्री भगत सिंह चौधरी (अंजली), ग्राम व डाकघर कोटमलला, पर्यावरणविद	—सदस्य
v.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी, श्री अगस्तेश्वर मंदिरसमिति, पर्यावरणविद	—सदस्य
vi.	श्री पूरन सिंह नेगी, मेसर्स सूरज बेकर्स एम.डी. आरुधान भारतवर्ष सैल, उद्योग संघ- प्रतिनिधि	—सदस्य

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और विविध फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. एवा. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3182 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Rudraprayag, in the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(a)	District Collector, Rudraprayag.	—Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Rudraprayag.	—Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Rudraprayag.	—Member;
(d)	Executive Engineer, Rural Engineering Service, Rudraprayag.	—Member;
(e)	Project Manager, Swajal Project, Rudraprayag.	—Member;
(f)	Assistant Environment Engineer, Regional Office, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun.	—Member;
(g)	Sub- Divisional Forest Officer, Rudraprayag.	—Member and Convenor;

B. Nominated Members:

(a)	District Development Officer, Rudraprayag.	—Member;
(b)	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag.	—Member;
(c)	Executive Officer, Nagar Panchayat, Agastmuni.	—Member;
(d)	Mr. Jagat Singh Chaudhary (Jaagli), Village and Post Office Kotmalla, Environmentalist.	—Member;
(e)	Mr Rajendra Prasad Goswami, Shri Agastya Singeetalay, Environmentalist.	—Member;
(f)	Mr. Puran Singh Negi, M/s. Sajid Bakers M.O Aastillan Bhatwadi Sain, Udiyog Sangh – Representation.	—Member;

2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.

3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.

4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chair Person may decide the procedure and regularity for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2250(अ).—केन्द्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ.3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पठनीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला रुद्रप्रयाग के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

25568

ANNEXURE-2

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या–5973/33–3 (2016–2017) दिनांक, रुद्रप्रयाग, 07 , सितम्बर, 2017

भारत का राजपत्र आदेश नई दिल्ली, 17, जुलाई, 2017 का.आ. 2240(अ) के द्वारा जिला रुद्रप्रयाग के लिये जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन कर निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये हैं :–

क– पदेन सदस्यगण :–

1.	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग	–	अध्यक्ष
2.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	–	सदस्य
3.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग	–	सदस्य
4.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, रुद्रप्रयाग	–	सदस्य
5.	परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, रुद्रप्रयाग	–	सदस्य
6.	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य
7.	उप प्रभागीय वन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	–	सदस्य एवं संयोजक

ख– नामित सदस्य :–

1.	जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग	–	सदस्य
2.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग	–	सदस्य
3.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि	–	सदस्य
4.	श्री जगतसिंह चौधरी,(जंगली), ग्राम व डाकघर कोटमल्ला, पर्यावरणविद	–	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी,श्री अगस्त्य संगीतालय, पर्यावरणविद	–	सदस्य
6.	श्री पूरनसिंह नेगी, मेसर्स सूरज बेकर्स एण्ड्रो. आस्थान भटवाडी सैण,उद्योग संघ– प्रतिनिधि	–	सदस्य

कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1089/SPMG/NGRBA/PA/177 दिनांक, 02–08–2017 के द्वारा जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत IEC Advocacy Workshop हेतु Specification विन्दुवार उल्लेख किया गया है।

कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1092/SPMG/NGRBA/PA/188 दिनांक, 02–08–2017 उक्त पत्र कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को सम्बोधित तथा प्रतिलिपि अन्यो के साथ जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, रुद्रप्रयाग को प्रेषित है, जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत IEC गतिविधियों को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त सन्दर्भित प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला गंगा सुरक्षा समिति की आवश्यक बैठक दिनांक 11–09–2017 को समय अपराह्न 03.00 बजे जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आहूत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(कृपया–2 पर)

अतः उपरोक्तानुसार सभी पदेन सदस्यगण एवं नामित सदस्यगण यथा तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(तीर्थ पाल सिंह) 7/5/17
अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।

2– कार्यकारी निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट, नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।

3– जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

4– समस्त पदेन सदस्यगण/नामित सदस्यगण जिला गंगा सुरक्षा समिति रुद्रप्रयाग।

5– जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग ।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Ann 25570 E-3

श्री अभिषेक, उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिनंदन करते हुए बैठक की कार्रवाही प्रारम्भ की गयी–

माह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल. (O.A. No 200 of 2014 M.C. Mehta Vs Union of India in the matter related to Ganga Pollution and its cleaning etc.) के मामले में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के क्रम उपलब्ध कराये गये बिन्दुओं पर प्रत्येक उपनद की जिला गंगा संरक्षण समिति से Status report तैयार करते हुए उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ को गंगा संरक्षण हेतु सुसंगत अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत अधिरोपित किये गये जुर्माने की धनराशि से संबंधित आख्या (वित्तीय वर्ष सहित) उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही समितियों को ढाबा, होटल इत्यादि स्थानों पर कूड़े का उचित निस्तारण न किये जाने वालों के विरूद्ध जुर्माने से संबंधित कार्यवाही की जायें।

मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग को कृषि में उपयोग किये जाने वाले कीटनाशक/रसायनों का यमुना नदिका एवं उनमें से न किये जाने के संबंध में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अलकनंदा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु "डिस्ट्रिक्ट गंगा प्लान" तैयार किया जाना है, जिसके लिए समिति के सदस्यगण/विभागों से सहयोग करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

माह अगस्त–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी, जो निम्नवत् है–

1- Public Awareness :– बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि माह सितम्बर–2023 तथा माह अक्टूबर–2023 के प्रथम सप्ताह के दौरान जिन स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके फोटोग्राफ्स जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/जिला पंचायत राज अधिकारी रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

2- Preventive Solid Waste Flowing into River :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व माह में हुई बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के संबंध में संबंधितों को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु चयनित भूमि को संबंधित विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। साथ ही अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि फाटा, गुप्तकाशी, बांसवाड़ा के नजदीक, फाकडागाड़ आदि स्थानों से कूड़े का तत्काल निस्तारण किया जाये। साथ ही अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है कि जिला पंचायत क्षेत्रों से नियमित रूप से कूड़े का निस्तारण किया गया जाये, व प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को होने वाली "जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग" की बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग)

3- River-Front Development :– बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ को मन्दाकिनी एवं अलकनन्दा नदी के घाटों एवं शौचालय पर सौन्दर्यीकरण, नियमित रूप से साफ–सफाई आदि किये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/बसुकेदार/ऊखीमठ/जखोली को अलकनन्दा/मन्दाकिनी आदि नदियों में घोड़े–खच्चरों से किये जा रहे अवैध प्रकार के खनन कार्यों पर रोकथाम लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त आगामी माह में जिले के नदी किनारे घाटों पर गंगा उत्सव से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रम से सम्बन्धित रूप रेखा तैयार कर पृथक से प्रेषित की जायेगी।

(कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/बसुकेदार/जखोली/ऊखीमठ/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ)

4- Afforestation :– बैठक के दौरान वृहद वृक्षारोपण हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति से संबंधित विभागों को दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष कितनी प्रगति प्राप्त हुई है, से संबंधित अनुपालन आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही शीत ऋतु में रोपण किये जाने वाले पौधों को लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/समिति से संबंधित समस्त विभाग)

5- Sewerage Treatment Infrastructure Development :– बैठक के दौरान परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को जनपद में स्थित समस्त सीवरेज की अवसंरचना का समय–समय पर मरम्मत कार्य/निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। साथ ही समिति को निर्देश दिए गये है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में संपदी ऑडिट तथा अन्टेप्ट निर्देश से संबंधित आगामी 02 दिन 3-4 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

6- Industrial Effluent Monitoring :– जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नही है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

7- Ganga Gram :– बैठक के दौरान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के आस–पास के क्षेत्रों के ग्राम प्रधान तथा नगर क्षेत्रों के अध्यक्ष नोडल अधिकारी नामित किये जाने की सूचना समस्त सदस्यों को दी गयी। समस्त नामित नोडल अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग के समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि समस्त नोडल अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

(कार्यवाही– जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग के समस्त सदस्यगण)

8- Biodiversity :– जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में जिला पालन अधिकारी अनुपस्थित रहे जिस कारण मत्स्य विभाग तथा रिन्यू पॉवर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना को समान स्तर से निर्धारणानुसार अनुमोदित कराने के संबंध में की गयी कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट नही हो पायी। जिला मत्स्य अधिकारी सुनिश्चित करें कि महाशीर हेचरी के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये जिला गंगा संरक्षण समिति को अवगत कराये।

(कार्यवाही– मत्स्य अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

9- Institutional Development :– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग द्वारा पूर्व में हुयी बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में GIS Based District Scientific Water Conservation Plan District Rudraprayag को प्रस्तुत किया गया। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये Water Conservation Plan की सॉफ्ट कॉपी (GIS सेपर सहित)/सम्पूर्ण डाटा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही GIS Cell के पास उपलब्ध जल संसाधनों से सम्बन्धित आवश्यक GIS Data सॉफ्ट कॉपी में अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य नामित सदस्यों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये, जिससे जल संरक्षण के कार्यों की तैयारी वैज्ञानिक तरीके से की जा सके।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/ मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/GIS Cell विकासभवन)

10- Wetland and Small River Rejuvenation :– बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को "स्वच्छता ही सेवा" तथा 02 अक्टूबर–2023 के अवसर पर वृक्षारोपण/पौधारोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। Writ Petition (PIL) No. 19 of 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–491/2023 कौशल कुमार त्रिपाठी बनाम शहरी विकास तथा मूल आवेदन संख्या–325/2018 डी0के0 सर्वदमन सिंह चौहरेया बनाम भारत संघ व अन्य में तालाबों/ जल निकायों से अतिक्रमण हटाये जाने, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनर्संरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 18.11.2020 को आदेश पारित किये गये है।

जनपद में स्थित तालाबों, झीलों और जल निकायों की सहायी पर राज्यवार स्थिति सूचीकरण, जियो–टैगिंग, यू0आई0एल0 आयोजन, जल गुणवत्ता मूल्यांकन, जल निकायों और तालाबों की बहाली के लिए अन्य योजनाओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आकड़ा उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग से संबंधित सदस्यों को निर्देश दिये गये है कि निर्धारित प्रारूप पर अपने–अपने विभाग से संबंधित आकड़ा यथाशीघ्र अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जनपद में जल स्रोतों के समीप वन क्षेत्र होने की दशा में कैम्पा मद के तहत वृक्षारोपण, राजस्व क्षेत्र की दशा में मनरेगा मद से वृक्षारोपण का कार्य किया जाये। साथ ही जल स्रोतों के जल का पर्यवेक्षण भी पी.पी.पी. मानकों के तहत किया जाये। वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग भी पंचायती क्षेत्रों में जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य किया जा सकता है। जल स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु संबंधित विभाग द्वारा कार्य योजना बनायी जाये। साथ ही Rain Water Harvesting के कार्यों के संबंध में तथा आगामी

कार्ययोजना के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान, रुद्रप्रयाग आवश्यक कार्यवाही करायेंगे।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान, रुद्रप्रयाग/जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग के समस्त सदस्यगण)

अर्थ गंगा मॉडल:– गंगा घाटी क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए "अर्थ गंगा" मॉडल के अंतर्गत पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के लिए कृषि विभाग रुद्रप्रयाग, जिला पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग, अधिशासी, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को प्रस्तावित आवश्यक जिला परियोजना अधिकारी समग्र गंगे एवं अनुहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परियोजना अधिशासी खरेड़ा रुद्रप्रयाग को जनपद अन्तर्गत पीरूली एकत्रीकरण करने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग /जिला पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग/अधिशासी, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/

जिला गंगा संरक्षण समिति के सभी सदस्यों को निर्देशित किया जाता कि प्रत्येक बैठक में सूचनाओं सहित अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(अभिमन्यु),
उप वन संरक्षक/सदस्य संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।।

संख्या– 1317 / 7-1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
3– उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार।
4– जिला परियोजना अधिकारी (समग्र गंगे), रुद्रप्रयाग।
5– जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट समग्र गंगे देहरादून।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(अभिमन्यु),
उप वन संरक्षक/सदस्य संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

श्री अभिषेक, उप जन संचालक रुद्रप्रयाग, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग की उपस्थिति में दिनांक 04.09.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिनंदन करते हुए माह सितम्बर–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी।

1- Public Awareness :– बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 16 सितम्बर–2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक "स्वच्छता ही सेवा" तथा माह अक्टूबर–2023 के प्रथम सप्ताह के अन्तर्गत "Wild Life Week" कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। उक्त कार्यक्रमों में गंगा ओवर फ्लो आबादक्षेत्र स्थलों पर सफाई तथा वृक्षारोपण के साथ–साथ अन्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। इस वर्ष 02 अक्टूबर (दिवस) को गांधी जयंती तथा स्वच्छता ही सेवा के समापन के साथ–साथ जागरूकता कार्यक्रम भी किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 14 नवम्बर को बाल दिवस के अवसर पर जिन स्थानों पर वृक्षारोपण/पौधरोपण व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, उनकी फोटोग्राफ्स जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला पंचायत राज अधिकारी रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/ओ0 ओ0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

2- Preventing Solid Waste Flowing into River :– अपरमुख्य अधिकारी द्वारा पूर्व माह में हुई बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों को नदी में प्रवाहित होने से रोकने हेतु नगरीय क्षेत्रों में संचालित होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्ट आदि प्रतिष्ठानों में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के पृथक्करण किये जाने के संबंध में अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि चट्टीयों, धर्मशालाओं, गुरुद्वारों, मंदिरों आदि स्थानों से ठोस कचरा एकत्रीकरण नियंत्रित किया जाये। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में खुले में निस्तारण हेतु गड्ढे उपलब्ध कराये गये हैं, उक्त गड्ढों के संबंध में माह अक्टूबर–2023 में होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

साथ ही अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ उखीमठ को निर्देश दिये गये हैं, कि Single Use Plastic के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु प्रत्येक स्तर से अभियान चलाया जाये एवं इसके रोकथाम के लिए चालान काटे जाये।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग /समस्त खण्ड विकास अधिकारी समस्त रुद्रप्रयाग)

3- River-Front Development :– बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ को अलकनन्दा नदी के घाटों एवं संगम पर सौन्दर्यीकरण, स्नान–स्नानार्थ आदि किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग को Electrical Crematorium की स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ)

4- Afforestation :– बैठक के दौरान वृहद् वृक्षारोपण हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति से सम्बंधित विभागों को दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष विभागों द्वारा की गई है, से संबंधित अनुपालन आख्या समयबद्ध अधिशासी अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही "स्वच्छता ही सेवा" एवं 02 अक्टूबर–2023 के अवसर पर वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किये जाने हेतु समितियों को निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/समिति से संबंधित समस्त विभाग)

5- Sewerage Treatment Infrastructure Development :– बैठक के दौरान परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुपालन इकाई (गंगा) सुरक्षाचक्र–पेयजल सिस्टम, श्रीनगर गढ़वाल को उपरोक्त के सापेक्ष जिन समस्त परियोजना की प्रगतिसंबंधी आख्या–कब्जा पत्र सम्मत कार्य/निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। साथ ही जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि Solid Waste Management से संबंधित समस्या अधिशासी एवं परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुपालन इकाई (गंगा) सुरक्षाचक्र पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुपालन इकाई (गंगा) सुरक्षाचक्र पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्य)

6- Industrial Effluent Monitoring :– रुद्रप्रयाग में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नहीं है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

7- Ganga Gram :– बैठक में जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं कि गंगा ग्राम पंचायत/गंगा मित्र/स्वयं सेवक दल तथा ग्राम प्रधान का विस्तृत विवरण लिया जाये। साथ ही गंगा ग्रामों में अन्तर्गत स्वच्छता ही सेवा तथा 02 अक्टूबर–2023 के अवसर पर गंगा आरती/स्वच्छता अभियान/वृक्षारोपण/गुल्लक नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

क्रमशः 8 पर

8- Biodiversity :- जनपद में जैव विविधता को बढ़ाये जाने हेतु विन्नू वीवर प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा मदाकिनी नदी में जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य विभाग तथा विन्नू वीवर प्रा0लि0 कम्पनी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना को सक्षम स्तर से निदेशानुसार अनुमोदित कराकर के पश्चात महाशीर हेचरी की रख-रखाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही- मत्स्य अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

9- Institutional Development :- जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन-2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा चैकडैन की कार्यवाही की जाती है। बैठक के दौरान समस्त सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क किनारे उचित स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।

जनपद अन्तर्गत मन्दाकिनी तथा अलकनन्दा नदियों में मिलने वाली अन्य नदियों तथा जल स्रोत इत्यादि को (स्थल अंकित करते हुए) GIS Map पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु GIS Cell को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/ मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/समस्त सड़क निर्माणदायी संस्था/GIS Cell विकासनगर)

10- Wetland and Small River Rejuvenation :- बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को "स्वच्छता ही सेवा" तथा 02 अक्टूबर-2023 के अवसर गंगा ग्रामों में वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। Writ Petition (PIL) No. 19 of 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया है। साथ ही अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को Water Conservation Plan अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही- जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग /अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग)

अर्थ गंगा मॉडल:- गंगा घाटी क्षेत्र के सतत आर्थिक विकास के लिए "अर्थ गंगा" मॉडल के अन्तर्गत पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के लिए कृषि विभाग रुद्रप्रयाग, जिला पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग, अधि.अभि. सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को यथाशीघ्र आच्छा जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परियोजना अधिकारी उरेडा रुद्रप्रयाग को जनपद अन्तर्गत पीपल एफारेस्टेशन करने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग/जिला उद्यान विभाग रुद्रप्रयाग/जिला पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग/अधि.अभि. सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/परियोजना प्रबन्धक, उरेडा, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे रुद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देश दिये कि जिला पंचायती राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं जिला गंगा संरक्षण समिति के अन्य सदस्य जिनके द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है वह सभी अनिवार्य रूप से अगामी बैठकों में सम्बन्धित दस्तावेजों/अभिलेखों सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(अभिमन्यु),
उप वन संरक्षक/सदस्य व संयोजक।
जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग

संख्या- 978/ 7-1 दिनांक 16 सितम्बर ,2023।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2- समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
3- जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग।
4- जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7- सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक/सदस्य व संयोजक।
जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।

श्री अनिरुद्ध, उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग श्री अनिरुद्ध द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए माह जुलाई–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी।

Public Awareness :– बैठक को दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 तक 'हर घर–हर घर तिरंगा' कार्यक्रम एवं 15 अगस्त, 2023 को "स्वतन्त्रता दिवस" की प्रातः फेरी के समय किया जाना है। वर्षाकाल का समय होने के कारण अलकनन्दा तथा मन्दाकिनी नदी का जल उच्च स्तर पर है, जिस कारण घाट पर पहुंच सम्भव न हो सके, उनका कार्यक्रम "मेरी माटी मेरा देश" के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में किये जाने वाले फोटोग्राफ्स में गंगा नदी की दिखाई देनी आवश्यक है। कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि को निर्देशित करते हुए जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग को उपलब्ध बजटीय व्यवस्थायें करायी गयी। अलकनन्दा–मन्दाकिनी नदी के संगम रुद्रप्रयाग तथा मन्दाकिनी घाट अगस्त्यमुनि में 'हर घर–हर घाट तिरंगा' कार्यक्रम को क्षेत्र के माo जनप्रतिनिधियों, पर्यावरणविद् तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मनाये जाने हेतु संयोजित अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। स्थान चन्द्रापुरी व अन्य गंगा घाटों में "मेरी माटी मेरा देश" कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किये जाने के लिए जिला वियानस अधिकारी, रुद्रप्रयाग समन्वयक कार्यवाही करेंगे। साथ ही माह जुलाई–2023 में हरेला पर्व के अवसर पर जिन स्थलों पर वृक्षारोपण/पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनके फोटोग्राफ्स जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।

साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी मेडिकल सुपरिंटेंडेन्ट, रुद्रप्रयाग को नमामि गंगे के बैनर/स्लोगन का प्रयोग कर जागरूकता कार्यक्रम/वृक्षारोपण करने के लिए आदेशित किया गया।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/प्रभारी चिकित्सा कुष्ठ केन्द्र रुद्रप्रयाग/ जिला परियोजना अधिकारी उत्तराई गंगे)

Preventing Solid Waste Flowing into River :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व माह में हुई बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों में सम्बन्धितों को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु चयनित भूमि को सम्बन्धित विभाग के साथ हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त जिला वियानस अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद के सभी ब्लॉकों में कूड़े के विसर्जन हेतु जो स्थान उपलब्ध कराये गये है, उन स्थानों को चेकडैम में अनुपयुक्त घोषित किया जा चुका है। जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को स्थान उपलब्धता पार्क, गंगावली, चिरबटिया, डमडकोटी आदि स्थानों से कूड़े का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग /समस्त ब्लॉक विकास अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग)

River-Front Development :– पूर्व की बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा रुद्रप्र स्थलघाटों में गंगा घाटिका तैयार हेतु 5.00 लाख (पूर्व में जारी कार्यवृत्त में त्रुटिवश 25.00 लाख अंकित हो गया था) के प्रस्ताव में समिति द्वारा संस्तुति दी गयी। जिला परियोजना अधिकारी अपनी बैठक में अवगत कराये कि प्रस्ताव के विरुद्ध पंचम वित्त हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग के वित्त मानक मद में उक्त अंकित धनराशि का व्यय किया जायेगा। बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ को मन्दाकिनी तथा अलकनन्दा नदी के घाटों एवं शवों पर शवदाहकरण, स्नान–सफाई आदि किये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही जनपद में Electrical Crematorium स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– जिला परियोजना अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ)

Afforestation :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा "मेरी माटी मेरा देश" कार्यक्रम तथा "स्वतन्त्रता दिवस" के अवसर पर अलकनन्दा तथा मन्दाकिनी व अन्य नदियों के संगम/घाटों/गंगा ग्रामों में 'नमामि गंगे' के बैनर/लोगो के साथ वृक्षारोपण/पौधारोपण का कार्य किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/समिति से सम्बन्धित समस्त विभाग)

Sewerage Treatment Infrastructure Development :– बैठक के दौरान परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पादित समस्त सीवरेज की अवसंरचनाओं का अवलोकन–संयुक्त परीक्षण कार्य/निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। SPMC द्वारा constituted as per the order of Hon'ble National Green Tribunal in O.A. 200/2014 में दिये गये निर्देशों जनपद की पृथक–पृथक Tributary-wise से सम्पादित PPT परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा तैयार किया जाना है जिस हेतु मुख्य सचिवालय विभिन्न विभागों से प्राप्त की जानी है। उक्त के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित विभागों को PPT तैयार किये जाने सम्बन्धी सूचना को तत्काल परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया।

(कार्यवाही– जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग / परियोजना प्रबन्धक स्वजल, रुद्रप्रयाग/ अधि.अधि, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/अधि. अधि नगर पंचायत तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/केदारनाथ/ अधि.अधि. सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ/परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/)

Industrial Effluent Monitoring :– जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक सर्वर स्थापित नहीं है, और न ही किसी सर्वर द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

Ganga Gram :– बैठक के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि गंगा ग्रामों में स्वयं सेवक नियुक्त किये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा गंगा ग्रामों, अन्य स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर, करन्ट या बारिक तार को नदी में डाल कर मछलियों को पकड़े जाने की शिकायत या नामला संज्ञान में आने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं जिला विकास अधिकारी को गंगा ग्राम में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में चयनित गंगा प्रहरी/गंगा मित्र/स्वयं सेवकों की सूची उपलब्ध कराने तथा चयनित गंगा प्रहरी/गंगा मित्र/स्वयं सेवकों द्वारा समय–समय पर किये गए कार्यों जैसे– गंगा आरती/स्वच्छता श्रमदान/वृक्षारोपण/नुक्कड़ नाटक/प्रभात फेरियों के माध्यम से जागरूक किये जाने के लिए आदेशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त गंगा ग्रामों में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण/पौधरोपण/स्वच्छता श्रमदान का कार्य किया जाये।

(कार्यवाही– मत्स्य विभाग रुद्रप्रयाग/जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रुद्रप्रयाग)

Biodiversity :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद में जैव विविधता को बढ़ाये जाने हेतु सिंगोली–भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना से मन्दाकिनी नदी में मत्स्य पालन विकास हेतु पूर्व में निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में संचालन हेतु रिन्यू पॉवर प्राइवेट कम्पनी को महाशीर हेचरी की स्थापना की जानी है। इससे मन्दाकिनी नदी में जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य विभाग से अपेक्षा की जाती है कि रिन्यू पॉवर प्राइवेट कम्पनी द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना को स्तर से अनुमोदित कराये तथा हेचरी स्थापना के पश्चात् इसके संचालन व रख–रखाव में आवश्यक सहायता प्रदान करें।

(कार्यवाही– मत्स्य विभाग, रुद्रप्रयाग)

Institutional Development :– जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को मानसून को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में यथावांछित आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

Wetland and Small River Rejuvenation :– बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को अमृत सरोवरों के आसपास "मेरी माटी मेरा देश" कार्यक्रम तथा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उप वन संरक्षक/संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि Writ Petition (PIL) No. 19 of 2022 के क्रम में जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जनपद की आद्रभूमि से सम्बन्धित स्थलों का चयन पर सूचना राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को प्रेषित की जा चुकी है। (PIL) No. 19 of 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– जिला स्तरीय तकनीकी समिति/जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

"अर्थ गंगा" मॉडल :– गंगा घाटी क्षेत्र के सतत् आर्थिक विकास के लिए "अर्थ गंगा" मॉडल के अन्तर्गत पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के लिए पिछली बैठकों में संबंधित विभागों को आदेशित किया गया था किन्तु अभी तक केवल जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग, पशुपालन विभाग रुद्रप्रयाग, मत्स्य विभाग रुद्रप्रयाग, उरेडा विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा कार्ययोजना तैयार कर प्रेषित की गई शेष कृषि विभाग रुद्रप्रयाग, जिला उद्यान विभाग रुद्रप्रयाग, जिला पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग, अधि.अभि. सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग/केदारनाथ को तत्काल कार्ययोजना तैयार कर जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे एवं उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग/ संयोजक जिला गंगा समिति रुद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही–मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग, जिला उद्यान अधिकारी रुद्रप्रयाग, अधि.अभि. सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ/ जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(अभिमन्यु),
उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
संयोजक/जिला गंगा संरक्षण समिति
रुद्रप्रयाग।

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग ।।

संख्या– 588 / 21 दिनांक– 16 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
3– जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग।
4– जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट नमामि गंगे देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
संयोजक/जिला गंगा संरक्षण समिति
रुद्रप्रयाग।

श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी/प0 जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम प0 जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन करते हुए माह जून–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग द्वारा माह जून–2023 में हुई बैठक से संबंधित बिन्दु के संबंध में अवगत कराया गया, जो निम्नवत् है–

Public Awareness :– बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि 21 जून, 2023 को "योग दिवस" के अवसर पर गंगा नदी के मन्दाकिनी घाट, अगस्त्यमुनि में योग, गंगा स्वच्छता शपथ, घाटों की साफ–सफाई आदि का कार्य किया गया। साथ ही राजकीय इण्टर कॉलेज, रुद्रप्रयाग में युवा उत्सव के अवसर पर नमामि गंगे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 200 प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग करते हुए शपथ व साफ–सफाई का कार्य किया गया। उक्त के अतिरिक्त गंगा नदी के घाटों पर प्रतिदिन गंगा आरती किये जाने हेतु संबंधितों से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने तथा "हरेला पर्व" के अवसर पर जिन स्थानों पर वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किया जाना है, उनमें से किसी एक स्थान का चयन करते हुए "नमामि गंगे" के बैनर का उपयोग करते हुए जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग को वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

Preventing Solid Waste Flowing into River :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधितों को साफ–सफाई, जैविक–अजैविक कूड़े का पृथक–पृथक संकलित करने एवं निस्तारण करने तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही संबंधितों को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु चयनित भूमि को संबंधित विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर कूड़े के निस्तारण हेतु जो वाहन उपलब्ध कराये गये है, उन वाहनों हेतु तत्काल चालक की व्यवस्था करते हुए रोस्टर के अनुसार संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग)

River-Front Development :– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के क्रम में स्थान स्यालसौड़ में गंगा वाटिका तैयार करने हेतु 25.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा संस्तुति दी गयी। जिला गंगा समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि से प्रस्ताव का विल पोषण किया जाए। उक्त के अतिरिक्त संबंधितों को निर्देश दिये गये है, कि गंगा घाटों के सौन्दर्यीकरण, साफ–सफाई तथा घाटों पर Electrical crematorium स्थापित किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद0/जिला परियोजना अधि0 नमामि गंगे/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

2/-

Afforestation :— बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया कि वर्षा काल में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा हरेला पर्व तथा अन्य अवसरों पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करने हेतु संबंधितों को निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही— उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/उपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/समिति से संबंधित समस्त विभाग)

Sewerage Treatment Infrastructure Development :— बैठक के दौरान परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को सीवरेज की अवसंरचना का समय-समय पर मरम्मत कार्य किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही— परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

Industrial Effluent Monitoring :— उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नही है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

Ganga Gram :— बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के अन्तर्गत 12 राजस्व ग्रामों को गंगा ग्राम हेतु चयनित है। संबंधित ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य समय-समय पर किया जाता है। गंगा ग्राम हेतु चयनित राजस्व ग्रामों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गंगा ग्राम समिति गठित करते हुए ग्रामों में वृक्षारोपण, साफ-सफाई, प्रतिदिन डोर टू डोर जैविक/अजैविक कूड़ा का कलैक्शन आदि का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, रूद्रप्रयाग तथा जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग अपने अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों से संबंधित व्यक्तियों तथा ग्रामवासियों को नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा-कचरा न डालने हेतु जागरूक किया जायें। उक्त के अतिरिक्त गंगा ग्रामों में हरेला पर्व के अवसर पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किया जाये।

(कार्यवाही— जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायत राज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

Biodiversity :— उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को जनपद में जैव विविधता को बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये के निर्देश दिये गये। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के स्थान कांकड़ागाड़ में बर्ड वॉच एण्ड ट्रेकिंग का बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त जनपद में स्थित नागताल तथा तड़ागताल में स्थानीय जलीय प्रजाति/मछलियों को डाला जाएगा जिससे ताल में जैव विविधता में वृद्धि हो सकेगी।

(कार्यवाही— उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग)

Institutional Development :— जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन-2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि मुख्य विकास अधिकारी

रूद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को मानसून को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में यथोचित आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

Wetland and Small River Rejuvenation :– बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद अन्तर्गत छोटी नदियों तथा आर्द्रभूमि में अमृत सरोवर को स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। संबंधित को निर्देश दिये गये है, कि जनपद में अधिक से अधिक अमृत सरोवर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, व अमृत सरोवर के आसपास वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किया जाये। साथ ही "हरेला पर्व" की बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान संबंधित विभागों को "जल जीवन मिशन" तथा "अर्थ गंगा" से संबंधित कार्ययोजना यथाशीघ्र उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही "अर्थ गंगा" के तहत फलदार वृक्ष, औषधि वृक्ष आदि लगाये जाने हेतु संबंधितों विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(दीपेन्द्र सिंह पंवार)
प्र0 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या–5519/33–जि0गं.सं.स. (2022–23) दिनांक 15 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रूद्रप्रयाग।
3– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून;
7– कार्यालय प्रति।

प्र0 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन करते हुए माह मई–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान यात्रा मार्ग के सभी स्थानों पर प्रतिदिन साफ–सफाई तथा मार्ग के किनारों पर पड़े कूड़े का प्रतिदिन निस्तारण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रुद्रप्रयाग/ जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

Public Awareness :– बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग से राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति जनमानस में व्यापक जागरूकता के दृष्टिगत दिनांक 03 मई 2023 से 05 जून, 2023 तक "मिशन लाईफ" अभियान के आयोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि "मिशन लाईफ" अभियान को सफल बनाये जाने हेतु व्यापक जागरूकता एवं कार्यक्रम आयोजित किये गये है। साथ ही 05 जून को "विश्व पर्यावरण दिवस" के अवसर पर पौधों का रोपण किया गया।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/ अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/ जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/ प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रुद्रप्रयाग/समिति से संबंधित समस्त विभाग)

Preventing Solid Waste Flowing into River :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधितों को साफ–सफाई, जैविक–अजैविक कूड़े का पृथक–पृथक संकलित करने एवं निस्तारण करने तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि० अधि० नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

River-Front Development :– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग को मंदाकिनी नदी किनारों पर वृक्षारोपण करने व अग्रिम भागों को विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि स्थान स्यालसौड़ में वृक्षारोपण हेतु कार्यवाही प्रतिमान है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्र०/जिला परियोजना अधि० नमामि गंगे)

Afforestation :– बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया कि समय–समय पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, साथ ही वन विभाग से संबंधित जो भूमि अन्य विभागों को हस्तान्तरित की जाती है, उसमें भी नियमानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, हरेला दिवस आदि के अवसरों पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करने हेतु संबंधितों को निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/ जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/ प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग/समिति से संबंधित समस्त विभाग)

Sewerage Treatment Infrastructure Development :– बैठक के दौरान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को स्थान तिलवाड़ा तथा गौरीकुण्ड में कम्पैक्टर मशीनों को स्थापित करते हुए नियमित रूप से संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

Industrial Effluent Monitoring :– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नही है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

Ganga Gram :– बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के अन्तर्गत 12 राजस्व ग्रामों को गंगा ग्राम हेतु चयनित है। संबंधितों ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। गंगा ग्राम हेतु चयनित राजस्व ग्रामों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गंगा ग्राम समिति गठित करते हुए ग्रामों में वृक्षारोपण, साफ–सफाई, प्रतिदिन डोर टू डोर जैविक/अजैविक कूड़ा का कलैक्शन आदि सम्पादित किये जा सकते है, संबंधित कार्यों की समय–समय पर जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। साथ ही गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों से संबंधित व्यक्तियों तथा ग्रामवासियों को नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा न डालने हेतु जागरूक किया जायें।

(कार्यवाही– जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग)

Biodiversity :– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को जनपद में जैव विविधता को बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये के निर्देश दिये गये। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के स्थान कांकड़ागाड़ में बर्ड वॉच एण्ड ट्रेकिंग हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग)

Institutional Development :– जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को मानसून को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में यथाशीध्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग /मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

Wetland and Small River Rejuvenation :– बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद अन्तर्गत छोटी नदियों तथा आर्द्रभूमि में अमृत सरोवर को स्थापित किये जाने हेतु 91 टीमों का गठन किया गया है। संबंधित को निर्देश दिये गये है, कि जनपद में अधिक से अधिक अमृत सरोवर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, व अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान संबंधित विभागों को "जल जीवन मिशन" तथा "अर्थ गंगा" से संबंधित आख्या यथाशीघ्र उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही "अर्थ गंगा" के तहत फलदार वृक्ष, औषधि वृक्ष आदि लगाये जाने हेतु संबंधितों विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग / जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(मयूर दीक्षित),
जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या–5189 /33–जि0गं.सं.स. (2022–23) दिनांक 14 जून, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग / सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रूद्रप्रयाग।
3– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

Signed by
Mayur Dixit
Date: 14-06-2023 16:44:53

श्री भयूर दीक्षित, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन करते हुए माह अप्रैल–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा करते हुए यात्रा मार्ग के मुख्य स्थानों यथा– रुद्रप्रयाग बाजार, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, चन्द्रापुरी, शीरी, गुप्तकाशी आदि स्थानों की सड़कों तथा नालियों की साफ–सफाई आदि किये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रुद्रप्रयाग से जानकारी प्राप्त की गयी। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा–2023 के दौरान सभी स्थानों पर प्रतिदिन साफ–सफाई की जाती है, साथ ही नगर क्षेत्र एवं यात्रा मार्गों के किनारों पर पड़े कूड़े को एकत्र कर निस्तारण किया जाता है। संबंधितों को यात्राकाल/वर्षाकाल के दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन सड़कों/नालियों की साफ–सफाई करने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रुद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ /केदारनाथ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग से राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता एवं संक्रमण के प्रति जनमानस में व्यापक जागरूकता के दृष्टिगत दिनांक 03 मई 2023 से 05 जून, 2023 तक "मिशन लाईफ" अभियान के आयोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि "मिशन लाईफ" अभियान को सफल बनाये जाने हेतु व्यापक जागरूकता एवं कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ /केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधितों को साफ–सफाई, जैविक–अजैविक कूड़े का पृथक–पृथक संकलित करने एवं निस्तारण करने तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ /केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को स्थान तिलवाड़ा तथा गौरीकुण्ड में कम्पैक्टर मशीनों को स्थापित/नियमित रूप से संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये है। (कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को गंगा नदी व अन्य सहायक नदी–नालों में ठोस अपशिष्ट कूड़ा फेंकने/प्रवाहित करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश देते हुए कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

2/–

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा / अगस्त्यमुनि / ऊखीमठ / केदारनाथ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग / केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)।

उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को मंदाकिनी नदी किनारों पर वृक्षारोपण करने व अग्रिम भागों को विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि स्थान स्यालसौड़ में वृक्षारोपण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया कि समय–समय पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, साथ ही वन विभाग से संबंधित जो भूमि अन्य विभागों को हस्तान्तरित की जाती है, उसमें भी नियमानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सड़क मार्ग निर्माण / सुधारीकरण किये जाने वाले समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है, कि सड़क मार्ग के किनारों पर यथासम्भव वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग / समस्त सड़क मार्ग निर्माणदायी संस्था)

उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में कोई भी सरकारी / निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नही है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

बैठक के दौरान प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य वृहद् रूप से किया गया तथा प्रतिदिन डोर टू डोर जैविक / अजैविक कूड़ा कलैक्शन किया जाये। साथ ही गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों से संबंधित व्यक्तियों तथा ग्रामवासियों को नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा न डालने हेतु जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही– प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को जनपद में जैव विविधता को बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये के निर्देश दिये गये। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के स्थान कांकड़ागाड़ में बर्ड वॉच एण्ड ट्रेकिंग हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग)

जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग / मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद अन्तर्गत छोटी नदियों तथा आर्द्रभूमि में 75 अमृत सरोवर को स्थापित कर दिये गये है, तथा 66 अमृत सरोवर और बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। संबंधित को निर्देश दिये गये है, कि जनपद में अधिक से अधिक अमृत सरोवर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, व अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान संबंधित विभागों को "जल जीवन मिशन" तथा "अर्ली गंगा" से संबंधित आख्या यथाशीघ्र उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही अलकनन्दा/मन्दाकिनी आदि नदियों में किये जा रहे सुरक्षात्मक दीवार व अन्य कार्यो को करने वाले मजदूरों के लिए संबंधित ठेकेदार अपने स्तर से यथाशीघ्र शौचालयों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान श्री केदारनाथ धाम यात्रा–2023 को मध्येनजर रखते हुए यात्रा मार्ग से संबंधित सभी शहरों/कस्बों के सड़क मार्गों/नालियों की साफ–सफाई आदि कार्य तत्काल प्रभाव से किये जाने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। साथ ही मुख्य स्थानों/कस्बों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित करते हुए जनमानस को जागरूक किया जाय।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

Signed by
Mayur Dixit
Date: 23-05-2023 17:29:50

(मयूर दीक्षित),
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या–444/33–जि0गं0सं0, (2022–23) दिनांक 24–मई, 2023

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूप नमामि गंगे देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में माह अप्रैल–2023 में हुई जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का स्वागत/सम्बोधन करते हुए माह मार्च–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी। बैठक के दौरान श्री केदारनाथ धाम यात्रा–2023 के सफल संचालन हेतु यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी शहरों/कस्बों की सड़कों/नालियों की साफ–सफाई के संबंध अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग से जानकारी प्राप्त की गयी। यात्रा संबंधी शहरों/कस्बों के मार्गों के किनारों पर पड़े कूड़े को तत्काल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान उपस्थित समिति के सदस्यों को श्री केदारनाथ धाम यात्रा–2023 को मध्येनजर रखते हुए साफ–सफाई जैविक–अजैविक कूड़े को अलग–2 एकत्रित करने एवं निस्तारण करने तथा स्वच्छता कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ /केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों को अलकनन्दा/मन्दाकिनी नदी एवं अन्य नदी–नालों में ठोस अपशिष्ट कूड़ा फेंकने/प्रवाहित करने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ साफ–सफाई करने संबंधी विशेष कार्यक्रम चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)।

उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयत्र स्थापित नहीं है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग के संयोजक/उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को अलकनन्दा/मन्दाकिनी नदी के किनारों पर वृक्षारोपण करने व सम्मुख मार्गों को विकसित/सौन्दर्यीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय ऊखीमठ क्षेत्रान्तर्गत स्थान स्यालसौड़ में पेड़–पौधों को लगाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया कि समय–समय पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, साथ ही वन विभाग से संबंधित जो भूमि अन्य विभागों को हस्तान्तरित की जाती है, उसमें भी नियमानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/समस्त सड़क मार्ग निर्माणदायी संस्था)

बैठक के दौरान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को स्थान तिलवाड़ा, मयाली, मनसूना तथा गौरीकुण्ड में कम्पैक्टर मशीनों को स्थापित करते हुए यथाशीघ्र नियमित रूप से संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये है। (कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को जनपद में जैव विविधता को बढ़ावा जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये के निर्देश दिये गये। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के स्थान कांकड़ाघाड़ में बर्ड वॉच एण्ड ट्रेकिंग हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद अन्तर्गत छोटी नदी–नालों तथा आर्द्रभूमि में 75 अमृत सरोवर को स्थापित कर दिये गये है। संबंधित को निर्देश दिये गये है, कि जनपद में और अधिक अमृत सरोवर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, एवं समय–समय पर निरन्तर निरीक्षण करते रहें। (कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। (कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य वृहद् रूप से किया जाये तथा प्रतिदिन एक या दो घण्टे श्रमिक/अश्रमिक कूड़ा कलैक्शन किया जाये। साथ ही गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों से संबंधित व्यक्तियों तथा ग्रामवासियों को नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा न डालने हेतु जागरूक किया जाये।
(कार्यवाही– प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान श्री केदारनाथ धाम यात्रा–2023 को ध्यानगत रखते हुए सड़क मार्गों/गलियों की साफ–सफाई आदि कार्य तत्काल प्रभाव से किये जाने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। साथ ही मुख्य स्थानों/कस्बों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित करते हुए जनमानस को जागरूक किया जाय। साथ ही संबंधित विभागों को "जल जीवन मिशन" से संबंधित आख्या यथाशीघ्र उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

Sd/–
(नयूर दीक्षित),
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या–4268(ii)/33–जि0गं.सं. (2022–23) दिनांक अप्रैल, 15, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत छोटी नदी–नालों तथा आर्द्रभूमि में 75 अमृत सरोवर को स्थापित कर दिये गये है। संबंधित को निर्देश दिये गये है, कि जनपद में और अधिक अमृत सरोवर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, एवं समय–समय पर निरन्तर निरीक्षण करते रहें। (कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रेन–2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रेन–2023 के सफल में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। (कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य वृहद् रूप से किया जाये तथा प्रतिदिन डोर टू डोर जैविक/अजैविक कूड़ा कलैक्सन किया जाये। साथ ही गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों से संबंधित व्यक्तियों तथा ग्रामवासियों को नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा न डालने हेतु जागरूक किया जायें।
(कार्यवाही– प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान श्री केदारनाथ धाम यात्रा–2023 को मध्येनजर रखते हुए सड़क मार्गो/गतियों की साफ–सफाई आदि कार्य तत्काल प्रभाव से किये जाने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। साथ ही मुख्य स्थानों/कस्बों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित करते हुए जनमानस को जागरूक किया जाय। साथ ही संबंधित विभागों को "जल जीवन मिशन" से संबंधित आवश्यक यथाशीघ्र सप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(मयूर दीक्षित),
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या–A-2(8(ii)/33–जि0गं.सं.स. (2022–23) दिनांक अप्रैल, 15 2023

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट नमामि गंगे देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन करते हुए दिनांक 10.02.2023 को हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा करते हुए यात्रा मार्ग के मुख्य स्थानों यथा– रैंतोली, जवाड़ी बाईपास, रूद्रप्रयाग बाजार, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, चन्द्रापुरी, भीरी, गुप्तकाशी आदि स्थानों की नालियों में पड़े कूड़ा–करकट आदि की सफाई किये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग से जानकारी प्राप्त की गयी, तथा नगर क्षेत्र एवं यात्रा मार्गों के किनारों पर पड़े कूड़े को एकत्र कर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ /केदारनाथ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को साफ–सफाई, जैविक–अजैविक कूड़े का पृथक–पृथक संकलित करने एवं निस्तारण करने तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अभिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ /केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को गंगा नदी व अन्य नदी–नालों में ठोस अपशिष्ट कूड़ा फेंकने/प्रवाहित करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश देते हुए कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)।

उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को मंदाकिनी नदी किनारों पर वृक्षारोपण करने व अग्रिम भागों को विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि स्थान स्यालसौड़ में वृक्षारोपण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया कि समय–समय पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, साथ ही वन विभाग से संबंधित जो भूमि अन्य विभागों को हस्तान्तरित की जाती है, उसमें भी नियमानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सड़क मार्ग निर्माण/सुधारीकरण किये जाने वाले समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है, कि सड़क मार्ग के किनारों पर यथासम्भव वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/समस्त सड़क मार्ग निर्माणदायी संस्था)

2/–

बैठक के दौरान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को स्थान मयाली तथा गनसूना में कम्पैक्टर मशीनों को स्थापित करते हुए यथाशीघ्र नियमित रूप से संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये है। (कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नहीं है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

बैठक के दौरान प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य वृहद् रूप से किया गया तथा प्रतिदिन डोर टू डोर जैविक/अजैविक कूड़ा कलैक्शन किया जाये। साथ ही गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों से संबंधित व्यक्तियों तथा ग्रामवासियों को नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा न डालने हेतु जागरूक किया जायें।

(कार्यवाही– प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रुद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को जनपद में जैव विविधता को बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये के निर्देश दिये गये। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के स्थान कांकड़ागाड़ में बर्ड वॉच एण्ड ट्रेकिंग हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग)

जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद अन्तर्गत छोटी नदियों तथा आर्द्रभूमि में 75 अमृत सरोवर को स्थापित किये जाने हेतु कार्य किये जा रहे है। संबंधित को निर्देश दिये गये है, कि जनपद में अधिक से अधिक अमृत सरोवर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, व अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान श्री केदारनाथ धाम यात्रा–2023 को मध्यनजर रखते हुए सड़क मार्गो/नालियों की साफ–सफाई आदि कार्य तत्काल प्रभाव से किये जाने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। साथ ही मुख्य स्थानों/कस्बों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित करते हुए जनमानस को जागरूक किया जाया।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(मयूर दीक्षित),
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

4/66(ii) ।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या— /33—जि0गं.सं.स. (2022—23) दिनांक मार्च, 28 2023

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2— जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3— कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूए नमामि गंगे देहरादून।
4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5— सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6— कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 10-02-2023 को जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक की उपस्थिति विवरण :-

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

1- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को पूर्व में निर्देश दिये गये थे, कि जनपद अन्तर्गत सभी एसटीपी0 के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध की जाय। किन्तु उक्त रिपोर्ट उपलब्ध न हो, जो कि खेद जनक स्थिति है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), श्रीनगर गढ़वाल को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि यह आगामी बैठक से पूर्व सभी एसटीपी0 के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के माध्यम से उपलब्ध करायी सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/अधीनस्थ वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग।)

2- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि गंगा पार स्थान चन्द्रापुरी, भीरी, गुप्तकाशी, ऊखीमठ भाईपास, तैप्रेसी एवं अगस्त्यमुनि में नालियों में कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ है, जिसकी सफाई नहीं की जाने पर संक्रामक अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके द्वारा सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मचारी लगाये गये है। जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को निर्देश दिये गये है, कि सम्बन्धित क्षेत्रों में सतत् सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

3- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि गुलाबराय मैदान एवं पुराना गवेरे में काफी मात्रा में कूड़ा-कचरा आदि है, जिसको तत्काल संकार्य यानायात जाना आवश्यक है। अतः सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग।)

4- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा "अर्थ गंगा" कार्यक्रम के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है। प्रभारी अधिकारी, क्षेत्र रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि वह स्वयं ग्राम सभा में जाकर पेड़ों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त वन पेड़ों की सूची उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग-केदारनाथ/प्रभारी अधिकारी,क्षेत्र रुद्रप्रयाग)।

5- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा स्थानीय निवासियों से ट्रेकिंग प्राइन्ड के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, एवं तिलवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया है, कि वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि स्थानीय निकायों में ट्रेकिंग रास्तों के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

6- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा "अर्थ गंगा" कार्यक्रम के तहत दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रुद्रप्रयाग, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग एवं सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं फ्लैट जोन में अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) /परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

7- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। काली नेहरू युवा केन्द्र रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि स्थान गौरीकुण्ड में स्वच्छता कार्यक्रम हेतु क्षेत्रीय जनता को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि नेहरू युवा केन्द्र रुद्रप्रयाग स्थान गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, फाटा एवं गुप्तकाशी आदि स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर जनमानस को जागृत किया जाय।

(क्रमशः-2 पर)

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र रूद्रप्रयाग)

8– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा स्थान मनसूना एवं मयाली में कम्पैक्टर मशीनों के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया, कि स्थान मनसूना एवं मयाली में कम्पैक्टर मशीन स्थापित किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

9– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि प्रांगण पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। कूड़ा निस्तारण हेतु डोर–टू–डोर कलैक्शन किया जाय, तथा शवदाह हेतु शीघ्र आंगणन तैयार किया जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

10– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग एवं सिंचाई खण्ड केदारनाथ(अगस्त्यमुनि) को निर्देश दिये गये है कि फ्लैट जोन रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाय, तथा अवैध अतिक्रमण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय। स्थान ऊखीमठ एवं गुप्तकाशी में अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग एवं उप जिलाधिकारी ऊखीमठ को निर्देश दिये गये है, कि उक्त अवैध निर्माण कार्यों पर नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

11– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा सभी स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि समस्त सफाई कार्मिकों को अनिवार्य रूप से वर्दी उपलब्ध करवाई जाय। इसका प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन किया जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

12– जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा प्रभारी अधिकारी उरेड़ा विभाग को भी आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/प्रभारी अधिकारी उरेड़ा विभाग रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाधन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

दिनांक, रूद्रप्रयाग, 04 ,मार्च, 2023

संख्या– 691 /33–जि.गंगा. संर.समि.(2022–2023)

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।

1– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5–

जिलाधिकारी/अ.जा.,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 19–01–2023 को जिला कलेक्ट्रेट रुद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त :–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

1– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को पूर्व में निर्देश दिये गये थे, कि जनपद अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। किन्तु इसका रिपोर्ट प्राप्त है, जो कि शोचनीय स्थिति है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) श्रीनगर गढ़वाल को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि यह आगामी बैठक से पूर्व सभी एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग)

2– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि यात्रामार्ग स्थान चन्द्रापुरी, गौरी, गुप्तकाशी, जवाड़ी बाईपास, ऐरोली एवं अगस्त्यमुनि में नालियों में कूड़ा–करकट पड़ा हुआ है, जिसकी सफाई की अति नितान्त आवश्यक है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके द्वारा सफाई कार्य हेतु 50 सफाई कार्मिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को निर्देश दिये गये हैं, कि सम्बन्धित क्षेत्रों में तत्काल सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

3– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि गुलाबराय मैदान एवं पुलाड़ गदेरे में काफी मात्रा में कूड़ा–करकट पड़ा है, जिसको तत्काल सफाई कराई जाना आवश्यक है। अतः सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग)

4– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा स्थान गौरीकुण्ड में एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल के बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है, कि स्थान गौरीकुण्ड में एस0टी0पी0 हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि सम्बन्धित प्रकरण में शीघ्र उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ से समन्वय स्थापित करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग–केदारनाथ/उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

5– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा स्थानीय निवासियों से ट्रेकिंग रास्तों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, एवं विलवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया है, कि वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि स्थानीय निवासियों से ट्रेकिंग रास्तों के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत विलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

6– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा "अर्थ गंगा" कार्यक्रम के तहत दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रुद्रप्रयाग, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग एवं सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) /परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

7– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि स्थान गौरीकुण्ड में स्वच्छता कार्यक्रम हेतु क्षेत्रीय जनता को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नेहरू युवा केन्द्र की प्रथक से–

(क्रमशः–2 पर)

रखी जाय। स्थान गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, फाटा एवं गुप्तकाशी आदि स्थानों पर स्वच्छता अभियान चला कर जनमानस को जागृत किया जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र रुद्रप्रयाग)

8– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा स्थान मनसूना एवं मंयाली में कम्पैक्टर मशीनों के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्थान मनसूना एवं मंयाली में कम्पैक्टर मशीन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 31-01-2023 तक कार्य पूर्ण किये जाने का समय दिया गया है। जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा कम्पैक्टर मशीनों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा एक बैठक आयोजित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रुद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी,रुद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

9– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि संगम पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। कूड़ा निस्तारण हेतु डोर-टू-डोर कलैक्शन किया जाय, तथा झाड़ियों हेतु शीघ्र आंगणन तैयार किया जाय।

(कार्यवाही)–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

10– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग एवं सिंचाई खण्ड केदारनाथ(अगस्त्यमुनि) को निर्देश दिये गये हैं, कि फ्लैड जोन रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाय, तथा अवैध अतिक्रमण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय। स्थान ऊखीमठ एवं गुप्तकाशी में अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं उप जिलाधिकारी ऊखीमठ को निर्देश दिये गये हैं कि उक्त अवैध निर्माण कार्य पर नियमानुसार रोक आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

11– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा सभी स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि समस्त सफाई कार्मिकों को अनिवार्य रूप से वर्दी उपलब्ध करवाई जाय। इसका प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन किया जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

12– जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा प्रभारी अधिकारी उरेडा विभाग को भी आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/प्रभारी अधिकारी उरेडा विभाग रुद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कर्मिकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या–२१७ /39–जि.गंगा. संर.समि.(2022–2023) दिनांक, रुद्रप्रयाग 20 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 06-12-2022 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त :-

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

1- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तरखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को पूर्व में निर्देश दिये गये थे, कि जनपद अन्तर्गत सभी एसटीपीज के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। किन्तु कुछ रिपोर्ट प्राप्त है, जो कि खेद जनक स्थिति है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) श्रीनगर गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है, कि वह आगामी बैठक से पूर्व सभी एसटीपीज के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग के माध्यम से उपलब्ध करायना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग)

2- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नदी किनारे रोड साइड प्लान्टेशन हेतु स्थान चिन्हित कर आख्या उपलब्ध कराई जाय। इस कार्य हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग रूद्रप्रयाग को दिनांक 14-10-2022 की बैठक में नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

3- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा स्थान चन्द्रापुरी (स्यालसौड) में रेशम विभाग की भूमि के सम्बन्ध में और उत्तरवाहिनी किनारे रोड साइड प्लान्टेशन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को निर्देश दिये गये हैं, जॉच रिपोर्ट अपेक्षित है। शीघ्र जॉच आख्या उपलब्ध उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

4- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नदी किनारे रोड साइड नदियों की साफ-सफाई हेतु समय-समय पर छात्र-छात्राओं/नेहरू युवा केन्द्र/महिला मंगलदल/युवक मंगलदल/स्वंय सहायता समूह/व्यापार संघ/जनमानस के सहयोग से व्यापक अभियान चलाकर नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय। नदी में कूड़ा/गन्दगी आदि डालने वालों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल)

5- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, जनपद रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत वार्डों में नियमित रूप से नियमानुसार कूड़ा निस्तारण की समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाय। तथा क्षेत्रान्तर्गत होटलों/लॉज/धर्मशालाओं में सोकपिट स्थापित हैं, या नहीं जल निकासी हेतु नियमानुसार एस.टी.पी. बना है, अथवा नहीं पूर्ण विवरण अभिलेख कर उपलब्ध करायना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही-जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग /नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

(क्रमशः 2 पर)

6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 के आडिट करवाये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/ समन्वयक, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तथा एस0टी0पी0 नियर अमृत नेगी स्कूल, रूद्रप्रयाग के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल से स्पष्ट आख्या प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,रूद्रप्रयाग /परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

7– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद की सभी स्थानीय निकायों से ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा शीघ्र प्रत्येक स्थानीय निकाय से वर्तमान स्थिति के अनुसार रिपोर्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत कर्णप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत सिल्लाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

8– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि स्थानीय निकायों में ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत कर्णप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत सिल्लाड़ा/नगर पंचायत केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 1288 /33–जि.गंगा. संर.समि.(2022–2023) दिनांक, रूद्रप्रयाग, 15 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 10-11-2022 को जिला सभागार कार्यालय रुद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त :-

(ए.स्थिति संलग्न है)

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों को समय पर बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

1- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को पूर्व में निर्देश दिये गये थे, कि जनपद अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। किन्तु अब तक रिपोर्ट अप्राप्त है, जो कि खेद जनक स्थिति है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) श्रीनगर गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है, कि वह आगामी बैठक से पूर्व सभी एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में रिपोर्ट, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग)

2- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि नदी किनारे रोड़ साइड प्लान्टेशन हेतु स्थान चिन्हित कर आवश्यक उपलब्ध कराई जाय। इस कार्य हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग रुद्रप्रयाग को दिनांक 14-10-2022 की बैठक में नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

3- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा स्थान चन्द्रापुरी (स्वारसोड़) में रेसम विभाग की भूमि के सम्बन्ध में जॉच उपरान्त नदी किनारे रोड़ साइड प्लान्टेशन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को निर्देश दिये गये है, कि जॉच रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

4- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि नदी किनारे रोड़ साइड बस्तियों की साफ-सफाई हेतु समय-समय पर छात्र-छात्राओं/नेहरू युवा केन्द्र/महिला मंगलदल/युवक मंगलदल/स्वयं सेवाकर्ता समूहों/व्यापार मंडल/जनमानस के सहयोग से व्यापक अभियान चलाकर नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय। नदी में कूड़ा/गन्दगी आदि डालने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल)

5- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, जनपद रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बाड़ी में नियमित रूप से नियमानुसार कूड़ा निस्तारण की समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाय। साथ क्षेत्रान्तर्गत होटलों/लॉजों

(क्रमशः 2 पर)

गाओं में शौकपिट स्थापित हैं, या नहीं जल निकासी हेतु नियमानुसार एस.टी.पी. बना है, अथवा नहीं पूर्ण विवरण एक माह तक कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग / अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग / नगर पंचायत ऊखीमठ / नगर पंचायत अगस्त्यमुनि / नगर पंचायत सिलवाड़ा / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग / परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

6— जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 के आडिट कराये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी / परियोजना निदेशक जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग / परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (पेय) पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग / अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग / परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

7— जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद की सभी स्थानीय निकायों से ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई, प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पंचायत अगस्त्यमुनि एवं नगर पंचायत ऊखीमठ में अपलोडिंग की कार्यवाही अपेक्षित है। जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद की सभी स्थानीय निकायों से ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा शीघ्र प्रत्येक स्थानीय निकाय से अद्यतन स्थिति के अनुसार ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के सम्बन्ध में एक्शन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग / अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग / नगर पंचायत ऊखीमठ / नगर पंचायत अगस्त्यमुनि / नगर पंचायत सिलवाड़ा / नगर पंचायत केदारनाथ / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग / परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

8— जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि स्थानीय निकायों में ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग / अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग / नगर पंचायत ऊखीमठ / नगर पंचायत अगस्त्यमुनि / नगर पंचायत सिलवाड़ा / नगर पंचायत केदारनाथ / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग / परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों / अधिकारियों / कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 1048 / 33–जि.गंगा. संर.समि.(2022–2023) दिनांक, रुद्रप्रयाग, 02 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग / सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 14-10-2022 को जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त :-

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा नियत समय पर बैठक में उपस्थित नहीं होने पर असन्तोष व्यक्त किया गया। समस्त जिला गंगा संरक्षण के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है. कि बैठक मे यथा समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को पूर्व में निर्देश दिये गये थे, कि जनपद अन्तर्गत सभी एसटीपी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। किन्तु उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जो कि खेद जनक स्थिति है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) श्रीनगर गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है, कि वह आगामी बैठक से पूर्व सभी एसटीपी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल /प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग)

2- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नदी किनारे रोड़ साइड प्लान्टेशन हेतु स्थान चिन्हित कर आख्या उपलब्ध कराई जाय। इस कार्य हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग रुद्रप्रयाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/ नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

3- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा स्थान चन्द्रापुरी (स्यालसौड़) में रेसम विभाग की भूमि के सम्बन्ध में जांच उपरान्त नदी किनारे रोड़ साइड प्लान्टेशन हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को निर्देश दिये गये हैं, कि जॉच रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

4- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि नदी किनारे रोड साइड नदियों की साफ–सफाई हेतु समय–समय पर छात्र–छात्राओं/नेहरू युवा केन्द्र/महिला मंगलदल/युवक मंगलदल/स्वय सहायता समूहों/ व्यापार संघ/एनजीओस के सहयोग से व्यापक अभियान चलाकर नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाय। नदी में कूड़ा/गन्दगी आदि डालने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) पेयजल खण्ड,श्रीनगर गढ़वाल)

5– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत वार्डों में नियमित रूप से नियमानुसार कूड़ा निस्तारण की समय–समय पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाय। तथा क्षेत्रान्तर्गत होटलों/लॉजों/धर्मशालाओं में सोकपिट स्थापित हैं, या नहीं जल निकासी हेतु नियमानुसार एस.टी.पी. बना है, अथवा नहीं पूर्ण विवरण अध्यावधिक कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग /नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 442 /33–जि.गंगा. संर.समि.(2022–2023) दिनांक, रूद्रप्रयाग, 29 ,अक्टूबर, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन युप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

25602

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2022 को जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 12.08.2022 को हुयी बैठक के कार्यवृत्त पर सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

1– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत निर्मित 05 एस0टी0पी0 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है, कि 05 एस0टी0पी0 सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तथा 01 एस0टी0पी0 अनूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गुप्तकाशी के पास क्षतिग्रस्त है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक,रुद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग /परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

2– कार्यालय कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–631/SPMG/Namami Ganga/DOC दिनांक 08–09–2022 जो कि आजादी के अमृत महोत्सव 2022 के अन्तर्गत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के सम्बन्ध में है, तथा दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर, 2022 को जनपद रुद्रप्रयाग हेतु तिथि नियत की गई है। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक/संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग के पत्रांक–753/26–1 दिनांक 02–09–2022 के द्वारा विभागों को सूचित किया गया है। जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा सिंचाई विभाग केदारनाथ, (अगस्त्यमुनि) को अगस्त्यमुनि में घाट पर सफाई कार्य, वॉल पेन्टिंग एवं श्लोगन आदि कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/ अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अधि0 अभि0 जल निगम रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

3– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि को निर्देश दिये गये हैं, कि वह खण्ड विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि एवं नेहरू युवा केन्द्र अगस्त्यमुनि(रुद्रप्रयाग) के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से घाट पर हाट/योगा एवं गंगा आरती, प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन दिनांक 17 सितम्बर व 18 सितम्बर 2022 को करवाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग /केदारनाथ(अगस्त्यमुनि)/खण्ड विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि/अधि0 अभि0 जलनिगम रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

4– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग नेहरू युवा केन्द्र, रुद्रप्रयाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुये रुद्रप्रयाग घाट पर योगा/आरती कार्यक्रम दिनांक 17 सितम्बर, एवं 18 सितम्बर, 2022 को आयोजित करना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/नेहरू युवा केन्द्र, रुद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग/अधि0

(– 2 –)

अधि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

5– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि जिला क्रीडा अधिकारी, अगस्त्यमुनि, जिला प्रान्तीय रक्षक दल, रूद्रप्रयाग तथा नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुये मैराथन दौड़, चित्र प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज/राजकीय इण्टर कॉलेज, अगस्त्यमुनि के सहयोग से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग /केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि Single use Plastic पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत केदारनाथ/नगर पंचायत ऊखीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा तथा शीघ्र अपने–अपने क्षेत्रों में छापेमारी की कार्यवाही कर भण्डारण किये गये पॉलिथीन को अपने नियंत्रण में लेकर सम्बन्धित पर दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, केदारनाथ/अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ /अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

7– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ ऊखीमठ को निर्देश दिये गये हैं, कि 07 दिन के अन्तर्गत ट्रेंचिंग ग्राउण्ड की भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पूर्ण रूप से ऑनलाईन दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी –नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ)

8– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश दिये गये हैं, कि घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय, ताकि गंगा स्वच्छ बनी रहे। तथा गंगा को प्रदूषण से रोका जा सके।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग /परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

9– जनपद के समस्त स्थानीय निकायों को जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि डोर–टू–डोर कूड़ा पृथक्कीकरण की कार्यवाही को व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाय, तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नियमित रूप से अपने–नगर निकायों के वार्डों में भ्रमण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

10– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि दिनांक 10 सितम्बर को अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,रूद्रप्रयाग स्थान चन्द्रापुरी में व्यापक रूप से सफाई अभियान कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य

(-3-)

अधिशासी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

11— परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को निर्देश दिये गये हैं, कि प्रस्तावित एस0टी0पी0 तिलवाड़ा एवं गौरीकुण्ड की अद्यावधिक सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही—उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी—नगर पंचायत तिलवाड़ा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

12— जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि स्थान गुप्तकाशी में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा तथा स्थान सुमाड़ी में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत

रूद्रप्रयाग एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तिलवाड़ा द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जाय तथा पर्यावरण मित्र रखकर डोर—टू—डोर कैम्पिंग की जाय।

(कार्यवाही—उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

13— जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जो भी कार्यक्रम आयोजित किये जांय उसकी सूचना फोटोग्राफ सहित आख्या उप वन संरक्षक/संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग द्वारा एकत्रित कर जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

(कार्यवाही—उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी—नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग /परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

14— जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि आगामी 15 दिन तक नेहरू युवा केन्द्र रूद्रप्रयाग, परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा गुप्तकाशी से फाटा तक सघन सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसकी अनुपालन आख्या जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही—उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी—नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/नेहरू युवा केन्द्र रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

15— अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि सिरोबगड़ से भगवासु तथा रूद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड तक 20 से 25 जनमानस को नदी घाटी तल पर सफाई अभियान का कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही—उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी—नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

W (-40-)

16– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि स्थान स्यालसौड़ मे ब्रह्मवाटिका एवं सुन्दर पार्क निर्माण हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.09.2022 को उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ, वन विभाग, रूद्रप्रयाग तथा रेशम विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा तथा वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करेंगें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ /अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/रेशम विभाग, रूद्रप्रयाग/अधि० अभि० सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि० अभि० जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–6466 /33–जि.गंगा.संर.समि. (2022–2023) दिनांक, रूद्रप्रयाग, 15 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा सुरक्षा समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 12-09-2022 को आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया तथा पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया है, संबंधित विभागों को तत्काल अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा मुख्य राजस्व लेखाकार को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में बैठक में उपस्थित होने से पूर्व संबंधित विभागों से बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्राप्त करते हुये प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/ मुख्य राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग)

1. आजादी के अमृत महोत्सव 2022 के रूप में वृहद स्तर पर हर घर तिरंगा के रूप में मनाय जाय। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से जनमानस को गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता , निर्मलता एवं अविरलता के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत आवश्यक प्रयास किये जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनी)/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ)

2. आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से जनमानस को गंगा एवं इसकी सहायक नदियों व स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संच (आई0ई0सी0) गतिविधियों आयोजित किये जाने हेतु जिला गंगा सुरक्षा समितियों को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। गंगा घाट एवं गंगा के तटों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने तथा कैम्पलिंग किये जाने के निर्देश के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS) गंगा विचार मंच, गंगा टास्क फोर्स, गंगा दूत, गंगा प्रहरी,स्वयं सेवकों के माध्यम से घाटों पर घाट योग का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनी)/अधिशासि0, स्वजल रुद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/नेहरू युवा केन्द्र रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ)

3. जिलाधिकारी, द्वारा निर्देश दिये गये है कि दिनांक 15 अगस्त 2015 से दिनांक 02 अक्टूबर 202 तक घाट पर हाट कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आजीविका संवर्धन, भोजन महोत्सव, क्विज एवं प्रतियोगिता, प्रभात फेरी/नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, गंगा आरती, गंगा स्वच्छता शपथ, भजन संध्या/वेद पथ एवं दीप उत्सव आदि गतिविधियों का आयोजन करने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनी)/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ)

4. जिला गंगा संरक्षण समिति की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी है, जिसके लिए परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रदेश सदस्यगण/नामित सदस्यगण जिला गंगा कमेटी से आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर कार्ययोजना तैयार करेंगे।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

5. जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग जो कि आजादी अमृत महोत्सव से संबंधित फोटोग्राफस/एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धित विभागों से एकत्रित कर सोशल मिडिया/प्रिन्ट मिडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगें।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।)

6. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 631/SPMG/Namami Ganga/DGC दिनांक 08, अगस्त 2022 के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की गतिविधियों को जनपद रूद्रप्रयाग में आयोजित किये जाने की तिथि 17 एवं 18 सितम्बर 2022 निर्धारित की गयी है तथा एन0एम0सी0जी0 जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा घाट पर हाट आदि कार्यक्रमों हेतु रू0 2.00 लाख, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु रू0 2.00 लाख तथा अन्य विविध व्ययों हेतु रू0 1.00 लाख कुल रू0 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में जिला गंगा समिति, जनपद रूद्रप्रयाग की गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) गतिविधियों के आयोजन हेतु रू0 11.50 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी थी, जिसके सापेक्ष रू0 5,73,415.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है, तथा रू0 6,76,585.00 की धनराशि शेष है। शेष धनराशि को सापेक्ष किसी भी प्रकार का व्यय हुआ हो तो उक्त व्यय की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (GFR-12-C)पर प्रेषित कर, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम हेतु बजट सम्बन्धी मांग पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक/संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग)

अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा " आजादी के अमृत" महोत्सव के दौरान आयोजित गतिविधियों से संबंधित संक्षिप्त आख्या एवं फोटोग्राफस/वीडियों कार्यक्रम की तिथि से प्रत्येक सप्ताह ई–मेल communication.spmguk@gmail.com अथवा Whatsaap no- 8449883300, संचार विशेषज्ञ, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (एस.पी.एम.जी.), नमामि गंगे उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। तथा आगामी बैठक हेतु तिथि नियत करने का शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिको को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या–606 /33–जल जी0मि0/ दिनांक : रूद्रप्रयाग : 24- अगस्त .2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
2– जिला गंगा कमेटी, पदेन समस्त सदस्यगण/नामित सदस्यगण
3– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– जिला विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)
6– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग।
7– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, ऊखीमठ।
8– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

रूद्रप्रयाग धन प्रभाग रूद्रप्रयाग
पंजीकृत नं...1145.....
पत्रावली सं... 33-1.....
दिनांक...25/8/2022

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे द्वितीय शुक्रवार दिनांक 08–07–2022 को जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक जो कि दिनांक 12–08–2022 को की गयी बैठक में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन तथा द्वितीय शुक्रवार दिनांक 12–08–2022 की बैठक के साथ–साथ कार्यवृत्त जारी किया –

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया तथा पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया है, संबंधित विभागों को तत्काल अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा मुख्य राजस्व लेखाकार को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में बैठक में उपस्थित होने से पूर्व संबंधित विभागों से बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्राप्त करते हुये प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/ मुख्य राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग)

2. पूर्व बैठक में जिलाधिकारी, द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनी/तिलवाडा एवं ऊखीमठ को निर्देश दिये गये हैं कि तत्काल वन विभाग से संपर्क कर कचरा निस्तारण हेतु चयनित भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अनुपालन के क्रम में उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के द्वारा अवगत कराया है कि नगर पचायत अगस्त्यमुनि, नगर पंचायत ऊखीमठ के भूमि हस्तांतरण प्रकरण ऑनलाईन कर दिये गये हैं तथा नगर पालिका रूद्रप्रयाग की चयनित भूमि पर स्थानीय ग्रामीणों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अवशेष है व नगर पंचायत, तिलवाडा द्वारा भूमि को ऑनलाईन प्रविष्ट किया जाना है।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ)

3. पूर्व बैठक में जिलाधिकारी, द्वारा सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ को निर्देशित किया गया है, कि नदी तल पर जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध अतिकमण किया गया है उनके विरूद्व तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराया जाय।

उक्त के क्रम में सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ द्वारा अवगतकरया गया है कि वर्तमान समय में नदी तल पर अवैध अतिकमण हटा दिया गया है। अनुपालन आख्या शीघ्र पृथक से प्रेषित की जायेगी।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अभि० ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनी)

4. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ तिलवाड़ा/ऊखीमठ/को निर्देशित किया गया है, कि, नदी किनारे स्थित घाटों में जिन लोगों द्वारा शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उनका पंजीकरण किया जाय तथा आम जनमानस द्वारा शव दाह के बाद घाटों पर लकड़ी/कपड़े आदि सामान अस्त-व्यस्त रूप से न फेंके जाने के नोटिस बोर्ड लगवाये जायं, साथ ही स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में door to door कूड़ा पृथकीकरण एवं एकत्रीकरण का कार्य किया जाय।

इस संबंध में संबंधित उक्त विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में घाटों में शवों के दाह संस्कार हेतु पंजीकरण किया जा रहा है, तथा घाटों में लकड़ी/कपड़े आदि सामान अस्त-व्यस्त रूप से न फेंके जाने हेतु नोटिस बोर्ड लगवाये गये है, एवं नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में door to door कूड़ा पृथकीकरण एवं एकत्रीकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। इस संबंध में अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी।

(कार्यवाही-उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनी)/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी-नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ)

5. चार धाम यात्रा को मध्यनजर रखते हुये नगर/कस्बों की स्वच्छता एवं सफाई पर विशेष दृष्टि रखी जाय तथा किसी भी दशा में गंदगी नदियों में न जाय इसका विशेष ध्यान रखा जाय। परियोजना निदेशक, स्वजल जनपद के सभी ग्रामों में जैविक/अजैविक कूड़ा निस्तारण पिटों को उपलब्ध करायेगें।

(कार्यवाही-उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी-नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ ऊखीमठ/ परियोजना निदेशक स्वजल रूद्रप्रयाग)

6. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि, स्थान स्यालसौड़ में रेशम विभाग तथा वन विभाग के आवासीय भवनों के ऊपरी हिस्से मे सुन्दर पार्क एवं ब्रह्म वाटिका का निर्माण करवाया जा सकता है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन के क्रम में उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि की यथा स्थिति हेतु शीघ्र उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ एवं वन क्षेत्राधिकारी से भूमि के संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्राचार किया जायेगा।

(कार्यवाही-उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/संयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी-नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि)

7. जिलाधिकारी, द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल जनपद में प्रस्तावित एस0टी0पी0 के साथ आगामी बैठक में स्वयं उपस्थित रहेगे, तथा प्रस्तावों पर हो रही कार्यवाही से अवगत करायेगे।

(कार्यवाही- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/अधिशासी अधिकारी-नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/ तिलवाड़ा।

8. सभी नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी, जनपद में स्थित एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या आगामी बैठक में स्वयं साथ लायेगे।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी–नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ ऊखीमठ/तिलवाड़ा)

अन्त में जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या– 610 /33–जल जी0मि0/ दिनांक : रुद्रप्रयाग : 24–अगस्त 2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
2– मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3– जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग।
4– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)
5– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग।
6– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, ऊखीमठ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 27–5–2022 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयागं की बैठक का कार्यवृत्त :–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा नियत समय पर बैठक में उपस्थित नहीं होने पर असन्तोष व्यक्त किया गया। समस्त जिला गंगा संरक्षण के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि बैठक में यथा समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत को दिनेर्दश दिये गये है, कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु चयनित भूमि के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग /अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ऊखीमठ/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केदारनाथ)

2– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजमार्गों के दोंनों ओर प्लास्टिक एवं अन्य ठोस अपशिष्ट (Plastic & Other-non-bio-degradable Solid waste) को एक अभियान के तहत एकत्र कर उसका वैज्ञानिक पद्वति से अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत डम्पिंग जोन में निस्तारण किये जाने सम्बन्धी कार्ययोजन तैयार की जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/ नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/नगर पंचायत ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग/ अपर मुख्य अधिकारी जिला, पंजायत रूद्रप्रयाग)

3– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि स्थान पुनाड़ गदेरे में जो कूड़ा फेंका जा रहा है, उसे हटाने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग समय–समय पर सफाई अभियान का आयोजन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबनधक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

4– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नदी किनारे रोड़ साइड नदियों की साफ–सफाई हेतु समय–समय पर छात्र–छात्राओं/नेहरू युवा केन्द्र/महिला मंगलदल/युवक मंगलदल/स्वंय सहायता समूहों/ व्यापार संघ/जनमानस के सहयोग से व्यापक अभियान चलाकर नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाय। नदी में कूड़ा/गन्दगी आदि डालने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत कालीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(पेयजल) पेयजल निगम,गोपेश्वर गढ़वाल)

5– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत वार्डों में नियमित रूप से सूक्ष्म निहतारण की कार्यवाही करते हुये मॉनिटरिंग की जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत कालीमठ/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाड़ा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या–2606(1)/33–जि.गंगा. संर.समि.(2022–2023) दिनांक, रुद्रप्रयाग 25 मई, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
2– जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे दिनांक 13– 6–2022 को आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया तथा पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत पर सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों द्वारा अनुपालन न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया है, तथा तत्काल अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भविष्य में जारी कार्यवृत/निर्देशों पर तीन दिन के अन्तर्गत अनुपालन कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी मानसून अवधि में पर्यावरण एवं गंगा संरक्षण/स्वच्छता को दृष्टिगत रखते नदी एवं सडक किनारे तथा नगर निकायों के समीप वृक्षा रोपण किया जाना होगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्थलों को चयनित कर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ)

2. जिलाधिकारी, द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनी/तिलवाडा एवं ऊखीमठ को निर्देश दिये गये हैं कि तत्काल वन विभाग से संपर्क कर कचरा निस्तारण हेतु चयनित भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ)

3. जिलाधिकारी, द्वारा सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ को निर्देशित किया गया है, कि नदी तल पर जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है उनके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/ केदारनाथ (अगस्त्यमुनी)।

4. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ तिलवाडा/ऊखीमठ/ को निर्देशित किया गया है, कि नदी किनारे स्थित घाटों मे जिन लोगों द्वारा शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उनका पंजीकरण किया जाय तथा आम जनमानस द्वारा शव दाह के बाद घाटों पर लकडी/कपडे आदि सामान अस्त-व्यस्त रूप से न फेंके जाने के नोटिस बोर्ड लगवाये जायं, साथ ही स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों मे door to door कूडा पृथकीकरण एवं एकत्रीकरण का कार्य किया जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनी)/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ)

5. चार धाम यात्रा को मध्यनजर रखते हुये नगर/कस्बों की स्वच्छता एवं सफाई पर विशेष दृष्टि रखी जाय तथा किसी भी दशा में गंदगी नदियों में न जाय इसका विशेष ध्यान रखा जाय। परियोजना निदेशक, स्वजल जनपद के सभी ग्रामों में जैविक/अजैविक कूडा निस्तारण पिटों को उपलब्ध करायेगें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/परियोजना निदेशक स्वजल रूद्रप्रयाग)

6. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि, स्थान रयालसौड में रेशम विभाग की भूमि उपलब्ध है इस पर सुन्दर पार्क एवं ब्रह्म वाटिका का निर्माण करवाया जा सकता है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि)

7. जिलाधिकारी, द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल जनपद में प्रस्तावित एस0टी0पी0 के साथ आगामी बैठक में स्वयं उपस्थित रहेगे, तथा प्रस्तावों पर हो रही कार्यवाही से अवगत करायेगे। नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, क्षमता विकास अर्न्तगत एस0टी0पी0 संचालन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवायेगें।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल/अधिशासी अधिकारी–नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/तिलवाडा)

8. सभी नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी, जनपद में स्थित एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या आगामी बैठक में स्वयं साथ लायेगे।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी–नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/तिलवाडा)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा आगामी बैठक हेतु तिथि नियत करने का शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिको को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
संख्या-4645/33-जल जी.मि० दिनांक-14-06-2022
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
2- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, नगर पंचायत अगस्त्यमुनी, तिलवाड़ा, ऊखीमठ।
3- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

श्री मनुज गोयाल, जिलाधिकारी, महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे दिनांक 12.04.2022 को जिला संगठार, रूद्रप्रयाग मे आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक मे उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों से स्वयं सहित परिचय करते हुये अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक मे उपस्थित सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये गये है कि 10 दिन के अन्तर्गत शासे अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु चयनित भूमि के हस्तान्तरण संबंधी प्रकरणो पर प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग से सम्पर्क कर बैठक की तिथि निर्धारित की जावे।

नगर रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत व्यवसायों के दोनों ओर प्लास्टिक एवं अन्य ठोस अपशिष्ट (Plastic & Other-non-bio-degradable Solid Waste) को एक अभियान के तहत एकत्र कर उनका वैज्ञानिक पद्धति से अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत डम्पिंग जोन मे निस्तारण किये जाने संबंधी कार्ययोजना तैयार की जावे तथा कार्ययोजना पर आने वाले व्यय का भी पिंडर जिला गंगा कमेटी को यथा शीघ्र उपलब्ध कराया जावे।

पुराड गदेरे मे जो कूड़ा कचरा का ढेर है उसे हटाने हेतु नगर पालिका रूद्रप्रयाग विशेष सफाई अभियान का आयोजन कर समय-समय पर सफाई अभियान से संबंधी फोटों को नमामिगंगे की जावे।

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (मनी) उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल- आगामी बैठक मे एसटीपीज से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण सिन्दुवार प्रस्तुत करेगें। एसटीपीज पर सैम्पलिंग करने वाली कार्यदायी संस्था प्रतिदिन की फोटो आदर्शरूप मुख जिला गंगा कमेटी मे अपलोड करेगी। जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नई प्रस्तावित एसटीपीज की विस्तृत आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जायेगी तथा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा उनका अध्ययन कर आगामी बैठक मे प्रस्तुत की जायेगी।

(कार्यवाही – उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ से अपेक्षा की है कि वे आगामी बैठक हेतु चयनित किये गये नदी नालों की सूचना एवं उनके ट्रीटमन्ट हेतु पानी की गुणवत्ता को मध्यनजर रखते हुये आवश्यक कार्यवाही करें। आगामी बैठक हेतु सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ नदी घाटी से सम्बन्धित अतिक्रमण की सूचना संकलित कर आगामी बैठक मे साथ लायेंगे। गौरीकुण्ड एवं सोनप्रयाग मे आगामी चार धाम यात्रा को मध्यनजर रखते हुये नगर/कस्बों की स्वच्छता एवं सफाई की कार्ययोजना तैयार की जावे। परियोजना निदेशक, स्वजल जनपद के सभी ब्लॉकों मे जैविक/अजैविक कूड़ा निस्तारण विंदु की सूचना आगामी बैठक मे साथ लायेंगे।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि० अभि० सिंचाई विभाग/अधि० अभि० जल निगम/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

अन्त मे जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यो/अधिकारियों/कर्मियो को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(विवेक कुमार, सिंह)
उप वन संरक्षक / संयोजक जिला
गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी, द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/सिंचाई विभाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/केदारनाथ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग के स्तर से जो भी डी0पी0आर0 प्रेषित किये गये हैं, उक्त सम्बन्ध में पत्र संख्या एवं आंगणन धनराशि के सम्बन्ध में शीघ्र आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि कार्यक्रम् निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन, ग्रुप नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया जा सके।

कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूदप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासीअधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

अन्त मे जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यो/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–5947/33–01(2020–21 दिनांक, रूद्रप्रयाग, अगस्त, 06, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सदस्य जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2. सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन, ग्रुप नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
5. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय– उप वन संरक्षक/संयोजक जिला गंगा संरक्षण, समिति, रूद्रप्रयाग

पत्रांक 3०१/२-1 (जि॰ गं॰ स॰ स॰) दिनांक 13/04/2022।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2. समस्त सदस्य जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन, यूपं नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. सचिव पेयजल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6. [illegible] विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

(केवि कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक/संयोजक जिला
गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।

श्री मनुज गोयल, जिलाधिकारी, महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे दिनांक 16.09.2021 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 24.06.2021 को हुयी बैठक के कार्यवृत्त पर सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया, कि FSTP हेतु रैंतोली नामक स्थान में भूमि का चयन किया गया है। जिलाधिकारी, द्वारा उक्त कार्ययोजना परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिलाधिकारी, द्वारा सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ को निर्देशित किया गया है, कि नदी तल पर अतिक्रमण हेतु अतिक्रमणकारियों को नोटिस देते हुये अनुपालन आख्या भी उपलब्ध करायेंगें। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल द्वारा किये जा रहे कार्यों पर जिलाधिकारी द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ तिलवाड़ा/ ऊखीमठ/केदारनाथ को निर्देशित किया गया है, कि नदी किनारे स्थित घाटों में स्थानीय लोगों द्वारा जिन शवों का दाह संस्कार किया जाता है, क्या उनका पंजीकरण कर पंजिका संरक्षित की जाती है ? यदि नहीं तो भविष्य में सभी जलाये जाने वाले शवों का पंजीकरण किया जाये, क्योंकि आम जनमानस द्वारा शव दाह के बाद घाटों पर लकडी/कपडे आदि सामान अस्त–व्यस्त रूप में फेंका जाता है, जिससे कि नदी किनारे अस्वच्छता होती है। नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में door to door कूडा पृथकीकरण करने के साथ–साथ जनसंख्या के आकडे भी संरक्षित किये जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/ तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल)

(कवरा–2 पर)

श्री मनुज गोयल, जिलाधिकारी, महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2021 को जिला सभागार, रुद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 28.09.2020 को हुयी बैठक के कार्यवृत्त पर सम्बन्धित अधिकारियों/ विभागों द्वारा अनुपालन न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया है, तथा दिनांक 27.06.2021 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भविष्य में जारी कार्यवृत्त/निर्देशों पर तीन दिन के अन्तर्गत अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया, कि FSTP हेतु रैंतोली नामक स्थान में भूमि का चयन किया गया है। जिलाधिकारी, द्वारा उक्त कार्ययोजना परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिलाधिकारी, द्वारा सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग/केदारनाथ को निर्देशित किया गया है, कि नदी तल पर अतिक्रमण हेतु अतिक्रमणकारियों को नोटिस देते हुये तीन दिन के अन्तर्गत अनुपालन आख्या भी उपलब्ध करायेंगें। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को चेतावनी दी गयी है, कि दिनांक 16.06.2021 को नदी के जल स्तर बढ़ने से बेलनी स्थित एस0टी0पी0 जो कि क्षतिग्रस्त हो गयी है, तथा उसमें मलवा भर गया है, उसके लिये उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाय। दिनांक 18.06.2021 व दिनांक 19.06.2021 को अत्यधिक वर्षा होने के कारण नालों एवं नदी का जल स्तर बढ़ने से 06 एस0टी0पी0 में से वर्तमान समय में 02 ही कार्य कर रहे हैं। चार एस0टी0पी0 बंद पड़ी है, किंतु परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पूछे जाने पर उचित प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो, कि घोर अनियमितता का प्रतीक है।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/ केदारनाथ को निर्देशित किया गया है, कि नदी किनारे स्थित घाटों पे स्थानीय लोगों द्वारा जिन शवों का दाह संस्कार किया जाता है, क्या उनका पँजीकरण कर पंजिका संरक्षित की जाती है ? यदि नहीं तो भविष्य में सभी जलाये जाने वाले शवों का पंजीकरण किया जाये, क्योंकि आम जनमानस द्वारा शव दाह के बाद घाटों पर लकड़ी/कपड़े आदि सामान अस्त–व्यस्त रूप में फेंका जाता है, जिससे कि नदी किनारे अस्वच्छता होती है। नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में door to door कूड़ा पृथकीकरण करने के साथ–साथ जनसंख्या के आँकड़े भी संरक्षित किये जायं।

जिलाधिकारी, द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा /ऊखीमठ/केदारनाथ, सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग/केदारनाथ, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, रुद्रप्रयाग, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रुद्रप्रयाग, परियोजना प्रबन्धक, एप जलागम, अन्द्रापुरी, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग /ऊखीमठ को निर्देश दिये गये हैं, कि जनपद के सभी गदेरों एवं भैरव घाटों के किनारे प्रतीक्षालयों/घाटों में स्थित कूड़ा निस्तारीकरण हेतु कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगें।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि आगामी 16, जुलाई 2021 से 15, अगस्त 2021 तक हरेला कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी विभाग वृक्षारोपण एवं कार्यशालाओं की फोटोग्राफी करते हुये मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित कर अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/ अधि0अभि0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग/ ऊखीमठ)

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि /तिलवाड़ा/ऊखीमठ से अपेक्षा की है, कि वे आगामी बैठक हेतु चयनित किये गये नदी नालों की सूचना एवं उनके ट्रीटमेन्ट हेतु पानी की गुणवत्ता को ध्यानगत रखते हुये आवश्यक कार्यवाही करें। रैंतोली स्थित कूड़ा निस्तारण स्थल का अतिशीघ्र संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। आगामी बैठक हेतु सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग/केदारनाथ नदी घाटी से सम्बन्धित अतिक्रमण की सूचना सकलित कर आगामी बैठक में साथ लायेंगें। गौरीकुण्ड एवं सोनप्रयाग में —

आगामी चार धाम यात्रा को मध्यनजर रखते हुये नगर/कस्बों की स्वच्छता एवं सफाई की कार्ययोजना तैयार की जाय। परियोजना निदेशक, स्वजल जनपद के सभी ग्रामों में दैनिक/अजैविक कूड़ा निस्तारण पिटों की सूचना उपलब्ध करायेंगें। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/तिलवाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड से सम्बन्धित संयुक्त निरीक्षण आख्या/भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित सूचना साथ लायेंगें।

जिलाधिकारी, द्वारा निर्देश दिये गये है, कि दिनांक 28.06.2021 को अपराह्न 3.00 बजे पीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व अपराह्न 2.00 बजे एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा हेतु बैठक की जायेगी।

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल को निर्देश दिये गये है, कि FSTP की कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व अन्य जनपदों से भी सम्पर्क कर आवश्यक दिशा-निर्देश लिये जायें।

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल को निर्देश दिये गये है, कि नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग में कार्यरत 06 एस0टी0पी0 में से वर्तमान समय मे 02 ही एस0टी0पी0 काम कर रही है, शेष 04 एस0टी0पी0 को अतिशीघ्र सभी बिन्दु वाइज कराये तथा अनुपालन आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय। एस0टी0पी0 के कार्यों को न किये जाने की दशा में अधि0अभि0 नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग तथा सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर एस0टी0पी0 के भवी छत से ऊपर स्थापित किये जाने संबंधी आख्या भी साथ लायेंगें।

नदी-घाटी क्षेत्र के सतत आर्थिक विकास के लिये "अर्थ गंगा" मॉडल के अनुरूप कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या- 827/I-2(अर्थ गंगा वि0) दिनांक 22.04.2021 के द्वारा पत्र जारी किया गया है, किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा अतिथि तक भी कोई परिचर्चा नहीं किया गया है, जो कि खेद जनक स्थिति है।

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि वर्ष 2016 से नमामि गंगे परियोजना के तहत वन विभाग द्वारा अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी है, तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों में अनुरक्षण का कार्य वर्तमान समय मे भंडिसा मंगल दलों द्वारा किया जा रहा है।

आगामी 15 जुलाई 2021 से 15 अगस्त 2021 तक वन विभाग द्वारा रेंज, वन पंचायत, एवं ग्राम पंचायत स्तर पर हरेला कार्य योजना तैयार कर उच्च स्तर को प्रेषित करते हुये मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को पृष्ठांकित किया गया है।

(कार्यवाही- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अभि0 सिंचाई विभाग/अधि0 अभि0 जल निगम/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल/अधि0अभि0 सो0नि0वि रुद्रप्रयाग/ ऊखीमठ)

अन्त मे जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यो/अधिकारियों/कार्मिको को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या-4518 /33-01(2020-21 दिनांक, रुद्रप्रयाग, जून 28, 2021

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सदस्य जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
2. सम्बन्धित विभाग, जनपद रुद्रप्रयाग।
3. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन, ग्रुप नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
5. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

श्री कुंज गोयल, जिलाधिकारी, महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2021 को जिला कार्यालय, रूद्रप्रयाग में आहूत जिला संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों के साथ सूक्ष्म परिचय करते हुये अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है, कि जनपद मे स्थित सभी एस0टी0पी0 का मौके पर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल के साथ अध्ययन कर एस0टी0पी0 की भौतिक सत्यापन की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित कर प्रतिलिपि संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति को भी पृष्ठांकित करेंगें। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल आगामी बैठक में एस0टी0पी0 से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण बिन्दुवार प्रस्तुत करेंगें। एस0टी0पी0 पर सैम्पलिंग करने वाली कार्यदायी संस्था प्रतिदिन की फोटो व्हट्सअप ग्रुप जिला गंगा कमेठी में अपलोड करेगें। नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में जो एस0टी0पी0 स्थापित की जानी है, उसकी तकनीकी कार्ययोजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगें।

चोपता, दुगलबिट्ठा व बनियाकुण्ड में स्थित ढाबा मालिकों व होटल मालिकों के कूड़ा एकत्रित करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। सिंचाई खण्ड केदारनाथ/ रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग के छोटे/बडे गदेरों में जहां कूड़ा–करकट ग्रामीणों द्वारा डाला गया है, उसकी सूची आगामी बैठक में साथ लायेगें, तथा लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ के अधीन मोटर मार्गों पर एकत्रित कूड़े से सम्बन्धित सूचना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगें।

(कार्यावाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/ तिलवाडा/ऊखीमठ से अपेक्षा की गयी है, कि वे आगामी बैठक हेतु चयनित किये गये नदी नालों की सूचना एवं उनके ट्रीटमेन्ट हेतु पानी की गुणवत्ता को मध्यनजर रखते हुये आवश्यक कार्यवाही करें। रैंतोली स्थित कूड़ा निस्तारण स्थल का अतिशीघ्र संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी –

(2-पर)

उपलब्ध करायें। आगामी बैठक हेतु सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ नदी घाटी से सम्बन्धित अतिक्रमण की सूचना संकलित कर आगामी बैठक में साथ लायेगें। गौरीकुण्ड एवं सोनप्रयाग में आगामी चार धाम यात्रा को मध्यनजर रखते हुये नगर/कस्बों की स्वच्छता एवं सफाई की कार्ययोजना तैयार की जाय। परियोजना निदेशक, स्वजल जनपद के सभी ग्रामों में जैविक/अजैविक कूड़ा निस्तारण पिटों की सूचना आगामी बैठक में साथ लायेंगे।

आगामी दिनांक 08.04.2021 तक नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि /ऊखीमठ/तिलवाडा के ट्रैचिंग ग्राउण्ड से सम्बन्धित सभी का संयुक्त निरीक्षण कर भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित सूचना साथ लायेंगें।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0अभि0 सिंचाई विभाग/अधि0अभि0 जल निगम/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/ कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /33–गंगा.स.समि.बैठक (2020–21) दिनांक, रूद्रप्रयाग, अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सदस्य जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन, ग्रुप नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री कुंज गोयल, जिलाधिकारी, महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2021 को जिला कार्यालय, रूद्रप्रयाग में आहूत जिला संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों के साथ सूक्ष्म परिचय करते हुये अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है, कि जनपद में स्थित सभी एस0टी0पी0 का मौके पर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल के साथ अध्ययन कर एस0टी0पी0 की भौतिक सत्यापन की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित कर प्रतिलिपि संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति को भी पृष्ठांकित करेंगें। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल आगामी बैठक में एस0टी0पी0 से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण बिन्दुवार प्रस्तुत करेंगें। एस0टी0पी0 पर सैम्पलिंग करने वाली कार्यदायी संस्था प्रतिदिन की फोटो व्हट्सअप ग्रुप जिला गंगा कमेठी में अपलोड करेगें। नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में जो एस0टी0पी0 स्थापित की जानी है, उसकी तकनीकी कार्ययोजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगें।

चोपता, दुगलबिट्ठा व बनियाकुण्ड में स्थित ढाबा मालिकों व होटल मालिकों के कूडा एकत्रित करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। सिंचाई खण्ड केदारनाथ/रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग के छोटे/बडे गदेरों में जहां कूड़ा–करकट ग्रामीणों द्वारा डाला गया है, उसकी सूची आगामी बैठक में साथ लायेगें, तथा लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ के अधीन मोटर मार्गों पर एकत्रित कूडे से सम्बन्धित सूचना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगें।

(कार्यावाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ से अपेक्षा की गयी है, कि वे आगामी बैठक हेतु चयनित किये गये नदी नालों की सूचना एवं उनके ट्रीटमेन्ट हेतु पानी की गुणवत्ता को मध्यनजर रखते हुये आवश्यक कार्यवाही करें। रैतोली स्थित कूडा निस्तारण स्थल का अतिशीघ्र संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी –

(- 2 - पर)

श्री मनुज गोयल, जिलाधिकारी, महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे दिनांक 18.12.2020 को जिला समाहार, रूद्रप्रयाग मे आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त–

(उपस्थिति संलग्न है)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों के साथ सूक्ष्म परिचय करते हुये अभिवादन किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा निर्मित घाटों जो कि वर्षाकाल 2020 मे रेत–बजरी से भर गये है उनके विनिश्चिकरण हेतु उपजिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, अधि0अभि0 सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/केदारनाथ तथा सम्बन्धित अधि0 अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत की संयुक्त जांच आख्या के उपरांत उन स्थानों पर उपखनिज चुगान हेतु अपनी आख्या उपलब्ध करायें। जिनका चुगान प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर से माह मार्च तक किया जाये जिससे कि नगर पालिका/नगर पंचायत के राजस्व मे वृद्धि हो पाये।

परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग के द्वारा नदी से लगे हुये 11 गांवों मे नालियों, सोकता पीटों एवं गढ्ठों का जो कार्य किया गया है उस कार्य के सत्यापन हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, परियोजना प्रबन्धक स्वजल एवं अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ संयुक्त टीम गठित की जाती है जो कि 10 दिन के अन्तर्गत अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल सभी एच0टी0पी0 व अन्य कार्यों का प्रस्तुतीकरण करते हुये नालों की सूचना भी उपलब्ध करायेंगें।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग/अधि0 अभि0 जल निगम/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ से अपेक्षा की है कि वे आगामी बैठक हेतु चयनित किये गये नये नालों की सूचना एवं उनके ट्रीटमेन्ट हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये सूचना भी उपलब्ध करायेंगें। रैतोली स्थित चूड़ा निस्तारण स्थल का अतिशीघ्र संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। आगामी बैठक हेतु सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ नदी घाटी से सम्बन्धित अतिक्रमण की सूचना संकलित कर आगामी बैठक मे साथ लायेंगें। चोपता बनियाकुण्ड मे चूड़ा निस्तारण हेतु जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे मक्कू एवं उषाडा के ग्रामीणों के साथ बैठक कर उपजिलाधिकारी की देख–रेख मे एक चूड़ा निस्तारण समिति का गठन किया जाये जिससे कि बुग्याली क्षेत्र मे हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। जिला पंचायत रूद्रप्रयाग, चोपता, दुगलबिट्टा मे उच्च तकनीक के कूड़ेदान उपलब्ध करवायेंगें।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई विभाग/अधि0 अभि0 जल निगम/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

क्रमशः 02 पर

Scanned by CamScanner

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि वर्षाकाल मे रेत–बजरी के अत्यधिक मात्रा मे आने से घाटो की सफाई हेतु बजट न होने के कारण समय से घाटों की सफाई की जा रही है। यदि घाटों मे स्थित रेत–बजरी के खुगान की अनुमति दी जाये तो उसी खुगान की रॉयल्टी से घाटों की सफाई की जा सकती है।

अन्त मे जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला
गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग

संख्या–1925/33–01(2020–21)

दिनांक–01/02/2021

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सदस्य जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन, यूपी नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला
गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग

Scanned by CamScanner

वन्दना सिंह, जिलाधिकारी, महोदया, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे दिनांक 19.10.2020 को स्थान मनसूना, (ऊखीमठ) में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :– संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों, उपस्थित ग्राम प्रधानों, महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों, के पदाधिकाररियों/सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया, तथा पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में नालों का चिन्हीकरण :– परियोजना इकाई, स्वजल रुद्रप्रयाग द्वारा नाला, गुप्तकाशी, फाटा, मनसूना से निकलने वाले नालों का चिन्हीकरण किया गया हैं, जो कि सीधे नदी में जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में जल निगम, स्वजल व सिंचाई रुद्रप्रयाग को जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित दिये गये हैं, कि इन नालों के अतिरिक्त ये छोटे–बडे सभी नालों का एक सप्ताह के अन्तर्गत चिन्हिकरण किया जाये, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी सीधे नदी में मिलते हैं। यदि उक्त चिन्हित नालों के अतिरिक्त अन्य नाले नदी में नहीं जाते हैं, तो स्वजल रुद्रप्रयाग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये हैं, कि उन नालों के निकासी द्वार पर सोख्ते पिट बनाये जायं, तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय, कि इन नदी से लगे हुये ग्रामों में कूडे निस्तारण की व्यवस्था है, यदि व्यवस्था है, तो यह कूडा कहां डाला जा रहा है। नदी से लगे ग्रामों में नालियों का निर्माण किया जाय, जो कि सीधे सोख्ता पिटों में जाय, तथा सोख्ता पिटों से छनकर ही नदी में जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/अधि0 अभि0 जल निगम/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग)

2. होटल/लॉज/आश्रम/धर्मशाला:–जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत होटल/लॉजों/आश्रमों/धर्मशालाओं में Solid and Liquied Waste Management की व्यवस्था की जाय। तथा गॉवों की स्वच्छता समिति द्वारा इन पर डोर–टू–डोर रू0 30.00, वाणिज्य उपयोग हेतु रू0 100.00 से रू0 250.00 तक का शुल्क एवं टूरिस्टों से भी रू0 100.00 प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग /परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रुद्रप्रयाग/समस्त ग्रामीण स्वच्छता समिति/समस्त नोडल अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

3. एस0टी0पी0:– जिलाधिकारी द्वारा नगर अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में समय–समय पर जांच हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, तथा कमियां पाये जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रुद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रुद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग)

4. नदी किनारे स्वच्छता:– जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि स्वजल रुद्रप्रयाग नदी किनारे बसे ग्रामों में चिन्हीकरण कर खुली बैठक का आयोजन कर डी0पी0आर0 तैयार करें; गंगा से सटे गावों में एस0एम0डी0एम0 की कार्ययोजना, वर्ष 2014 में गठित स्वच्छता समिति यदि आज तक जीवित हो तो सभी गांवों में खुली बैठक की जाय, निवर्तमान प्रधान एवं वर्तमान प्रधानों को बुलाया जाय, तथा पुराने कार्यों की समीक्षा की जाय। स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट तथा तरल अपशिष्ट हेतु प्रबन्धन समिति का गठन किया–

(क्रमशः–2– पर)

जाय तथा उसके कार्यों की ग्राम समिति द्वारा समय–समय पर जांच की जाय। नदी से लगे गांवों में जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा समय–समय पर प्रधानों/महिला मंगल दलों/स्थानीय लोगों को गंगा की महता के संबंध में जागृत कर स्वच्छता अभियान चलाया जाय। नदी किनारे उपयुक्त भूमि चयनित कर वाटिकाओं हेतु वृक्ष रोपण कार्यक्रम किया जाय। ग्रामीणों को नदी में किसी भी प्रकार का गन्दे पानी की निकासी नहीं किये जाने एवं स्वच्छता के संबंध में भी जागृत कर प्रचार प्रसार किया जाय। सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं, कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी घरों में पानी की निकासी/सीवर का संयोजन नाली में है, या पिट में है। जांच करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

5. स्वास्थ विभाग:– जिलाधिकारी महोदया, द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि स्वास्थ विभाग द्वारा गंगा से सटे गांवों में स्वजल के माध्यम से स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया जाय। गांवों में कोविड–19 संक्रमण की जांच हेतु प्रति गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाय। इसके अतिरिक्त स्वास्थ समितियों की बैठकें भी नियमित रूप से करवाई जाय। समितियों के द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में आख्या उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी,रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/तिलवाडा ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग)

6. नदी किनारे चिन्हित ग्राम:– जिलाधिकारी, महोदया द्वारा जिला विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि नदी किनारे अवस्थित ग्रामों की सीमा वाले ग्रामों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करायी जाय। उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि कोठगी, भटवाडी में वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन की जाय। मत्स्य विभाग भी नदी किनारे अवस्थित ग्रामों में जा कर नदी की स्वच्छता के सम्बन्ध में लोगों को जागृत एवं प्रचार प्रसार करते हुये ग्रामीणों/बालको/बालिकाओं को भी स्वच्छता की ओर जोडा जाये। नदी किनारे से भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्रों की सूची आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/मत्स्य वि0,रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद,रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग द्वारा ग्राम गिरिया एवं मनसूना दोनों ग्राम सभाओं में तीन कि0मी0 तक चैकडैम निर्माण कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, सिंचाई विभाग केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) अतिशीघ्र इन क्षेत्रों का भ्रमण कर उनका सर्वेक्षण करें। पूर्व प्रधान ग्राम सभा मनसूना द्वारा अवगत कराया गया, कि ग्राम गिरिया एवं मनसूना में विद्युत पोल झुके हुये हैं, तथा तार लटक रहे हैं, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। प्रधान ग्राम सभा मनसूना द्वारा अवगत कराया गया, कि स्थान मनसूना बाजार में मोटर मार्ग के किनारे नालियों की सफाई न होने के कारण गली चौक हो गई है। उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता,पी0एच0जी0एस0वाई0 रूद्रप्रयाग एवं [illegible] अभियन्ता, विद्युत विभाग रूद्रप्रयाग को तत्काल शिकायतों के निराकरण हेतु निर्देश दिये गये।

(क्रमशः अगले पृष्ठ)

जिलाधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया है, कि ग्राम गिरिया, मनसूना में महिला मंगल दलों के द्वारा पुराने कपडों से थैले एवं आसन बनाकर केदारनाथ यात्रा हेतु उपलब्ध कराये जा सकते है। इस ओर सभी महिला मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित किया जाय। स्वजल द्वारा घर-घर मे जैविक/अजैविक कूडा पेटियां/कूडा-दान वितरित किये जायं।

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों एवं बैठक में उपस्थित सभी महिला मंगल दलों की सदस्यों का स्वागत करते हुये सभी से अपील की गई, कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद के गांवों में चक्रीय क्रम में त्रैमासिक बैठक का आयोजन कर गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता को बनाये रखने हेतु समय-समय पर स्वच्छता अभियान/जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाय। जल स्रोतो के संरक्षण हेतु सिविल वनों/वन पंचायती वनों/आरक्षित वनों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु खण्ड विकास स्तर पर बैठकें आयोजित कर क्षेत्रों का चिन्हिकरण कर कार्य करने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निजात पाने हेतु गांवों से लगे हुये जंगलों में सफाई की जाय। तथा खड-पतवार को इकट्ठा कर कम्पोस्ट पिट/बर्मी कम्पोस्ट पिटों में डालकर खाद बनायी जाय। मानव-गुलदार संघर्ष से निजात पाने हेतु सभी महिला मंगल दलों, ग्राम प्रधानों से अपील की गयी, कि समय से गांव में पालतू मवेशियों को आवारा न छोडकर उनके नियत स्थानों पर बांध कर रखा जाय, जिससे हिंसक वन्यजीव भोजन की तलाश में गांव की ओर रूख न कर पायें।

(कार्यवाही-मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ(अगस्त्यमुनि)/नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग/खण्ड विकास अधिकारी-ऊखीमठ/अगस्त्यमुनि/जखोली)

अन्त में जिलाधिकारी महोदया,रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों,महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(दर्शन लाल)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या- 471 /33-01 (2020-2021) दिनांक, रूद्रप्रयाग, अक्टूबर, २७,2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4- सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5- सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

(दर्शन लाल)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

चन्द्रेश सिंह, जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 26–08–2020 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

1– नालों का चिन्हीकरण :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि स्थान गौरीकुण्ड में घोड़ों की लीद सीधे नदी में जा रही है। फाटा बाजार में घरों से बाजार का पानी सीधे नदी में जा रहा है। तथा देवर से गुप्तकाशी, बाजार से नाला सीधे नदी में जा रहा है। मनसूना में गिरिया से पानी मधुगंगा में जा रहा है। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उक्त नालों का चिन्हिकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

2– होटल/लॉज/आश्रम/धर्मशाला :– कार्यालय आदेश संख्या–10042/33–01(गं0सं0स0) 2020–2021 दिनांक रूद्रप्रयाग, 15 जुलाई, 2020 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत होटल/लॉजों/आश्रमों/धर्मशालाओं में Solid and Liquid Waste Management, की व्यवस्था के सम्बन्ध में सर्वेक्षण/जॉच हेतु टीम गठित की गई है। जिसमें निर्धारित प्रारूप पर गठित समिति द्वारा शीघ्र जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, उक्त सूचना एकत्रित कर चिन्हिकरण की सूचना सम्बन्धित पर भेजा जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग/समस्त नोडल अधिकारी रूद्रप्रयाग)

3– एस0टी0पी0 :– जिलाधिकारी द्वारा नगर अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में समय– समय पर जॉच हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, तथा कमियॉ पाये जाने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये। एन0एच0 द्वारा मलवा नदी में डाले जाने पर जुर्माना किया जाय। तथा प्रेस को भी सूचना दी जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/समस्त उप जिलाधिकारी–जनपद रूद्रप्रयाग)

4– नदी किनारे स्वच्छता :– जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये है, कि नदी किनारे बसे ग्रामों का चिन्हीकरण कर उक्त ग्रामों के प्रधानों/महिला मंगल दलों/स्थानीय लोगों को गंगा की महत्ता के सम्बन्ध में जागृत कर समय–समय पर स्वच्छता अभियान चलाया जाय। नदी किनारे उपयुक्त भूमि चयनित कर वाटिकाओं हेतु वृक्ष रोपण कार्यक्रम किया जाय। ग्रामीणों को नदी में किसी भी प्रकार का गन्दे पानी की निकासी नहीं किये जाने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में भी जागृत किया जाय, तथा प्रचार प्रसार किया जाय। सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये गये हैं, कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी घरों में पानी की निकासी/सीवर का संयोजन नाली में है, या पिट में है। जॉच करवाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

4– पार्क चिन्हिकरण :– जिलाधिकारी महोदया, द्वारा निर्देश दिये गये है, कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग प्रातः 08 बजे से नगर के प्रत्येक वार्ड में भ्रमण कार्यक्रम रखा जाय तथा पार्कों का चिन्हिकरण किया जाय, इसी प्रकार सभी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अपने अपने क्षेत्रों में प्रातः 08 बजे से कार्यक्रम निर्धारित कर भ्रमण कार्य किया जाय। रीवर ब्लूह प्लान किया जाय इसकी सूचना भूमि सहित उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग को दी जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग /नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

5– नदी किनारे चिन्हित ग्राम :– जिलाधिकारी महोदया द्वारा जिला विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग जिन्हें नोडल अधिकारी नामित किया गया है, को निर्देश दिये गये है, कि नदी किनारे ग्रामों की सीमा वाले ग्रामों को नदी द्वारा कहॉ–कहॉ कटान कर रही है। नाले/जल स्रोतों को रिचार्ज किया जाय। चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराई जाय। उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि कोठगी, भटवाडी में वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन की जाय। सरस विभाग भी नदी किनारे अवस्थित ग्रामों में जा कर नदी की स्वच्छता के सम्बन्ध में लोगों को जागृत एवं प्रचार प्रसार करायेगें। आगामी बैठक हेतु स्थान चिरबटिया/बोपता में किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग/सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग)

6– नदी किनारे चिन्हित भूस्खलन क्षेत्र :– जिलाधिकारी, महोदया रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नदी किनारे अवस्थित क्षेत्रों/ग्रामों में भूस्खलन स्थानों को चिन्हित किया जाय। इस हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसमेंभू–वैज्ञानिक अधिकारी, जिला रूद्रप्रयाग/सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी/खनन अधिकारी/सदस्य होंगे, जो कि अपनी सर्वेक्षण/जॉच रिपोर्ट उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग को प्रेषित करेगें। यह भी निर्देश दिये गये हैं, कि उक्त गठित टीम द्वारा आवासीय भवनों के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। ग्राम विकास अधिकारी, अपने–अपने क्षेत्रों में वाटर चैनल की सूचना एवं जल स्रोतों की जानकारी तथा प्राकृतिक जल स्रोतों का चिन्हीकरण कर आख्या उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/जिला भू–वैज्ञानिक अधिकारी, रूद्रप्रयाग/ गोपेश्वर (चमोली)/खनन अधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली)

7– श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी :– श्री गोस्वामी जी, द्वारा यह सुझाव दिये गये हैं, कि पुराने कपडों को एकत्रित कर कपडो के थैले एवं मास्क बनाये जाय। जिससे रोजगार को बढावा मिल सकता है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि इस सम्बन्ध में स्वयम सहायता समूहों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/जिला पंचायत राज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/ परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी महोदया द्वारा अगली बैठक तहसील ऊखीमठ क्षेत्रान्तर्गत स्थान मनसूना में रखे जाने के निर्देश दिये गये है।

अन्त में जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(दर्शन लाल)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–०४१ /33–01 (2020–2021) दिनांक, रूद्रप्रयाग, सितम्बर, 08, 2020

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूए नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

(दर्शन लाल)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

चन्दना सिंह, जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 17–07–2020 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

1– ग्रामीण क्षेत्रों में नालों का चिन्हीकरण :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा परियोजना इकाई, स्वजल रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, नदी किनारे लगे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सीधे नदी मे आने वाले नालों का चिन्हीकरण कर सूची उपलब्ध कराई जाय। इन ग्रामों में कूडे निस्तारण की क्या व्यवस्था है, तथा कूडा कहाँ डाला जा रहा है। स्वच्छता समितियों की आहूत बैठकों के सम्बन्ध में तथा प्राप्त धनराशि का व्यय किया गया है, अथवा नहीं पूर्ण आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय, अन्यथा की स्थिति में वेतन रोके जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

2– होटल/लॉज/आश्रम/धर्मशाला :– कार्यालय आदेश संख्या–10042/33–01(गं0संर0स0) 2020–2021 दिनांक,रूद्रप्रयाग, 15, जुलाई, 2020 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत होटल/लॉजों/आश्रमों/धर्मशालाओं में Solid and Liquid Waste Management. की व्यवस्था के सम्बन्ध में सर्वेक्षण/जॉच हेतु टीम गठित की गई है। जिसमें संलग्न प्रारूप पर गठित समिति द्वारा शीघ्र जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, तथा आगामी बैठक में सम्बन्धित प्रकरण पर चर्चा किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/समस्त नोडल अधिकारी–रूद्रप्रयाग)

3– एस0टी0पी0 :– जिलाधिकारी द्वारा नगर अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में समय–समय पर जॉच हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, तथा कमियाँ पाये जाने पर, रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग)

4– नदी किनारे स्वच्छता :– जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नदी किनारे बसे ग्रामों का चिन्हीकरण कर उक्त ग्रामों के प्रधानों/महिला मंगल दलों/स्थानीय लोगों को गंगा की महता के सम्बन्ध में जागृत कर समय–समय पर स्वच्छता अभियान चलाया जाय। नदी किनारे उपयुक्त भूमि चयनित कर वाटिकाओं हेतु वृक्षा रोपण कार्यक्रम किया जाय। ग्रामीणों को नदी में किसी भी प्रकार का गन्दे पानी की निकासी नहीं किये जाने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में भी जागृत किया जाय, तथा प्रचार प्रसार किया जाय। सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये गये हैं, कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी घरों में पानी की निकासी/सीवर का संयोजन नाली में है, या पिट में है। जॉच करवाना सुनिश्चित करें।

(क्रमशः–2 पर)

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

4– स्वास्थ्य विभाग :– जिलाधिकारी महोदया, द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि स्वास्थ विभाग द्वारा समय – समय पर स्वास्थ्य समितियों की बैठकें करवाई जाय, तथा समितियों के द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ /केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

5– नदी किनारे चिन्हित ग्राम :– जिलाधिकारी महोदया, द्वारा जिला विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि नदी किनारे ग्रामों की सीमा वाले ग्रामों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराई जाय। उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि कोठगी, भटवाडी में वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन की जाय। मत्स्य विभाग भी नदी किनारे अवस्थित ग्रामों में जा कर नदी की स्वच्छता के सम्बन्ध में लोगों को जागृत एवं प्रचार प्रसार करायेगें। आगामी बैठक हेतु स्थान चिरबटिया/घोपता में किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया, द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/मत्स्य विभाग, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि /तिलवाडा/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समापन की घोषणा की गई।

(दर्शन लाल)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– ७१६ /33–01 (2020–2021) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जुलाई, २१, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन गुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

(दर्शन लाल)
प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

वन्दना सिंह, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 03–07–2020 को स्थान गवनीगॉव (चन्द्रापुरी) में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

1– एस0टी0पी0 :– योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल द्वारा अवगत कराया गया, कि रूद्रप्रयाग में स्थित एस0टी0पी0–01 एवं 03 एन0एच0 द्वारा रोड निर्माण कार्य एवं पुल निर्माण के कारण बन्द हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा रा0रा0मार्ग लो0नि0वि0 श्रीनगर को शीघ्र नाली निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने एवं मजदूरों की संख्या बढाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सहायक अभियन्ता, रा0रा0मार्ग लो0नि0वि0 श्रीनगर गढवाल द्वारा उक्त कार्य दिनांक 15, जुलाई 2010 तक पूर्ण किये जाने हेतु कहा गया है। एस0टी0पी0 कार्यदाई संस्था को जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि प्रत्येक एस0टी0पी0 पर पानी की सैंपलिंग अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग की उपस्थिति में की जाय। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डोर–टू–डोर ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण के लिये वन विभाग, जल संस्थान, राजस्व, जल निगम, एवं स्वजल की टीम गठित कर जॉचोपरान्त अच्छे कार्य करने वाले परिवारों को प्रोत्साहित किया जाय। जनपद रूद्रप्रयाग में दिनांक 16–07–2020 को उत्कृष्ट हरेला कार्यक्रम करने वाले विभाग/संस्था/एवं परिवार को प्रोत्साहित किया जाय।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत–ऊखीमठ/अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल /परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/राष्ट्रीय राज मार्ग/अधिशासी अभियन्ता– जल संस्थान/जल निगम, रूद्रप्रयाग)

2– होटल/लॉज/आश्रम/धर्मशाला :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जिला पर्यटन अधिकारी, रूद्रप्रयाग/समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान/जल निगम/स्वजल/राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की जाय, जो कि जनपद अन्तर्गत स्थित होटल, लॉजों, आश्रमों एवं धर्मशालाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर ठोस अपशिष्ट/

तरल अपशिष्ट की निकासी हेतु प्रबन्धन की व्यवस्था एवं सोख्ता पिटों की वर्तमान स्थिति जन संख्या सहित आगामी बैठक में आख्या उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी–रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार/जिला पर्यटन अधिकारी,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान/जल निगम रूद्रप्रयाग)

3– आपदा क्षेत्र का चिन्हीकरण :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को निर्देश दिये गये हैं, कि स्थान चन्द्रापुरी में मन्दाकिनी नदी के पार स्थित बस्ती का चिन्हीकरण कर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–उप वन सरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि))

4– ग्रामीण क्षेत्रों में नालों का चिन्हीकरण :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि समन्वय स्थापित करते हुये परियोजना इकाई, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग नदी किनारे लगे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सीधे नदी में आने वाले नालों का चिन्हीकरण कर सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान/जल निगम रूद्रप्रयाग)

5– हरेला पर्व :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 16–07–2020 को हरेला पर्व मनाये जाने हेतु सभी विभागों को एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग तथा नगर पंचायतों को प्रत्येक वार्ड में हरेला से सम्बन्धित वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–उप वन सरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/समस्त विभाग)

-3-

6– स्वच्छता समिति :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि ग्रामों में गठित स्वच्छता समितियों की सूची एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

7– ट्रेचिंग ग्राउन्ड :– जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/ नगर पंचायत–केदारनाथ/ऊखीमठ/अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा को अपने क्षेत्रान्तर्गत ट्रेचिंग ग्राउन्ड की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, तिलवाडा एवं तहसीलदार रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि नगर पंचायत तिलवाडा के ट्रेचिंग ग्राउन्ड के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान एवं वन पंचायत रूमसी से समन्वयक स्थापित कर शीघ्र बैठक कर वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, रूद्रप्रयाग)

8– सूर्यप्रयाग (सुमाडी) :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि स्थान सूर्यप्रयाग (सुमाडी) एक धार्मिक स्थल होने के कारण वहॉ पर गंगा वाटिका स्थल बनाया जाय। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, जखोली से विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत तिलवाडा/उप जिलाधिकारी, जखोली/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

9– भूमि की उपलब्धता :– नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत कोविड–19 से मृतकों के अन्तिम दाह संस्कार एवं विद्युत शवदाह हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी /तहसीलदार, रूद्रप्रयाग)

10– श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी :– श्री गोस्वामी जी द्वारा नदियों की स्वच्छता के सम्बन्ध में एवं मछलियों के संरक्षण पर सुझाव दिये गये। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि गंगा की स्वच्छता के लिये नदी किनारे अवस्थित ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई जाय तथा

नदी में मछली पकड़ने वालों के सम्बन्ध में प्रभारी मत्स्य निरीक्षक, रूद्रप्रयाग प्रभावी कार्यवाही करते हुये अगली बैठक में स्वयं उपस्थित होकर आख्या उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग–केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम रूद्रप्रयाग/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/ अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/प्रभारी मत्स्य निरीक्षक, रूद्रप्रयाग)

11– <u>जनपद रूद्रप्रयाग की पुरानी विशेष ख्याति :-</u> जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग की पुरानी विशेष ख्याति के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों को निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये, कि जनपद की पुरानी ख्याति का सही उल्लेख करने वाले सदस्य को पारितोषिक दिया जायेगा, इस कार्य के लिये उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग एवं मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग को नामित किया जाता है।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की घोषणा की गई।

(वन्दना सिंह)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– ५०३०/33–01 (2020–2021) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जुलाई, १०, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

:: आदेश ::

जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग की दिनांक 03–07–2020 को स्थान गयनीगाँव (चन्द्रापुरी) में आहूत बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या–02 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत होटलों/लॉजों/आश्रमों/धर्मशालाओं में Solid and Liquid Waste Management. की व्यवस्था के सम्बन्ध में सर्वेक्षण/ जाँच हेतु निम्न प्रकार टीम गठित की जाती है :–

क्र. सं.	नोडल अधिकारी का नाम/ पदनाम	सर्वेक्षण हेतु अधिकारी/कार्मिक का नाम /पदनाम	सर्वेक्षण हेतु स्थान/क्षेत्र का नाम
1	जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	1–अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग। 2–जिला पर्यटन अधिकारी, रूद्रप्रयाग। 3–राजस्व उप निरीक्षक, पुनार्ड।	अकरी से नगरासू एवं सम्पूर्ण नगर पा0 परि0 क्षेत्र रूद्रप्रयाग।
2	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)।	1–अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत, तिलवाड़ा। 2–सहायक अभियन्ता,जल संस्थानरूद्रप्रयाग। 3–राजस्व उप निरीक्षक, रूद्रप्रयाग।	सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र तिलवाड़ा।
3	उप जिलाधिकारी, जखोली।	1–सहायक अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग। 2–राजस्व निरीक्षक, सुनाड़ी भरधार। 3–सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 जखोली।	तहसील जखोली सम्पूर्ण क्षेत्र।
4	उप जिलाधिकारी, बसुकेदार।	1–तहसीलदार, बसुकेदार। 2–राजस्व उप निरीक्षक, चन्द्रापुरी। 3–सहायक अभियन्ता, जल संस्थान जखोली।	तहसील बसुकेदार सम्पूर्ण क्षेत्र।
5	उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।	1–अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि। 2–प्रभारी ज्येष्ठ निरीक्षक, मत्स्य विभाग, रूद्रप्रयाग। 3–राजस्व उप निरीक्षक, अगस्त्यमुनि।	सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र अगस्त्यमुनि।
6	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।	1–सहायक अभियन्ता,पेयजल निगम,रूद्रप्रयाग 2– सहायक पर्यटन अधिकारी,रूद्रप्रयाग। 3–राजस्व उप निरीक्षक, भटवाड़ी सुनार।	स्थान–सोड़ी से गुप्तकाशी तक
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग।	1–सहायक, अभियन्ता, जल संस्थान ऊखीमठ। 2–सहायक अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग। 3–राजस्व उप निरीक्षक, फाटा।	स्थान–नाला से गौरीकुण्ड तक
8	खण्ड विकास अधिकारी, ऊखीमठ।	1–अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत ऊखीमठ। 2–सहायक खण्ड विकास अधिकारी, ऊखीमठ। 3–राजस्व उप निरीक्षक, ऊखीमठ।	सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र ऊखीमठ।
9	उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।	1–सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 ऊखीमठ। 2–राजस्व निरीक्षक, ऊखीमठ। 3–ग्राम विकास अधिकारी,ऊखीमठ।	तहसील ऊखीमठ सम्पूर्ण क्षेत्र (नगर पंचायत ऊखीमठ क्षेत्र छोड़ कर)
10	परियोजना प्रबन्धक, जाजल, रूद्रप्रयाग।	1–सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग। 2–भागड़ तहसीलदार, रूद्रप्रयाग। 3– ग्राम विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	तहसील रूद्रप्रयाग सम्पूर्ण क्षेत्र (न.पा./न.प. क्षेत्र छोड़ कर)

अतः उपरोक्तानुसार समस्त नोडल अधिकारी/कार्मिकों को निर्देश दिये जाते हैं, कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत होटल/लॉजों/आश्रमों/धर्मशालाओं में Solid and Liquid Waste Management. की व्यवस्था के सम्बन्ध में एवं होटल/लॉजों में कुल लोगों की ठहरने की संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख करते हुये संलग्न प्रारूप पर सर्वेक्षण/जाँच आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या-1004/33-01 (गं0सं0स0) 2020-2021 दिनांक, रूद्रप्रयाग, 15 ,जुलाई, 2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
3- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड,देहरादून।
4- समस्त नोडल अधिकारी/कार्मिकों को अनुपालन हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

वन्दना सिंह, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 05–06–2020 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर गहन चर्चा की गई।

1– गंगा आरती :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा स्थान रूद्रप्रयाग संगम पर आरती कार्यक्रम के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि किसी भी नागरिक द्वारा अपने अथवा परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन मनाये जाने हेतु गंगाघाट पर आरती कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग को सम्बन्धित विभागों से समन्वयक स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पचायत रूद्रप्रयाग)

2– एस0टी0पी0 :– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि रूद्रप्रयाग में एस0टी0पी0–01 एवं 03 एन0एच0 द्वारा पुल निर्माण के कारण बन्द हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि निर्माण कार्यदायी संस्था एन0एच0 को पत्र प्रेषित कर शीघ्र निरीक्षण उपरान्त एस0टी0पी0 का कार्य प्रारम्भ किया जाय एवं रोड व पुल का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय। एस0टी0पी0 कार्यदाई संस्था को जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि प्रत्येक एस0टी0पी0 पर बोर्ड लगवाया जाय, जिस पर कार्य एवं क्षमता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग नियमित रूप से एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/राष्ट्रीय राज मार्ग)

3– सोर्स सेग्रीगेशन :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्/नगर पचायत रूद्रप्रयाग एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुये प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य किया जाय। यात्रा मार्गों एवं गंगा घाटों की साफ–सफाई के सम्बन्ध में स्थानों का चयन कर बैनर/पॉम्पलेट लगवाये जायं, तथा जनसहभागिता से छात्र–छात्राओं के द्वारा पेंटिंग/संगीत तथा कवि सम्मेलन कर प्रतियोगिता की जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

(–2–)

4– क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियाँ :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि सम्बन्धित विभाग क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का आंगणन तैयार कर नियमानुसार टी0एस0सी0 करवाकर सम्बन्धित विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/सम्बन्धित विभाग)

5– ट्रेंचिंग ग्राउन्ड :– जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत–केदारनाथ/ऊखीमठ/अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा को अपने क्षेत्रान्तर्गत ट्रेंचिंग ग्राउन्ड की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग सभी निकायों के ट्रेंचिंग ग्राउन्ड की अद्यतन स्थिति से शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी–रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

6– हरेला पर्व :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 16–06–2020 को हरेला पर्व मनाये जाने हेतु सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग एवं नगर पंचायतों की प्रत्येक वार्ड में हरेला से सम्बन्धित वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/समस्त विभाग)

7– गंगा संरक्षण समिति की बैठक :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि प्रत्येक माह में प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को आयोजित गंगा संरक्षण समिति की बैठक अब प्रथम बैठक जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग के सभागार कक्ष में एवं तृतीय शुक्रवार दिनांक 19–06–2020 की बैठक स्थान गवनीगाँव (चन्द्रापुरी) में आहूत की जायेगी। आगामी बैठक हेतु नदी/गंगा के किनारे अवस्थित स्थानों का चयन परियोजना प्रबन्धक स्वजल, रूद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा। उक्त बैठकों की समुचित आवश्यक व्यवस्था परियोजना प्रबन्धक स्वजल, रूद्रप्रयाग अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम रूद्रप्रयाग/ /योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल

(-3-)

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/सम्बन्धित विभाग)

8– श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी :– श्री गोस्वामी जी द्वारा नदियों की स्वच्छता के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, कि नदी किनारे घाटो पर गंगा की स्वच्छता एवं सुन्दरता के लिये बोर्डो पर श्लोगन लिखे जाय। गोस्वामी जी द्वारा यह भी सुझाव दिये गये, कि नदी किनारे अवस्थित ग्रामों/कस्बों के लोगों के द्वारा नदी से मछली निकाली जाती है। इसकी रोकथाम की जानी चाहिये तथा मछली न पकड़ने हेतु बोर्डो पर श्लोगन लिखा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि मत्स्य विभाग नदी/गंगा किनारे अवस्थित ग्रामो/कस्बों के मछली पकड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराई जाय, तथा इन्हें स्वरोजगार कार्य के लिये प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। मत्स्य विभाग को पत्रालेख निर्गत किया जाय। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग की मासिक बैठकों का कार्यवृत्त सम्बन्धित विभागों को भी उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम रूद्रप्रयाग/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/मत्स्य विभाग रूद्रप्रयाग/सम्बन्धित विभाग)

अन्त मे जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(यादवेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 4८ 86/33–01(2020–2021) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जून 16, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यकारी निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 06–03–2020 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा स्थान रूद्रप्रयाग संगम पर आयोजित कार्यक्रम के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। अवगत कराया गया, कि वर्तमान समय में मुख्य बाजार में पुल निर्माण कार्य होने से एस0टी0पी0 संख्या–01 एवं 03 पर कार्य बन्द है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग को सभी एस0टी0पी0 के समय–समय पर निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा घाटों पर आम जनता की सुरक्षा हेतु चैन लगाये जाने के भी निर्देश दिये गये। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि घाटों पर आम जनता की सुरक्षा हेतु चैन लगा दी गई है। जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा सभी अधिशासी अधिकारियों को दिनांक 18–03–2020 से 25–03–2020 तक Source Segregation कार्यक्रम सभी वार्डों में समय प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। (यात्राकाल में 100 मी0 पर पेयजल/शौचालय की व्यवस्था किये जाने हेतु सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये गये। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये है, कि यात्राकाल में आउटसोर्स स्वच्छक रखे जायें) ✓

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ट्रेंचिंग ग्राउन्ड पर कम्पोस्टिंग हो रही है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि कार्य नियमित रूप से हो रहा है।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया, कि मुख्य मार्ग से 3 किमी0 दूरी पर कुमोली मोटर मार्ग पर ट्रेंचिंग ग्राउन्ड हेतु भूमि चयनित की गई है, जिसमें कार्यवाही गतिमान है।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ को ट्रेंचिंग ग्राउन्ड हेतु भूमि के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये, कि गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग की आगामी बैठक दिनांक 20–03–2020 को की जाय जो कि नदी किनारे गौचर/चाका/फलाटी कोई एक स्थान चयनित कर की जाय। उक्त बैठक में नदी किनारे अवस्थित कस्बों/गावों के ग्राम प्रधान/उप प्रधान/स्वच्छता समिति के अध्यक्ष/पदाधिकारी/सदस्य एवं मोडल अधिकारियों को भी उपस्थित हेतु परियोजना प्रबन्धक स्वजल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

(क्रमशः 2 पर)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी द्वारा नदियों की स्वच्छता के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, कि नदी किनारे घाटों पर गंगा की स्वच्छता एवं सुन्दरता के लिये बोर्डों पर स्लोगन लिखे जाय। गोस्वामी जी द्वारा यह भी सुझाव दिये गये, कि आगामी बैठक में छात्र-छात्राओं के द्वारा पेंटिंग/संगीत तथा कवि सम्मेलन कर प्रतियोगिता की जाय।

(कार्यवाही- मुख्य शिक्षाधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ, (अगस्त्यमुनि)/ योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत रूद्रप्रयाग एवं आप मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुये प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। यात्रा मार्गों एवं गंगा घाटों की साफ-सफाई के सम्बन्ध में स्थानों का चयन कर बैनर/पाम्पलेट लगवाये जाय, तथा जनसहभागिता से छात्र-छात्राओं के द्वारा पेंटिंग/संगीत तथा कवि सम्मेलन कर प्रतियोगिता की जाय।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, सहयोगियों/मीडियाकर्मी, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
दिनांक, रूद्रप्रयाग, मार्च 07, 2020

संख्या- 2A, 12/33-3 (2019-20)

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5- सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 28–02–2020 को जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आयुत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर गहन चर्चा की गई।

अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा स्थान मयाली में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त किया गया। मयाली में स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, जिसमें 21 सदस्य हैं, किन्तु समिति द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि 05 सफाई कर्मी तैनात किये गये हैं, जब कि वर्तमान समय में 03 सफाई कर्मी ही कार्य कर रहे हैं। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि मयाली में स्वच्छता की दृष्टिगत एक कूड़ा ढ्य गाडी तत्काल उपलब्ध कराई जाय, तथा 05 सफाई कर्मियों की तैनाती की जाय। सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर ही जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा उनका मानदेय आहरण किया जायेगा। नोडल अधिकारी, को निर्देश दिये गये है कि स्थान मयाली में स्वच्छता के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी/सहसीलदार तहसील अगस्त्यमुनि/नोडल अधिकारी–मयाली)

अपर जिलाधिकारी,रुद्रप्रयाग द्वारा/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल से रुद्रप्रयाग में एस0टी0पी0 कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया, कि 05 एस0टी0पी0 पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, तथा 01 एस0टी0पी0 शीघ्र कार्य करना प्रारम्भ कर देगा। इस सम्बन्ध में निर्माण निगम को निर्देश दिये कि छोटे नालों को भी एस0टी0पी0 से जोड़ा जाय, तथा एस0टी0पी0 बन्द होने की दशा में उसके मगत पर सोख्ता पिट बनाया जाय। योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल द्वारा अवगत कराया गया है, कि कार्यदाई संस्था को सूचित किया गया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि रुद्रप्रयाग में स्थित एस0टी0पी0 की नियमित रूप से कार्य न करने की दशा में जाँच कर नियमानुसार अर्थदण्ड किया जाय। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके द्वारा एस0टी0पी0–4 एवं 5 का निरीक्षण किया गया है, तथा अर्थदण्ड हेतु नोटिस दिये गये हैं। रुद्रप्रयाग में गंगा घाटों की सफाई एवं सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पर रैलिंग की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त अधिशासी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं, कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत बड़े होटलों/लोजों में एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किये जायं।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग विभाग, रुद्रप्रयाग/खेदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

(2-पर)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी द्वारा नदियों की स्वच्छता के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, कि नदी किनारे घाटों पर गंगा की स्वच्छता एवं सुन्दरता के लिये बोर्डों पर स्लोगन लिखें जाय। गोस्वामी जी द्वारा यह भी सुझाव दिये गये, कि आगामी बैठक में छात्र-छात्राओं के द्वारा पेंटिंग/संगीत तथा कवि सम्मेलन कर प्रतियोगिता की जाय।

(कार्यवाही– मुख्य जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ, (अगस्त्यमुनि)/ योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत रूद्रप्रयाग एवं आप मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुये प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। यात्रा मार्गों एवं गंगा घाटों की साफ-सफाई के सम्बन्ध में स्थानों का चयन कर बैनर/पॉम्पलेट लगवाये जाय, तथा जनसहभागिता से छात्र-छात्राओं के द्वारा पेंटिंग/संगीत तथा कवि सम्मेलन कर प्रतियोगिता की जाय।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/ अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 243 /33-3 (2019-20) दिनांक, रूद्रप्रयाग, मार्च, 07, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूपी नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 17–01–2020 को स्थान वन परिसर जाखणी (मयाली) जखोली में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर गहन चर्चा की गई।

जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग द्वारा स्थान मयाली में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त किया गया। निर्देश दिये गये, कि मयाली में स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, जिसमें 21 सदस्य है, किन्तु समिति द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। स्वच्छता समिति मयाली के अध्यक्ष, श्री सुरेन्द्रसिंह सकलानी द्वारा अवगत कराया गया, कि मयाली में पर्याप्त सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं हैं। अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि 06 सफाई कर्मी तैनात किये गये हैं, जब कि अवगत कराया गया है, कि वर्तमान समय में 03 सफाई कर्मी ही कार्य कर रहे है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि मयाली में स्वच्छता की दृष्टिगत एक कूड़ा ढ्वय गाड़ी तत्काल उपलब्ध कराई जाय, तथा 05 सफाई कर्मियों की तैनाती की जाय। सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर ही जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा इनका मानदेय आहरण किया जायेगा। खोजल अधिकारी, को निर्देश दिये गये है, कि स्थान मयाली में स्वच्छता के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/खोजल अधिकारी– मयाली)

जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग द्वारा/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को निर्देश दिये गये, कि रूद्रप्रयाग में छोटे नालों को भी एस0टी0पी0 से जोड़ा जाय, तथा एस0टी0पी0 बन्द होने की दशा में उसके बगल पर सोख्ता पिट बनाया जाय। योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया है, कि 20 फरवरी तक छटवां एस0टी0पी0 भी सुचारू रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि रूद्रप्रयाग में स्थित एस0टी0पी0 को नियमित रूप से कार्य न करने की दशा में जाँच कर नियमानुसार अर्थदण्ड किया जाय।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाईविभाग विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

श्री वैभव कुमार सिंह, उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा सभी का अभिनन्दन करते हुये बताया गया, कि जिला गंगा समिति के माध्यम से विगत कई माह में विभिन्न प्रकार के स्वच्छता कार्यक्रम जन सहभागिता के माध्यम से चलाये गये हैं। सभी ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और बैठक को सफल बनाने के लिये धन्यवाद दिया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही है उसका मूल उद्देश्य जन सहभागिता है। उनके द्वारा अवगत

कराया गया है, कि नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण क्षेत्रों का रख रखाव महिला मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये, कि आगामी फायर सीजन को मध्यनजर रखते हुये महिला मंगलदलों, प्रधानों/वन सरपंचों/युवक मंगलदलों एवं पटवारियों के साथ एक कार्यशाला रखी जाय।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/अखोली/बसुकेदार/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि /तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

श्री जगतसिंह जंगली द्वारा अवगत कराया गया है, कि आगामी फायर सीजन को मध्यनजर रखते हुये सम्बन्धित ग्रामों के लोगों को अग्नि नियन्त्रण हेतु फायर वाचर के रूप में रखा जाय।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुये स्थान चयन कर कवि सम्मेलन किया जाय। इस सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश सेमवाल जी से सम्पर्क कर कार्यक्रम के सम्बन्ध में चर्चा की जाय।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/अखोली/बसुकेदार/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि /तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये, बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–163/33–3 (2019–20) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जनवरी, 24, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 03-01-2020 को आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक की कार्यवाही पर गहन चर्चा की गई।

जिलाधिकारी,रुद्रप्रयाग द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत रुद्रप्रयाग एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये गये, कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदी किनारे गंगा की स्वच्छता बनाये रखने हेतु बोर्ड/होर्डिंग लगवा कर उन पर स्लोगन लिखे जाय। बोर्ड/होर्डिंग के डिजाइन समिति में रखे जायं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि सुना चौक मोटरमार्ग पर काट पुलिया के पास एवं एस0बी0आई0 रुद्रप्रयाग के समीप स्थानीय लोगों के द्वारा कूड़ा फेंका जाता है, उस स्थान पर जी0पी0एस0 कोडिनेट किया जाय, ताकि पर्यावरण मित्रों को लोकेशन की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार अन्य समस्त नगर पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत रूप से कूड़ा डाले जाने की सम्भावना है, स्थान चिन्हित कर जी0पी0एस0 कोडिनेट किया जाय, तथा एक एप तैयार किया जाय।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग/केदारनाथ(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी,रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये, कि जिला गंगा संरक्षण समिति की आगामी बैठक चन्द्रापुरी में गंगा तट पर किया जाय। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा सभा बैठक में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की जायेगी, तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय भालू के पत्ते द्वारा बने दूने एवं पत्तल उपलब्ध करायेंगे। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि मौसमन हेतु भूमि का चयन कर कच्चे टिन शेड बनाये जाय। पुलिस विभाग को निर्देश दिये गये हैं, कि पुलिस बैरियरों पर आवारा पशुओं की चैकिंग कराई जाय, जिससे आवारा पशुओं के रुद्रप्रयाग में प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि रुद्रप्रयाग में स्थित एस0टी0पी0 की नियमित रूप से कार्य न करने की दशा में जाँच कर नियमानुसार अर्थदण्ड किया जाय।

(कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग/केदारनाथ(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी द्वारा नदियों की स्वच्छता के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, कि नदी किनारे घाटों पर गंगा की स्वच्छता एवं सुन्दरता के लिये बोर्डों पर श्लोगन लिखें जांय। गोस्वामी जी द्वारा यह भी सुझाव दिये गये, कि आगामी बैठक में छात्र-छात्राओं के द्वारा पेंटिंग/संगीत तथा कवि सम्मेलन कर प्रतियोगिता की जाय। इनके द्वारा यह भी सुझाव दिये गये, कि नदी किनारे घाटों के आस-पास मछली न पकडने के सम्बन्ध में बोर्ड/होल्डिंग लगाये जायं तथा उन पर श्लोगन लिखें जांय।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– १९०१ /33-3 (2019-20) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जनवरी ०६, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 20–12–2019 को जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा पिछली बैठक की कार्यवृत्त पर गहन चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिक परिषद् रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत होटलों/दूकानों के आगे पीछे अनावश्यक रूप से कचरा/गन्दगी डाली जा रही है, जिसकी रोक–थाम हेतु विशेष अभियान चलाकर गन्दगी/कचरा डालने वालों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कर्मी नियमित रूप से जैविक तथा अजैविक कूडें का पृथक्कीकरण कर निस्तारण किया जाय। इसके लिये समय–समय पर जनसाधारण को जागरूक करने हेतु व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा रूद्रप्रयाग में एस0टी0पी0 के निरीक्षण करने पर कार्यदाई संस्था द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में असन्तुष्ट व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि गंगा जल को पूजा अथवा शिवालयों में चढाया जाता है, इस प्रकार गंगा जल की महिमा को दृष्टिगत रखते हुये इसे स्वच्छ एवं निर्मल रखा जाना नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल को गंगा जल को स्वच्छ रखने सम्बन्धी श्लोगन/अपील बोर्डो पर लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग का नया वाटसप ग्रुप बनाया जाय, जिसमें जिला पंचायत रूद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों/कस्बों में गठित स्वच्छता समितियों को भी जोडा जाय। कूडा पृथक्कीकरण हेतु विशेष रूप से रूचि लेकर अभियान चलाये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग एवं परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये। यात्रा मार्ग पर पडने वाले स्थानों पर अनिवार्य रूप से स्वच्छकों की तैनाती के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को गंगा किनारे क्षेत्रों का भ्रमण करने के उपरान्त सोलेड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड,पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ, (अगस्त्यमुनि)/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा 80 पर्यावरण मित्र रखे गये हैं, जिन्हें पूरे वर्ष रखा जाय, तथा समय पर इन्हें वेतन का भुगतान किया जाय। खांकरा मयाली, सुमाडी, नगरासू, बसुकेदार, चन्द्रापुरी, भीरी, गुप्तकाशी में कूडा वाहन हेतु जिला पंचायत रूद्रप्रयाग आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इन कस्बों में गठित स्वच्छता समिति का मुख्य उद्देश्य कस्बों/क्षेत्रों को स्वच्छ रखना एवं समय-समय पर कूडा पृथकीकरण हेतु आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में मोडल अधिकारियों को अवगत कराना है। ठोस एंव तरल कूडे के निस्तारण के लिए उचित प्रबन्धन किया जाना नितान्त आवश्यक है। चार-धाम यात्रा के मध्य नजर स्थान खांकरा यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार है। कस्बों की सफाई के लिए जन सहभागिता जरूरी है। जनपद के अन्तर्गत 23 स्वच्छता समिति बनी हैं। इनकी व्यवस्था जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा कि जायेगी। जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये, कि कस्बों में पर्यावरण मित्रों को यह जिम्मेदारी दी जाए, कि कूडा इकत्रित कर ठोस एवं तरल का पृथकीकरण की कार्यवाही हेतु पर्यावरण मित्रों को दो भागों में विभाजित किया जाय। जनसाधारण को अवगत कराये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। यदि किसी के द्वारा कूडा फैलाया जाता है, तो उन पर जुर्माने की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त स्थान गुप्तकाशी में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाये जाने हेतु जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/समस्त मोडल अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या- 1317 /33-3 (2019-20) दिनांक, रूद्रप्रयाग, दिसम्बर 23, 2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूष नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4- सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5- सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 23–11–2019 को संगम स्थल रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी नदी का संगम स्थल होने के फलस्वरूप सफाई कार्य का दायित्व नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग का है। इस सम्बन्ध में गहन चर्चा की गई।

जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये, कि नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत साफ–सफाई हेतु समय–समय पर विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कर्मी नियमित रूप से जैविक तथा अजैविक कूड़े का पृथक्कीकरण कर निस्तारण किया जाय। इसके लिये समय–समय पर जनसाधारण को जागरूक करने हेतु व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा गंगा पिकनिक कार्यक्रम के बारे मे स्पष्ट किया गया, कि मन्दाकिनी नदी एवं अलकनन्दा नदी के किनारे, उपलब्ध खुली भूमि, जिसमें कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण कर स्थान अगस्त्यमुनि/तिलवाडा आदि किसी भी क्षेत्र में स्थान चिन्हित कर कार्यक्रम किया जाय। नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत तिलवाडा/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत ऊखीमठ मे गंगा स्वच्छता कार्यक्रम किया जाय, तथा जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग की माह में 02 बैठकें पाक्षिक रूप मे नदी किनारे की जाय।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा 80 पर्यावरण मित्र रखे गये हैं, जिन्हें पूरे वर्ष रखा जाय, तथा समय पर इन्हें वेतन का भुगतान किया जाय। खांकरा मयाली, सुनाडी नगरासू में जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। इन कस्बों में गठित स्वच्छता समिति का मुख्य उद्देश्य कस्बों/क्षेत्रों को स्वच्छ रखना एवं समय–समय पर कूड़ा पृथकीकरण हेतु आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों को अवगत कराना है। ठोस एव तरल कूडे के निस्तारण के लिए उचित प्रबन्धन किया ,जाना नितान्त आवश्यक है। चार–धाम यात्रा के मध्य नजर स्थान खांकरा यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार है। कस्बों की सफाई के लिए जन सहभागिता जरूरी है। जनपद के अन्तर्गत 23 स्वच्छता समिति बनी हैं। इनकी व्यवस्था जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा कि जावेगी। जिला पंचायत के जिम्मेदारी दी गई है, कि कस्बों में पर्यावरण मित्रों को यह जिम्मेदारी दी जाए, कि कूड़ा इकट्ठा कर ठोस एवं तरल का पृथकीकरण की कार्यवाही हेतु पर्यावरण मित्रों को दो भागों में विभाजित किया जाय। जनसाधारण को अवगत कराये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय, कि यदि किसी के द्वारा कूड़ा फैलाया जाता है, तो उन पर जुर्माने की व्यवस्था की जाय।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/समस्त नोडल अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

श्री भगवानसिंह रौतेला, अध्यक्ष, स्वच्छता समिति सुमाड़ी द्वारा अवगत कराया गया है, कि समिति के पास धन की कमी होते हुये भी कूड़ेदान बनवाये गये है, तथा कूड़े की पृथकीकरण के लिये पृथक से टिन सेट बनवाया गया है। श्री रौतेला द्वारा अवगत कराया गया, कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा समय पर सफाई सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, तथा स्थान सुमाड़ी में कूड़े हेतु एक रिक्शे की मांग की गई है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी द्वारा नदियों की स्वच्छता के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, कि नदियों में बहती हुई लकड़ियों का उचित इस्तेमाल किया जाय। तथा नदी किनारे घाटों पर गंगा की स्वच्छता एवं सुन्दरता के लिये बोर्डों पर स्लोगन लिखें जांय। गोस्वामी जी द्वारा यह भी सुझाव दिये गये, कि नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा नदी किनारे सोलर लाइट लगाई जाती है, किन्तु सोलर लाइट खराब होने अथवा बैट्री चोरी होने की दृष्टिगत सोलर लाइट का एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाय, तथा बैट्री का उपयोग न किया जाय। श्री गोस्वामी द्वारा यह भी बताया गया, कि घाटों के आस-पास एवं नदी किनारे वृक्षारोपण किया जाय, जिसमें अमलतास, नीम, के पौधे लगाये जायं। श्री गोस्वामी जी द्वारा गाय पालन पर भी अपना सुझाव दिया, तथा गोबर एवं गौमूत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

श्री जगत सिंह चौधरी "जंगली" जी द्वारा गंगा स्थल रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में उपस्थित समस्त विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों, पर्यावरण मित्रों एवं स्वच्छता समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग किसी भी मायने में स्विजरलैंड से कम नहीं है। कैसे यहां जीविका का साधन बनाया जा सकता है, इसके लिये हमें सोचना चाहिये।

श्री वैभव कुमार सिंह, उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग द्वारा सभी का अभिनन्दन करते हुये बताया गया, कि जिला गंगा समिति के माध्यम से विगत कई माह में विभिन्न प्रकार के स्वच्छता कार्यक्रम जन सहभागिता के माध्यम से चलाये गये हैं। सभी ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और बैठक को सफल बनाने के लिये धन्यवाद दिया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जो योजनायें चलाई जा रही है उसका मूल उद्देश्य जन सहभागिता है। उनके द्वारा गंगा की स्वच्छता के सम्बन्ध में आम जनता को विशेष कार्यक्रमों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागृत किये जाने पर बल दिया गया।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये, कि समय-समय पर जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक नदी किनारों पर आयोजित की जाय। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/घाटों की सफाई, गंगा के किनारे बसे कस्बों में कूड़े के प्रबन्धन का कार्य नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी है। निर्देश दिये गये हैं, कि स्थान खांकरा जो कि चार धाम यात्रा के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग का पहला कस्बा है। स्वच्छता बनाये रखने हेतु स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, जो कि अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। स्थान खांकरा में कूड़े निस्तारण हेतु एक रिक्शे को उपलब्ध कराये जाने के लिये अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचयात रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये। नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं, कि एन0जी0टी0 के निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रुद्रप्रयाग का दायित्व होगा कि प्रत्येक स्वच्छता समिति को मांग के आधार पर स्वच्छता सामग्री अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाय। जिला पंचायत रुद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत कस्बों/गांवों में ट्रेंचिंग ग्राउन्ड हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। यह भी निर्देश दिये गये, कि माह में 02 बैठक गंगा संरक्षण समिति की अनिवार्य रूप से की जाय। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं, कि स्थान गुप्तकाशी में 15 पर्यावरण मित्र जो यात्रा सीजन में रखे गये हैं, उन्हें पूरे वर्ष रखा जाय।स्वच्छक कर्मियों के आवास हेतु गुप्तकाशी में पार्किंग के नीचे अपर मुख्य अधिकारी जिलापंचायत रुद्रप्रयाग/नोडल अधिकारी व्यवस्था करेंगे, तथा नोडल अधिकारी, एक सप्ताह में कृतकार्यवाही से अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही—मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/समस्त नोडल अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों,महानुभावों/गणमान्य,जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या-866 /33-3 (2017-2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग, नवम्बर,29,2019

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2— कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4— सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5— सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

श्री राकेश सिलोडियाल, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 30-09-2019 को जिला कार्यालय [illegible] जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति संलग्नक।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी नदी का संगम स्थल होने के फलस्वरूप सफाई कार्य का दायित्व नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग का है। इस सम्बन्ध में गहन चर्चा की गई।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये, कि नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत साफ-सफाई हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कर्मी नियमित रूप से जैविक तथा अजैविक कूड़े का पृथक्कीकरण कर निस्तारण किया जाय। इसके लिये समय-समय पर जनसाधारण को जागरूक करने हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा गंगा पिकनिक कार्यक्रम के बारे मे स्पष्ट किया गया, कि मन्दाकिनी नदी एवं अलकनन्दा नदी के किनारे, उपलब्ध खुली भूमि, जिसमें कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण कर स्थान अगस्त्यमुनि/तिलवाडा आदि किसी भी क्षेत्र में कार्यक्रम किया जाय। नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत तिलवाडा/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत ऊखीमठ में गंगा स्वच्छता कार्यक्रम किया जाय।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग/केदारनाथ,(अगस्त्यमुनि)/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग का नया वाटसप ग्रुप बनाया जाय, जिसमें जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों/कस्बों में गठित स्वच्छता समितियों को भी जोड़ा जाय। कूड़ा पृथक्कीकरण हेतु विशेष रूप से रुचि लेकर अभियान चलाये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग एवं परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले स्थानों पर अनिवार्य रूप से स्वच्छकों की तैनाती के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को गंगा किनारे क्षेत्रों का भ्रमण करने के उपरान्त सोलेड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग/योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग,रुद्रप्रयाग/केदारनाथ, (अगस्त्यमुनि)/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ ऊखीमठ।

(क्रमशः-2 पर)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि अगस्त्यमुनि कीडा मैदान के ठीक सामने ग्राम चाका में वर्ष 2013 में आपदा से ग्रस्तालित क्षेत्र में वन विभाग द्वारा शीत कालीन वृक्षारोपण कार्य करवाया जाय, इसके अतिरिक्त नदी किनारे छोटे–छोटे पेच के रूप में विकसित किया जाय, तथा इसकी सूचना कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन, मुख्य नमामि गंगे, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजी जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/जिला उद्यान अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनके द्वारा बताया गया कि अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी नदियों के किनारे रिक्त भूमि पर उन वृक्षों का रोपण किया जाय, जिन वृक्षों में पानी संचय करने की क्षमता अधिक हो। श्री गोस्वामी, द्वारा बताया गया कि समय–समय पर नदियों के किनारे साफ–सफाई हेतु प्रचार प्रसार कर जनजागृत कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी विभागों की सहभागिता की नितान्त आवश्यकता होगी। श्री गोस्वामी द्वारा अवगत कराया गया, कि एक चित्रनिक कार्यक्रम अगस्त्यमुनि के जगहों में रखा जाय। जिसमें ग्राम प्रधानों, महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों एवं स्वय सेवी संस्थाओं की सहभागिता भी रहे। इनके द्वारा गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता हेतु सुझाव दिया गया, कि गंगा के किनारे घाटो पर लगभग 100 मी0 की दूरी पर बोर्ड लगाये जांय। जिसमें यह उल्लेख किया जाय कि मछली पकडना/मारना निषेद्व है, जिससे देश–विदेश से आने वाले यात्रियों/पर्यटकों को यह एक अच्छा सन्देश जाय।

श्री गोस्वामी जी द्वारा यह भी सुझाव दिया गया, कि गॉव के आस–पास तथा कृषि भूमि में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुये काला बांस, लैन्टिना, तथा गाजर घास का उन्मूलन किया जाय। उनके द्वारा कहा गया कि घर–घर में कच्चे सोखता पिट बनाये जाय, ताकि पानी का संचय हो सके।

प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा सुझाव दिया गया कि वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रचार–प्रसार के लिये बच्चों की पाठ्य पुस्तकों के कवर पर नेम स्लिप आदि में वन्य जीव स्लोगन लिखे गये स्लिपों का प्रयोग किया जाय। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ऊखीमठ/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ/मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग/जिला उद्यान अधिकारी, रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये कि उप गदेरों/ नालों का चयन किया जाय, जिनमें वर्षा न पानी निकलता है, तथा गर्मियों के आते–आते धीरे–धीरे सूख जाते हैं। तत्पश्चात नागपुर के ग्राम–प्रधानों, अधिशासी अभियन्ता, लोदरा, जाखणी, गडमिल, गन्धारी, सन्, कमेडा, चामक, स्यूण्ड आदि स्थानीय नामों से निकलने वाले छोटे गदेरों/नालों का नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत संरक्षण किया जाय,

(क्रमशः–3 पर)

जिसमें चाल–खाल / चैक डैम / कन्टूर नालियों / खनतियों तथा वृक्षारोपण कार्य कर जल संचय कार्य (क्रमश–2 पर) किया जा सके। इस सम्बन्ध में वन विभाग रूद्रप्रयाग को नदी किनारे स्थान कोठगी–मटवाडी, धारकोट, निरवाली, आदि स्थानों पर लगभग 5 से 10 है0 वृक्षारोपण क्षेत्र चयनित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी / उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग / उप जिलाधिकारी– रूद्रप्रयाग / ऊखीमठ / जखोली / बसुकेदार / परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग / अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग / केदारनाथ / मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग / जिला उद्यान अधिकारी, रूद्रप्रयाग / योजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,श्रीनगर गढवाल)

अन्त में जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों / गणमान्य, जनप्रतिनिधियों / अधिकारियों / कार्मिको को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 388 /33–3 (2017–2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग, अक्टूबर, 31 ,2019

प्रतिलिपि –– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूपं नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

25661

:: आदेश ::

स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत चारधाम यात्रा मार्ग को मध्य नजर रखते हुये दिनांक 05, मार्च, 2019 को स्थान मयाली में अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में प्रधान ग्राम सभा मयाली, अध्यक्ष, व्यापार संघ, अध्यक्ष महिला मंगलदल, अध्यक्ष, टैक्सी यूनियन एवं व्यापारियों, ग्राम वासियों के साथ मयाली बाजार एवं ग्राम को स्वच्छ बनाये रखने हेतु एक बैठक आहूत की गई, बैठक में सर्व सम्मति से स्वच्छता समिति बनाये जाने हेतु निम्न प्रकार से स्वच्छता समिति का गठन किया जाता है :–

1–	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सकलानी	–	अध्यक्ष
2–	श्री प्रेम सिंह नेगी	–	सदस्य
3–	श्री अजय सकलानी	–	सदस्य
4–	श्री सुनील सेमवाल	–	सदस्य
5–	श्री हरीश पुण्डीर	–	सदस्य
6–	श्री नरेन्द्र दत्त	–	सदस्य
7–	श्री जगदीश चन्द्र गोदियाल	–	सदस्य
8–	श्री पवन काली	–	सदस्य
9–	श्री अरूण काला	–	सदस्य
10–	श्रीमती देवेश्वरी देवी	–	सदस्य
11–	श्री भजन सिंह बुटोला	–	सदस्य
12–	श्री राजेन्द्र सिंह बुटोला	–	सदस्य
13–	श्रीमती शैला देवी	–	सदस्य
14–	श्री संजय प्रसाद काला	–	सदस्य
15–	श्रीमती बसु काला	–	सदस्य
16–	श्रीमती विमला काला	–	सदस्य
17–	श्री संजय प्रसाद सेमवाल	–	सदस्य
18–	श्री गिरीश धनियाल	–	सदस्य
19–	श्री गोपाल काला	–	सदस्य
20–	श्री अनिल नेगी	–	सदस्य
21–	श्री दिगपाल सिंह नेगी	–	सदस्य

उपरोक्त स्वच्छता समिति द्वारा समय–समय पर स्थान मयाली एवं ग्राम में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजन किया जायेगा। तथा इस सम्बन्ध में जिला गंगा संरक्षण समिति को भी अवगत कराया जायेगा।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग।

संख्या–1589 /33–नमामि गंगे (2018–19) दिनांक, रूद्रप्रयाग, 05, मार्च, 2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– उप वन संरक्षक/सदस्य एवं संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग।
5– उप जिलाधिकारी, जखोली।
6– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग।
7– परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग।
8– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तिलवाडा।
9– सम्बन्धित पदाधिकारीगण/सदस्यगण।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

25662

:: आदेश ::

नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 20, फरवरी, 2019 को स्थान सुमाडी में अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में अध्यक्ष, व्यापार संघ, अध्यक्ष महिला मंगलदल, व्यापारियों, ग्राम वासियों के साथ समस्त विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के साथ सफाई कार्य किया गया। सुमाडी बाजार एवं ग्राम को स्वच्छ रखने हेतु बैठक में सर्व सम्मति से ग्राम एवं बाजार सुमाडी की स्वछता बनाये रखने हेतु निम्न प्रकार से स्वच्छता समिति का गठन किया जाता है :-

1-	श्री वाचस्पति सेमवाल	-	संरक्षक
2-	श्री भगवान सिंह	-	अध्यक्ष
3-	श्रीमती शान्ति भट्ट	-	उपाध्यक्ष
4-	श्री शिशुपाल सिंह नेगी	-	कोषाध्यक्ष
5-	श्री सुदर्शन रौथाण	-	सचिव,
6-	श्री कुशलानन्द भट्ट	-	सदस्य
7-	श्री कपूरसिंह रावत	-	सदस्य
8-	श्री चिरंजी प्रसाद सेमवाल	-	सदस्य
9-	श्रीमती बीना रावत	-	सदस्य
10-	श्री मोहन सिंह चौहान	-	सदस्य
11-	श्री मुकेश कण्डारी	-	सदस्य
12-	श्री भरत सिंह जगवाण	-	सदस्य
13-	श्रीमती विजय लक्ष्मी भट्ट	-	सदस्य
14-	श्रीमती गणेशी देवी प्रधान ग्राम सभा सुमाडी-		सदस्य
15-	श्री सन्दीप चौहान	-	सदस्य
16-	श्रीमती सुलोचना देवी	-	सदस्य
17-	श्री बहादुर सिंह रावत	-	सदस्य
18-	श्रीमती सीमा बिष्ट	-	सदस्य
19-	श्रीमती अभिलाषा बिष्ट	-	सदस्य
20-	श्री विक्रम सिंह सजवाण	-	सदस्य

उपरोक्त स्वच्छता समिति द्वारा समय-समय पर स्थान सुमाडी एवं ग्राम में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजन किया जायेगा। तथा इस सम्बन्ध में जिला गंगा संरक्षण समिति को भी अवगत कराया जायेगा।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग।

संख्या- /33-नमामि गंगे (2018-19) दिनांक, रूद्रप्रयाग, 05, मार्च, 2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
2- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड देहरादून।
3- मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4- उप वन संरक्षक/सदस्य एवं संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग।
5- अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग।
6- परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग।
7- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तिलवाडा।
8- सम्बन्धित पदाधिकारीगण/सदस्यगण।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

जनपद रूद्रप्रयाग में (04 दिवसीय) दिनांक 18 से 21, फरवरी, 2019 तक "गंगा उत्सव" कार्यक्रम आयोजन के तहत दिनांक 20.02.2019 को जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में स्थान सुमाड़ी (तिलवाड़ा) में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक एवं स्थान सुमाड़ी के नदी किनारे नमामि गंगे के अन्तर्गत स्वच्छता कार्यक्रम का कार्य वृत्त :-

जनपद रूद्रप्रयाग में 04 दिवसीय गंगा उत्सव के आयोजन के तहत दिनांक 20.02.2019 को स्थान सुमाड़ी (तिलवाड़) में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सुमाड़ी के समीपस्थ विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के द्वारा अपने-अपने विद्यालयों से स्वच्छता रैली निकाल कर हाथों में स्वच्छता सम्बन्धी तख्तियों पर लिखे स्लोगन/चित्रण/बैनर सहित स्वच्छता के नारे लगाते हुये आयोजित स्थल तक पहुंचे।

कार्यक्रम में उपस्थित महिला मंगल दल जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों/व्यपार मण्डल सुमाड़ी के प्रतिनिधियों के द्वारा उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा मा0 प्रधानमंत्री, जी0 भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गये उद्बोधन में हम सबका कर्तव्य होगा, कि हम अपने घर से स्वच्छता बनाते हुये अपना गांव, अपना नगर, अपना शहर, अपना क्षेत्र, अपना जनपद को स्वच्छ बनायें तो स्वतः ही हमारा राष्ट्र स्वच्छता की श्रेणी में अग्रणी रहेगा, स्थान सुमाड़ी चारधाम यात्रा की आगमन में अग्रणीय स्थल है, सुमाड़ी पुल से लेकर सूर्यप्रयाग पुल तक सड़क से नीचे की ओर नदी तल तक गन्दगी केदारनाथ हाईवे से वाहन से गुजरते हुये प्रत्येक नागरिक/यात्री को दूर से ही दिखायी देता है। जोकि अशुभनीय प्रतीत होता है, विगत वर्ष भी गंगा उत्सव के तहत सुमाड़ी में स्थानीय लोगों के मध्य बैठक एवं स्वच्छता अभियान चलाते हुये सुमाड़ी की स्थिति नहीं सुधर पायी स्थानीय बाजार के व्यापारियों एवं किरायदारों द्वारा घर/दुकान कूड़ा सड़क से नीचे इधर-उधर फेंका जा रहा है, जोकि खेद का विषय है। कूड़ा निस्तारण हेतु मकान मालिक/किरायेदार/व्यापारि को दुकान वाले कूड़ादान अपने-अपने घरों के बाहर रखने होंगे तथा सफाई मित्र को गांव वालों द्वारा प्रतिमाह रू0 30.00 तथा व्यापारियों द्वारा रू 100.00 देने से सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से गतिमान रहेगी। सफाई मित्र द्वारा कूड़ा एक स्थान पर संकलित किया जायेगा, तथा सिंचाई विभाग कूड़ों को उठाने हेतु बजट/व्यवस्था उपलब्ध करवायेगा। सुमाड़ी के तीन स्थानों पर जैविक अजैविक कूड़ादान बनाकर समिति की सहभागिता से कूड़े को एक स्थान पर एकत्रित किया जायेगा। पुलिस/राजस्व विभाग द्वारा सभी किरायेदारों को संज्ञान में जाये। तथा किरायेदारों द्वारा अपने शौचालयों का प्रयोग किया जावे। नदी तल पर गन्दगी फैलाने वाले नेपाली श्रमिकों को पहचान की जाये व श्रमिकों/मकान मालिक को इस कृत्य हेतु जुर्माना लगाया जावे। सुमाड़ी बाजार को भविष्य में नगर पंचायत क्षेत्र में जोड़ा जाये जिसे की नगर की स्वच्छता सुन्दरता बनी रहें। इसी प्रकार चन्द्रापुरी बाजार, मयाली बाजार, गुप्तकाशी बाजार, के नगर पंचायत में न होने से ग्राम पंचायत में होने पर कूड़ा निस्तारण हेतु कठिनाई सामने आ रही है। सुमाड़ी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत बैठक में स्वच्छता समिति का गठन किया गया, यह समिति समय-समय पर बैठक कर स्वच्छता में आरही कठिनाईयों को दूर करेगी, तथा स्वजल विभाग द्वारा ग्राम स्वच्छता के अन्तर्गत समिति को आवश्यक बजट उपलब्ध करवायेगा। समिति में छः सदस्य ग्रामीण क्षेत्र तथा छः सदस्य व्यापार संघ से चयनित किये गये 1- श्री महवीर सिंह, अध्यक्ष, 2- श्रीमती शांति भट्ट, 3- श्री शिशुपाल सिंह, 4- श्रीमती शांति नौटियाल, 5- श्री सुदर्शन रौथाण, 6- श्री मुकेश कण्डारी, 7- श्री वाचस्पति सेमवाल, 8- श्री भरत सिंह

(-2-)

उपाध्यक्ष, 9— श्री लक्ष्मी प्रसाद डिमरी, 10— श्रीमती विजयलक्ष्मी भट्ट, 11— श्रीमती विनिता रावत, 12— कपूर सिंह को सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है।

चारधाम यात्रा आरम्भ होने से पूर्व जिला पंचायत एवं सिंचाई विभाग की मदद से सुमाड़ी नदी तल का कूड़ा एकत्रित कर हटा दिया जायेगा तथा सुमाड़ी बाजार में 03 से 04 सी0सी0 टी0वी0 कैमरे लगाये जायेंगे, जिससे की कूड़े को फेंकने वालों पर निगरानी रखी जा सके।

व्यापार संघ के प्रतिनिधि श्री जगवाण जी द्वारा यह बताया गया कि विगत 20 वर्षों से लो0नि0वि0 द्वारा तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग के सुमाड़ी स्थित नालियों में थोड़ी भी बरसात के समय पानी इकट्ठा हो जाता है, तथा सड़क पर फैल जाता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नालियों की मरम्मत/सफाई नहीं की गयी है।श्री जगवाण द्वारा यह भी बताया गया कि सुमाड़ी गांव के रास्ते प्रवेश द्वार तक जाने वाले दोनो रास्तो में नालियों में जल संस्थान द्वारा पाईप लाईन बिछाई गयी है, जिस कारण पानी एवं कूड़ा सड़क मार्ग पर फैल जाता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कूड़ा निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाये।

श्रीमती शांति भट्ट द्वारा गंगा सफाई अभियान पर अपने विचारों में यह कहा गया कि सुमाड़ी बाजार में जिला पंचायत एवं व्यापार संघ द्वारा एक-एक सफाई मित्र रखे गये है। लेकिन घरों की सफाई का कूड़ा आज भी सड़क के इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ है। यदि प्रत्येक मकान मालिक/किरायेदार अपने घर अथवा दुकान के पास थैलों में कूड़ा इकट्ठा करें, तथा सफाई मित्र इसे एक स्थान पर एकत्रित करें। ग्राम पंचायत कूड़ा निस्तारण हेतु जैविक-अजैविक कूड़ादान बनाये, जिससे कि नगर की सफाई बनी रहे। लो0नि0वि0 की नाली से घरों का जो पानी इकट्ठा होकर बहता है, वह सीधे नदी में गिर जाता है, इसके रोकथाम हेतु रक्षेनी लॉज के आसपास एक सुख्ता पिट् बनाया जाये, तथा दूसरा डिमरी लॉज के आस-पास सुख्ता पिट् बनाया जाय। इसके लिये जिला पंचायत ग्राम पंचायत को बजट उपलब्ध करवाये। नदी तल से लगे दीवार के मध्य सुख्ता पिट् बनाये जाये।

अन्त में जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य/जनप्रतिनिधियो /अधिकारियों/कार्मिकों का उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या /33-3 (2017-18) दिनांक, रूद्रप्रयाग, फरवरी, 2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2— समस्त जनपद स्तरीय, अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3— कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5— सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 08–02–2019 को श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1– डा0 एस0के0 झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2– श्री देवानन्द, उपजिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– श्री एम0एस0 नेगी, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग।
4– श्री विमल प्रसाद, एल0आई0यू0, रूद्रप्रयाग।
5– श्री पूरण सिंह तोमर, पुलिस विभाग, रूद्रप्रयाग।
6– श्री प्रताप सिंह बिष्ट, अधि0अभि0 सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग।
7– श्री महिपाल सिंह सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8– श्री सुशांक सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
9– ज्योति सुन्दियिाल, अपर जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
10– श्री एल0एस0 दानो, उप जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
11– श्री संजय रावत,अधिशासी अशिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग।
12– श्री आई0एल0 आर्य, प्रधान सहायक, जिला कार्यालय, रूद्रप्रयाग।
13– श्री चण्डीप्रसाद चौकियाल, वन दरोगा, वन विभाग, रूद्रप्रयाग।

———————0———————

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा जनपद से गुजरने वाली नदियों/ नालों/घाटों को स्वच्छ रखने एवं स्वच्छता मिशन को जन–जन तक पहुँचाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई, व सदस्यों से सुझाव लिये गये।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निदेशक, परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामी गंगे देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र सं0–147/SPMG/MGRNA/I EC/ACHVITIVE दिनांक 06.02.2019 के निर्देशों के क्रम मे निर्देशित किया है, कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड, द्वारा राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति आमजनमानस को जागरूकता/संवेदीकरण किये जाने के दृष्टिगत सूचना शिक्षा एवं संचार (आई. ई.सी.) गतिविधियों के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2019 से दिनांक 21.02.2019 तक जनपद रूद्रप्रयाग में 04 दिवसीय "गंगा उत्सव" कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। गंगा उत्सव के अंतिम समापन दिवस 21.02.2019 को मा0 मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमायी उपस्थिति में किया जाना है। उक्त कार्यक्रम हेतु श्री सुनील कुमार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढवाल एवं श्री पूरन चन्द कापडी, संचार विशेषज्ञ एस.पी.एम.जी. को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इस संबंध मे सिंचाई विभाग, श्रीनगर गढवाल द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त गंगा उत्सव कार्यक्रम दिनांक 18.02.2019 से दिनांक 21.02.2019 तक 04 दिवसीय जनपद ———

कार्यवृत्त 02 पर

रूद्रप्रयाग के विभिन्न स्थानों पर आयोजन हेतु श्री सुनील कुमार अभिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड श्रीनगर गढवाल एवं श्री पूरन चन्द थपलियाल, संचार विशेषज्ञ एस0पी0एम0जी0 को नोडल अधिकारी नामित किये जाने के फलस्वरूप तिथिवार कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध मे परियोजना प्रबन्धक स्वजल/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग /उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग से समनवय स्थापित करते हुये यथा कार्ययाही से जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को अवगत करायेंगे।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि दिनांक 18.02.2019 को परियोजना प्रबन्धक स्वजल/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग रैली कार्यक्रम का आयोजन करायेंगे। जो कि पुराने बस अड्डे से गुलाबराय तक होगी, जिसमे जिला शिक्षा अधिकारी व्यवस्था अनुसार प्राइवेट विद्यालयों से भी सम्पर्क कर छात्र–छात्राओं को रैली हेतु उपलब्ध करवायेंगे, तथा पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग स्थान रूद्रप्रयाग एवं अगस्त्यमुनि मे कार्यक्रम/रैली में सुरक्षा व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढवाल/संचार विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0 (नोडल अधिकारी)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि दिनांक 19.02.2019 को अगस्त्यमुनि में 02 किमी0 मैराथान दौड़ का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी आयु वर्ग के महिला/पुरूष प्रतिभाग करेंगें। पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग मैराथान दौड की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा स्थान विजयनगर मे गंगा घाट की साफ–सफाई की जायेगी जिसमें स्थानीय व्यापार मंण्डल/युवक मंगल दल/महिला मंगल दल/जनप्रतिनिधियों/छात्र– छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढवाल/संचार विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0 (नोडल अधिकारी)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि दिनांक 20.02.2019 को गंगा घाट सफाई के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया जायेगा जिसमे व्यापार संघ, अन्य जनप्रतिनिधि तथा विद्यालयी छात्र–छात्राओं को सम्मिलित करते हुये नदी के आस–पास के क्षेत्र मे वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया जायेगा। सफाई कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने वाले छात्र–छात्राओं एवं अभिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढवाल/संचार विशेषज्ञ,एस.पी.एम.जी.

क्रमशः 03 पर

एस0पी0एम0जी0 (नोडल अधिकारी) द्वारा दस्तानों की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त स्वजल द्वारा बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल/संचार विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0 (नोडल अधिकारी)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये है, कि दिनांक 21.02.2019 को नदी तट से लगे 12 ग्रामों की महिला मंगल दलों को इस कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, विद्यालयों के छात्र–छात्राओं एवं महिला समूहों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा तथा मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री द्वारा पुरस्कार वितरित किया जायेगा।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल/संचार विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0 (नोडल अधिकारी)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 2236 /33–3 (2017–2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग, फरवरी, 14 ,2019.

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 22–01–2019 को श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1– श्री पी0एस0 बिष्ट,अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग।
2– श्री महिपालसिंह सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
3– श्री हरेन्द्रसिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।
4– श्री प्रेमकुमार, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई,(गंगा) पेयजल नि0 श्रीनगर गढवाल।
5– श्री अनुराग मैठाणी, सहा0 अभियन्ता, पेयजल निर्माण निगम, श्रीनगर गढवाल।
6– श्री राजवेन्द्रसिंह बंगारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, तिलवाडा।
7– श्री संजय रावत,अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग।
8– श्री चण्डीप्रसाद चौकियाल, वन दरोगा, वन विभाग, रूद्रप्रयाग।
9– श्री आई0एल0 आर्य, प्रधान सहायक, जिला कार्यालय, रूद्रप्रयाग।
10– श्री राजवीरसिंह भण्डारी, कनिष्ठ सहायक, सूचना विभाग।
11– श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, श्री अगस्तया संगीतालय, पर्यावरणविद, अगस्त्यमुनि।

———————————0———————————

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा जनपद से गुजरने वाली नदियों/नालों/घाटों को स्वच्छ रखने एवं स्वच्छता मिशन को जन–जन तक पहुँचाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई, व सदस्यों से सुझाव लिये गये।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में निर्मित 07 घाटों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में अवगत कराया गया है, कि 05 घाट जिनका निर्माण कार्यदायी संस्था वैपकोस लि0 के द्वारा एवं 02 घाटों का निर्माण कार्य सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग द्वारा किया जा रहा है। इन घाटों का रख–रखाव सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा, तथा घाटों की स्वच्छता बनाये रखने हेतु सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत द्वारा स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों से समय–समय पर सहयोग लिया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूदप्रयाग/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाडा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा कोटेश्वर घाट जिसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा किया जा रहा है, एवं अन्य घाटों के सौन्दीयकरण के लिये सोलर लाईट, असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं जगह–जगह पर स्वच्छता से सम्बन्धित श्लोगन लिखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूदप्रयाग/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाडा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई,(गंगा) पेयजल नि0 श्रीनगर गढवाल द्वारा नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत STP प्लांटों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, कि STP प्लांटों का अवशेष कार्य 15, फरवरी, 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अवशेष STP प्लांटों के कार्यों

(क्रमशः–2)

के शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये, तथा पुराना जज कोर्ट, रूद्रा कॉम्पलैक्स, एवं काली कमली धर्मशाला के नालों को भी STP प्लांट से जोडे जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाडा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई,(गंगा) पेयजल नि० श्रीनगर गढवाल।)

श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनके द्वारा बताया गया कि जिला संरक्षण समिति को नदियों के किनारे वृक्षों का रोपण हो, जिन वृक्षों में पानी संचय करने की क्षमता अधिक हो। श्री गोस्वामी, द्वारा बताया गया कि समय-समय नदियों के किनारे साफ-सफाई हेतु प्रचार प्रसार कर जनजागृत कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी विभागों की सकीय सहभागिता की नितान्त आवश्यकता होगी। इनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि नव निर्मित भवनों/आवासों के आगन में पत्थरों की पठालों का प्रयोग किया जाय एवं पत्थरों से सोख पिट भी बनाये जांय,ताकि जल का संचय किया जा सके। जंगलों में पत्थरों से निर्मित जलसंग्रहण टैंकों का निर्माण किया जाय।
तथा वृक्षारोपण हेतु अगस्त्यमुनि के सामने वाला क्षेत्र चाका (वर्ष 2013 में आपदा से भूस्खलित क्षेत्र) में राम बांस, बांस, आंवला आदि पौधों का रोपण कर भूस्खलन की रोकथाम की जा सकती है। श्री गोस्वामी जी द्वारा यह भी सुझाव दिया गया, कि आगामी माह-फरवरी में गंगा संरक्षण पिकनिक कार्यक्रम बनाया जाय, जिसमें विद्यालयो के छात्र-छात्राओं, क्षेत्रीय जनपतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को जंगल भ्रमण करवाया जाय, जिसका चयन वन विभाग द्वारा किया जाय। इनके द्वारा गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता हेतु सुझाव दिया गया, कि गंगा के मूल श्रोत के समीपस्त ग्रामों से जैसे त्रियुगीनारायण आदि ग्रामों से क्षेत्रीय जनता/विद्यालय के विद्यार्थियों/स्वंय सेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम प्रारम्भ करते हुये नीचे क्षेत्रों की ओर किया जाय।

(कार्यवाही—मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षाधिकारी, रूद्रप्रयाग/समस्त उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाडा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई,(गंगा)पेयजल नि० श्रीनगर गढवाल)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि सम्बन्धित क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाय जिसमें विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, क्षेत्रीय जनपतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों के माध्यम से वृक्षारोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जाय। गंगा संरक्षण पिकनिक प्वांइट के रूप में पपडासू के पास विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ स्वच्छता कार्यक्रम के साथ-साथ ज्ञान वर्धक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय। वन विभाग, रूद्रप्रयाग को यह भी निर्देश दिये गये हैं, कि अलकनन्दा नदी एवं मन्दाकिनी नदी के दोनों तटों पर वृक्षारोपण हेतु स्थान चयनित कर आगामी वर्षाकाल में पौध रोपण कर छोटे-छोटे पैचों के रूप में विकसित किया जाय।

(क्रमशः—3)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये, कि सम्बन्धित घाटों पर छायादार वृक्षों एवं फूलों का रोपण किया जाय, तथा इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण मित्रों से आवश्यक सहयोग लेकर सौन्दर्यीकरण किया जाय। घाटों पर गंगा आरती के सम्बन्ध में ऋषिकेश/हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जाय, इसके लिये स्थानीय जनप्रतिनिधियों/सम्भ्रान्त व्यक्तियों/आयोजकों/स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ एक बैठक का आयोजन कर सर्वसम्मति से प्रति दिन भव्य रूप में गंगा आरती प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय/विचार विमर्श किया जाय।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा वन विभाग रूद्रप्रयाग को अलकनन्दा नदी किनारे स्थान कोठगी–भटवाडी से निरवाली तक वृक्षा रोपण किये जाने तथा नर्सरी हेतु स्थल चिन्हित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा जिला गंगा संरक्षण समिति की आगामी बैठक स्थान सं. प्रयाग में आयोजित किये जाने हेतु वन विभाग रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूदप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/मुख्य शिक्षाधिकारी, रूद्रप्रयाग/समस्त उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाडा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई,(गंगा)पेयजल नि0 श्रीनगर गढवाल)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रति निधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(गंगेश धिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 2000 /33–3 (2017–2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जनवरी, 30, 2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 13–12–2018 को श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1– श्री देवानन्द उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2– श्री पी0एस0 बिष्ट,अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग।
3– श्री एम0एस0 नेगी, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग।
4– श्री वाई0एस0 बर्त्वाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)
5– श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद।
6– श्री राजवेन्द्रसिंह बंगारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तिलवाडा।
7– श्री जी0पी0 रिंह, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।
8– श्री राजेन्द्र गौड, इंजिनियर, एस0टी0पी0 रूद्रप्रयाग।
9– श्री अनुराग मैठाणी, सहा अभियन्ता, पेयजल निर्माण निगम, श्रीनगर गढवाल।
10– श्री चण्डीप्रसाद घौकियाल, वन दरोगा, वन विभाग, रूद्रप्रयाग।
11– श्री आई0एल0 आर्य, प्रधान सहायक, जिला कार्यालय, रूद्रप्रयाग।
12– श्री राजेन्द्रसिंह रावत, क0लि0, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग।

———————————0———————————

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा जनपद से गुजरने वाली नदियों को स्वच्छ रखने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में चर्चा की गई, व सदस्यों से सुझाव लिये गये।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये हैं, कि उन गधेरों/नालों का चयन किया जाय, जिनमें वर्षात में पानी निकलता है, तथा गर्मियों के आते–आते धीरे–धीरे सूख जाते हैं। मणिगुह–भटवाडी के निकटस्त ग्राम खाल्यूं में पानी की कमी के दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक घरों में वर्षाती जलसंरक्षण टैंक बनाये जाने एवं प्राकृतिक जल श्रोतों को संरक्षित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि तल्ला नागपुर पट्टी के क्षेत्र कुणजण, क्वीली, बज्यूण, लोदला, जाखणी, गडमिल, गंधारी, सन, कमेडा, चामक, स्यूंड आदि स्थानों से निकलने वाले छोटे–छोटे गधेरों/नालों का नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत संरक्षण किया जा सकता है, जिसमें चाल–खाल/चैक डैम/कन्टूर नालियॉं तथा वृक्षा रोपण आदि कार्यकर जलसंचय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि भरदार पट्टी के क्वीली भरदार गधेरे को भी संरक्षित किया जा सकता है।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग)

श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनके द्वारा बताया गया कि जिला संरक्षण समिति को नदियों के किनारे वृक्षों का रोपण हो, जिन वृक्षों में पानी संचय करने की क्षमता अधिक हो। श्री गोस्वामी, द्वारा बताया गया कि समय–समय नदियों के किनारे साफ–सफाई हेतु प्रचार प्रसार कर जनजागृत कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी विभागों की सक्रीय सहभागिता की नितान्त आवश्यकता होगी।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा वन विभाग रूद्रप्रयाग को नदी किनारे स्थान कोठगी–भटवाडी से निरवाली तक वृक्षा रोपण किये जाने तथा नर्सरी हेतु स्थल चिन्हित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु घाटों पर गंगा स्वच्छता के श्लोगन सहित

(क्रमश–2)

बोर्ड स्थापित किये जाने के लिये सिंचाई विभाग, वन विभाग, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि एवं नगर पंचायत तिलवाडा को निर्देश दिये गये।

वन विभाग रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये कि वृक्षारोपण हेतु अगस्त्यमुनि के सामने वाला क्षेत्र चाका (वर्ष 2013 में आपदा से भूस्खलित क्षेत्र) में सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत गड्ढे खुदान किये जायेगें तथा वन विभाग द्वारा आंवला आदि शीत कालीन पौध आपूर्ति की जायेगी। आगामी तिथि पर स्वच्छता अभियान के तहत क्षेत्र को आदर्श वृक्षा रोपण के रूप में विकसित किया जायेगा।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान/पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी, बसुकेदार, जखोली/रूद्रप्रयाग अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्,रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाडा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद द्वारा यह भी सुझाव दिये कि महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों के माध्यम से श्रमदान के तहत ग्राम वनों में वृक्षारोपण किये जाय, जिसमें मेण्डुला, रीठा, आंवला, सहतूत, सिंयाली की पौधों को रोप कर ग्रामीणों की आजीविका को बढाया जा सकता है। श्री गोस्वामी जी, द्वारा नदी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाये जाने हेतु समय–समय पर स्वच्छता अभियान चलाये जाने पर बल दिया, कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नदी के किनारे प्लास्टिक कचरा एवं कांच आदि गिराया जाता है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारी–नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाडा/नगर पंचायत ऊखीमठ को चिन्हित घाटों के आस–पास सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जांय, जिससे कि इन क्षेत्रों में कूडा, कचरा, फेंकने वालों की पहिचान हो सके तथा उन्हे दण्डित किया जा सके। समस्त उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग एवं समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया, कि मुख्य बाजारों में प्रत्येक दुकानदार द्वारा अनिवार्य रूप से अच्छे कूडादान रखा जाये, तथा पौलीथीन के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध हेतु समय–समय पर छापे मारे जायं एवं दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाय। समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत रूद्रप्रयाग को यह भी निर्देश दिये गये हैं, कि वह अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत दुकानदारों की सूची उपलब्ध कराई जाय, जिनके द्वारा अच्छी डेस्टवीन रखी गई है, तथा जिनके द्वारा डेस्टवीन नहीं रखी गई।

(कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाडा/ ऊखीमठ/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक, 13–12–2018 को राष्ट्रीय राजमार्ग 109 रूद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड तक निरीक्षण के दौरान पाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यदायी संस्थाओं के श्रमिकों के द्वारा नदी के किनारे अपने आवासीय टेन्ट लगाये गये हैं, जिनके द्वारा नदी के किनारे खुले में शौच किया जा रहा है, क्यों कि कार्यदायी संस्था द्वारा इनके लिये अस्थाई शौचालयों की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कम में कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है, कि वह मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नदीतल

(क्रमशः–3)

से 200 मी0 की दूरी पर श्रमिकों के अस्थाई आवासीय एट मय शौचालय बनाये जांय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था के विरूद्व धारा 133 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाय।

अतः उक्त के क्रम में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष, समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका/नगर पंचायत, समस्त वन क्षेत्राधिकारी, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 109 के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है, कि समय-समय पर नदी के किनारे कार्यदायी संस्थाओं के साथ निरीक्षण कर नदी की स्वच्छता बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/समस्त उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग,रूद्रप्रयाग /अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग/केदारनाथ(अगस्त्यमुनि)/समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका/नगर पंचायत, रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद अन्तर्गत नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर से यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये गये। गंगा सुरक्षा/स्वच्छता के सम्बन्ध में जनपद के सभी अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग एवं नगर पंचायतों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी,रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया, कि आगामी गंगा संरक्षण समिति की बैठक/स्वच्छता कार्यक्रम हेतु स्थान चन्द्रापुरी में नदी तल के साथ-साथ चन्द्रापुरी गधेरे में व्यापक अभियान चलाया जायेगा, गंगा संरक्षण समिति द्वारा आगामी बैठक पर स्थान कोटेश्वर,धोलतीर में घाटों के निर्माण कार्यों का तथा एक एस0टी0पी0 का भी निरीक्षण किया जायेगा।

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 1303 /33-3 (2017-2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग, 15 फरवरी ,2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यकन निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– सम्बन्धित विभाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 26–11–2018 को श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में पुराने विकास भवन सभागार रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1– श्री मयंक शेखर झा, उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग।
2– श्री एन0एस0 रावत, मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– श्री इन्द्र बोस, ई0ई0 लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग।
4– श्री संजयसिंह ई0ई0 जल संस्थान, रूद्रप्रयाग।
5– श्री नवल कुमार, ई0ई0 पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग।
6– श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग।
7– श्री संजयसिंह रावत, अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग।
8– श्री हरेन्द्रसिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।
9– श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद (नामित सदस्य)
10– श्री पूरनसिंह नेगी, उद्योग संघ प्रतिनिधि (नामित सदस्य)
11– श्री मदमहेश्वर प्रसाद शुक्ला, जिला सूचना विभाग, रूद्रप्रयाग।
12– श्री चण्डीप्रसाद चौकियाल, वन दरोगा, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा जनपद से गुजरने वाली नदियों को स्वच्छ रखने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में चर्चा की गई, व सदस्यों से सुझाव लिये गये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनके द्वारा बताया गया कि जिला संरक्षण समिति को नदियों के किनारे वृक्षों का रोपण हो, जिनकी पानी संचय करने की क्षमता अधिक हो। श्री गोस्वामी, द्वारा बताया गया कि समय–समय नदियों के किनारे साफ–सफाई हेतु प्रचार प्रसार कर जनजागृत कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, उन को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाया जाय। इसके अतिरिक्त श्री गोस्वामी, द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत नाली निर्माण का कार्य गुणवता के आधार पर किया जाय। श्री गोस्वामी जी के द्वारा अवगत कराया गया कि जंगलों में चाल–खाल, कंटूर नालियों का निर्माण किया जाय, जो कि 2 से 3 मी0 की दूरी पर बनाये जायं एवं जाल खालों में एकत्रित जल से क्षेत्र में नमी बनी रहेगी, जिससे वनाग्नि की घटनाओं में कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है,कि एक मी0 गहरी नालियों का भी निर्माण किया जाय जिससे जल संचय हो पाये। चाल–खाल एवं नालियों के किनारे बांस पौध एवं स्थानीय सीवाली नामक पौध की कलमें लगाई जाय।

श्री गोस्वामी द्वारा अवगत कराया गया है, कि श्री केदारनाथ धाम की पवित्रता एवं स्वच्छता के दृष्टिगत रखते हुये हैली सेवाओं, पर्वतारोहण, बुग्यालों में आवागमन पर प्रदूषण की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ समय–समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय। इनके द्वारा बताया गया कि गंगा की स्वच्छता को बनाये रखने हेतु नदियों के किनारे मछलियों के संरक्षण हेतु अन्याहरण बनाये जाय।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग को नदी किनारे स्थान भटवाडी से निरवाली तक नदी के किनारे–किनारे शीत कालीन वृक्षा रोपण एवं सौडी के नीचे नदी किनारे वृक्षा रोपण किये जाने तथा स्थल चिन्हित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत तिलवाडा/नगर पंचायत ऊखीमठ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु घाटों पर गंगा स्वच्छता के श्लोगन सहित बोर्ड स्थापित किये जाने तथा घाटों पर जाली लगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि एवं नगर पंचायत तिलवाडा को ट्रैचिंग ग्राउन्ड के लिये भूमि चयन/हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु यथा शीघ्र पत्रावली तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालयों में एन0सी0सी0 के विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों को लेकर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये एवं बाजारों में कूडा निस्तारण हेतु प्रथक–प्रथक फैन्सी डेस्टबीन जोडों के रूप में लगवाये जांय तथा चन्द्रपुरी आदि मुख्य बाजारों में व्यापक रूप से सफाई अभियान हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जायं।

(क्रमशः–2 पर)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति की आगामी बैठक हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत राजअधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद रूद्रप्रयाग को भी उपस्थित हेतु पत्रालेख निर्गत किये जांय।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों को यह भी निर्देश दिये गये कि जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक प्रत्येक माह में पाक्षिक रूप से अनिवार्यतः आयोजित की जाय।

जिलाधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा घाटों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि कोटेश्वर घाट में 60 प्रतिशत कार्य, घोलतिर घाट में 40 प्रतिशत की प्रगति बताई गई है, तथा माह दिसम्बर, 2018 तक कार्य पूर्ण किये जाने को कहा गया है। यह भी अवगत कराया गया है, कि एस0टी0पी0 के अन्तर्गत 03 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा 03 में 30 प्रतिशत कार्य प्रगति में बताया गया है।

इस सम्बन्ध में अपूर्ण कार्यों की धीमी गति पर जिलाधिकारी द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया है, तथा उपरोक्त अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूदप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाडा/नगर पंचायत ऊखीमठ/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/पेयजल निगम/जल संस्थान/लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायत राजअधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य,जनप्रतिनिधियों / अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(नगेश धिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– ९५० /33–3 (2017–2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग,नवम्बर,26,2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 19–09–2018 को श्री नगेश बिष्ट्वाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1– श्री एएस0 गुन्जाल, जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2– श्री एम0एस0 नेगी, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग ।
3– श्री महिपाल सिंह सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– श्री पी0एस0 बिष्ट,अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग।
5– श्री संजयसिंह रावत, अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग।
6– श्री हरेन्द्रसिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।
7– श्री जगतसिंह चौधरी,(जंगली) पर्यावरणविद।
8– श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद ।
9– श्री पूरनसिंह नेगी, उद्योग संघ प्रतिनिधि।
10– ज्योति सुन्दरियाल, जिला सहायक, सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
11– श्री हरीशचन्द्र वशिष्ठ, उपाध्यक्ष, मैत्री संस्था, रूद्रप्रयाग।
12– श्री एस0एन0 सेमवाल, संरक्षक, श्री गंगा आरती समिति, रूद्रप्रयाग।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा जनपद से गुजरने वाली नदियों को स्वच्छ रखने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में चर्चा की गई, व सदस्यों से सुझाव लिये गये।

श्री जगतसिंह चौधरी,(जंगली) पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनके द्वारा बताया गया कि जिला संरक्षण समिति को नदियों के किनारे चूनों का रोपण हो, जिसकी पानी संचय करने की क्षमता अधिक हो। श्री जंगली द्वारा बताया गया कि समय–समय नदियों के किनारे साफ–सफाई हेतु प्रचार प्रसार कर जनजागृत कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में वन विभाग की सक्रीय सहभागिता की नितान्त आवश्यकता होगी।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग को नदी किनारे स्थान कोठगी तक वृक्षा रोपण किये जाने तथा नर्सरी हेतु स्थल चिन्हित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु घाटों पर गंगा स्वच्छता के स्लोगनों सहित बोर्ड स्थापित किये जाय। उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये कि वृक्षारोपण हेतु अगस्त्यमुनि के सामने वाला क्षेत्र/तिलवाड़ा (सुमाड़ी) क्षेत्र का निरीक्षण कर सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य /क्षेत्रीय जनता/गणमान्य प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुये वृहद कार्यक्रम हेतु तिथि निर्धारित के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय। गंगा संरक्षण समिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में गंगा स्वच्छता हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद,रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि/नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनके द्वारा नदी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाये जाने हेतु समय–समय पर स्वच्छता अभियान चलाये जाने पर बल दिया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि नदी किनारे बसे ग्रामों के प्रधानों से भी समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित ग्रामों में नदी के जल की पवित्रता, महत्ता को दृष्टिगत स्वच्छता हेतु ग्रामों में नाटकों/चलचित्रों/गोष्ठी के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि/तिलवाड़ा/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग)

श्री हरीशचन्द्र वशिष्ठ, उपाध्यक्ष, मैत्री संस्थान, रूद्रप्रयाग द्वारा केदारनाथ धाम से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के किनारे गन्दगी न किये जाने पर जनमानस से अनुरोध किया गया, तथा इस देव भूमि में स्वच्छता बनाये रखने हेतु देश विदेशों से आने वाले यात्रियों को भी विभिन्न प्रचार–प्रसार के माध्यमों से जनपद में स्वच्छता बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आग्रह किया गया।

श्री एस0एन0 सेमवाल, संरक्षक, श्री गंगा आरती समिति, रूद्रप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया

(क्रमशः–2 पर)

कि रूद्रप्रयाग में संगम स्थल पर गंगा आरती के दर्शन हेतु गंगा घाट पर लाइट की व्यवस्था एवं घाट की सफाई व्यवस्था तथा आरती दर्शन कार्यक्रम हेतु विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को आमंत्रित किया जाय, तथा उक्त कार्यक्रम के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूदप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद अन्तर्गत नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर से यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये गये। गंगा सुरक्षा/स्वच्छता के सम्बन्ध में जनपद के सभी अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग एवं नगर पंचायतों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी,रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया। स्थान कालीमठ, चन्द्रापुरी, एवं तिलवाडा में समयानुसार प्रत्येक सप्ताह में गंगा संरक्षण समिति की बैठक रखे जाने एवं विभिन्न प्रकार से गंगा की स्वच्छता एवं कूडा निस्तारण के लिये ठोस एवं तरल का प्रथक–प्रथक कूडेदानों का उपयोग हेतु गोष्ठी, नाटक,चल चित्रों के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को जागृत किये जाने के लिये प्रचार प्रसार एवं विद्यार्थियों के द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये।

गंगा घाटों की सुरक्षा एवं स्वच्छता के लिये घाटों पर रेत के सम्बन्ध में नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये।

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिको को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 185 /33–3 (2017–2018)

दिनांक, रूद्रप्रयाग, 08-10-2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 15–09–2018 को मा0 केन्दीय मंत्री, सुश्री उमा भारती, की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की उपस्थिति में स्थान गुप्तकाशी में आयोजित जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग द्वारा नमामि गंगे से सम्बन्धित स्वच्छता अभियान के तहत बैठक एवं कार्य विवरण :–

दिनांक, 15–09–2018 को स्थान गुप्तकाशी में आयोजित नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में गुप्तकाशी के समीपस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के द्वारा अपने–अपने विद्यालयों से स्वच्छता रैली निकाल कर हाथों में स्वच्छता सम्बन्धी तख्तियों पर लिखे श्लोगन/चित्रण/बैनर सहित स्वच्छता के नारे लगाते हुये आयोजित स्थल पर पहुँचे।

कार्यक्रम में उपस्थित महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगलदलों, आंगन बाडी कार्यकत्रियों, जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों/व्यापार मण्डल गुप्तकाशी के प्रतिनिधियों के द्वारा उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

मा0 प्रधानमंत्री, जी भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रधान मंत्री जी के उद्बोधन को समस्त जनसमुदाय द्वारा ध्यान पूर्वक सुना गया।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा मा0 प्रधानमंत्री, जी भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गये उद्बोधन में हम सबका कर्तव्य होगा, कि हम अपने घर से स्वच्छता बनाते हुये अपने गॉव, अपना नगर, अपना शहर, अपना क्षेत्र, अपना जनपद को स्वच्छ बनायें तो स्वतः ही हमारा राष्ट्र स्वच्छता की श्रेणी में अग्रणी रहेगा।

मा0 केन्दीय मंत्री, सुश्री उमा भारती, द्वारा अपने सम्बोधन में कहा कि स्वच्छता बनाये रखना हम सब की जिम्मेदारी है, तथा मा0 प्रधानमंत्री, जी भारत सरकार द्वारा संचालित इस राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन में जन–जन की सहभागिता अनिवार्य है।

तत्पश्चात मा0 केन्दीय मंत्री, जी सुश्री उमा भारती, एवं जिलाधिकारी की उपस्थिति में महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगलदलों, आंगन बाडी कार्यकत्रियों, जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों/जनपदीय स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधियों/व्यापार मण्डल गुप्तकाशी के प्रतिनिधियों के सहयोग से गुप्तकाशी बाजार से विश्वनाथ मन्दिर तक स्वच्छता अभियान संचालित किया गया, तथा पौधरोपण किया गया।

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य,जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों का उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–[illegible] /33–3 (2017–2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग, सितम्बर 19, 2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– समस्त जनपद स्तरीय, अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन युप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 22–07–2018 को मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की उपस्थिति में क्रीडा भवन अगस्त्यमुनि में आयोजित नमामि गंगे सम्बन्धित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं स्वच्छता अभियान के तहत आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक एवं कार्य विवरण :–

दिनांक, 22–07–2018 को क्रीडा भवन अगस्त्यमुनि में आयोजित नमामि गंगे सम्बन्धित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय इन्टर कालेज, अगस्त्यमुनि, राजकीय बालिका इन्टर कालेज अगस्त्यमुनि, केन्द्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि, विल्कुल्स एकेडमी अगस्त्यमुनि, गायत्री विल्कुल एकेडमी अगस्त्यमुनि, एवं राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनि के सेवर्स रैंजर्स के छात्र–छात्रायें सहित अध्यापकगण, जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों/जनपदीय स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधियों/व्यापार मण्डल अगस्त्यमुनि के प्रतिनिधियों के द्वारा उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के निर्देशन में स्वच्छता अभियान संचालित किये जाने हेतु तीन टीमों का गठन किया गया। जिसमें प्रथम टीम मा0 विधायक एवं जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के नेतृत्व में अगस्त्यमुनि बाजार से सड़क के ऊपर, तथा दूसरी टीम उप वन संरक्षक, वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नेतृत्व में सड़क से नीचे नदी की तरफ तथा नदी के किनारे, एवं तीसरी टीम जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रुद्रप्रयाग के नेतृत्व में क्रीडा मैदान परिसर अगस्त्यमुनि से तथा नीचे की तरफ नदी की ओर सफाई अभियान संचालित किया गया।

स्वच्छता अभियान के पश्चात विभिन्न विद्यालयों के मध्य नमामि गंगे एवं स्वच्छता अभियान से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के अतिरिक्त भाषण प्रतियोगिता, पेन्टिंग प्रतियोगिता, एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में उप वन संरक्षक वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा पॉलीथीन के बजाय कपड़े के बैग का प्रयोग करने तथा कृषारोपण कार्यक्रम पर बल दिया गया। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि अपने आस–पास स्वच्छता बनाये रखें तथा लोगों को भी जागरूक करें। मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा खुले निस्तारण के लिये लोग एवं वरस का प्रथक–प्रथक कूड़ेदानों का उपयोग करने एवं व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता बनाये रखने का सुझाव दिया गया।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद अन्तर्गत नदियों एवं नालों को स्वच्छ रखे जाने हेतु सभी से कड़–कड़ कर इस अभियान में योगदान करने के लिये कहा गया। स्वच्छता अभियान के प्रति विद्यार्थियों के उत्साह की सराहना करते हुये जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ने उपस्थित सभी लोगों एवं विद्यार्थियों से स्वच्छता अभियान को घर–घर तक पहुँचाने का सन्देश दिया।

उक्त आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये एक–एक फलदार पौधे अतिथियों के करकमलों से दिये गये।

अन्त में मा0 विधायक, रुद्रप्रयाग द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत अपने विचार व्यक्त करते हुये इस प्रकार के कार्यक्रमों की सराहना करते हुये सभी से स्वच्छता बनाये रखने की अपील की गई। तद्पश्चात कृषारोपण किया गया।

अन्त में जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को स्वच्छता सम्बन्धित शपथ दिलाई गई, तथा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या– नमागे /39–3 (2017–2018) दिनांक, रुद्रप्रयाग, जुलाई 24, 2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
2– समस्त जनपद स्तरीय, अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनि नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

दिनांक 08–07–2018 को श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पुनाड गधेरे में स्वच्छता अभियान के तहत आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक एवं कार्य विवरण :–

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के निर्देशन में टीम बनाकर पुनाड गधेरे में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें जिला स्तरीय गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों/जनपदीय स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी/विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं जनप्रतिनिधियों/व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों के द्वारा बढ–चढ कर स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया गया।

उक्त सफाई अभियान के तहत नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत पुनाड गधेरे का पूर्ण रूप से सफाई अभियान कर कूडा एकत्रित किया गया, तथा कूडे का निस्तारण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग द्वारा ट्रचिंग ग्राउण्ड में किया गया।

सफाई अभियान के पश्चात बस अड्डे पर नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग के प्रतिक्षालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उप वन संरक्षक वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुये समस्त क्षेत्रीय जनता/नागरिकों/व्यापारियों से पॉलीथीन/प्लास्टिक का प्रयोग न करने का अनुरोध किया। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया, कि पॉलीथीन के बजाय कपडे के बैग का प्रयोग किया जाय। जल संचय के सम्बन्ध में उनके द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम पर बल दिया गया। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि समय–समय पर गंगा संरक्षण/स्वच्छता के अन्तर्गत श्रमदान किया जाए।

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद अन्तर्गत नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर से यथोचित कार्यवाही किये जाने के लिये अधिकारियो को निर्देश दिये गये। गंगा सुरक्षा/स्वच्छता के सम्बन्ध में जनपद के सभी अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग एवं नगर पंचायतों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक स्वजल रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी,रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया। तथा समय–समय पर गंगा संरक्षण समिति की बैठक रखे जाने एवं विभिन्न प्रकार से गंगा की स्वच्छता एवं कूडा निस्तारण के लिये ठोस एवं तरल का प्रथक–प्रथक कूडेदानों का उपयोग करने हेतु जागृत किये जाने के लिये प्रचार प्रसार एवं विद्यार्थियों के द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य,जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को स्वच्छता सम्बन्धित शपथ दिलाई गई, तथा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– ~~प्रभ~~ /33–3 (2017–2018) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जुलाई 18, 2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– समस्त जनपद स्तरीय, अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
5– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 24–05–2018 को श्री मंगेश घिल्डियाल, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में स्थान ब्लाक सभागार, अगस्त्यमुनि में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक एवं एक दिवसीय कार्यशाला का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

1–	श्री एन0एस0 रावत, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रूद्रप्रयाग		– सदस्य
2–	श्री महिपाल सिहं सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग		– सदस्य
3–	श्री पति डोभाल, अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0नि0वि0 रूद्रप्रयाग		– सदस्य
4–	श्री त्रिलोक सिंह गुसाईं, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग		– सदस्य
5–	श्री प्रिन्स कुमार, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग		– सदस्य
6–	श्री डी0एस0 राणा, अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग		– सदस्य
7–	श्री हरेन्द्रसिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि		– सदस्य
8–	श्री जगतसिंह चौधरी,(जंगली) पर्यावरणविद	नामित	– सदस्य
9–	श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद	नामित	– सदस्य
10–	श्री पूरनसिंह नेगी, उद्योग संघ प्रतिनिधि	नामित	– सदस्य

सर्व प्रथम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा जनपद से गुजरने वाली नदियों को स्वच्छ रखने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में चर्चा की गई, व सदस्यों से सुझाव लिये गये।

श्री जगतसिंह चौधरी,(जंगली) पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनके द्वारा बताया गया कि जिला समिति को दो भागों में बनाया जाय। (1) शहरी ग्रामीण समिति (2) ग्रामीण समिति उक्त समितियों के नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी हों, तथा ग्रामीण समिति के नोडल अधिकारी, सम्बन्धित ग्राम के सरपंच हों। श्री जगतसिंह चौधरी (जंगली) द्वारा वर्तमान में पेयजल की कमी/उत्तराखण्ड के वनों में लगी आग/पेडों के अवैध कटान के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिये गये कि चीड के पेडों के बजाय ऐसे वृक्षों का रोपण हो, जिनकी पानी संचय करने की क्षमता अधिक हो। श्री जंगली द्वारा पानी की उत्पादता हेतु गॉव की नीति बनाये जाने हेतु भी सुझाव दिये गये।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, तथा नदी किनारे बसे ग्रामों की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला पंचायतीराज अधिकारी को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रूदप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/जिला पंचायतीराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

(क्रमशः–2 पर)

श्री राजेन्द्रप्रसाद गोस्वामी, पर्यावरणविद द्वारा अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किये गये, जिनके द्वारा जल श्रोतों की कमी होने पर जल संरक्षण हेतु व्यापक प्रचार– प्रसार करने तथा ग्रामों में धारा संवर्द्धन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना प्रबन्धक, स्वजल रुद्रप्रयाग, एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये, कि जल श्रोतों के संरक्षण हेतु अपने–अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चितकों।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी,रुद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रुद्रप्रयाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी,रुद्रप्रयाग)

तत्पश्चात जिला गंगा संरक्षण समिति की एक दिवसीय कार्यशाला प्रारम्भ की गई, जिसकी उपस्थिति संलग्न है। कार्यशाला में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त महानुभावों/गणमान्य जनप्रतिनिधियों /अधिकारियों/कार्मिकों का स्वागत किया गया। गंगा संरक्षण/गंगा को स्वच्छ बनाये रखने/जनपद को स्वच्छता रखने/जल संरक्षण आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा चर्चा की गई, तथा सभी से अपने–अपने अभिमत/सुझाव प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया।

मा0 प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, ऊखीमठ द्वारा केदारनाथ धाम से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के किनारे गन्दगी न किये जाने पर जनमानस से अनुरोध किया गया, तथा इस देव भूमि में स्वच्छता बनाये रखने हेतु देश विदेशों से आने वाले यात्रियों को भी विभिन्न प्रचार–प्रसार के माध्यमों से जनपद में स्वच्छता बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आग्रह किया गया।

मा0 प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि द्वारा समस्त क्षेत्रीय जनता/नागरिकों/व्यापारियों से पॉलीथीन/प्लास्टिक का प्रयोग न किये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया, कि पॉलीथीन के बजाय कपडे के बैग का प्रयोग किया जाय। गंगा को स्वच्छ रखे जाने हेतु गंगा में शीघ्र पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। जल संचय के सम्बन्ध में उनके द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम पर बल दिया गया। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि समय–समय पर गंगा संरक्षण/स्वच्छता के अन्तर्गत श्रमदान किया जाए।

प्रो0 जी0एस0 रजवार, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि द्वारा अपने विचार/सुझाव दिये गये, तथा अवगत कराया गया है, कि गंगा धर्म से जुडा हुआ पहलू है। इस प्रकार गंगा/नदी/जल को धार्मिक रूप में ग्रहण करना चाहिये, तथा गंगा की स्वच्छता हेतु सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रो0 रजवार द्वारा सुझाव दिये गये कि वाहनों, दुकानों, होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन/कूडादान की अनिवार्यता हेतु जनसाधारण को जागृत करना चाहिये। जल संरक्षण प्रजातीय वृक्षों का रोपण करना चाहिये, जिससे जल संचय हो सकें।

श्री अनसूया प्रसाद मलासी, पत्रकार, अमर उजाला, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने विचार/सुझावों के द्वारा अवगत कराया गया कि धारा संवर्द्धन हेतु बांस के वृक्षों का अधिक रोपण/उपयोग करना चाहिये। श्मशान घाटों पर अध जले शवों, नदी के किनारे मरे हुये जानवरों के शवों, ऑलवेदर रोड निर्माण के कार्य पर लगे हुये मजदूरों द्वारा नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

(क्रमशः–3 पर)

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा जनपद अन्तर्गत नदियों को स्वच्छ रखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर से यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये गये। गंगा सुरक्षा/स्वच्छता के सम्बन्ध में जनपद के सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग एवं नगर पंचायतों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु मुख्य विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक,रूद्रप्रयाग/परियोजना प्रबन्धक,स्वजल रूद्रप्रयाग/जिला पंचायतराज अधिकारी,रूद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी, द्वारा खुले में शौच न करने तथा बीमारी से दूर रहने की भी हिदायत दी गयी, तथा बच्चों को संस्कारवान बनाये जाने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में सोच बदलने की राय दी गई।

अन्त में जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों, महानुभावों/गणमान्य, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक व कार्यशाला के समापन की घोषणा की गई।

(मंगेश घिल्डियाल)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा सुरक्षा समिति,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, दिनांक 6/6/2018.

स्व2018-4344/33-विविध (2017-2018)

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूप नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
4– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा सुरक्षा समिति,
रूद्रप्रयाग।

ANNEXURE-4

National Mission for Clean Ganga

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Ministry of Jal Shakti, Government of India

नमामि गंगे

About DGC | What's New

Ganga District Performance Monitoring System(GDPMS)

Home / Submit Data

- Data Entry
- Data Submission
- Request for extension
- Meeting Attendance Report
- DGC Meeting Report

Assessment Year *

2023-2024 View

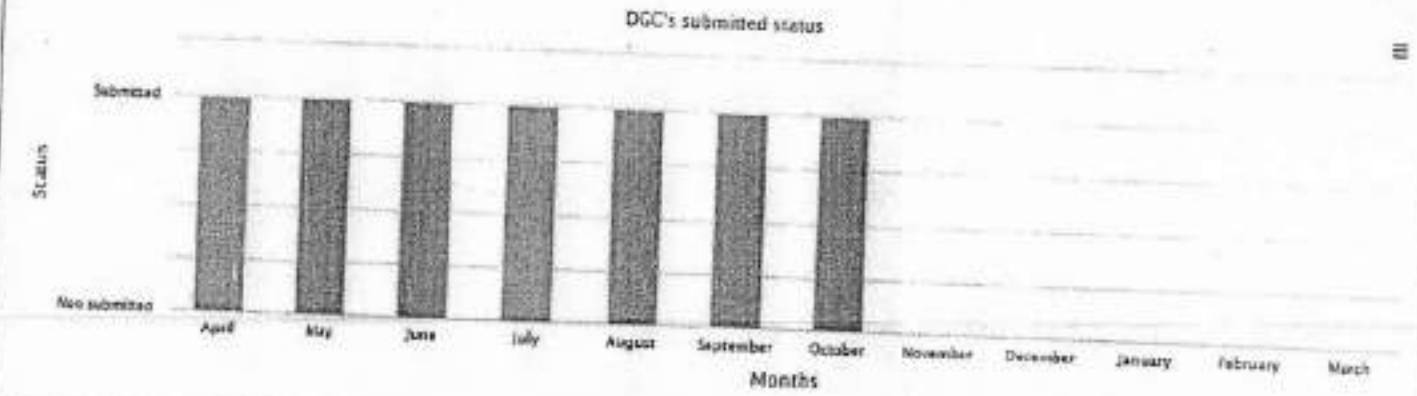

Month	Status
April	Submitted
May	Submitted
June	Submitted
July	Submitted
August	Submitted
September	Submitted
October	Submitted
November	Pending
December	Pending
January	Pending
February	Pending
March	Pending

National Mission for Clean Ganga

Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Ministry of Jal Shakti, Government of India

About DGC | What's New

Ganga District Performance Monitoring System(GDPMS)

Home / Submit Data

- Data Entry
- Data Submission
- Request for extension
- Meeting Attendance Report
- DGC Meeting Report

Assessment Year *

2022-2023 | View

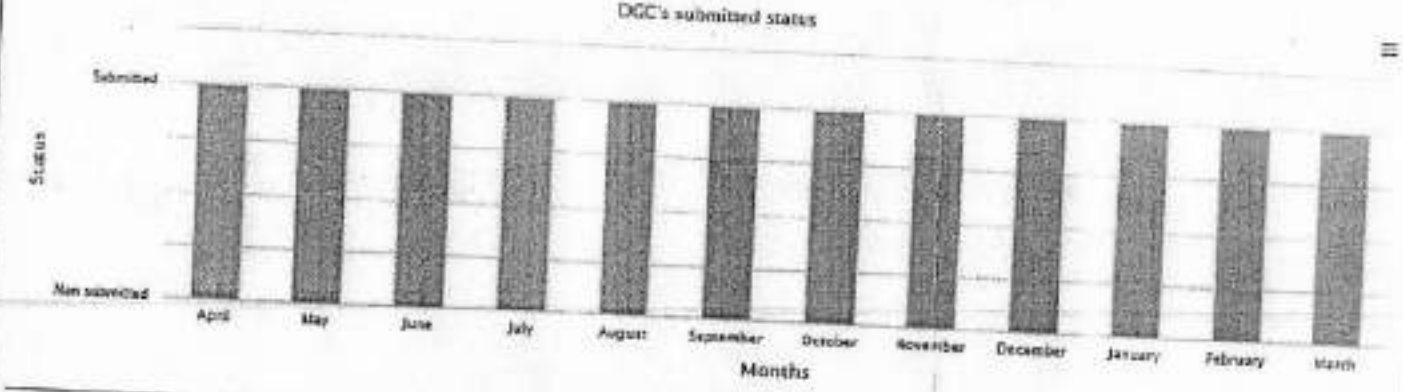

Month	Status
April	Submitted
May	Submitted
June	Submitted
July	Submitted
August	Submitted
September	Submitted
October	Submitted
November	Submitted
December	Submitted
January	Submitted
February	Submitted
March	Submitted

Meeting Attendance Report for Assessment Year 2020-2021 District Rudraprayag , Uttarakhand

S.No	Designation	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	District Collector	P	P	P	P	P	P	P	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
2	Representative from municipalities	P	P	P	P	P	P	P	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
3	Representatives from gram panchayats	P	P	P	A	P	A	P	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
4	Representative from Public Works	P	P	P	A	A	P	A	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
5	Representative from Irrigation	P	P	P	P	A	P	P	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
6	Representative from Public Health Engineering	A	A	A	P	A	A	A	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
7	Representative from Rural Drinking Water Department	P	P	P	P	A	A	A	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
8	Representative from State Pollution Control Board	A	A	P	P	P	P	P	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
9	District official to be nominated by DC	P	P	P	P	P	P	A	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
10	Divisional Forest Officer	P	P	P	P	P	P	P	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
11	Environmentalists associated with River Ganga protection	A	A	A	A	P	A	P	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held
12	Representative of local industry	A	A	P	A	A	A	A	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held	Not Held

25687

Meeting Attendance Report for Assessment Year 2021-2022 District Rudraprayag , Uttarakhand

S.No	Designation	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	District Collector	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2	Representative from municipalities	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3	Representative from gram panchayats	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4	Representative from Public Works	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5	Representative from Irrigation	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6	Representative from Public Health Engineering	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7	Representative from Rural Drinking Water Department	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8	Representative from State Pollution Control Board	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9	District officer to be nominated by DC	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10	Divisional Forest Officer	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11	Environmentalists associated with River Ganga protection	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
12	Representative of local industry	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

25688

Meeting Attendance Report for Assessment Year [illegible] District Rudraprayag , Uttarakhand

S.No	Designation	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	District Collector	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2	Representative from municipalities	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	A	P
3	Representative from gram panchayats	A	A	A	A	A	A	A	A	P	A	P	P
4	Representative from Public Works	A	A	A	A	A	P	A	A	P	P	A	P
5	Representative from Irrigation	P	A	P	P	P	P	P	P	A	A	P	P
6	Representative from Public Health Engineering	P	A	P	P	P	P	A	P	P	A	A	A
7	Representative from Rural Drinking Water Department	P	A	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P
8	Representative from State Pollution Control Board	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9	District official to be nominated by DC	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A
10	Divisional Forest Officer	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11	Environmentalists associated with River Ganga protection	A	A	A	A	A	P	A	A	A	P	P	A
12	Representative of local industry	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

ANNEXURE-5

25689

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
बदरीनाथ रोड, श्रीनगर गढ़वाल

Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Srinagar-Garhwal-246174

Tel 01346 297113 Email <pmgangasrinagar@gmail.com>

पत्रांक	1178	जी-4	113	दि० 20/10	2023	प्रेषण का माध्यम	ई-मेल		डाक द्वारा	

प्रभागीय वनाधिकारी,
सदस्य व संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग

विषयः— Regarding Compliance of Direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A. No 200 of 2014 –M.C. Metha's matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 13.10.2023 को सम्पन्न हुयी जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग की बैठक में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में इस इकाई से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत् है :–

Cities/Panchayat	Issues	Compliance
Rudraprayag	Untapped Sewage	1. इस इकाई द्वारा नामांकित गये कार्यक्रम के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग में 08 नग नालों को टेप कर इनके स्राव को 05 नग एस0टी0पी0 क्रमशः 75 के0एल0डी0– 1 नग , एवं 100 के0एल0डी0–02 नग 125 के0एल0डी0–1 नग 50 के0एल0डी0–1 नग के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। 2. उक्त योजना में निर्मित 30 नग एस0टी0पी0 के सापेक्ष 02 नग एस0टी0पी0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 230/पेयजल-01/एफ 2021-22 दिनांक 06.06.2021 द्वारा हस्तगत की जा चुकी है। योजना का संचालन एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान, रुद्रप्रयाग द्वारा किया जा रहा है। 3. 75 के0एल0डी0 एस0टी0पी0 अनुपयोगी के स्थान पर जबाडी बाई पास पर एस0टी0पी0 प्रस्तावित किया गया है।
Gaurikund & Tilwada and Rudraprayag	Untapped Sewage	1. इस इकाई अन्तर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गौरीकुण्ड तिलवाड़ा आई/एण्ड डी० सिद एस0टी0पी0 योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध वर्णित कर निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किये गये है:–

गौरीकुण्ड (All STPs are based on JOHKASOU Technology)	
200 KLD Capacity STP	1 No Near Tapt Kund
10 KLD capacity STP with (5 Female+5Male) Toilet Block	1 No Near Gada padav
05 KLD capacity STP	2 No (Near Gaura Devi Temple & Near tapt Kund)
Laying of Sewer line	514.14 M
तिलवाड़ा (STP Based on JOHKASOU Technology)	
100 KLD STP	1 No (Near Mayin Bridge)
Nala Tapping	3 No Near Bridge

आदर सहगामी प्रेषित:

संलग्नक – 1. Tabular wise No. of existing and proposed STPs
2. Site Map in Unit

भवदीय,
(अविन्द्र सिंह) 20/10/2023
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :–
1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग महोदय।
2. महाप्रबन्धक निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेजयल निगम, हरिद्वार।

20/10/23
परियोजना प्रबन्धक

FY 2022-23 works

Cities/Panchayat	Issues	Compliance
Rudraprayag	Untapped Sewage	1. इस इकाई द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग में 08 नग नालो को टेप कर इनके स्राव को 05 नग एस0टी0पी0 क्रमशः 75 के0एल0डी0– 1 नग , एवं 100 के0एल0डी0–02 नग 125 के0एल0डी0–1 नग 50 के0एल0डी0–1 नग के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। 2. उक्त योजना में निर्मित 05 नग एस0टी0पी0 के सापेक्ष 02 नग एस0टी0पी0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रूद्रप्रयाग के पत्रांक 285/पेयजल–01/08 2021–22 दिनांक 08.06.2021 द्वारा हस्तगत की जा चुकी है। योजना का संचालन एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान, रूद्रप्रयाग द्वारा किया जा रहा है।
Gaurikund	Untapped Sewage	1. इस इकाई अन्तर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गौरीकुण्ड तिलवाड़ा आई0एण्ड डी0 विद् एस0टी0पी0 योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध गठित कर निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किये गये है:–

Gaurikund	
- 200 KLD STP (JOHKASOU)	1 No
- 10 KLD STP (JOHKASOU)	1 No
- 06 KLD STP (JOHKASOU)	2 No
- Laying of Sewer line	514.14 M
- Construction of Toilet Complex	(10M + 5F)
Tilwada	
- 100 KLD STP	1 No
- Nala Tappings	3 No

DETAILED GAP ANALYSIS (CAPACITY vs GENERATION) OF SEWERAGE

Sl. NO.	Town	Sewage Generation	STP Capacity (mld)		Sewage Generation Gap
		Yr 2040	Existing	Under development / approved	
1	Kedarnath	3.36	0	60.00	0.00
2	Gaurikund	0.16	0	0.22	0.00
3	Ukhimath	0.94	0	0.00	0.94
4	Agastmuni	2.14	0	0.00	2.14
5	Tilwada	0.12	0	0.10	0.02
6	Rudraprayag	2.42	0.525	0.000	2.42

ACTION PLAN TO FILL THE CAPACITY GAP

Sl. NO	Town	Sewage Genration Gap	Action Plan
1	Kedarnath	0.00	Work is In Progress by PWD Guptkashi under Master Plan of Shri Kedarnath G
2	Gaurikund	0.00	No need
3	Ukhimath	0.94	Fecal Sludge Treatment Plant to be Proposed in Ukhimath Town under SBM 2-0
4	Agustmuni	2.14	DPR is being returned to UKPJN by NMCG vide letter no Pr-12011/27/2018-0 NMCG, dated 11-08-2021 due to reason given by NMCG- "NMCG has examine 3069.65 DPR and observed that no change in water quality of river Mandakini in upstream & down stream of the town indication there may be no pollution load from the town to river"
5	Tilwada	0.02	The drains contaminating Mandakini river under Tilwara town will be tapped and flowed after being treated through STP.
6	Rudraprayag	2.42	The drains contaminating Alaknanda and Mandakini river under Rudraprayag town will be tapped and flowing of drain water after being treated through STP.

EXIST STPs INCLUDING NALA TAPPING AT RUDRAPRAYAG CONSTRUCTED UNDER NAMAMI GANGE PROGRAME IN THE YEAR 2019-20

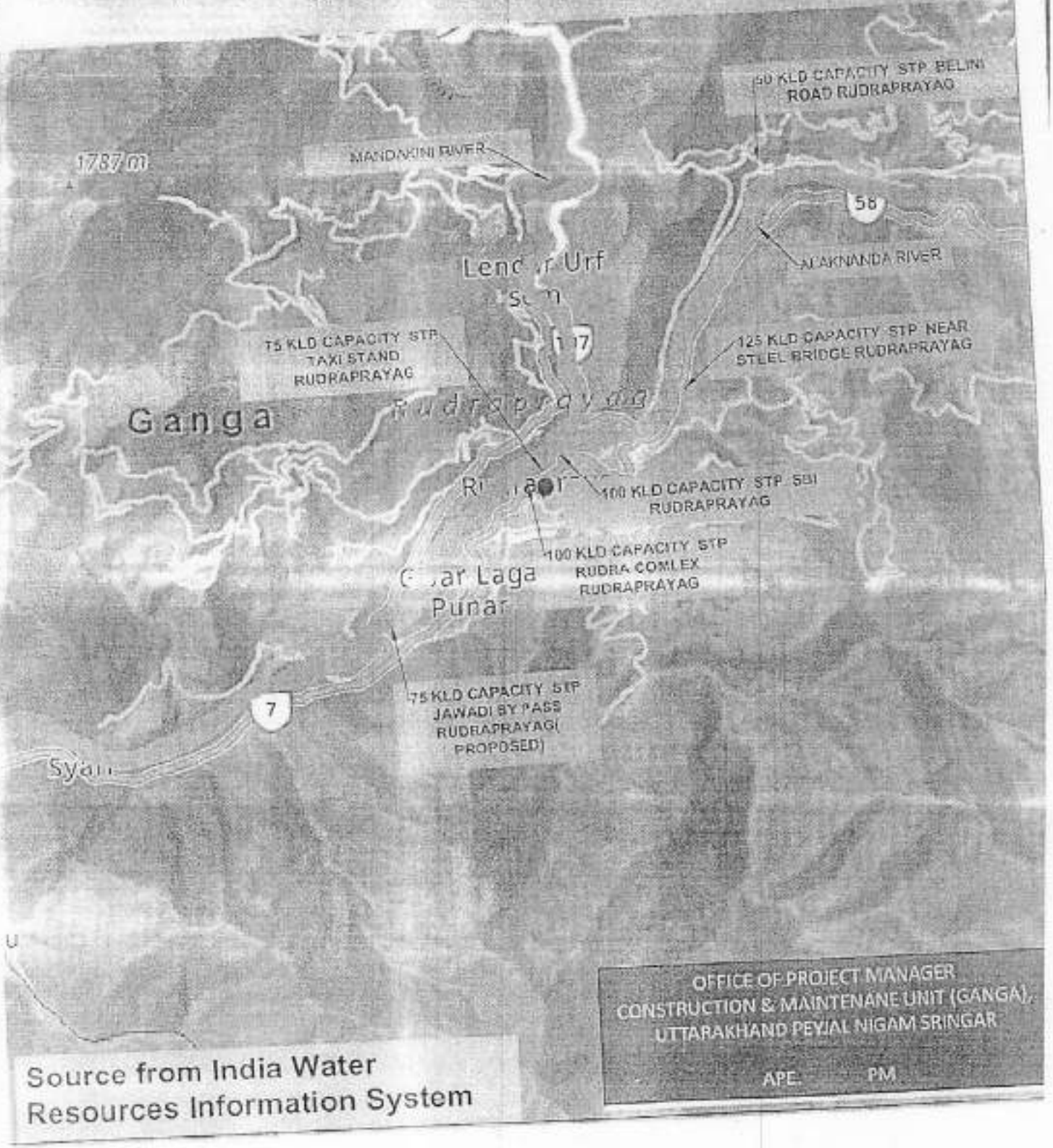

Source from India Water Resources Information System

25693

PROPOSED STPs AND SEWER NETWORK ALONG NALA TAPPING AT GAURIKUND & TILWADA UNDER NAMAMI GANGE PROGRAME

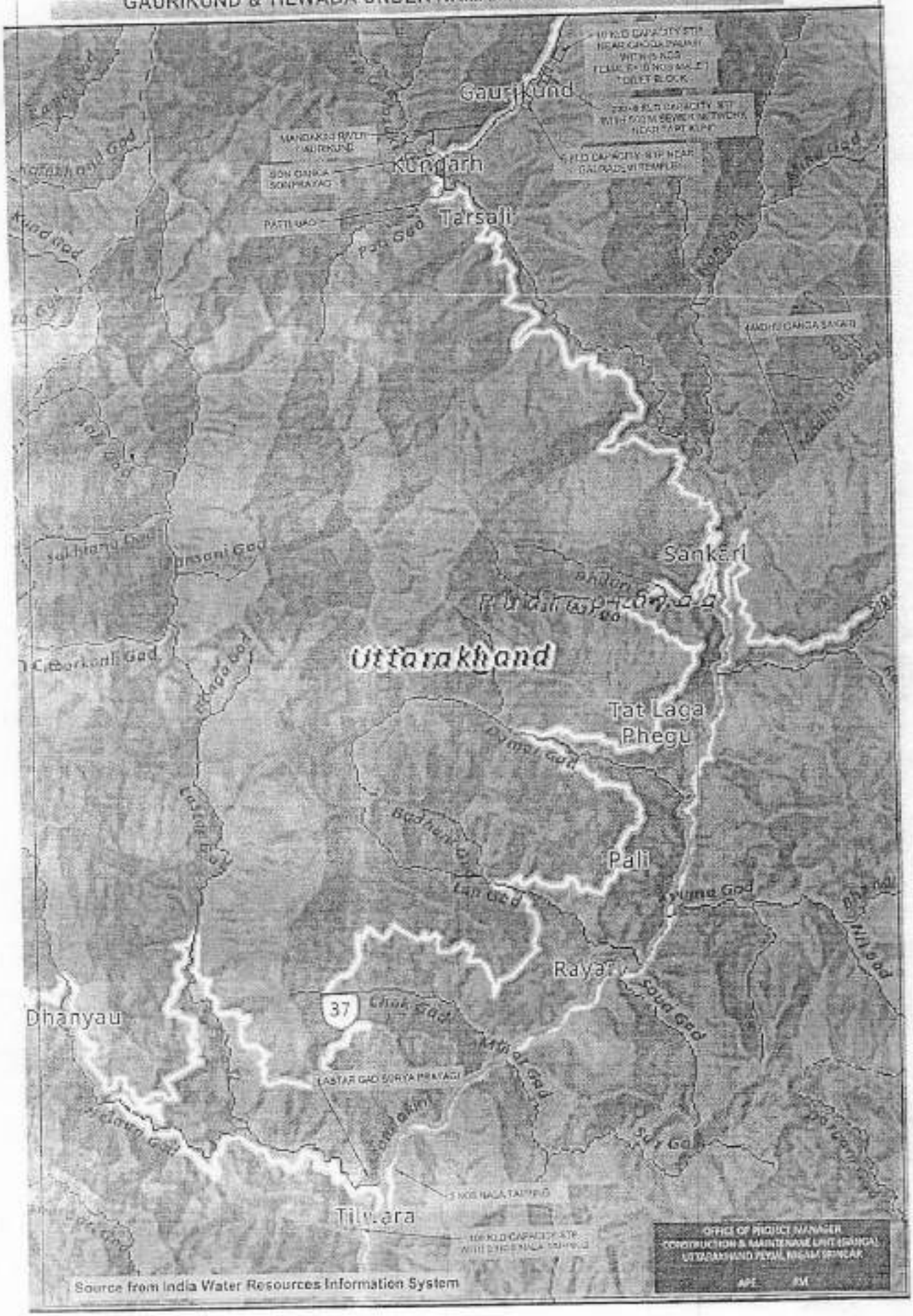

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR STP AS PER DPR PROPSAL & REVISED PROPOSAL AT GHODA PADAV GAURIKUND RUDRAPRAYAG

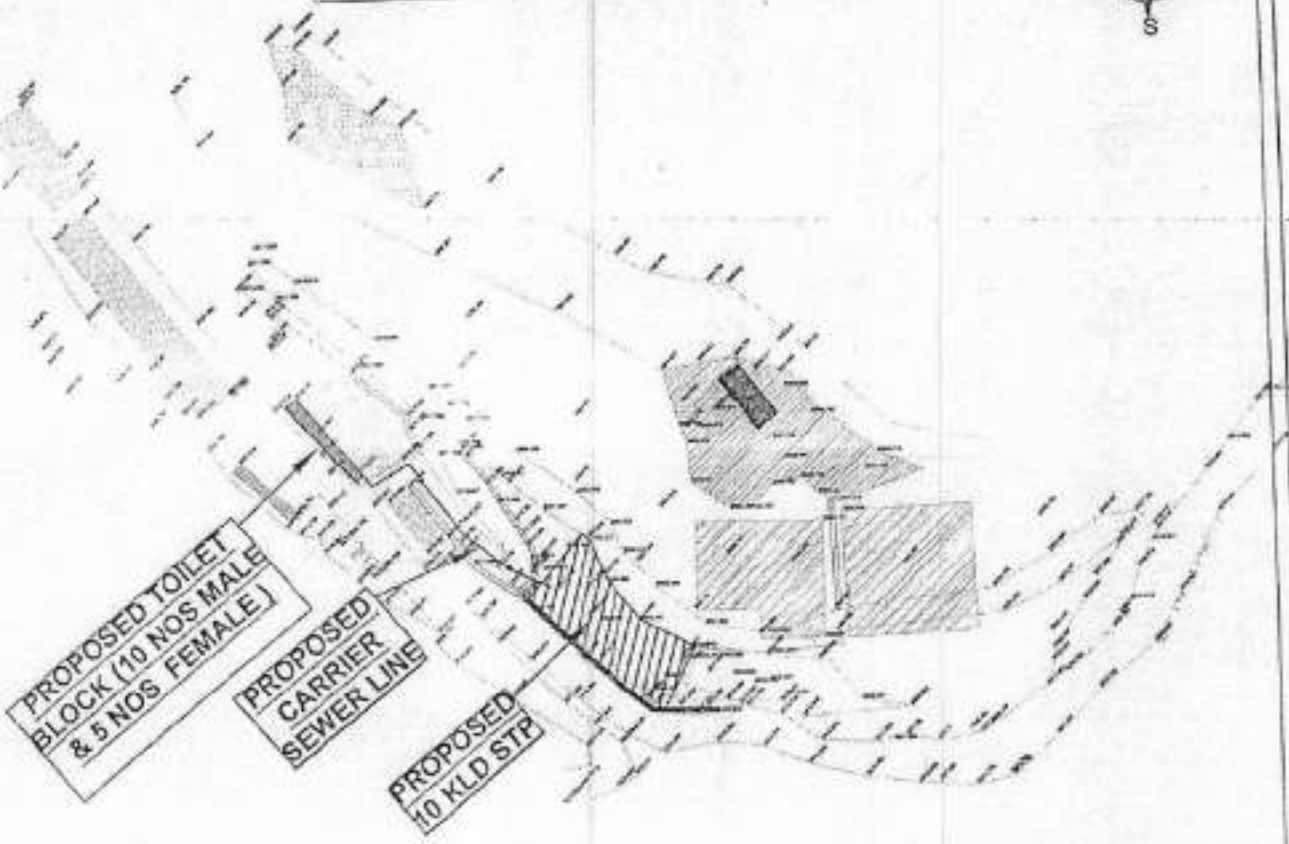

Legend	
AS PER DPR	
PROPOSED STPS	
PROPOSED TOILET COMPLEX	
AS PER REVISED PROPOSAL	
NEW PROPOSED SITE FOR STP	
NEW PROPOSED SITE FOR TOILET COMPLEX	
ADDITIONAL CARRIER SEWER LINE	

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER
C & M UNIT (GANGA),
UTTRAKHAND PEYJAL NIGAM
SRINAGAR

PRPOSED 100 KLD STP NEAR MATALI BRIDGE TILWADA RUDRAPRAYAG

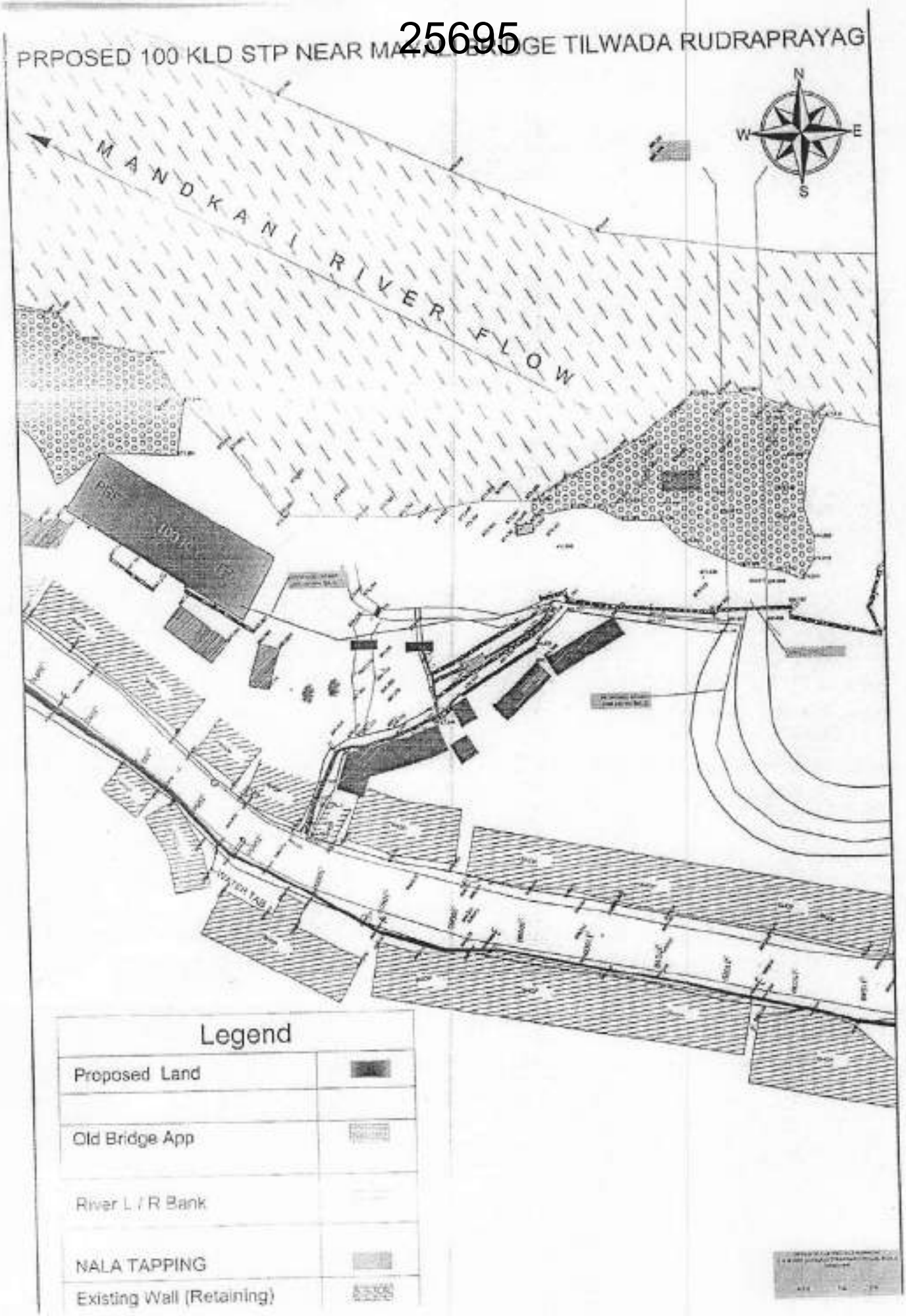

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR SEWER LINE & STPS AT GAURIKUND RUDRAPRAYAG

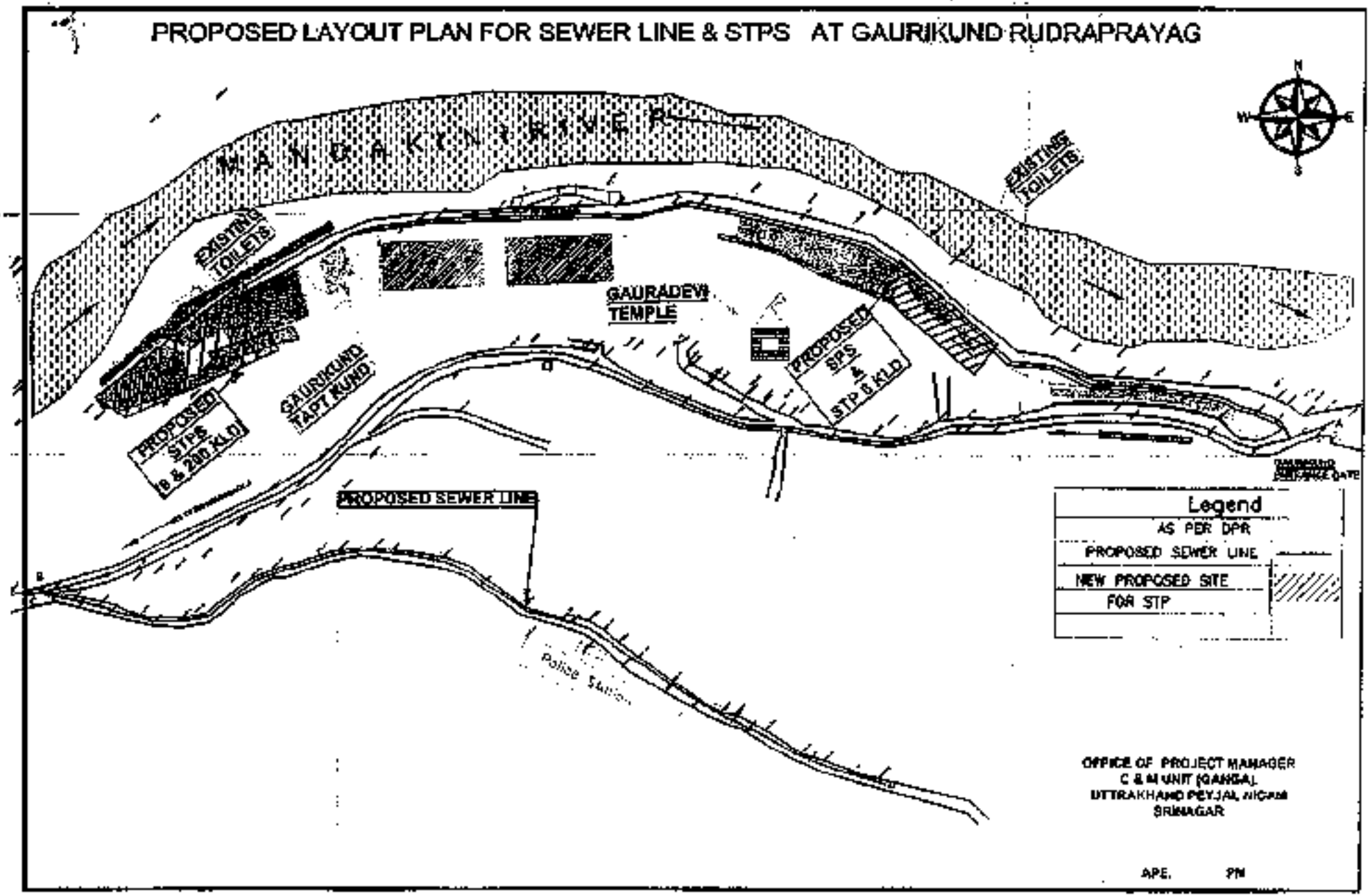

25697

ANNEXURE-6

प्रेषक,

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग
वन प्रभाग/जिला संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 1/8) /जि.उ.कें./न्या.स./2023-24 दिनांक अक्टूबर 20,2023

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. में दिये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1541/7-2, दिनांक 20.10.2023, का अवलोकन करेन का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. के मामले में अनुपालन हेतु आख्या वांछित की गयी है।

उक्त क्रम में अवगत अवगत करना है कि जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) की विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की 2984 इकाईयाँ पंजीकृत हैं, जो कि सूक्ष्म श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं, जिनके द्वारा औद्योगिक अवशिष्ट का निर्वहन नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाता है। इकाईयों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

भवदीय

(महेश प्रकाश)
महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
रुद्रप्रयाग।

25698

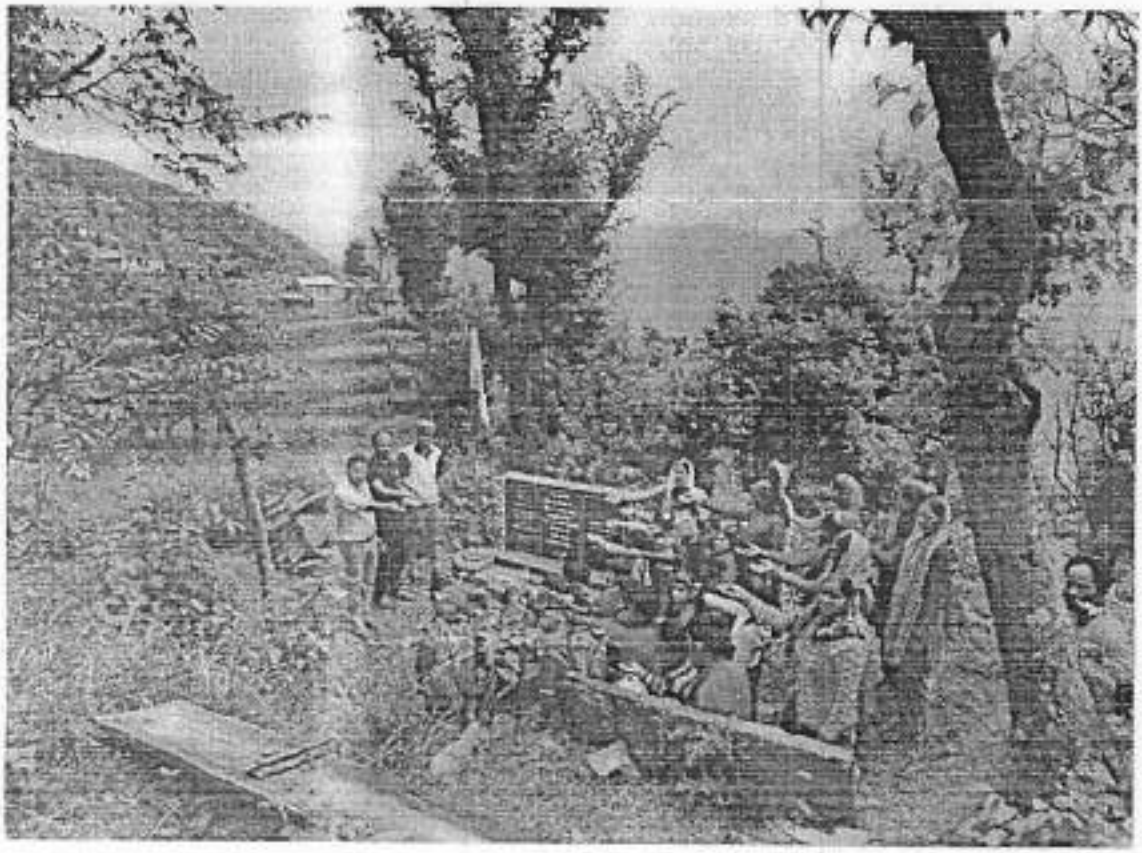

25699

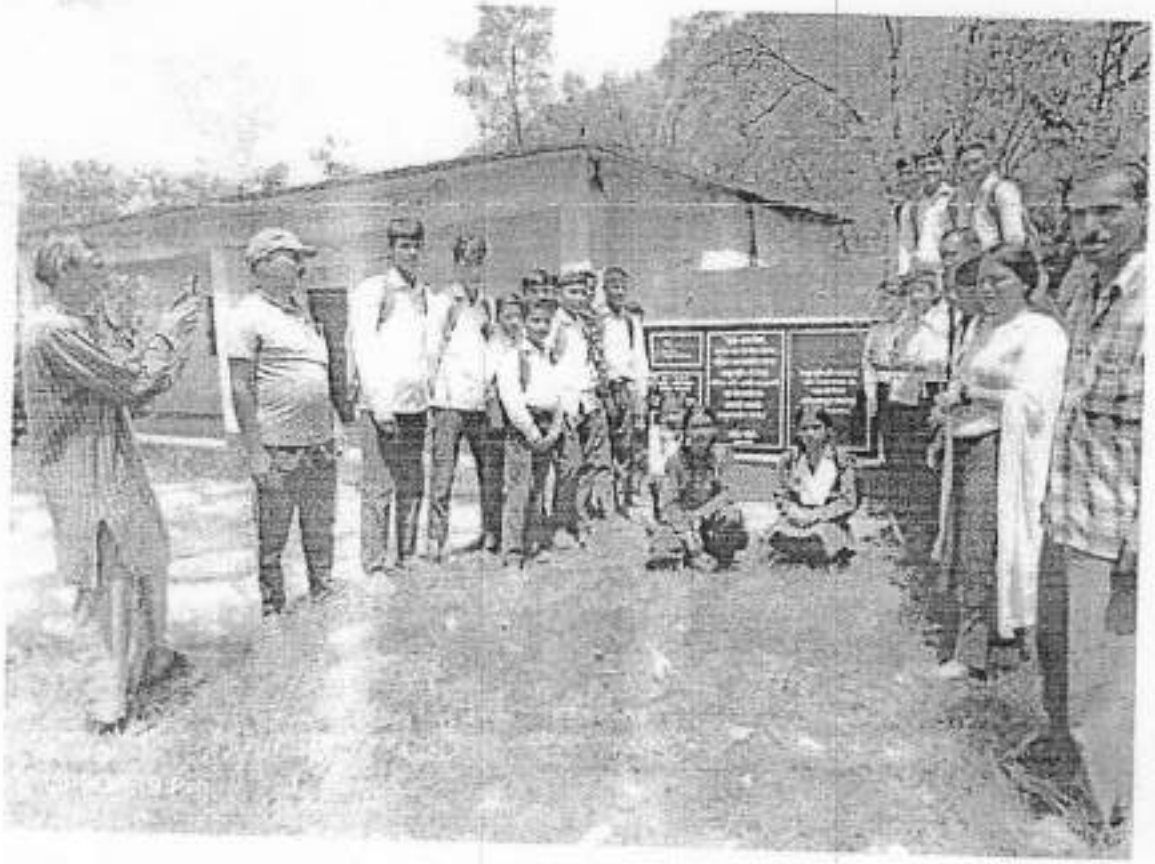

25700

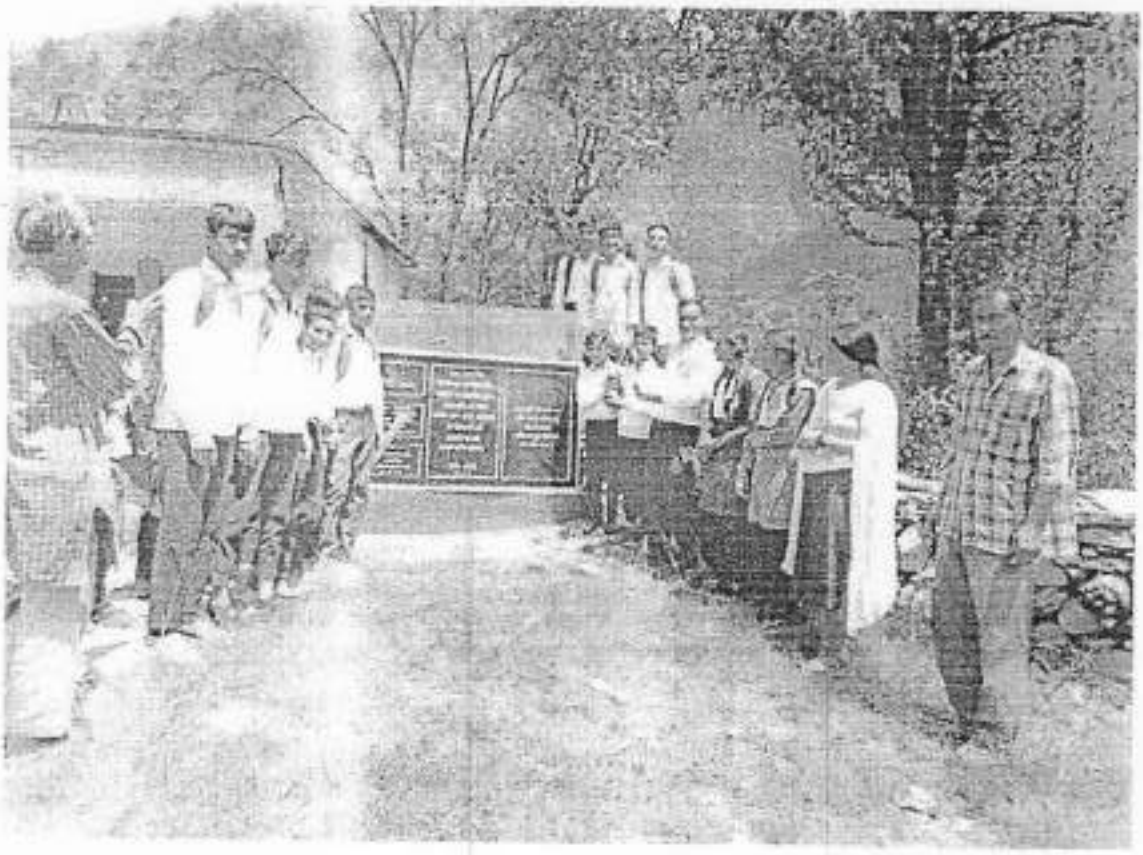

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम (15 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2023)

25702

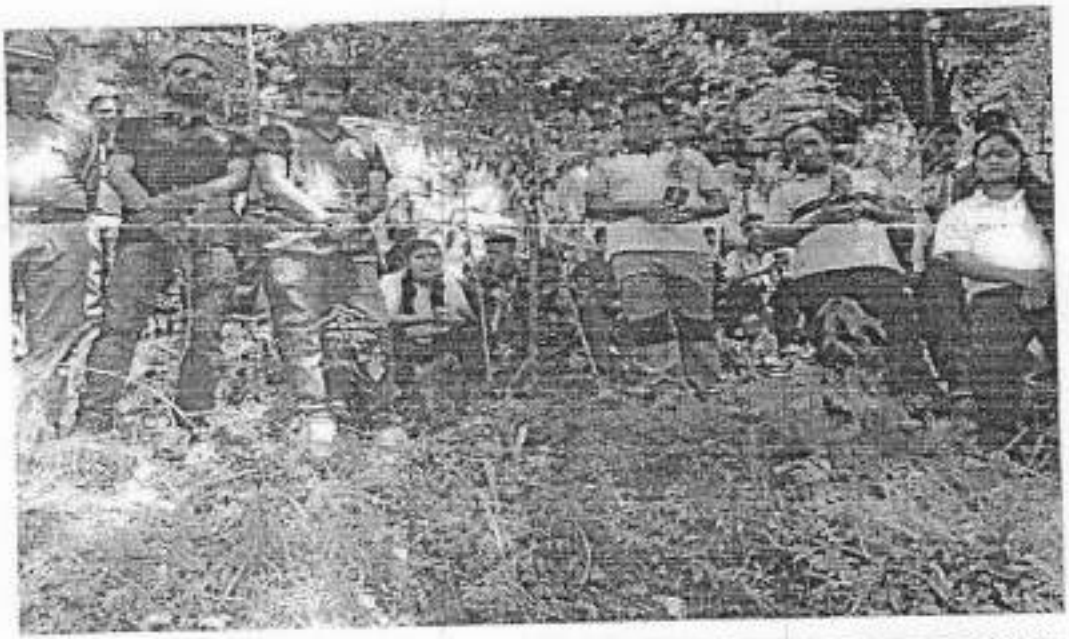

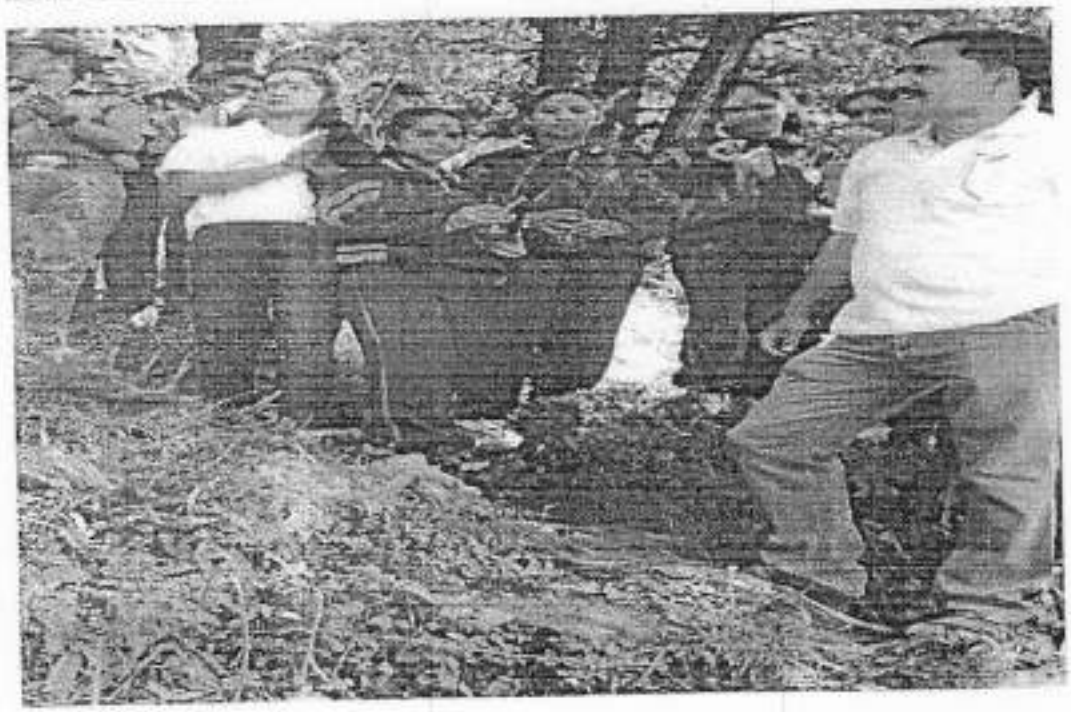

वृक्षारोपण कार्यक्रम (16 जुलाई 2023)

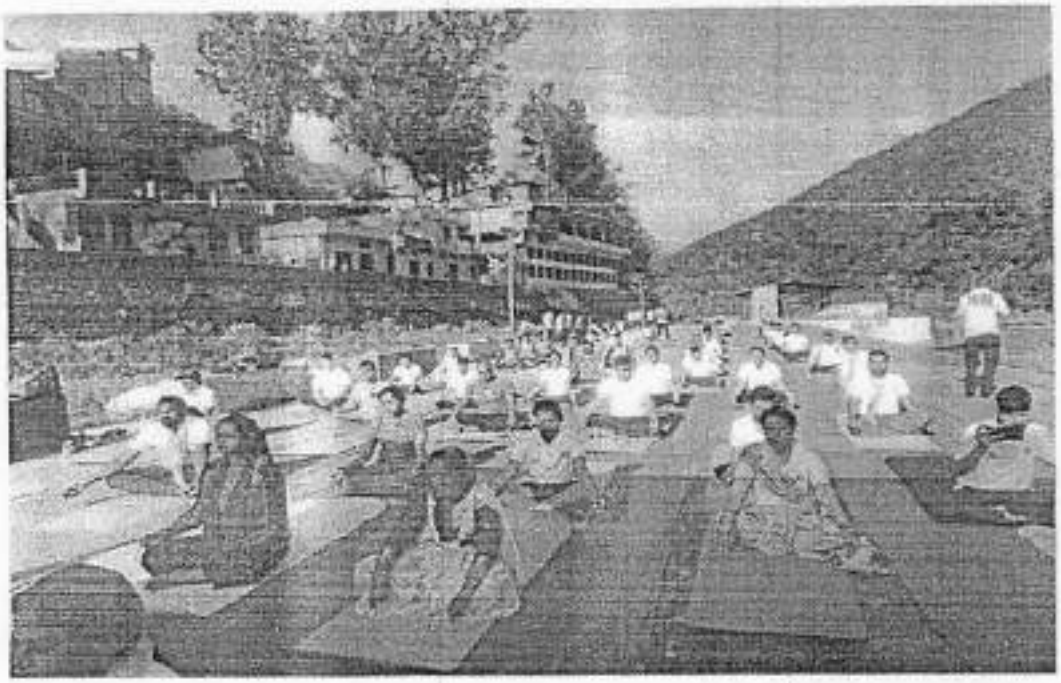

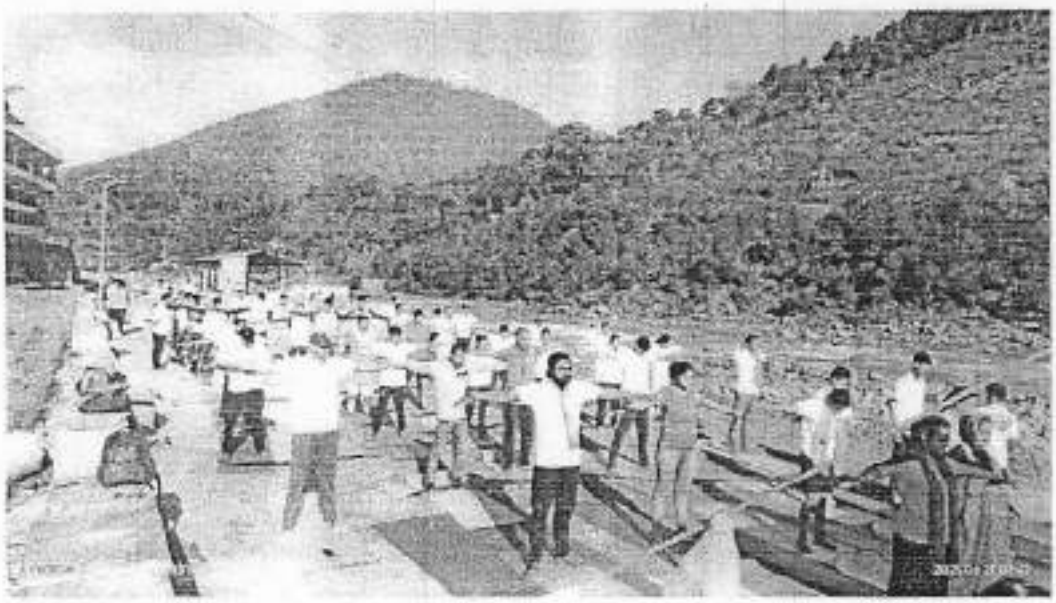

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम (26 जून 2023)

25704

स्वच्छता पखवाडा कार्यक्रम (16 से 31 मार्च 2023)

25705

हरेला महोत्सव कार्यक्रम (16 जुलाई 2023)

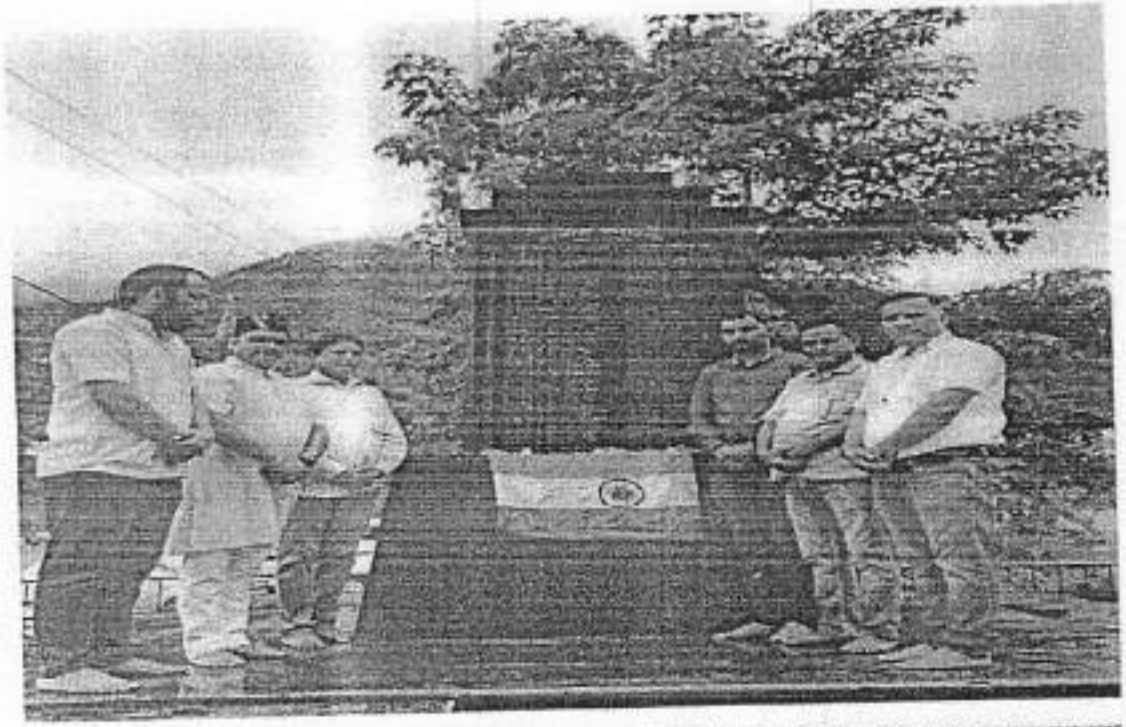

हरेला महोत्सव कार्यक्रम (16 जुलाई 2023)

25708

हरेला महोत्सव कार्यक्रम (16 जुलाई 2023)

25709

हरेला महोत्सव कार्यक्रम (16 जुलाई 2023)

25710

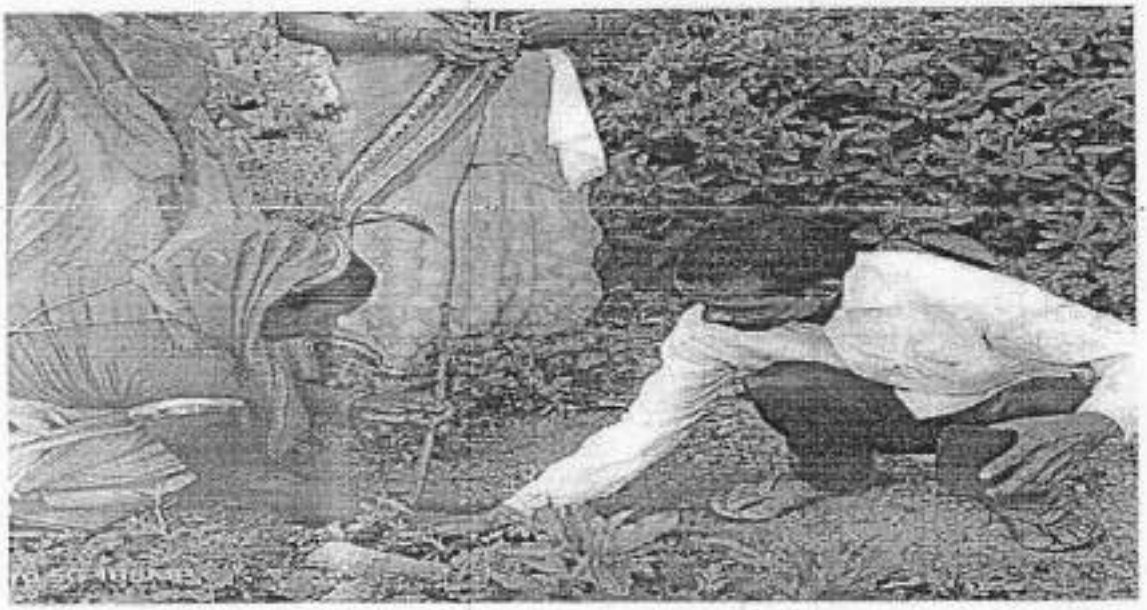

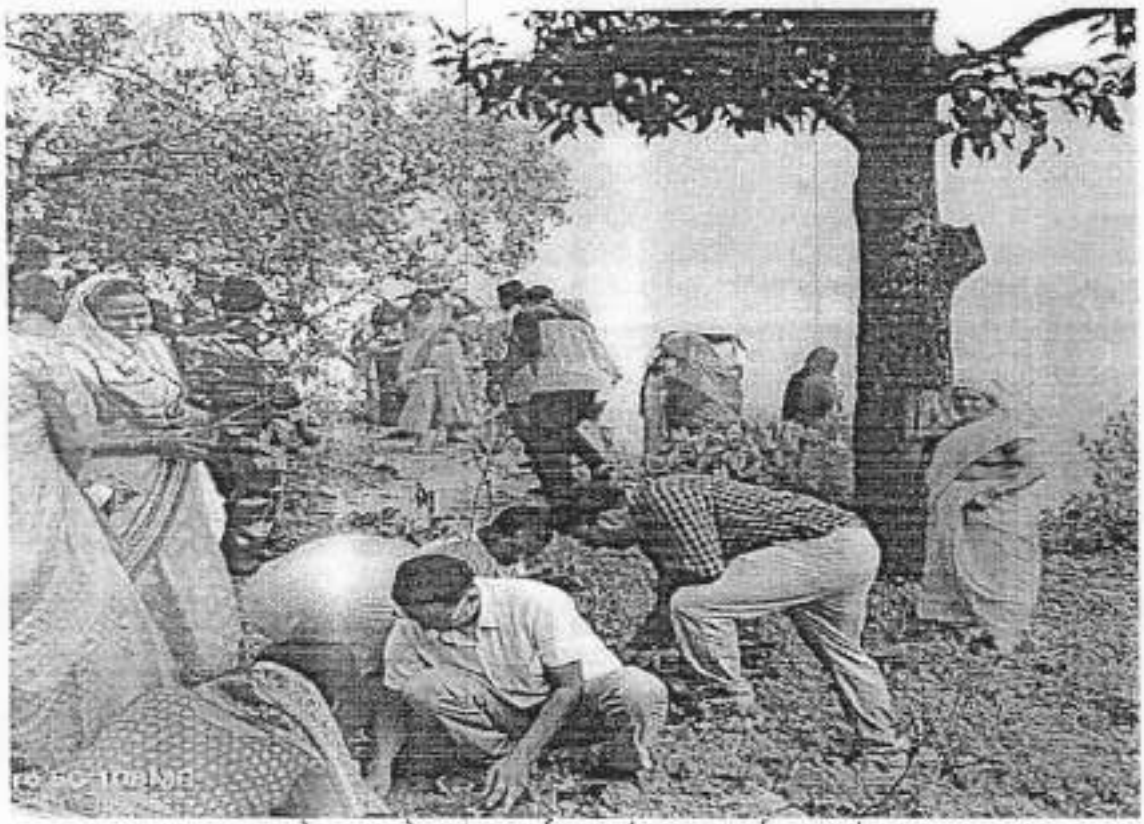

हरेला महोत्सव कार्यक्रम (16 जुलाई 2023)

25711

वाइड लाइफ वीक स्वच्छता ही सेवा मेरी माटी मेरा देश एवं 02 अक्टूबर 2023 को की गई गतिविधियों की सूचना

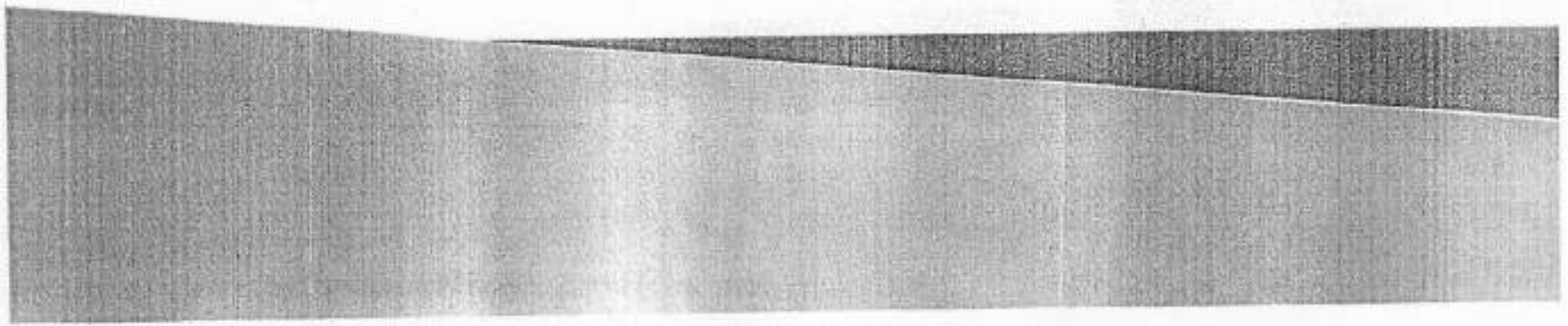

25712

स्वच्छता कार्यक्रम ग्राम पंचायत रतनपुर वि0ख0 जखोली

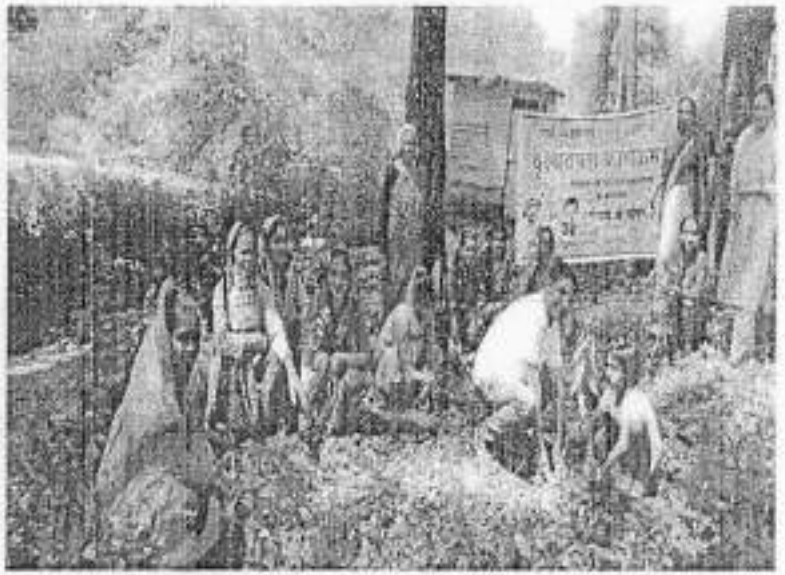

वृक्षारोपण राजस्व ग्राम मेदनपुर वि0ख0 जखोली

स्वच्छता कार्यक्रम पिनगढी वि0ख0

स्वच्छता कार्यक्रम पिनगढी वि0ख0 जखोली

जखोली

25713

वृक्षारोपण ग्राम पंचायत चाका वि0ख0

स्वच्छता कार्यक्रम ग्राम पंचायत भैंसारी वि0ख0 ऊखीम

स्वच्छता संबंधी बैठक ग्राम पंचायत भटवारी सुनार वि0ख0 अगस्त्यमुनि

स्वच्छता कार्यक्रम ग्राम पंचायत भैंसारी वि0ख0 ऊखीमठ

25714

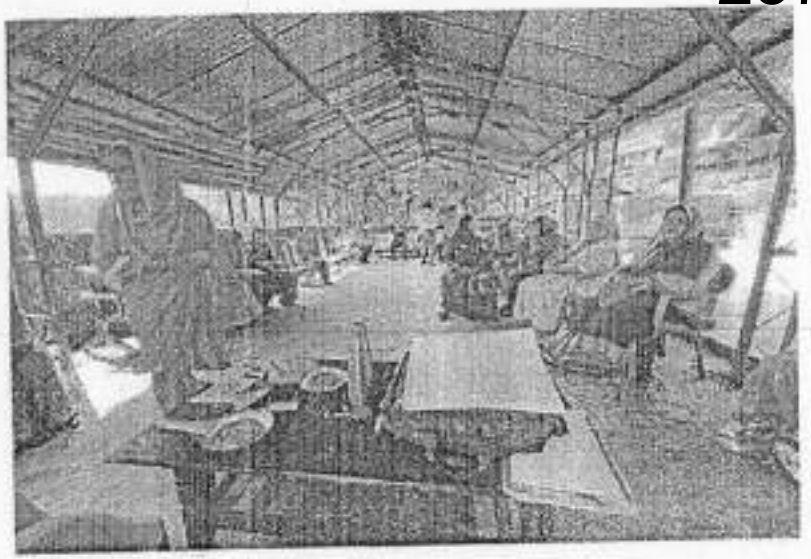

स्वच्छता संबंधी बैठक ग्राम पंचायत चन्दापुरी वि0ख0 अगस्त्यमुनि

स्वच्छता संबंधी ग्राम पंचायत बष्टा बढमा वि0ख0 [illegible]

स्वच्छता कार्यक्रम ग्राम पंचायत हाट वि0ख0 अगस्त्यमुनि

25715

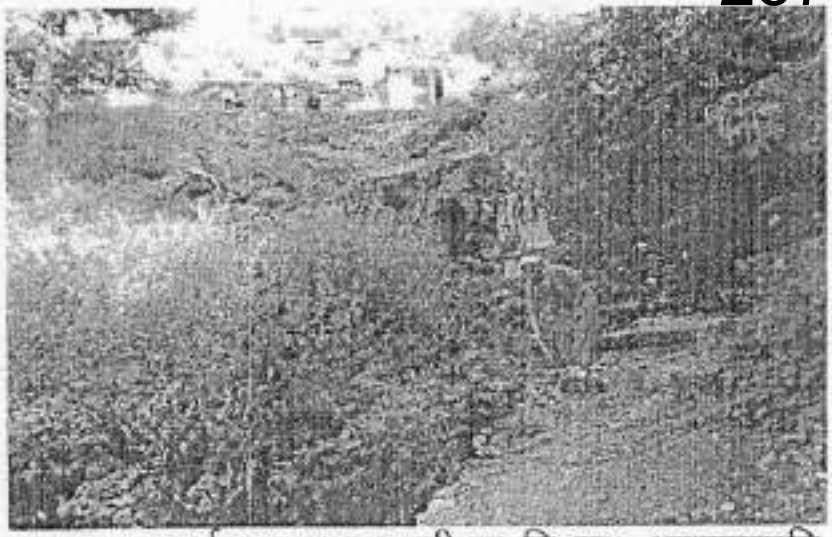

स्वच्छता कार्यक्रम ग्राम झालीमठ वि0ख0 अगस्त्यमुनि

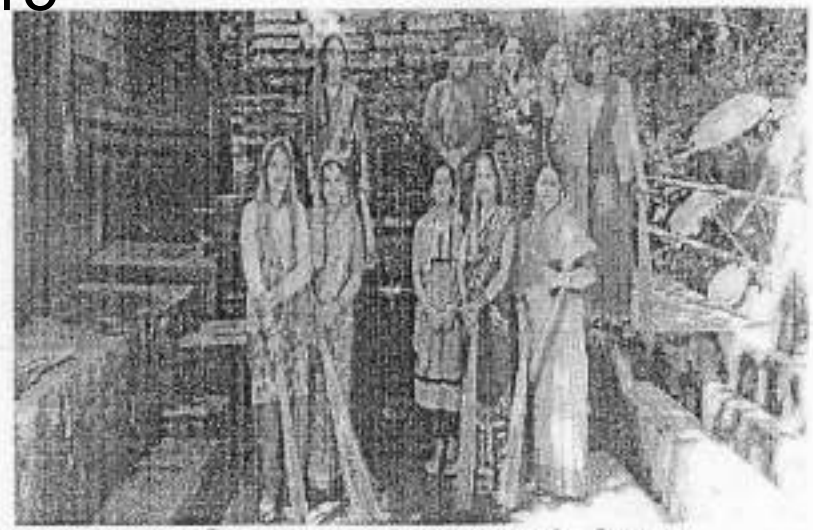

स्वच्छता कार्यक्रम ग्राम पंचायत सारी वि0ख0 अगस्त्यमुनि

स्वच्छता कार्यक्रम ग्राम पंचायत छिनका वि0ख0 अगस्त्यमुनि

ANNEXURE-7

25716

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
बदरीनाथ रोड, श्रीनगर गढ़वाल

Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Srinagar-Garhwal-246174

Tel 01346 287113 Email : cmugangaunit@gmail.com

पत्रांक	Camp/Mandakini/ दि 21/10/2023	प्रेषण का माध्यम	ई-मेल		डाक द्वारा	

सेवा में,

प्रभारीय वनाधिकारी,
सदस्य व संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग

विषय:— Regarding Compliance of Direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A. No 200 of 2014 -M.C. Mehta's matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 13.10.2023 को सम्पन्न हुई जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग की बैठक में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में इस इकाई से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत् है :—

Cities/Panchayat	Issues	Compliance
Rudraprayag	Utilization of treated sewage, use of sludge as a manure and septage management	In District Rudraprayag STPs are constructed for Treatment of Nala Tapping, which were directly flowing on river. In view of this after treatment of sewage, the less quantity of sludge has been generated at STPs, which is utilized as fertilizer for gardening of STPs plant.

भवदीय,

21/10/2023

(रविन्द्र सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग महोदय।
2. महाप्रबन्धक निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।

21/10/2023

परियोजना प्रबन्धक

ANNEXURE-8

25717

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)

प्रेषित,

उप वन संरक्षक/जिला संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग

पत्रांक:- 865/सिं०ख०के०(अ०)/गंगा संरक्षण/ दिनांक: 21/10/2023

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के संबंध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक - 1541/7-2/दिनांक 20.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि इस खण्ड के अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. में दिये गये निर्देशो से संबंधित सूचना संलग्न प्रारूप में तैयार कर आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(राजेश भौटियाल)
अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड केदारनाथ(अगस्त्यमुनि)

Irrigation division kedarnath (Agastyamuni)			
sr. no.	Issues	Department	Compliance
1	Agricultural run off and contamination of rivers and streams with pesticides and other chemicals.	Agriculture	-
2	Preventing dischang of industrial effluents in Ganga and its tributaries/drains by ensuring installation of proper functioning of ETPs/CETPs.	GM DIC	-
3	Demarcation of flood plain zones and preventing encroachments thereof.	Irrigation/Renew power coporation Ltd.	Demarcation work of flood plain zones has been completed from Kedarnath to Silli, there is no encroachment seen in between this reach.
4	Maintenance of e-flow	Irrigation	e-flow is monitoring as per norms.
5	Preventing dumping of solid and other waste in and around Ganga.	Nagar Palika Rudraprayag	-
6	Clearing old legacy waste dump sites.	Nagar Palika Rudraprayag	-
7	Preventing and regulating illegal sand mining.	Geological/mining Officer	-
8	Steps for conservation of groundwater particularly with reference to critical, semi-critical and over exploited areas.	CDO	-
9	Taking action against polluters by way of recovering compensation for restoration of the damage to the environment.	Nagar Palika Rudraprayag	-

(RAJESH NAUTIYAL)
EXECUTIVE ENGINEER
Irrigation division kedarnath (Agastyamuni)

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।

प्रेषित,

उप वन संरक्षक/संयोजक
जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक: 1719 /सिं0ख0रू0/ दिनांक : 21/10/2023

विषय : माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक : 1591/7-2 दिनांक : 20/10/2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 (O.A.M 200 of 2014 M.C. Mehta V/s Union of India in the Matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.) मामले में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 से सम्बन्धित बिन्दुओं की आख्या निम्नानुसार :-

Sr.No	Issues	Department	Compliance
1	Agricultural run-off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemical.	Agriculture	-
2	Preventing discharge of Industrial effluents in Ganga and its tributaries/drains by ensuring installation of proper functioning of ETPs/CETPs.	GM DIC	-
3	Demarcation of flood plain zone and preventing encroachment thereof.	Irrigation / Revenue power Corporation Ltd.	Flood Plain Zone has been notified vide Government Order no-1943/II(2)/2021-05(14)/2020 dated 31-12-2021 and demarcation of flood plain zone has already been completed and there is no encroachment thereof.
4	Maintenance of e-flow	Irrigation	E flow is being maintained at Khankara Reservoir under the Jurisdiction of Irrigation Division Rudraprayag.
5	Preventing dumping of solid and other waste in and around Ganga.	Nagar Palika Rudraprayag	-
6	Cleaning old legacy waste dump sites.	Nagar Palika Rudraprayag	-
7	Preventing and regulating illegal sand mining.	Geologist/Mining Officer	-
8	Step for conservation of groundwater particularly with reference to critical, semi-critical and over-exploited areas.	CDO	-
9	Taking action against polluters by way of recovering compensation for restoration of the damage to the environment	Nagar Palika Rudraprayag	-

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग

25720 ANNEXURE-9

ReNew

RUUPL/DFO/23-24/246

Date- 20th October 2023

Sh. Abhimanyu
Divisional Forest Officer
Rudraprayag Division
Rudraprayag, Uttarakhand

Subject - Regarding compliance of directions issued by Hon'ble National Green Tribunal , New Delhi through PIL

Ref.- Your office letter no 1540/7-1 dated 20.10.2023

Dear Sir,

In reference to the above letter regarding compliance of maintenance of e-flow. Our submission is as-

1. Singoli Bhatwari HEP is maintaining e-flow as per Gazette notification dated 10th October 2018 by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (National Mission for Clean Ganga) (Attached as annexure 1).
2. Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, Government of India is monitoring e-flow with reference to discharge target communicated by them (Attached as annexure 2).
3. Also, hourly data is being shared to Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, Government of India on daily basis. A summery sheet of inflow, e-flow targets and released e-flow is attached as annexure 3.

Yours sincerely,

Makarand Joshi
AVP & Plant Head

ReNew Jal Urja Private Limited
(Formerly known as ReNew Jal Urja Limited and ReNew Urja Limited)
CIN: U74900DL2006PTC232329, Corporate Office: ReNew Hub, Commercial Block-1, Zone-6, Golf Course Road, DLF City Phase-V, Gurugram - 122009, Correspondence Office: Village Sadukigarh, P.O. Rudrakhal, Rudraprayag, Uttarakhand - 246471, Registered Office: 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, www.renew.com T +91 124 469 4900 F +91 124 469 4999

Annexure-1

Appendix-V

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4099] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 10, 2018/आश्विन 18, 1940
No. 4099] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2018/ASVINA 18, 1940

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5195(अ).—गंगा नदी अत्यधिक पवित्र और इस देश के लोगों द्वारा अत्यंत पूजनीय है तथा गंगा नदी बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र के निर्धारानुसार भारत में वृहत्तम नदी बेसिन है, जिसमें संपूर्ण देश की छब्बीस प्रतिशत भूमि सम्मिलित है तथा जो लगभग पचास करोड़ जनसंख्या के लिए पोषणीय है;

और गंगा नदी विशेष सुधों, विभिन्नताओं तथा महत्व के रूप में अद्वीतीय है जिसका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव विभिन्नता के साथ जल-विज्ञान, भू-आकृतिविज्ञान, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारक है;

और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है तथा नदी-प्रणाली में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए बेसिन में सतह पानी की बढ़ती मांग के साथ घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट सहित विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण प्रवेश कर रहा है, जो नदी के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है;

और भारत सरकार समुचित पर्यावरण प्रवाह तथा साथ ही नदी में प्रदूषण के प्रवेश के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए नदियों की पारिस्थितिकी की बहाली करने और उसे बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है;

और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गंगा नदी में हर समय पानी के निर्बाध प्रवाह को पूरी तरह से बनाए रखा जाए, जिससे मौजूदा विभिन्नताओं को बदले बिना नदी में प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित हो सके;

केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन अधिसूचना का.आ. 3187 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2016 द्वारा गंगा नदी जलक्षेत्र के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंध तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया था, अर्थात्:-

(क) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय बहुमीय संरक्षण, संरक्षा और प्रबंध को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सतैव विभिन् क्षेत्रों में निर्मल बिंदुओं पर बनाए रखने के लिए अपेक्षित गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पारिस्थितिक

5941 GI/2018

RENEW JAL URJA PVT. LTD.

प्रवाह के परिणाम को अनुमति प्रदान करने की सिफारिश करती है और उसके अनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए ऐसी आवश्यक शर्तें उल्लेख या विशेष शर्तें:

(iv) गंगा नदी के प्रमुख सैलाब मैदानों में भवन के प्रवाह की निरंतर उपलब्धता के लिए शर्त निर्धारित करना;

और विशेष सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पर्यावरण प्रवाहों की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

2. अतः केंद्रीय सरकार, गंगा नदी अधिनियम, 2016 की धारा 33 के उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपधारा (2) की धारा 3(2) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमालयी, जल विद्युत, बैराज, और औद्योगिक उपयोगों सहित अन्य परियोजनाओं के लिए नदी प्रवाह की सिफारिश करने के लिए, संरचनाओं और परियोजनाओं के लिए प्रवाह आवश्यकताओं पर न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाहों की प्रवाह प्रकार के लिए सिफारिश करती है, अर्थात्:-

I. देवप्रयाग से हरिद्वार तक मौजूद विभिन्न वाले कमजोरियों के संयोजन से और उद्गम वाले परियोजनाओं के आधार पर नीचे प्रवाह उपयोग करने नदी वैज्ञानिक विस्तार:

क्रम सं.	क्षेत्र	मान	मानसून प्रवाहों को छोड़कर प्रवाह के दौरान प्रवाहित होने वाला न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह का प्रतिशत(%)
1.	शुष्क	सितंबर से मार्च	20
2.	वर्षा	अनुवार, जुलाई और अगस्त	25
3.	अन्य प्रवाह ऋतु	शुष्क से सितंबर	30%

*मौजूद प्रवाह ऋतु के प्रतिशत प्रवाह का 30%

II. हरिद्वार, कन्नौज और कानपुर, अपर गंगा नदी के मुख्य शहरों का विस्तार:

क्रम सं.	बैराज की अवस्थिति	बैराजों के प्रतिकूल लिंक द्वारा की जिसके लिए प्रवाह न्यूनतम प्रवाह (क्यूसेक्स में) (अनुवार से मार्च)	बैराजों के प्रतिकूल लिंक द्वारा की जिसके लिए प्रवाह न्यूनतम प्रवाह (क्यूसेक्स में) (जुलाई से सितंबर)
(1)	भीमगोडा (हरिद्वार)	36	57
(2)	बिजनौर	24	48
(3)	नरौरा	24	48
(4)	कानपुर	24	48

*मानसून-अवधि पर सिफारिश।

III. उपरोक्त उक्त पारिस्थितिकी प्रवाह निम्न के अलावा है, अर्थात्:-

(i) न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह का अनुपालन सभी सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं एवं शहर द्वारा;

(ii) विद्यमान परियोजनाएं जो वर्तमान में इन पर्यावरणीय प्रवाहों के अनुकूल नहीं हैं, उनको मानक प्रक्रिया और यह सुनिश्चित करेंगी कि वांछित पर्यावरणीय प्रवाह आवश्यकता पर मानक इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाए;

(iii) परियोजनाएं जो सिफारिश की निर्माण अवस्था पर हैं, चाहे आंशिक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और अनुमति आवश्यकता के लिए पहले ही आवेदन किया गया है, परियोजनाओं को आदेश जारी करने के पूर्व और उसके अनुसार अनुकूल पर्यावरणीय प्रवाह को उपलब्ध रखने के लिए ही आवश्यक होगी;

(iv) लघु और सूक्ष्म परियोजनाएं जो आकलन स्तर से नदी या धारा की प्रवाही विशेषताओं के परिवर्तित नहीं करती हैं, इन पर्यावरणीय प्रवाहों से मुक्त होंगी;

RENEW JAL URJA LTD

(v) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य की सोसाइटी/प्राधिकरण को विशेष रूप से सुविधित करने के लिए, आवश्यक अनुदान प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता एवं वित्तीय संतुलनों पर कार्यालय की पहचान;

(vi) विशेष रूप से वार्षिक अधिकार प्राधिकारी द्वारा राज्य या संघराज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना, वार्षिकीय, विशेषकर राज्य की संघराज्य क्षेत्र की, वार्षिक कार्यक्रमों की अनुमोदन-प्रक्रिया [जिसे इसके पश्चात् निर्दिष्ट किया गया है] तथा किसी अन्य विनियामक प्रक्रिया के अधीन पर्यावरण मंजूरियों के शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। इस संबंध में अधिकार प्राधिकारी को परियोजना विकासकर्ता या प्राधिकारी द्वारा किसी भी चूक की तुरंत सूचना दी जाएगी और वह अनुपालन निर्देश जारी करेगा;

(vii) संबंधित परियोजना विकासकर्ता या प्राधिकारी इस अधिसूचना की तारीख से छह माह के भीतर विशेष रूप से अपेक्षित विनियमों, बोर्ड प्रावधानों एवं परियोजना स्थलों पर स्थापित किया जाने वाला प्रवाह अनुविधाएं एवं संबंधित अनुरक्षण प्रावधान। प्रभावी पर्यावरण अनुमतियां को लागू, संशोधन करने, उसे लागू करने का अनुमोदित परियोजना विकासकर्ता या प्राधिकारी को दूसरी ओर से संघराज्य क्षेत्र पर केंद्रीय पक्ष सरकार को लागू अनुरोध करेंगे;

(viii) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के परामर्श से, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष रूप से कुछ करने के लिए अतिरिक्त धन को निर्मुक्त करने का निर्देश दे सकेगी।

iv राष्ट्रीय केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण, सिंचाई का प्रभावी ढंग, बाढ़ का कुछ उपशमन और सुरक्षा, पेयजल आपूर्ति प्रयोजनों के लिए सुरक्षित निकासी की मॉनीटरिंग और विनियमन भी है, जैसे अन्य और पैमानिक अवधारणों को समझा जा सकता है। इस निकासी में कमी लाने के लिए साथ एक वार्षिक योजना प्रस्तावित करेंगे।

3. यह आदेश इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

4. यह आदेश अनुसार सभी संबंधित को जारी होने वाली सभी विशेष कार्यालयों के दृष्टिकोण, कार्यालय और अधिकारी के प्रभार लिखे गए सभी अन्य की पूरक आदेश की प्रति और विभिन्न सभी एजेंसियों के कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा।

(सं. ए. - [illegible])

राजीव सिन्हा, अपर सचिव (एवं)

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 2014

S.O.5156(E).—Whereas, the River Ganga is the most revered by the people of this country and the Ganga river basin is the largest river basin in India in terms of catchment area, constituting twenty-six per cent of the country's land mass and supporting about half a billion population;

And whereas, River Ganga is unique as having special properties, features and importance, holding sources that are hydrological, geomorphological, historical, socio-cultural and economical with significant transport and spatial flow variation;

And whereas, River Ganga has been given status of a National river and the ever increasing demand for water for the basin for irrigation, domestic, industrial and other purposes coupled with pollution inputs from different sources including domestic waste, industrial waste, into river system is affecting the health of the entire riverine basin;

And whereas, the Central Government is committed to restore and maintain the wholesomeness of the rivers ensuring appropriate environment flows and simultaneously preventing the pollution inputs into the said rivers;

And whereas, it is considered necessary to ensure that uninterrupted flow of water are maintained throughout its length at all times in River Ganga to ensure continuity of flows in the river without altering the seasonal variations;

And whereas the Central Government vide notification S.O. 3197(E), dated the 7th October, 2016 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has constituted an authority, namely, the National Mission for Clean Ganga for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga basin for the following purposes, namely:-

(i) to determine the magnitude of ecological flow in the River Ganga and its tributaries required to be maintained at different points in different areas at all times with the aim of ensuring water [illegible] environmentally

Appendix-V

(b) to quantify the average flow of water at specified points through Hydrological Observation Stations of the River Ganga;

(c) to devise a system for continuous monitoring of flow of water in the River Ganga and its tributaries;

And whereas the Central Government has decided to determine certain flows in the River Ganga and its tributaries;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and read with sub paragraph (i) of paragraph 10 and clause (c) of sub paragraph (i) of paragraph 11 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, the Central Government hereby notifies the following minimum environmental flows to be maintained in the main downstream of dams/barrages or projects across the diversion of river flow for purposes like irrigation, hydropower, domestic and industrial and other requirements, namely:-

I. Upper Ganga River Basin Stretch starting from Gangotri, Uttarkashi and through Rishikesh, Haridwar finally meeting at Devprayag up to Rishikesh:

Sl. No.	Season	Months	(%) Percentage of Monthly Average flow observed (50% exceedance) in each period to daily period
1	Dry	November to March	30
2	Lean	October, April and May	25
3	High flow season	June to September	20*

*20% of monthly flow of High flow season.

II. Stretch of main stem of River Ganga from Haridwar, Uttarakhand to Unnao, Uttar Pradesh:

S. No.	Location of Barrage	Minimum flow criteria (monthly downstream of barrage) (In Cumec) November to March (October to May)	Minimum flow criteria (monthly downstream of barrage) (In Cumec) May to June (June to September)
(1)	Bhimgoda (Haridwar)	36	57
(2)	Bijnor	24	48
(3)	Narora	24	48
(4)	Kanpur	24	48

Cumec – Cubic Meter per second

III. The above said ecological flows are subject to the following, namely:-

(i) the compliance of minimum environmental flow is applicable to all existing, under-construction and future projects;

(ii) the existing projects, which currently do not meet the norms of these environmental flows, shall comply and ensure that the desired environmental flow norms are complied within a period of three years from the date of issue of this order.

(iii) the project which is at different stages of completion, where physical progress on ground has been initiated and made and reported to appropriate authority shall have added responsibility to maintain the stipulated environmental flow before and after commissioning of the project;

(iv) the mini and micro projects which do not alter the flow characteristics of the river or stream significantly are exempted from these environmental flows;

(v) to ensure the attainment of desired conditions of water in multiple environmental flows, flow conditions in these river reaches shall be monitored at hourly intervals/real time basis;

(vi) the Central Water Commission shall be the designated authority and the custodian of the data and shall be responsible for supervision, monitoring, validation of flows and reporting of monitoring information to the appropriate authority as and when required and also authorized to take emergent actions from the water storage norms in case of any emergency. The Central Water Commission shall submit the monitoring-cum-compliance report on monthly basis to National Mission for Clean Ganga;

(vii) the concerned project developers or authorities shall install automatic data acquisition and data transmission facilities or required manpower infrastructure at project sites at appropriate locations specified by the Central Water Commission within six months from the date of this Order. The installation, calibration, maintenance of flow monitoring facility shall be the responsibility of the project developers or authorities and they shall furnish the data to the Central Water Commission from time to time;

(viii) the Central Government through National Mission for Clean Ganga may direct release of additional water in the River Ganga to meet special demand as and when required.

IV. The concerned Central and State authorities shall implement demand side management plans to reduce water withdrawal from River Ganga by adopting good and scientific practices such as efficient method of irrigation, reuse and recycle of water including wastewater and rejuvenation of natural water bodies used for various purposes.

3. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

4. This Order shall apply to the upper Ganga River Basin starting from originating districts and through respective confluences of its head influents finally meeting at Devaprayag up to Haridwar and the main stem of River Ganga up to Unnao district of Uttar Pradesh.

[F. No. Est/01/2016-17/1(NMCG)(Vol III)]

RAJIV RANJAN, Executive Director(Admn)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Annexure-2

File No.T-33053/1/2020-GD DTE- DEHRADUN

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियंता
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Himalayan Ganga Division, Haridwar

दिनांक -11.10.2023

सेवा में,

परियोजना प्रमुख,
सिंगोली भटवारी, एच.ई.पी,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।

विषय : सिंगोली भटवारी के दिनांक 11.10.2023 से 20.10.2023 के मध्य पर्यावरणीय प्रवाह लक्ष्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1- भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या - D.L.-33004/99 दिनांक- 09.10.2018.
2- भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या -D.L.-33004/99 दिनांक- 14.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त के सन्दर्भ में दिनांक 11.10.2023 से 20.10.2023 के मध्य पर्यावरणीय प्रवाह के लक्ष्य निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	दैनिक औसत निस्सारण लक्ष्य	कुल दैनिक लक्ष्य	अवधि
1.	14.436 Cumecs	1.247 MCM	11.10.2023 to 20.10.2023

स्वीकृत एसओपी के अनुसार, उपरोक्त लक्ष्य सिंगोली भटवारी में पिछले 10 दैनिक औसत प्रवाह अवधि (01.10.2023 से 10.10.2023) के 25% पर आधारित हैं।

अंतर्वाही में दैनिक परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए, दिन के दौरान ई-प्रवाह निर्गमन दर (निर्वहन) दिन के लक्ष्य ई-प्रवाह दर के 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर भिन्न हो सकती है। हालांकि, दिन के दौरान जारी प्रवाह मात्रा ई-प्रवाह रिलीज के लक्षित दैनिक मात्रा से कम नहीं होगी।

यह अनिवार्य है कि उपरोक्त का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally Signed by Vishal Garg
Date: 11-10-2023 17:40:07
Reason: Approved

(अधिशासी अभियंता)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड शासन।
2- इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तराखंड शासन।
3- मुख्य अभियंता, पी एंड डी ओ., केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।
4- मुख्य अभियंता, उ.ग.बे.सं., केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ।
5- कार्यकारी निदेशक (तकनीकी),NMCG, DoWR, RD & GR ,नई दिल्ली।
6- अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग देहरादून।

RENEW JAL URJA PVT. LTD.

एन-81 शिवालिक नगर, हरिद्वार-, उत्तराखंड)
दूरभाष: 1334-235882,
ईमेल: hgdcwc@gmail.com, cehgd-cwc@nic.in

N-81, Shivalik Nagar, Haridwar-(UK)
Tel: 1334-235882,
E-mail: hgdcwc@gmail.com, cehgd-cwc@nic.in

Conserve Water- Save Life

File No.T-33053/1/2020-GD DTE- DEHRADUN

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियंता
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Himalayan Ganga Division, Haridwar

दिनांक -01.10.2023

सेवा में,

परियोजना प्रमुख,
सिंगोली भटवारी, एच.ई.पी.
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।

विषय : सिंगोली भटवारी के दिनांक 01.10.2023 से 10.10.2023 के मध्य पर्यावरणीय प्रवाह लक्ष्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1- भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या - D.L.-33004/99 दिनांक: 09.10.2018.
2- भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या -D.L.-33004/99 दिनांक: 14.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त के सन्दर्भ में दिनांक 01.10.2023 से 10.10.2023 के मध्य पर्यावरणीय प्रवाह के लक्ष्य निम्नलिखित है-

क्रम.संख्या	दैनिक औसत निस्सारण लक्ष्य	कुल दैनिक लक्ष्य	अवधि
1.	20.144 Cumecs	1.740 MCM	01.10.2023 to 10.10.2023

स्वीकृत एसओपी के अनुसार, उपरोक्त लक्ष्य सिंगोली भटवारी में पिछले 10 दैनिक औसत प्रवाह अवधि (21.09.2023 से 30.09.2023) के 25% पर आधारित हैं।

अंतर्वाहों में दैनिक परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए, दिन के दौरान ई-प्रवाह निर्गमन दर (निर्वहन) दिन के लक्ष्य ई-प्रवाह दर के 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर भिन्न हो सकती है। हालांकि, दिन के दौरान जारी प्रवाह मात्रा ई-प्रवाह रिलीज के लक्षित दैनिक मात्रा से कम नहीं होगी।

यह अनिवार्य है कि उपरोक्त का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally Signed by Vishal Garg
Date: 04-10-2023 09:59:06
Reason: Approved

(अधिशासी अभियंता)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड शासन।
2- इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तराखंड शासन।
3- मुख्य अभियंता, पी.एंड.डी.जी., केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।
4- मुख्य अभियंता, ऊ.गं.बे.सं., केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ।
5- कार्यकारी निदेशक (तकनीकी),NMCG, DoWR, RD & GR ,नई दिल्ली।
6- अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग देहरादून।

RENEW JAL URJA PVT. LTD.

एन-81, शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड।
दूरभाष: 1334-235882
ई-मेल: hgdowc@gmail.com, eehgd-cwc@nic.in
N-81, Shivalik Nagar, Haridwar-(UK)
Tel: 1334-235882,
E-mail: hgdowc@gmail.com, eehgd-cwc@nic.in

Conserve Water- Save Life

File No.T-33053/1/2020-GD DTE- DEHRADUN

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियंता
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Himalayan Ganga Division, Haridwar

सेवा में,

परियोजना प्रमुख,
शिंगोली भटवारी, एच.ई.पी.
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।

विषय : शिंगोली भटवारी के दिनांक 01.09.2023 से 30.09.2023 के मध्य पर्यावरणीय प्रवाह लक्ष्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1- भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या - D.L.-33004/99 दिनांक: 09.10.2018.
2- भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या -D.L.-33004/99 दिनांक: 14.09.2019.

महोदय,

जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्रोद्धार विभाग के अंतर्गत कार्यरत NMCG के उपरोक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यावरणीय प्रवाह के निम्नलिखित घटकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1- **बेसलाइन अंतर्वाह के अनुरूप ई-प्रवाह:**

आधारभूत अंतर्वाही के दस दिवसीय औसतों के 30% को इस दिवसीय अवधि के सापेक्ष का आधारभूत पर्यावरणीय प्रवाह लिया गया है। उपरोक्त आधारभूत अंतर्वाही की गणना, परियोजनाओं की स्थिति पर पूर्व के 10 वर्ष के अंतर्वाही के न्यूनतम मानों के 10 सप्तिमान औसतों पर आधारित है। इसके आधार पर, 01.09.2023 से 30.09.2023 तक दस दिवसीय अनिवार्य पर्यावरणीय प्रवाह निम्नलिखित है:

क्र.सं.	आधारभूत अंतर्वाह के अनुरूप कैप अनिवार्य ई-प्रवाह	अवधि
1.	27.796 Cumecs	प्रथम दस दिवसीय (01.09.2023 से 10.09.2023) तक
2.	21.853 Cumecs	दूसरा दस दिवसीय (11.09.2023 से 20.09.2023) तक
3.	16.169 Cumecs	तृतीय दस दिवसीय (21.09.2023 से 30.09.2023) तक

चूंकि बेसलाइन अंतर्वाह विश्लेषण की डिटेल के साथ उपलब्ध है, बेसलाइन अंतर्वाहों के अनुरूप ई-प्रवाहों को लक्ष्य के अनुसार प्रतिदिन दस-दिन की अवधि में तोड़ी जिया जाना अनिवार्य होगा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

2- **बाढ़ प्रवाह के अनुरूप ई-प्रवाह:**

चूंकि प्रवाहों की प्रवृत्ति अनियमित है, बाढ़ प्रवाहों के पर्यावरणीय प्रवाहों को माह के दौरान किसी भी समय, मुख्यतः उच्च बाढ़ प्रवाह के दौरान, छोड़ा जा सकता है परियोजनाओं के प्रस्तावित बाढ़ प्रवाहों के सापेक्ष पर्यावरणीय प्रवाहों माह के किसी भी समय पर छोड़ने के लिये स्वतन्त्र है। हालांकि, बाढ़ प्रवाहों की मात्रा पर्याप्त हो जिससे भी समस्त पर्यावरणीय प्रवाह लक्ष्य के दौरान समस्त अंतर्वाही, जिसमे आधार भूत पर्यावरणीय प्रवाह भी सम्मिलित है का 30%) के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

यह अनिवार्य है कि उपरोक्त का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally Signed by Vishal Garg
Date: 28-08-2023 10:41:17
Reason: Approved
(अधीक्षण अभियंता)

RENEW JAL URJA PVT. LTD.

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड शासन।
2- इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तराखंड शासन।
3- मुख्य अभियंता, पी एंड डी ओ, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।
4- मुख्य अभियंता, उ.गं.बे.सं., केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ।
5- कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) NMCG, DoWR, RD & GR, नई दिल्ली।
6- अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग देहरादून।

एन-81 शिवालिक नगर, हरिद्वार-, उत्तराखंड)
दूरभाष: 1334-235892
ई मेल: hgdcwc@gmail.com, eehgd-cwc@nic.in

N-81, Shivalik Nagar, Haridwar-(UK)
Tel: 1334-235892,
E-mail: hgdcwc@gmail.com, eehgd-cwc@nic.in

Conserve Water- Save Life

Annexure-3

Singoli Bhatwari HEP Discharge Data			
Date	Total Inflow (m^3/s)	E-Flow Target (m^3/s)	Actual E- flow release (m^3/s)
1-Sep-23	119.37	27.80	59.36
2-Sep-23	113.86	27.80	48.11
3-Sep-23	103.31	27.80	37.11
4-Sep-23	101.00	27.80	38.67
5-Sep-23	97.90	27.80	32.34
6-Sep-23	100.94	27.80	35.00
7-Sep-23	99.71	27.80	33.84
8-Sep-23	102.07	27.80	36.30
9-Sep-23	97.08	27.80	33.38
10-Sep-23	142.54	27.80	77.07
11-Sep-23	107.05	21.85	40.56
12-Sep-23	95.72	21.85	29.81
13-Sep-23	97.29	21.85	31.33
14-Sep-23	95.28	21.85	29.60
15-Sep-23	100.17	21.85	34.20
16-Sep-23	100.17	21.85	34.20
17-Sep-23	97.68	21.85	32.06
18-Sep-23	97.30	21.85	33.86
19-Sep-23	99.14	21.85	33.91
20-Sep-23	98.62	21.85	33.81
21-Sep-23	95.97	16.17	31.92
22-Sep-23	93.67	16.17	29.93
23-Sep-23	99.89	16.17	41.29
24-Sep-23	84.51	16.17	42.72
25-Sep-23	78.74	16.17	27.57
26-Sep-23	77.90	16.17	25.09
27-Sep-23	71.94	16.17	21.71
28-Sep-23	69.89	16.17	21.33
29-Sep-23	68.29	16.17	21.42
30-Sep-23	65.57	16.17	20.95
1-Oct-23	60.26	16.17	19.44
2-Oct-23	56.45	16.17	16.95
3-Oct-23	55.66	16.17	17.23
4-Oct-23	58.63	20.14	20.26
5-Oct-23	59.29	20.14	21.46
6-Oct-23	59.61	20.14	21.53
7-Oct-23	60.52	15.97	21.45
8-Oct-23	57.31	11.79	21.33
9-Oct-23	55.99	11.79	21.14
10-Oct-23	53.79	11.79	21.08
11-Oct-23	49.24	14.43	19.04
12-Oct-23	45.73	14.43	14.55
13-Oct-23	44.73	14.43	14.57
14-Oct-23	44.11	14.43	14.65
15-Oct-23	42.97	14.43	15.15
16-Oct-23	42.33	14.43	14.85
17-Oct-23	41.03	14.43	15.08
18-Oct-23	39.53	14.43	14.79
19-Oct-23	39.17	14.43	15.00

RENEW JAL URJA PVT LTD

ANNEXURE-10

25730

।। कार्यालय नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक न-20 / गंगा संरक्षण / 2023-24 दिनांक 20 अक्टूबर 2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग / जिला संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग।

विषयः— माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पीoआईएल में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय पत्र सं0 1541/7-2 दिनांक 20 अक्टूबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें इसके अनुपालन में आख्या सादर प्रेषित है।

sr no	isssues	department	compliance
1	preventing dumping of solid and other waste in and around ganga	nagar pallica rudraprayag	केदारनाथ–नगर पंचायत केदारनाथ में 50पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गयी है जिनके द्वारा प्रत्येक दिवस नगर क्षेत्रान्तर्गत 2 पालियों में साफ सफाई की जाती है, नगर क्षेत्रान्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से डोर-टू-डोर जैविक/अजैविक कूड़े को उठाया जाता है नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्सर्जित कूड़े को ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से कूड़ा निस्तारण केन्द्र तक पहुंचाया जाता है, जहां प्लास्टिक कूड़े की छंटनी कर घोड़े/खच्चरों के माध्यम से रिसाईकिलिंग केन्द्र सोमप्रयाग भेजा जाता है। कूड़ा निस्तारण केन्द्र हेतु नगर पंचायत केदारनाथ को राजस्व विभाग की 0.300 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है। अवधि तक नगर पंचायत केदारनाथ को अजैविक कूड़े से 1,94426 रू0 की आय प्राप्त हुई है। रूद्रप्रयाग– नगर पंचायत में नदी किनारे किसी भी प्रकार के कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। निकाय के द्वारा जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु वार्ड नo- 03

ओमकारेश्वर वार्ड में कम्पोस्ट पिट बनाये गये है जहां खाद तैयार की जाती है। अजैविक कूडे के निस्तारण हेतु वार्ड न0 03 में नगर पंचायत कार्यालय के समीप सेग्रीगेशन सेन्टर बनाया गया है। सेग्रीगेशन उपरान्त अजैविक अपशिष्ट को कॉम्पैक्ट कर सिल्लिया बना कर विक्रय किया जाता है।

तिलवाड़ा–नगर पंचायत तिलवाड़ा में 17 पर्यावरण मित्रों के माध्यम से नगर के सभी चारो वार्डो में डोर–टू–डोर कूड़ा कलैक्शन किया जाता है, जिसमें गीले कूड़े को बावई मोटर मार्ग पर छटाई कर खाद तैयार किये जाने हेतु पिट में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त सूखे कूड़े को कॉम्पैक्टर मशीन के माध्यम से कॉम्पैक्ट कर सिल्लियां बनाई जाती है जिसमें आतिथि तक कुल रू0 112650.00 धनराशि की आय प्राप्त हुई है।

अगस्तमुनि–नगर पंचायत अगस्तमुनि द्वारा नदी किनारे किसी भी प्रकार के कूडे का निस्तारण नही किया जा रहा है। निकाय के द्वारा डोर–टू–डोर कलैक्शन के उपरान्त एकत्रित जैविक कूडे के निस्तारण हेतु वार्ड न0 04 गंगा नगर में कॉम्पैक्ट पिट तैयार किये गये है जिनमें नगर क्षेत्रान्तर्गत एकत्रित किये गये जैविक कूड़े से जैविक खाद तैयार की जाती है एवं अजैविक कूडे के निस्तारण हेतु वार्ड न0 07 में नगर पंचायत कार्यालय के समीप एम0आर0एफ0 सेन्टर बनाया गया है जहां पर नगर क्षेत्रान्तर्गत एकत्रित किये गये अजैविक कूडे का निस्तारण किया जाता है। आतिथि तक नगर पंचायत द्वारा अजैविक कूड़े से 696400.00रू0 की आय अर्जित की गयी है ।

रूद्रप्रयाग–नगर पालिका द्वारा 52 पर्यावरण मित्रों के माध्यम से

			डोर–टू–डोर कलैक्शन का कार्य किया जाता है । एकत्रित कूड़े को छटनी कर जैविक कूड़े से खाद तैयार की जाती है। अजैविक कूड़े को रैंतोली स्थित कूड़ा निस्तारण स्थल में कॉम्पैक्टर के माध्यम से कॉम्पैक्ट कर बिल्लियां बना कर कूड़े का विक्रय किया जाता है। अतिथि तक कूड़े का विक्रय कर 989855 रु० की आय पालिका को हुई है।
2	cleaning old legacy waste dump sites.	nagar palika rudraprayag	केदारनाथ– उखीमठ– नगर पंचायत उखीमठ में किसी भी प्रकार का लिगेसी वैस्ट नही है। अगस्तमुनि–नगर पंचायत अगस्तमुनि में किसी भी प्रकार का लिगेसी वैस्ट नही है। तिलवाड़ा– नगर पचायत तिलवाड़ा में लिगेसी वैस्ट जनरेट नही है। रुद्रप्रयाग–नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग में किसी भी प्रकार का लिगेसी वैस्ट नहीं है।
3	taking action against polluters by way of recovering compensation of the damage to the environment.	nagar palika rudraprayag	जनपद की पालिका /पचायतो के द्वारा समय– समय पर प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग एवं गंदगी पर चालान कर अर्थ दण्ड वसूला जाता है।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी/नोडल अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रुद्रप्रयाग

25733

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रुद्रप्रयाग ।।
Email- nptilwara@gmail.com

पत्रांक 413 /न0पं0ति0/2023–24 दिनांक 30/10/2023

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग।

विषय :– सोलिड वेस्टमैनेजमेन्ट के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, सम्बन्ध में आप से दूरभाष के माध्यम से हुई वार्ता के क्रम में नगर पंचायत तिलवाडा स्तर से सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्नानुसार है :–

1– महोदय नगर पंचायत तिलवाडा में 17 पर्यावरण मित्रों के माध्यम से नगर के सभी चारो वार्डों में डोर–टू–डोर कूडा कलैक्शन किया जाता है, जिसमें गीले कूडे को बायोगैस प्लांट मार्ग पर छंटाई कर खाद तैयार किए जाने पिटों में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कूडा जैसे कॉच, लोहा गत्ता इत्यादि को अलग–अलग कर नौलापानी एम0आर0एफ0 सेन्टर में स्टोर कर निस्तारण किया जाता है। जिसके उपरान्त सूखे कूडे को (प्लास्टिक, कुरकुरे के रैपर, चौकलेट के रेपर गत्ता इत्यादि) को कॉम्पेक्टर मशीन के माध्यम से सिल्लियां बनायी जाती है। नगर पंचायत तिलवाडा द्वारा उक्त कूडे को विक्रय किया जाता है। जिसमें आतिथि तक (माह अप्रैल 2023 से माह अक्टूबर 2023) कुल रू0 112650.00 धनराशि की आय प्राप्त हुई है।

2– नगर पंचायत तिलवाडा द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक उपयोग एवं गन्दगी पर समय–समय पर छापेमारी का कार्य कर रही हैं, जिसमें आरोपितों पर अर्थदण्ड वसूल किया जा रहा है। उक्त में वित्तीय वर्ष 2023–24 में कूडे पर कुल 5 चालान के 2200/–की धनराशि एवं प्रतिबन्धित प्लास्टिक उपयोग पर 96 चालान किए गये जिसमें कुल 14300/– की धनराशि वसूल की गयी है।

3– नगर पंचायत तिलवाडा द्वारा प्रति माह में 2 बार 15 तारीख एवं 30 तारीख को बाजार बंद रहता है, जिसमें पर्यावरण मित्रों उक्त तिथियों को नालियों की सफाई की जाती है।

4– नगर पंचायत तिलवाडा द्वारा मन्दाकिनी नदी के तटो पर समय –समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है, तथा गंगा को स्वच्छ बनाये जाने हेतु एवं नदी की प्रवाहित धारा में किसी भी प्रकार का कचरा नदी में प्रवाहित न हो। इसके लिए नगर पंचायत तिलवाडा द्वारा समय–समय पर मौनिटिरिंग किया जाता है।

5– Solid Waste Management नगर पंचायत तिलवाडा क्षेत्रान्तर्गत ट्रैचिंग ग्राउण्ड के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा उक्त चयनित स्थल पर 8 आपत्तियां लगायी गयी थी जिसमें उनका निराकरण हेतु चार शार्ट प्रारूपों पर हस्ताक्षर करवा दिया गया है तथा एफ0सी0 हैण्डबुक पैरा–1.15 के क्रम में प्रमाण पत्र मूल रूप में हस्ताक्षर हेतु आपर जिलाधिकारी महोदय कार्यालय रुद्रप्रयाग हेतु पत्रांक 392/न0पं0ति0/2023–24 दिनांक 07/10/2023 प्रेषित किया गया जिसमें उनके स्तर से प्रतिहस्ताक्षर हो चुके हैं और नगर पंचायत तिलवाडा स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

6– महोदय नगर पंचायत तिलवाडा में लीगेसी वेस्ट जनरेट नहीं है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत तिलवाडा
जनपद–रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :– निम्नांकितो की सेवा में सादर प्रेषित।
1–मा0 जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग।
2–उप वन संरक्षक महोदय रुद्रप्रयाग।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत तिलवाडा
जनपद–रुद्रप्रयाग

25734

।। कार्यालय, नगरपंचायत, ऊखीमठ, जनपद–रुद्रप्रयाग।।

पत्रांक:208/अध्यक्षमि0/मोहिता/2023-24 दिनांक:20 अक्टूबर 2023।

सेवा में,

मोहित अधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग।

विषय– माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नईदिल्ली द्वारा पीओआईएस0 में दिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक उपजिलाधिकारी /जिला सांयोजक जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 1531/7-2 दिनांक–20/10/2023 के अनुपालन में माo हरित प्राधिकरण नईदिल्ली द्वारा पीओआईएस (O.A. No 200 of 2014 M.C Mehta Vs Union of India in the mater to Ganga Pollution and its Cleaning etc.) के मामले में पारित आदेश दिनांक 05/09/202 में नगर पंचायत ऊखीमठ से सम्बन्धित सूचना निम्नवत्– .

Sl. No.	Issues	Compliance
1	Preventing Dumping of Solid and other waste in and around Ganga	नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा घरों जिसमें किसी भी प्रकार के कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए व्यक्तिगत (घरेलू) कूड़े के निस्तारण हेतु वार्ड नं0-3 ऊखीमठ एवं कण्डारा, सिरु कण्डारा में नगर पंचायत द्वारा व्यवस्थित किये गये सीमेन्ट कूड़ा दानों में दैनिक कार्यालय की गाड़ी है एवं व्यक्तिगत कूड़े के निस्तारण हेतु घरों में ही नगर पंचायत द्वारा व्यक्तिगत घरेलू कूड़ेदान वितरित किया गया है जिसमें घर से निकलने वाले कूड़े को व्यक्तिगत (घरेलू) कूड़े की श्रेणीवार (जैविक व्यक्तिगत, रीसेबलव्यक्तिगत, पेपर, प्लास्टिक, सैनिटरी, कपड़ा, रबर आदि) पृथक किया जाता है। सीमेन्ट कण्डारा तथा व्यक्तिगत (घरेलू) कूड़ेदान को पंचायत से वितरित कर घरों को दिशा–निर्देश दिये जाते हैं। जिसे नियमानुसार हेतु नियमित किया जाता है।
2	Clearing old legacy waste dumpsites.	नगर पंचायत ऊखीमठ में किसी भी प्रकार का डम्प साईट नहीं है।
3	Taking action against polluters by way of recovering compensation for restoration of the damage to the environment	नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा समय-समय पर पॉलीथिन व स्वच्छता के सम्बन्ध में जनजागरूकता अभियान के तहत कूड़ा एवं पॉलीथिन एकत्रित किया है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ।

।। कार्यालय, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि, जनपद–रुद्रप्रयाग।।

पत्रांक:मुअ / जअ0अभि0 / नोटिस / 2023–24

दिनांक : 20/10/2023

सेवा में,

गाउल अधिकारी / अभिलाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग।

विषय– माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पीoआईएलo में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उपवन संरक्षक / जिला मजिस्ट्रेट, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्यक–1591 / 7–2 दिनांक–20 / 10 / 2023 के अनुपालन में माo हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पीoआईएल (O.A. No 200 of 2014 M.C Mehta Vs Union of India in the matter to Ganga Pollution and its Cleaning etc.) के मामले में पारित आदेश दिनांक 05 / 09 / 202 में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि से सम्बन्धित सूचना निम्न है–

Sl. No.	Issues	Compliance
1	Preventing Dumping of Solid and other waste in and around Ganga	नगर पंचायत अगस्त्यमुनि द्वारा नदी किनारे किसी भी प्रकार के कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। निस्तार हेतु पैदल (पीडी) कूड़े के निस्तारण हेतु वार्ड नं0–4 बेड़ा नगर में कन्टेनर प्वाइंट बनाये गये हैं जिसमें नगर क्षेत्रान्तर्गत एकत्रित किये गये जैविक कूड़े से प्राकृतिक खाद तैयार की जाती है एवं अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु वार्ड नं0 07 में नगर पंचायत कार्यालय के समीप एमआरएफ सेन्टर बनाया गया है। यहां पर घरों / व्यापारिक एवं संस्थानों से एकत्रित किये गये अजैविक (सूखे) कूड़े को सार्टिंग (प्लास्टिक पालीथिन, थर्मोस प्लास्टिक, गत्ता, रद्दी, टिन, रंगीन कांच, साधारण कांच, एल्यूमीनी, कपड़ा, एवं अन्य) किया जाता है। सेनेटेशन सुपरवाइजर द्वारा अजैविक (सूखे) कूड़ों को कॉम्पैक्टर से कॉम्पैक्ट कर उनकी गठिरियां बनाई जाती है। तत्पश्चात विनिर्माताओं को बिक्री की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष नगर पंचायत अगस्त्यमुनि द्वारा एकत्र अजैविक (सूखे) कूड़े की बिक्री से रु0 8,58,400.00 (रुपये आठ लाख अट्ठावन हजार चार सौ मात्र) की आय अर्जित की गयी है, तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023 तक) में 10,020.00 (रुपये बारह हजार बीस मात्र) का अजैविक (सूखा) कूड़ा विक्रय किया गया है।
2	Clearing old legacy waste dump sites.	नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में किसी भी प्रकार का लैगेसी वेस्ट नहीं है।
3	Taking action against polluters by way of recovering compensation for restoration of the damage to the environment	नगर पंचायत अगस्त्यमुनि द्वारा समय–समय पर कूड़ा फैलाने वालों को चिन्हित कार्यवाही करते हुए उपयुक्त शास्ति किया गया है। विकास द्वारा अनियत कैश एन्ट्री रजिस्टर व कूड़ा फैलाने अधिनियम के तहत कुल 77 चालान कर रु0–1,31,200.00 का अर्थदण्ड वसूल गया है। तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह अप्रैल 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक) कुल 8 चालान कर रु0–8000.00 का अर्थदण्ड वसूल गया है।

अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

20/10/2023

अभिलाषी अधिकारी
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-11

25736

पंचायती राज

कार्यालय :– जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
विकास भवन, सौड, बेला, रुद्रप्रयाग।

EMAIL ID:dpcrudraprayag@gmail.com

पत्रांक:– 546 /पं0–7/लेखा–पी0आई0एल0–200–2014/2023–24, दिनांक–27, अक्टूबर, 2023।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

विषय: माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या–349/दिनांक–27, अक्टूबर, 2023 के द्वारा माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित पी0आई0एल0 के मामले में पारित आदेश दिनांक–05, सितम्बर, 2023 के अनुपालन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है।

S.N.	Issues	Compliance
1	Preventing dumping of and other waste in and around Ganga. 1– जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कॉम्पेक्टर की स्थिति।	जनपद रुद्रप्रयाग के तीन विकास खण्डों यथा कि0 खण्ड अगस्त्यमुनि की ग्राम पंचायत मयाली एवं कि0 खण्ड ऊखीमठ की ग्राम पंचायत मनसूना में कॉम्पेक्टर पूर्व में ही स्थापित किये जा चुके हैं, जहाँ पर प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया गतिमान है तथा कि0 खण्ड अगस्त्यमुनि की ग्राम पंचायत फलई में कॉम्पेक्टर शेड तैयार हो चुका है तथा कॉम्पेक्टर स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है।
	2– जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा वाहन की स्थिति (कूड़े की मात्रा सहित)	जनपद के तीनों विकास खण्डों में स्वजल के माध्यम से जी0पी0एस0 सहित कूड़े वाहन उपलब्ध कराये गये है, जी0पी0एस0 को दिनांक–16, अक्टूबर, 2023 को क्रियान्वित किया जा चुका है तथा विकास खण्डों द्वारा वास्तविक रूप से रूट चार्ट तैयार कराते हुए ग्राम पंचायतों में रोड हेड पर बने कूड़ा पृथक्कीकरण केन्द्र से प्लास्टिक कूड़े का उठान किया जा रहा है, वि0ख0 ऊखीमठ एवं ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि एवं बिलयाखा में (नोएम) के कॉम्पेक्टर में निस्तारित किया जा रहा है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कूड़े की मात्रा कुल मासिक रूप से तीनों विकास खण्डों के कूड़े की गणना करने पर मात्र 26 से 30 मि0ग्रा0 कूड़ा ही इकट्ठा किया गया है।
	3– ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था।	जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में स्वजल एवं पंचायत राज द्वारा रोड हेड पर बनाये गये कूड़ा पृथक्कीकरण केन्द्रों से ही ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत लोहा एवं कांच के बोतले आदि को स्थानीय स्तर पर कबाड़ियों को विक्रय किया जा रहा है। यद्यपि इस प्रकार के कूड़े की मात्रा अति न्यून है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक:– उक्तानुसार(फोटोग्राफ सहित)।

भवदीय,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस अनुरोध के साथ कि प्रत्येक माह उक्त के क्रम में सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय जनपद रुद्रप्रयाग की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

25737

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कूडा वाहन संचालन की स्थिति जनपद – रूद्रप्रयाग।

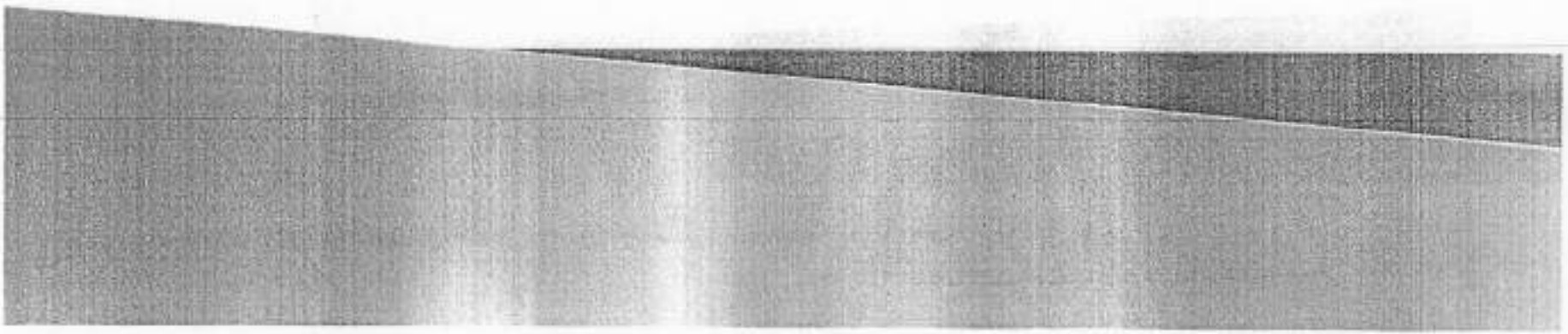

25738

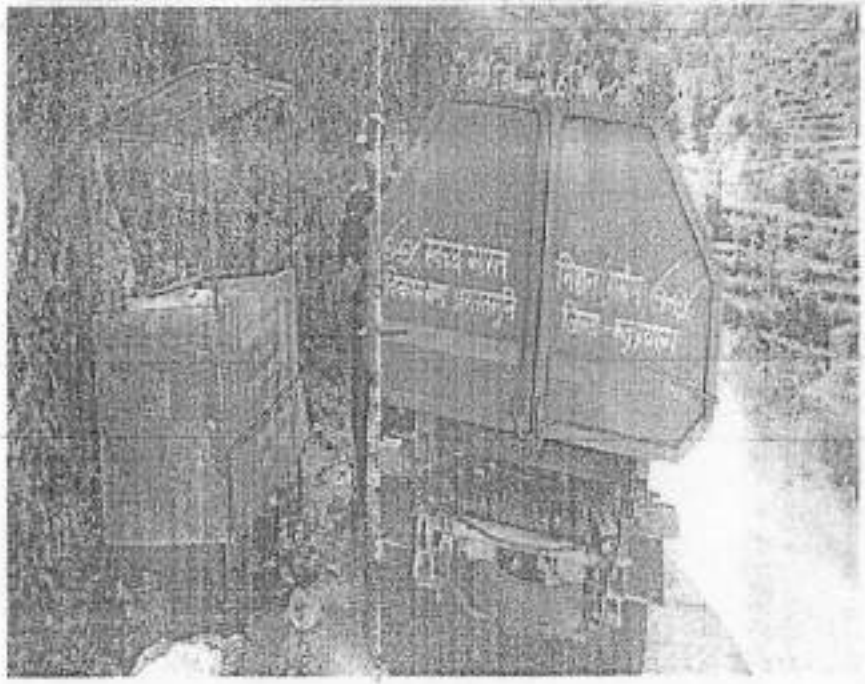

25739

25740

25741

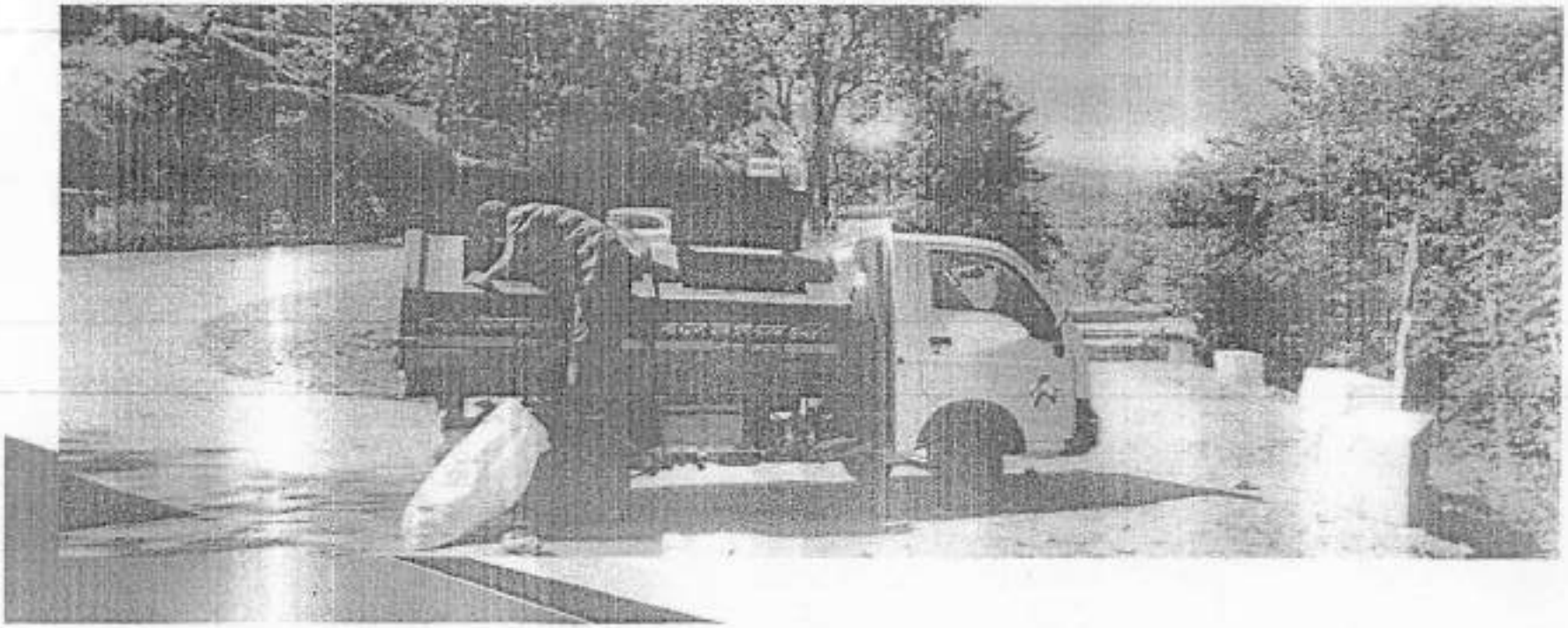

मासिक कूडा वाहन रूट चार्ट– विकास खण्ड अगस्त्यमुनि

रूट सं0	ग्राम पंचायतों की संख्या	कूडा एकीकरण दिवस	रूट							
1	30	सोमवार	कैण्डारा	क्यूजा	कर्णसिली	दौला	जयकण्डी	बाकव	फान्दी	भोली
			भणज	मयकण्डी	अखोड़ी	सेनागढ़सारी	तेवड़ीसैंण	चन्द्रनगर		जंडणी
			भीरी	टेमरिया	जलई सुरसाल	औरिंग	बरम्याड़ी	फेगू	तिनसोली	बष्टी
			किणझाणी	पेड़ा	नागजगई	जलई सुरसाल	तालजामण	वीरोंदवस	जौला	
2	21	मंगलवार	सिल्ला बामणगांव	भटवाडी सुनार	नैणीपोण्डार	कौशलपुर	क्यार्क बरसूडी	सिनघाटा	चन्द्रपुरी	ड्योली
			सिनघाटा	नैणीपीडार	वीरों देवल	बरम्याड़ी	टेमरिया	औरिंग	जौला	डंगुर
			फलई	डालसिंगी	पाली	डांगी	हाट			
3	27	बुधवार	कुमोली	कर्णधार	बैंजी	डांगी गुलाड	बायई	चौकीबसैंत	सौडमेटगांव	फलासी
			कोलुभन्नू	आगर	कोलण्डी	तडाग	बछनी	भौंताल	फलसी	जगोत
			मणिगुह	सिंसाल	धनेली	धिमरोली	स्यारीग्यास	क्यौला	भटवाडी	
			कुण्डादानकोट	क्यूडी	कमसाल	मालखी				
4	39	बृहस्पतिवार	सन	बरम्याड़ी	खैतोणा	नारी	स्यूपुरी	स्तोस	मयकोटी	धामक
			बमसवाड़	धारकोट	कफेड़ा	गोरणा	जाखणी	लोदला	भैंसगांव	सान्दर
			जोंदला	कवीली	बछूण	काण्डई जग्गी	गडमिल	सणगू	खातोणा	काण्डई बैंगी
			थपलगांव	रिजेराकोट	कोट	स्यूडी मलासि	कोठगी	छिनका	नागयकोडासाल	घोंसरी
			बूरा	स्यूण	गन्धारी	डांगरी	चापड	डुंगरी	गडोरा	
5	22	शुक्रवार	खांकरा	बगोली	बामसू	बेरागणा	काण्डई	दानकोट	निवणी	धोंगना
			धारकोट (बरसूडी)	बणगांव	कमोस्डी	जुण्टई	कपल्सी	बणसी	पीपरसी	रणधी
			नरकोटा	नवासू	पहड	डुग्रा	घाटा	लोली		
6	20	शनिवार	बर्सू	तूना	पीडा	पायों	बीरों	घन्सियाधंलेका	लदोला	[illegible]
			कोट	दयूली	भुनका	नरण्डा	घोलतीर	धौना	रतूडा	[illegible]
			धापली	नगरासू	कोदिमा	खुमेरपुर				

159

खण्ड विकास अधिकारी

विकास खण्ड– जखोली

जनपद– रुद्रप्रयाग

ग्राम पंचायत स्तर से वित्त आयोग के अनुदानित कूड़ा निस्तारण हेतु कूड़ा वाहन द्वारा संग्रह कूड़ा एकत्र कर कम्पोस्टर यार्ड तक पहुचाने हेतु वाहन का रूट चार्ट विवरण

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	वाहन चलने की तिथि (जिस तिथि को वाहन द्वारा भ्रमण किया जाना है।)	वाहन चलने का स्थान (प्रातः 8 बजे)	कूड़ा संग्रहण हेतु आच्छादित ग्राम पंचायतों का विवरण / रूट चार्ट	कूड़ा संग्रहण केन्द्र / कूड़ा कम्पोस्टर स्थल का नाम	कु... पंचा... की...
1	2	3	4	5	6	
1 2 3	विकास वाहन	रविवार	विरलिया से	(प्रातः) तुरिया, पुडक, पालकुराली, उरोली, उमरना, गाली, लुहर, धरा, भटेर, ओटो देवल (सायं) मनपुराली, कवीरा जखोली, कवणिया, हलाट, गौरा, नन्दकाणा, पटवाडी बरसीर, लमूडी जखर्गी, बमाली	नगाली	
4 5	विकास वाहन	सोमवार	कलगी से	(प्रातः) बमाली, पैटाणा, डंडकुडी, गोल, बोट, जखनोली टल्ली, जखनोली भल्ली, लिंगवाल, खरियाल, सुन्याल, पाठा (सायं) पुनाडाणा, पुलना, सिरवाडी, सौंदा, बुधोला, पैला अरखोली,नाग,मैरकोट,पोनगा,कोटियाल	मगाली	
6 7	विकास वाहन	मंगलवार	तौनाऊ से	(प्रातः) सौंदा, गोदना, पुलना, पैलाली तल्लियासू, मंगरा, पुजाली (सायं) गोदना, पल्लाली, घाट, पुलनुर, कुकली, मल्लाणाव तल्लाली, जोली, धोगी,	तिलवाड़ा/ बसवाड़ापुल	
8 9 10	विकास वाहन	बुधवार	घाट से	(प्रातः) घाट, मुनाडाणा, डांगी, मध्यमाग, धनोल, जखोला, भरतुण्ड, बानकोट, सूर, कुडोदूली, रायली (सायं) डोभाबदन, मण्डलजाड़ी, सिरोड़, पुलपबल, अखोलीबदना, मरोखना, डागासगाव, तेमडाली, डांगलिया,	अगस्त्यमुनि	
11	विकास वाहन	गुरुवार	कंडी गरदार	बांसी, गौण्डा सिराई, भड़ार, संतोली, तोमरगाव,जाखन्द, सिमली, दौण्डा, पैसर मल्लागाव, सौन्दा, कोटा, पंचर	अगस्त्यमुनि	
12 13	विकास वाहन	शनिवार	सकलाना से	खरुवा, उदियाणगाव, सिलगाव, डोगी चाजाल, उनी भरदार, रतनपुर, काठी, सेमलता, पौडियर, बसोली, जखोली, दरमोला, मालासू	बीरोंखाल	

खण्ड विकास अधिकारी
जखोली

कूड़ा वाहन रुट चार्ट विकासखण्ड–ऊखीमठ

रुट सं0	कूड़ा एकत्रीकरण दिवस	ग्राम पंचायतों की संख्या	वाहन का प्रकार	कूड़ा संग्रहण हेतु आच्छादित ग्राम पंचायतों का विवरण/रुट चार्ट								कूड़ा संग्रहण केन्द्र/वर्मीकंपोस्ट स्थित का नाम
1	सोमवार	22	पिकअप वाहन	मुनकाशी	त्यूड़ी	बगसू	देवराल	रुद्रपुर	पैंदर	सांकरी	गाता	[illegible]
				भतसम	सुनसा	बुंग	मैखंडा	खट	खतेरा	चियाग	जामु	
				बडासू	शेरखी	च्यालसू	त्रियुगीनारायण	तांती	–	–	–	
2	मंगलवार	9		बर्त्तीगाँव	तमसौडा	फलीचसा	ल्यारा	जंगलचट्टी	स्वांणी	सत्या	सुतगा	[illegible]
						लत						
3	बुधवार	12		बंडुला	कुण्डाटी	सूर्धी	दामसी	[illegible]	फालगलता	[illegible]	कोटमा	
				स्यालसू	कविलपदा	कालीमठ	मैखोरी	–	–	–	–	[illegible]
4	वृहस्पतिवार	17		उखिण्ड	पैलिंग	पंवाली	भैंरी	मयाडू	फाटाजगपुडा	पंवाली	देवा	[illegible]
				डुडडू	उषाडा	सारी	करौली	डुगरमनता	पंवाली	किमाणा	पंती	
				फाफल	–	–	–	–	–	–	–	
5	शुक्रवार	10		जगतियगंगा	बाउलेक	उनियाणा	सौंरी	गोडार	बुढ्या	गडगू	गेंड	[illegible]
				न								
				सिरिया	मनसूना	–	–	–	–	–	–	

खण्ड विकास [illegible]

ऊखीमठ

ANNEXURE-12

25745

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः 736/जि0टा0फो0रू0/अवैध खनन/2023–24 दिनांक अक्टूबर, 20, 2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक/जिला संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–1541/7–2 दिनांक 20.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. (O.A. No 200 of 2014 M.C. Mehta Vs Union of India in the matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.) के मामले में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 से निम्न बिन्दु पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है:–

S.No.	Issues	Compliance
1	Preventing and regulating illegal sand mining.	अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, देहरादून के पत्र सं0–504/VII-A-1/2023–09(05)/2023 दिनांक 25.03.2023 के साथ संलग्न कार्यालय ज्ञाप सं0–469/VII-A-1/2023–09(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या–4329/30–अवैध खनन/(2022–23) दि0 25.03.2023 द्वारा अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन जनपद स्तर तथा तहसील स्तर पर किया गया है। उक्त दल द्वारा समय–समय पर अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु क्षेत्रीय भ्रमण/निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माह अप्रैल–2023 से माह सितम्बर– 2024 तक जनपद में अवैध खनन तथा अवैध परिवहन किये जाने पर कुल 16 प्रकरणों में रू0–19,93,498.00 की धनराशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0–14,80,730.00 की धनराशि वसूल करते हुए निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करायी गयी है। अधिरोपित शेष धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने संबंधी कार्यवाही गतिमान है।

अतः उक्त सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय

(डॉ0 दीपक हटवाल)
उप निदेशक/भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग।

Scanned by CamScanner

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक: 736/जि0टा0फो0रू0/अवैध खनन/2023–24 दिनांक अक्टूबर, 20, 2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक/जिला संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–1541/7–2 दिनांक 20.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पी.आई.एल. (O.A. No 200 of 2014 M.C. Mehta Vs Union of India in the matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.) के मामले में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 से निम्न बिन्दु पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है:–

S.No.	Issues	Compliance
1	Preventing and regulating illegal sand mining.	अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, देहरादून के पत्र सं0–504/VII-A-1/2023–09(05)/2023 दिनांक 25.03.2023 के साथ संलग्न कार्यालय ज्ञाप सं0–469/VII-A-1/2023–09(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या–4329/30–अवैध खनन/(2022–23) दि0 25.03.2023 द्वारा अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन जनपद स्तर तथा तहसील स्तर पर किया गया है। उक्त दल द्वारा समय–समय पर अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु क्षेत्रीय भ्रमण/निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माह अप्रैल–2023 से माह सितम्बर– 2024 तक जनपद में अवैध खनन तथा अवैध परिवहन किये जाने पर कुल 16 प्रकरणों में रू0–19,93,498.00 की धनराशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0–14,80,730.00 की धनराशि वसूल करते हुए निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करायी गयी है। अधिरोपित शेष धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने संबंधी कार्यवाही गतिमान है।

अतः उक्त सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय

(डॉ0 दीपक हटवाल)
उप निदेशक/भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग।

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-13

25747

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

जनपदीय प्रकोष्ठ कार्यालय - विकास भवन, रूद्रप्रयाग
दूरभाष/फैक्स– (01364) 233669 E-mail–mgnregarpg@gmail.com

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

उप वन संरक्षक/
जिला संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 1347 /33–वि0/11–लेखा/मनरेगा/2023–24 दिनांक 25 अक्टूबर, 2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्र संख्या 1541/7–2/ दिनांक 20–10–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 (O.A. No 200of 2014 M.C. Mehta VS Union of India in the matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.) के मामले में पारित आदेश दिनांक 05–09–2023 से सम्बन्धित विन्दुओं के क्रम संख्या 8 पर स्थित विन्दु–विशेष रूप से भूजल के संरक्षण के लिए कदम के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। के क्रम में अवगत कराना है कि महात्मा गाँधी नरेगान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में मा0 प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनपद के तीनों विकास खण्डों में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में लगभग 104557 क्यूबिक मी0 जल संरक्षित हुआ है तथा उन ग्राम पंचायतों के नौला–धारा में भी जल की मात्रा में वृद्धि हुई है। अमृत सरोवरों का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय,

25/10/23

जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक
रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि– 1–जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महोदय रूद्रप्रयाग के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, महोदय रूद्रप्रयाग के अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक
रूद्रप्रयाग

आजादी का अमृत महोत्सव की तहत निर्मित्तकृत अमृत सरोवरों की भौतिक प्रगति वित्तीय वर्ष २०२२-२३

25748

क्रो0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	चिन्हित सरोवर स्थल का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	अगस्त्यमुनि	ग्वाड़थापली	अमृत सरोवर खाल्यूं तोक दानाधार	300000.00	पूर्ण
2	अगस्त्यमुनि	भदोसा	अमृत सरोवर सैमकोटी तोक	200000.00	पूर्ण
3	अगस्त्यमुनि	रतेपाड़	अमृत सरोवर गोला सैण तोक	200000.00	पूर्ण
4	अगस्त्यमुनि	जौला	अमृत सरोवर मार नामक तोक	300000.00	पूर्ण
5	अगस्त्यमुनि	याड़व	अमृत सरोवर गल्लड़या तोक	300000.00	पूर्ण
6	अगस्त्यमुनि	आगर	अमृत सरोवर सिलजा तोक	300000.00	पूर्ण
7	अगस्त्यमुनि	स्यूपी	अमृत सरोवर महादेव तोक	300000.00	पूर्ण
8	अगस्त्यमुनि	नरकोटा	अमृत सरोवर पंचभैया खाल तोक	300000.00	पूर्ण
9	अगस्त्यमुनि	कण्डारा	अमृत सरोवर पटरियाण तोक	300000.00	पूर्ण
10	अगस्त्यमुनि	कोखण्डी	अमृत सरोवर बगनाऊ तोक	300000.00	पूर्ण
11	अगस्त्यमुनि	बैरागणा	अमृत सरोवर गाड़ धगड़ तोक	1000000.00	पूर्ण
12	अगस्त्यमुनि	धिमरोली	अमृत सरोवर मोर सिंह तोक	500000.00	पूर्ण
13	अगस्त्यमुनि	बणकी	अमृत सरोवर फुलासैण बणकी	500000.00	पूर्ण
14	अगस्त्यमुनि	नगरासू	अमृत सरोवर भटगांव तोक	300000.00	पूर्ण
15	अगस्त्यमुनि	किण्जाणी	अमृत सरोवर पखालवा तोक सिमार	500000.00	पूर्ण
16	अगस्त्यमुनि	सकाग	अमृत सरोवर गांव के ऊपर	500000.00	पूर्ण
17	अगस्त्यमुनि	कर्णसिल्ली	अमृत सरोवर फल्डीक धगड़ तोक	500000.00	पूर्ण
18	अगस्त्यमुनि	लटोली	अमृत सरोवर घट गाड़ तोक	500000.00	पूर्ण
19	अगस्त्यमुनि	क्यूंजा	अमृत सरोवर भेमार तोक	500000.00	पूर्ण
20	अगस्त्यमुनि	फान्दी	अमृत सरोवर नीलगढ़ तोक जाखरी	500000.00	पूर्ण
21	अगस्त्यमुनि	दिऊली	अमृत सरोवर धुरुस्यास तोक	1000000.00	पूर्ण
22	अगस्त्यमुनि	बणगांव	अमृत सरोवर फुलासैण	300000.00	पूर्ण
23	अगस्त्यमुनि	डुंगर	अमृत सरोवर पन्देरा तोक	400000.00	पूर्ण
24	अगस्त्यमुनि	पीपली	अमृत सरोवर स्यालखेत चिड़पी	600000.00	पूर्ण
25	अगस्त्यमुनि	निषणी	अमृत सरोवर पटाला तोक कलेथ	500000.00	पूर्ण
26	अगस्त्यमुनि	काण्डई बैंजी	अमृत सरोवर जागतोली तोक	500000.00	पूर्ण
27	अगस्त्यमुनि	पाटा	अमृत सरोवर गजरी गाड़ तोक	300000.00	पूर्ण
28	अगस्त्यमुनि	कोखण्डी	अमृत सरोवर तलगढ़ वल्ला तोक	400000.00	पूर्ण
29	अगस्त्यमुनि	धारकोट बरम्पूड़ी	अमृत सरोवर दिकोली तोक	500000.00	पूर्ण
30	अगस्त्यमुनि	क्यूड़ी	अमृत सरोवर खाली तोक	500000.00	पूर्ण
31	अगस्त्यमुनि	डुंग्रा	अमृत सरोवर भैना देवी झील	500000.00	पूर्ण
32	अगस्त्यमुनि	नागकोडाखाल	अमृत सरोवर खासिका तोक नागकाण्डा	1200000.00	पूर्ण
33	अगस्त्यमुनि	डुंग्रा	अमृत सरोवर नवपाणी तोक डुंग्रा	1000000.00	पूर्ण
34	अगस्त्यमुनि	नवासू	अमृत सरोवर गंगाणी तोक हरियाली	1000000.00	पूर्ण
35	अगस्त्यमुनि	धिमतोली	अमृत सरोवर धिमतोली का सैण	1200000.00	पूर्ण
36	अगस्त्यमुनि	बणगाँ	अमृत सरोवर नगर कोट		

	जखोली	लौंगा	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम लौंगा 25749	1500000.00	पूर्ण
38	जखोली	सौन्दा	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम सौन्दा	1600000.00	पूर्ण
39	जखोली	किरोडा	अमृत सरोवर ताल काण्डा तोक मे किरोडा	700000.00	पूर्ण
40	जखोली	जखोली बडमा	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय जखोली बडमा	1400000.00	पूर्ण
41	जखोली	उदियाणगावं	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी उदियाणगांव	700000.00	पूर्ण
42	जखोली	मखेत	अमृत सरोवर जलाशय आर सी सी जलाशय चैकडैम सम्गोली	1400000.00	पूर्ण
43	जखोली	कोट	अमृत सरोवर तडाग ताल कोट	700000.00	पूर्ण
44	जखोली	कोटी	अमृत सरोवर जलाशय आर सी सी चैकडैम कोटी	1400000.00	पूर्ण
45	जखोली	पांजणा	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम पांजणा	1400000.00	पूर्ण
46	जखोली	कुरछोला	अमृत सरोवर जलाशय योजना ताल बच्चखाड तोक कुरछोला	700000.00	पूर्ण
47	जखोली	मुन्नादेवल	अमृत सरोवर ताल चौण्डलिया नामी तोक मुन्ना देवल	700000.00	पूर्ण
48	जखोली	खोड	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम नर्सिंग पदेरा	1400000.00	पूर्ण
49	जखोली	सेमा	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम सेम्प	1600000.00	पूर्ण
50	जखोली	बैनोली	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम बैनोली	1300000.00	पूर्ण
51	जखोली	जखोली सस्या	अमृत सरोवर जलाशय आर सी सी चैकडैम खामर तोक	1500000.00	पूर्ण
52	जखोली	लिस्वाल्टा	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय मगडगामी तोक	1400000.00	पूर्ण
53	जखोली	सेमलता	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम सेमलता	1500000.00	पूर्ण
54	जखोली	डांगी भरदार	अमृत सरोवर जलाशय आर सी सी जलाशय चैकडैम डांगी	1600000.00	पूर्ण
55	जखोली	जखनोली	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम जखनोली	1500000.00	पूर्ण
56	जखोली	मखेत	अमृत सरोवर जलाशय आर सी सी चैकडैम मखेत	1500000.00	पूर्ण
57	जखोली	बजीरा	अमृत सरोवर जलाशय आर सीसी जलाशय चैकडैम सिवाई गाड	1500000.00	पूर्ण

ANNEXURE-14

nex 1 : Format for compiling list of wetlands

S No	Wetland Name	Geographical coordinates (latitude and longitude of the)		District (s) in which the wetland is located	Village	Wetlands type (Inland or coastal)	Wetlands sub-type (natural or humanmade)	Area (ha.)	Khasra or Survey numbers	Whether falls within category of regulated wetlands as per Wetlands Rules
		latitude	longitude							
1	Tadagtaal	30°29'7.39"	78°54'29.92"	Rudraprayag	Kot	Inland	Natural	0.47	Reserve Forest Dharkudi C.No.-1 Rudraprayag Forest Division	No
2	Boliya Devta Tok	30°29'24.12"	78°52'47.81"	Rudraprayag	Leswalta	Inland	Natural	0.25	Reserve Forest Dharkudi C.No.-2 Rudraprayag Forest Division	No
3	Kanagtal	30°28'41.38"	78°56'39.23"	Rudraprayag	Bhunalgaon	Inland	Natural	0.14	Reserve Forest Padamkhal C.No.-6, Rudraprayag Forest Division	No
4	Matiya	30°32'37.45"	78°51'42.59"	Rudraprayag	San, kot	Inland	Natural	0.41	Reserve Forest Dharkudi C.No.-8, Rudraprayag Forest Division	No
5	Jagdigad Tok	30°29'24.44"	78°53'41.50"	Rudraprayag	San, kot	Inland	Natural	0.10	Reserve Forest , Dharkudi C.No.-1 Rudraprayag Forest Division	No
6	Ramasaur Tok	30°24'49.96"	78°53'19.86"	Rudraprayag	Paunthi	Inland	Natural	0.11	Reserve Forest Narsing C.no. 4 Rudraprayag Forest Division	No
7	Rajkhark	30°35'56.03"	78°53'17.94"	Rudraprayag	Badhani	Inland	Natural	0.10	Reserve Forest Lastergad C.no. 4, Rudraprayag Forest Division	No
8	Rai Tok	30°24'47.56"	78°49'32.67"	Rudraprayag	Launga	Inland	Natural	0.23	Reserve Forest Launga C.No.-14 Rudraprayag Forest Division	No
9	Naagtaal	30°33'51.75"	79°02'3.54"	Rudraprayag	Jaanu	Inland	Natural	0.68	Reserve Forest Malikhanda I C.No.-1b, Rudraprayag Forest Division	No
10	Jagtoli Tok	30°29'13.92"	78°57'15.19"	Rudraprayag	Bhunalgna	Inland	Natural	0.25	Reserve Forest Padamkhal C.No.-6 Rudraprayag Forest Division	No
11	Alosani Gadera Tok	30°29'42.75"	78°56'47.68"	Rudraprayag	Badhani	Inland	Natural	0.11	Reserve Forest Badhani C.No.-6 Rudraprayag Forest Division	No
12	Jafan Tok	30°26'8.78"	78°52'53.73"	Rudraprayag	Paunthi	Inland	Natural	0.17	Reserve Forest Narsingh C.No.-5 Rudraprayag Forest Division	No
13	Dhandpokhri Tok	30°28'18.16"	78°51'46.27"	Rudraprayag	Khaliyan	Inland	Natural	0.25	Reserve Forest Leswalta C.No.-4 Rudraprayag Forest Division	No
14	Hilayi Tok	30°26'55.59"	78°50'53.72"	Rudraprayag	Uroli	Inland	Natural	0.50	Reserve Forest Longa C.No.-17 Rudraprayag Forest Division	No
15	Nailidhah Tok	30°32'28.99"	79°02'43.62"	Rudraprayag	Bamsu	Inland	Natural	0.15	Reserve Forest Bamsu III C.No.-2 Rudraprayag Forest Division	No
16	Deoriyataal	30°31'17.13"	79°07'37.68"	Rudraprayag	Saari	Inland	Natural	2.1	Reserve Forest Kedarnath III C.No.-2 Kedarnath Wildlife Division.	No
17	Bishaditaal	30°33'08.6"	79°12'38.7"	Rudraprayag	Burwa	Inland	Natural	0.11	Reserve Forest Kedarnath II Block C.No.-4, Kedarnath Wildlife Division.	No
18	Nandikund	30°36'20.00"	79°19'33.20"	Rudraprayag	Gaundar	Inland	Natural	6.33	Reserve Forest Kedarnath II Block C.No.-8, Kedarnath Wildlife Division.	No
19	Kanchitaal	30°37'35.61"	79°15'06.2"	Rudraprayag	Gaundar	Inland	Natural	0.51	Reserve Forest Kedarnath I Block C.No.-4C, Kedarnath Wildlife	No

20	Basukitaal	30°43'29.85"	79°02'20.12"	Rudraprayag	–	Inland	Natural	8	Reserve Forest, Mallakaliphat I Block C.No.-3, Kedarnath Wildlife Division.	No
21	Krishna Sarovar	30°37'29.15"	78°56'37.38"	Rudraprayag	Triyuginarayan	Inland	Natural	0.0402	Reserve Forest, Maikhanda II Block C.No.-3B, Kedarnath Wildlife Division.	No
22	Sujal Sarovar	30°39'45.24"	79°16'29.72"	Rudraprayag	Gaundar	Inland	Natural	1.12	Reserve Forest, Ukhimath I C.No.-4b, Kedarnath Wildlife Division.	No
23	Mandagola Taal	30°39'17.46"	79°17'50.37"	Rudraprayag	Gaundar	Inland	Natural	1.46	Reserve Forest, Madahmaheshwar II Beat,Ukhimath I C.No.-4c, Kedarnath Wildlife Division.	No
24	Ghatodi Taal	30°43'15.26"	78°59'45.78"	Rudraprayag	–	Inland	Natural	4.5	Reserve Forest, Mallakahiphat I Block C.No.-1, Kedarnath Wildlife Division.	No
25	Paiya Taal	30°43'27.12"	78°59'47.55"	Rudraprayag	–	Inland	Natural	1.55	Reserve Forest, Mallakahiphat I Block C.No.-1, Kedarnath Wildlife Division.	No
26	Kanetlu Taal	30°37'39.31"	78°56'52.43"	Rudraprayag	Triyuginarayan	Inland	Natural	0.33	Reserve Forest, Triyugi narayan I Block Maikhanda II C.No.-3b Kedarnath Wildlife Division.	No
27	Chaurabadi Taal	30°44'48.32"	79°03'40.17"	Rudraprayag	Kedarnath Gaurikund	Inland	Natural	–	Reserve Forest Degraded in 2013 Natural Disaster	No
28	Tolitaal	30°27'48.09"	78°22'53.28"	Chamoli	Bemru	Inland	Natural	1.4	Reserve Forest, Bemru beat, Mallanagpur II Block C.No.-1, Kedarnath Wildlife Division.	No
29	Badhani Tal	30°29'49.00"	78°55'25.00"	Rudraprayag	Badhani	Inland	Natural	0.44	Revenue area, 805	Proposed

Total No of Wetlands : 29

Total No of Wetland To be Regulated/Notified Under Wetland Rules : 01

Divisional Forest Officer,
Rudraprayag Forest Division, Rudraprayag

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में रिट पिटीशन सं0–19/PIL/2022 Suo Motu PIL : In the matter of Preservation of Sukhatal Lake (water recharge zone for Nainital Lake) and to stop concretization and ongoing unscientific and unwanted activities in the lake bed. बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2023 के बिन्दु सं0–13 के अनुपालन में दिनांक 10 अगस्त, 2023 को जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक की गयी।

बैठक में उपस्थिति–

1. उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
2. अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
7. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8. जिला मत्स्य अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थिति सदस्यों का स्वागत सम्बोधन करते हुए आर्द्रभूमि के संबंध में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग को सविस्तार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अवगत कराया गया कि शासनादेश सं0–757/X–3–19–09(10)2004 दिनांक 18–10–2019 के क्रम में निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग/ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–135/SECCCD/ 2020–21 दिनांक 18 फरवरी, 2021 के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या–2744/ 33–आर्द्रभूमि–चयन/2020–21 दिनांक 06 मार्च, 2021 से जनपद स्तर पर 'जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया।

आर्द्रभूमि के संबंध में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दि0 26–09–2017 से जारी 'आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबन्ध नियम, 2017 के नियम (2) के अनुसार–

"wetland" means an area of marsh, fen, peatland or water whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters, but does not include river channels, paddy fields, human made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purpose and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purpose;

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत आर्द्रभूमि की एक सूची तैयार की जानी है, एवं जिला स्तरीय तकनीकी समिति के द्वारा परीक्षण उपरान्त नियमावली के अन्तर्गत अधिसूचित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को प्रेषित किया जाना है।

उपरोक्त नियम के संबंध में जारी मार्गनिर्देशिका के अन्तर्गत नेशनल आर्द्रभूमि एटलस में चिन्हित आर्द्रभूमि (...) का परीक्षण किया जाना है, एवं साथ ही राजस्व अभिलेखों में भी तालाब, पोखरा इत्यादि में भी वर्णित आर्द्रभूमियों का परीक्षण किया जाना है। साथ ही उक्त मार्ग निर्देशिका के पृष्ठ सं0–3 पर बिन्दु सं0–3(4) में यह वर्णित किया है, कि निम्न लिखित आर्द्रभूमि उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिसूचित नही की जायेंगी–

a) River channels;
b) Paddy fields;
c) Human-made waterbodies specifically constructed for drinking water purposes;
d) Human-made waterbodies specifically constructed for aquaculture purposes;
e) Human-made waterbodies specifically constructed for salt production purposes;
f) Human-made waterbodies specifically constructed for recreation purposes;
g) Human-made waterbodies specifically constructed for irrigation purposes;
h) Wetlands falling within areas covered under the Indian Forest Act, 1927; Forest (Conservation) Act, 1980; State Forest Acts and amendments thereof;
i) Wetlands falling within areas covered under the Wildlife (Protection) Act, 1972 and amendments thereof;
j) Wetlands falling within areas covered under the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 and amendments thereof. [Ref. Rule 2 (g) and Rule 3 of Wetlands Rules]

उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा पत्रांक–488 दिनांक 10 अगस्त, 2023 से व उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा पत्रांक–382 दिनांक 10 अगस्त, 2023 से अवगत कराया गया है कि उनके उपखण्ड क्षेत्र में आर्द्रभूमि/जल निकाय ताल राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज कागजात नही है।

समिति के सदस्य सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि तहसील जखोली क्षेत्रान्तर्गत में ग्राम बधाणी में बधाणीताल स्थित है, जो राजस्व क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। उप जिलाधिकारी, जखोली को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल बधाणीताल के राजस्व अभिलेख एवं उसके संबंध में विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करें। (कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, जखोली)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त नेशनल आर्द्रभूमि एटलस जनपद रूद्रप्रयाग में मात्र 03 आर्द्रभूमि वर्णित की गयी है, जिनमें 01 उच्च हिमालय क्षेत्र में, 01 नदी धारा व 01 अन्य आर्द्रभूमि को तहसील रूद्रप्रयाग में चिन्हित किया गया है, परन्तु उक्त आर्द्रभूमि का सटीक स्थल विवरण यथा– अक्षांश, देशान्तर उपलब्ध न होने के कारण वास्तविक सत्यापन किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है, परन्तु उक्त के अतिरिक्त सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक–528/33–आर्द्र भूमि दिनांक 09 अगस्त, 2023 से जनपद रूद्रप्रयाग के रूद्रप्रयाग वन प्रभाग के 15 एवं केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य प्रभाग के 13 कुल 28 आद्रभूमि की सूची तैयार कर प्रस्तुत की गयी है।

उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चयनित स्थल/आर्द्रभूमि आरक्षित वन/संरक्षित क्षेत्र में पूर्णतः है, जिस कारण मार्ग निर्देशिका के पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित बिन्दु सं0–8 व नियमावली के नियम 3 के परन्तुक के अनुसार उपरोक्त 28 आर्द्रभूमि को आर्द्रभूमि (संरक्षण व संवर्द्धन) नियमावली, 2017 के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता नही है।

आर्द्रभूमि के संरक्षण व सवर्द्धन हेतु उसके आसपास के क्षेत्रों में मनरेगा, हरेला कार्यक्रम के तहत सघन वृक्षारोपण करवाये जाने हेतु समस्त उपस्थित सदस्यो द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।
(कार्यवाही– समस्त सदस्यगण तकनीकी समिति)

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम बधाणी में स्थित बधाणीताल की भूमि को आर्द्रभूमि (Wetland) घोषित किये जाने का प्रस्ताव निदेशक/सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय/राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दिया जाये।

अन्त में सभी उपस्थित सदस्यों का बैठक में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

10.8.23

(अभिमन्यु),
उप वन संरक्षक/सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय तकनीकी समिति,
जनपद रुद्रप्रयाग।

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

सं0– 563/33–अभिमन्यु(2022–23) दिनांक, रुद्रप्रयाग, अगस्त 10, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3, देहरादून।
2. निदेशक/सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, गोपालदेवी पर्यावरण भवन, तृतीय तल, 46–बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
3. समस्त सदस्यगण, जिला स्तरीय तकनीकी समिति, रुद्रप्रयाग।
4. उप जिलाधिकारी, जखोली।

10.8.23

उप वन संरक्षक/सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय तकनीकी समिति,
जनपद रुद्रप्रयाग।

25755

कार्यालय नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)।

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट के निस्तारण रिर्पोटः–

1– डोर–टू–डोर कलैक्सन एवं सेग्रीगेशनः–

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में कुल 07 वार्ड हैं, नगर क्षेत्र अगस्त्यमुनि में 24 पर्यावरण मित्रों 02 कूड़ा पिकअप वाहनों एवं 01 ट्रैक्टर के माध्यम से डोर–टू–डोर कूड़ा कलैक्शन, सैग्रीगेशन एवं एकत्र अपशिष्ट के निस्तारण का कार्य कराया जाता है।

2– ठोस अपशिष्ट का निस्तारणः–

निकाय द्वारा डोर–टू–डोर कलैक्शन एवं सेग्रीगेशन के उपरान्त एकत्रित जैविक (गीले) कूड़े के निस्तारण हेतु वार्ड नं0–4 गंगा नगर में कम्पोस्ट पिट बनाये गये हैं जिनमें नगर क्षेत्रान्तर्गत एकत्रित किये गये जैविक कूड़े से जैविक खाद तैयार की जाती है। निकाय द्वारा अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु वार्ड नं0 07 में नगर पचायत कार्यालय के समीप एम0आर0एफ0 सेन्टर बनाया गया है। जहाँ पर नगर क्षेत्रान्तर्गत एकत्रित किये गये अजैविक (सूखे) कूड़े की आईटम वाईज (सफेद प्लास्टिक, रंगीन प्लास्टिक, गत्ता, रद्दी, टिन, रंगीन कांच, सफेद कांच, एमएलपी, कपडा, रबड आदि) अलग–अलग रखा जाता है, एकत्रीकरण के उपरान्त उक्त अजैविक (सूखे) अपशिष्ट को कॉम्पैक्टर से कॉम्पैक्ट कर उक्त अपशिष्ट की सिल्लियाँ बनाई जाती है उक्त एम0आर0एफ0 सेन्टर में वर्तमान में 02 कॉम्पैक्टर स्थापित है उक्त एकत्र अपशिष्ट की सिल्लियाँ बनाई जाने के उपरान्त उक्त सिल्लियों की बिक्री की जाती है। वर्तमान तिथि तक नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि द्वारा उक्त अजैविक (सूखे) कूड़े की बिक्री से रु0 8,98,409.00 (रुपया आठ लाख अठ्ठानबे हजार चार सौ नौ मात्र) की आय अर्जित की गयी है, तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023 तक) में 70,029.00 (रुपया सत्तर हजार उन्नतीस मात्र) का अजैविक (सूखा) कूड़ा विक्रय किया गया है।

3–सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट हेतु चयनित भूमि की स्थितिः–

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट व्यवस्था हेतु अगस्त्यमुनि–सौड भट्ट गाव मोटर मार्ग पर 0.98 हेक्टेयर वन भूमि चयनित की गयी है। जिसके हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त हस्तान्तरण प्रस्ताव पर मोडल स्तर देहरादून से आपत्तियां लगायी गयी थी। निकाय द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 स्तर पर लम्बित है।

4– लीगेसी वेस्ट की स्थितिः–

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार का लीगेसी वेस्ट नहीं है।

नोट– नगर पंचायत अगस्त्यमुनि द्वारा किसी भी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण नदी में नहीं किया जाता है।

20/12/2023

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।

Scanned with OKEN Scanner

25756

कार्यालय नगर पंचायत, केदारनाथ

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत केदारनाथ।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी/नोडल अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 89/नपं०के०/विविध/(2023-24) दिनांक 20/12/2023

विषय- दूरभाष पर दिये गये निर्देश के क्रम में नगर पंचायत केदारनाथ में शीत अपशिष्ट प्रबन्धन की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आपके दूरभाष के माध्यम से दिये गये निर्देश के क्रम में आदर अवगत कराना है कि, नगर पंचायत केदारनाथ में 50 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गयी है जिनके द्वारा प्रत्येक दिवस नगर क्षेत्रान्तर्गत 2 पालियों में साफ सफाई की जाती है नगर क्षेत्रान्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक प्रतिस्थानों से डोर-टू-डोर जैविक/अजैविक कूड़े को उठाया जा रहा है नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्सर्जित कूड़े को ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से कूड़ा निस्तारण केन्द्र तक पहुंचाया जाता है जहां प्लास्टिक कूड़े की छंटनी कर घोड़े/खच्चरों के माध्यम से शिफाईकिसिंग केन्द्र सोनप्रयाग भेजा जाता है। कूड़ा निस्तारण केन्द्र हेतु नगर पंचायत केदारनाथ को राजस्व विभाग की 0.300 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है। अतिथि तक नगर पंचायत केदारनाथ को अजैविक कूड़े से 1,94,425 रू0 की आय प्राप्त हुयी है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत केदारनाथ।

ANNEXURE-15

25757

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : mssktpcb@yahoo.com, दूरभाष 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–07(Vol-III)/2023/ दिनांक :–

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय :– सतही जल नमूनों की विश्लेषण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में NWQMP एवं SWQMP जल गुणवत्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा चिन्हित झीलों से माह अप्रैल 2023 में सतही जल नमूने एकत्रित किये गये जिसका विश्लेषण बोर्ड की प्रयोगशाला में किया गया। विश्लेषण के उपरान्त आकड़ों के अनुसार समस्त अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या आपको सलंग्नक के रूप में प्रेषित की जा रही है।

उक्त उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आपके अधिकारिता क्षेत्र में संलग्न आख्या के अनुसार जिन अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की आख्या CPCB द्वारा निर्धारित Designated Best Use (DBU) Water Quality Criteria /Standards के अनुसार 'C' 'D' व 'E' श्रेणियों में पायी गयी है उनके विषय में स्थिति स्पष्ट कर एवं कृत कार्यवाही से बोर्ड मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करना चाहें।

संलग्नक – यथोपरि।

Signed by S K Pattnaik
Date: 12-06-2023 15:46:28

भवदीय

(एस0के0 पट्टनायक)
सदस्य सचिव

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–07(Vol-III)/2023/ दिनांक :–

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित को जल गुणवत्ता सुधार हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. श्रीमती निहारिका डिमरी, आई0टी0 अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को विभाग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने हेतु सूचनार्थ आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु।

सदस्य सचिव

	जखोली	चौण्डासिराई	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम चौण्डासिराई	1300000.00	पूर्ण
59	जखोली	बांसी	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम बांसी मोल्दा गाड	1600000.00	पूर्ण
60	जखोली	रड्डा	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम रड्डा सेरा	1400000.00	पूर्ण
61	जखोली	बसलीर	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम घंघासू	1500000.00	पूर्ण
62	जखोली	बजीरा	अमृत सरोवर तारा पई मानी तोक बजीरा	800000.00	पूर्ण
63	ऊखीमठ	पायजगपुडा	अमृत सरोवर काणा तालाय	500000.00	पूर्ण
64	ऊखीमठ	चुरुडू	अमृत सरोवर अखोड़ गैर तोक	500000.00	पूर्ण
65	ऊखीमठ	समगौण्डी	अमृत सरोवर छप्पर पौंगा तोक	600000.00	पूर्ण
66	ऊखीमठ	रौंसी	अमृत सरोवर बौंसार के ऊपर वाले तोक में	500000.00	पूर्ण
67	ऊखीमठ	देवर	अमृत सरोवर अमृत सरोवर बंडी नामक तोक	500000.00	पूर्ण
68	ऊखीमठ	अन्नवाडी	अमृत सरोवर ज्वालामुखी तोक	500000.00	पूर्ण
69	ऊखीमठ	देवलीभणिग्राम	अमृत सरोवर जखवाण तोक	1500000.00	पूर्ण
70	ऊखीमठ	त्यूड़ी	अमृत सरोवर ताल ब्लेक में	600000.00	पूर्ण
71	ऊखीमठ	तुलंगा	अमृत सरोवर फुनाली गोद तोक	1000000.00	पूर्ण
72	ऊखीमठ	रौंऊलेक	अमृत सरोवर कन्नद् तोक	1500000.00	पूर्ण
73	ऊखीमठ	मक्कू	अमृत सरोवर दयावच्च तोक	2000000.00	पूर्ण
74	ऊखीमठ	गिरिया	कुण्ड के ऊपर अमृत सरोवर	1500000.00	पूर्ण
75	ऊखीमठ	सारी	अमृत सरोवर देवरिया ताल तोक में	1000000.00	पूर्ण

85758

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
जनपदीय प्रकोष्ठ कार्यालय - विकास भवन, रुद्रप्रयाग
दूरभाष/फैक्स- (01364) 233668 E-mail-mgaregarpg@gmail.com

प्रेषक

जिला विकास अधिकारी /
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक
रुद्रप्रयाग।

सेवा में

उप वन संरक्षक /
जिला संयोजक, जिला गंगा संरक्षण समिति
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक [3147] /33-वि0/11-लेखा/मनरेगा/2023-24 दिनांक 25 अक्टूबर, 2023

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्र संख्या 1541/7-2/ दिनांक 20-10-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 (O.A. No 200of 2014 M.C. Mehta VS Union of India in the matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.) के मामले में पारित आदेश दिनांक 05-09-2023 से सम्बन्धित बिन्दुओं के क्रम संख्या 8 पर स्थित बिन्दु-विशेष रूप से भूजल के संरक्षण के लिए कदम के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। के क्रम में अवगत कराना है कि महात्मा गाँधी नरेगान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मा0 प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनपद के तीनों विकास खण्डों में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया जिसमें सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में लगभग 104557 घनमीटर से अधिक मा0 जल संरक्षित हुआ है तथा उन ग्राम पंचायतों के नौला-धारा में भी जल की मात्रा में वृद्धि हुई है। अमृत सरोवरों का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय,

25/10/23

जिला विकास अधिकारी /
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक
रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि- 1-जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महोदय रुद्रप्रयाग के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2-मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, महोदय रुद्रप्रयाग के अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी /
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक
रुद्रप्रयाग

जनपद का अमृत सरोवर की स्थल विशेषताओं अमृत सरोवरों की भौतिक प्रगति वित्तीय वर्ष २०२२-२३

क्र0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	चिन्हित सरोवर स्थल का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	अगस्त्यमुनि	ग्यानधापली	अमृत सरोवर खांडियू तोक खानधार	300000.00	पूर्ण
2	अगस्त्यमुनि	गदोला	अमृत सरोवर खैमकोटी तोक	200000.00	पूर्ण
3	अगस्त्यमुनि	गोपाड़	अमृत सरोवर गोला खैम तोक	200000.00	पूर्ण
4	अगस्त्यमुनि	जौला	अमृत सरोवर गार ग्यामक तोक	300000.00	पूर्ण
5	अगस्त्यमुनि	बासर	अमृत सरोवर गरुनड़या तोक	300000.00	पूर्ण
6	अगस्त्यमुनि	आगर	अमृत सरोवर सिलखा तोक	300000.00	पूर्ण
7	अगस्त्यमुनि	स्यूणी	अमृत सरोवर महादेव तोक	300000.00	पूर्ण
8	अगस्त्यमुनि	भरकोटा	अमृत सरोवर पंचपैया खाल तोक	300000.00	पूर्ण
9	अगस्त्यमुनि	कण्डारा	अमृत सरोवर पटरियाल तोक	300000.00	पूर्ण
10	अगस्त्यमुनि	फोकण्डी	अमृत सरोवर बगवाक तोक	300000.00	पूर्ण
11	अगस्त्यमुनि	जैरांगणा	अमृत सरोवर गाड बगड तोक	300000.00	पूर्ण
12	अगस्त्यमुनि	सिमरोली	अमृत सरोवर मोर सिंह तोक	1000000.00	पूर्ण
13	अगस्त्यमुनि	बणसौं	अमृत सरोवर फुलाखैण बणसौं	500000.00	पूर्ण
14	अगस्त्यमुनि	नगतासू	अमृत सरोवर भटगांव तोक	500000.00	पूर्ण
15	अगस्त्यमुनि	किणजाणी	अमृत सरोवर धनसलया तोक सिमार	300000.00	पूर्ण
16	अगस्त्यमुनि	लड़वा	अमृत सरोवर गांव के ऊपर	500000.00	पूर्ण
17	अगस्त्यमुनि	पर्णासिरनगी	अमृत सरोवर फल्दीक बगड तोक	500000.00	पूर्ण
18	अगस्त्यमुनि	लदोली	अमृत सरोवर घट गाड तोक	500000.00	पूर्ण
19	अगस्त्यमुनि	स्यूंजा	अमृत सरोवर सेमार तोक	500000.00	पूर्ण
20	अगस्त्यमुनि	कान्दी	अमृत सरोवर भीलगाड़ तोक जखरी	500000.00	पूर्ण
21	अगस्त्यमुनि	दिऊली	अमृत सरोवर धुरुस्याल तोक	500000.00	पूर्ण
22	अगस्त्यमुनि	बणगांव	अमृत सरोवर फुलाखैण	1000000.00	पूर्ण
23	अगस्त्यमुनि	खुंगर	अमृत सरोवर पन्चेड़ा तोक	300000.00	पूर्ण
24	अगस्त्यमुनि	पीपली	अमृत सरोवर स्याल्यांस चिड़पी	400000.00	पूर्ण
25	अगस्त्यमुनि	चिवणी	अमृत सरोवर पटाड़ा तोक कसेय	600000.00	पूर्ण
26	अगस्त्यमुनि	कण्डई धैजी	अमृत सरोवर जागतोली तोक	500000.00	पूर्ण
27	अगस्त्यमुनि	पाटी	अमृत सरोवर गजरी गाड तोक	500000.00	पूर्ण
28	अगस्त्यमुनि	फोकण्डी	अमृत सरोवर तालगढ़ बल्सा तोक	300000.00	पूर्ण
29	अगस्त्यमुनि	भारकोट बरसूड़ी	अमृत सरोवर दिकोली तोक	400000.00	पूर्ण
30	अगस्त्यमुनि	बयूड़ी	अमृत सरोवर खाड़ी तोक	500000.00	पूर्ण
31	अगस्त्यमुनि	खुंगा	अमृत सरोवर नैला देवी प्रांगण	500000.00	पूर्ण
32	अगस्त्यमुनि	नागधसकोडाखाल	अमृत सरोवर कार्तिका तोक नागधसया	500000.00	पूर्ण
33	अगस्त्यमुनि	खुंगा	अमृत सरोवर नथाणी तोक खुंगा	1200000.00	पूर्ण
34	अगस्त्यमुनि	गवारी	अमृत सरोवर गगाणी तोक हरियाली	1000000.00	पूर्ण
35	अगस्त्यमुनि	सिमलोली	अमृत सरोवर सिमरोली का रौल	1000000.00	पूर्ण
36	अगस्त्यमुनि	गवारी	अमृत सरोवर भगवा कोट	1200000.00	पूर्ण

	जखोली	लौंगा	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम लौंगा	1500000.00	पूर्ण
38	जखोली	सौन्दा	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम सौन्दा	1600000.00	पूर्ण
39	जखोली	किरोडा	अमृत सरोवर ताल बल्पा तोक में किरोडा	700000.00	पूर्ण
40	जखोली	जखोली बडमा	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय जखोली बडमा	1400000.00	पूर्ण
41	जखोली	उदियाणगांव	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी उदियाणगांव	700000.00	पूर्ण
42	जखोली	सल्तेत	अमृत सरोवर जलाशय और सी सी जलाशय चैकडैम सल्तोली	1400000.00	पूर्ण
43	जखोली	कोट	अमृत सरोवर तडाग ताल कोट	700000.00	पूर्ण
44	जखोली	कोटी	अमृत सरोवर जलाशय और सी सी चैकडैम कोटी	1400000.00	पूर्ण
45	जखोली	पांजण्या	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम पांजण्या	1400000.00	पूर्ण
46	जखोली	कुरछोला	अमृत सरोवर जलाशय पांजण्या ताल बच्चधाड तोक कुरछोला	700000.00	पूर्ण
47	जखोली	मुन्नादेवल	अमृत सरोवर ताल चौण्डलिया नामी तोक मुन्ना देवल	700000.00	पूर्ण
48	जखोली	खोड	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम नर्सिंग गदेरा	1400000.00	पूर्ण
49	जखोली	सेमा	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम सेमा	1600000.00	पूर्ण
50	जखोली	बैनोली	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम बैनोली	1300000.00	पूर्ण
51	जखोली	जखोली तल्या	अमृत सरोवर जलाशय और सी सी चैकडैम तल्लर तोक	1500000.00	पूर्ण
52	जखोली	लिस्वारस्टा	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय ढगलुनाभी तोक	1400000.00	पूर्ण
53	जखोली	सेमलता	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम सेमलता	1500000.00	पूर्ण
54	जखोली	डांगी भरदार	अमृत सरोवर जलाशय और सी सी जलाशय चैकडैम डांगी	1600000.00	पूर्ण
55	जखोली	जखनोली	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम जखनोली	1500000.00	पूर्ण
56	जखोली	मखेत	अमृत सरोवर जलाशय और सी सी चैकडैम मखेरा	1500000.00	पूर्ण
57	जखोली	मजीरा	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैकडैम हिलाई गांव	1500000.00	पूर्ण

	जखोली	चौप्ताखिखाई	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैनजैम चौप्ताखिखाई	1300000.00	पूर्ण
59	जखोली	मांसी	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैनजैम मांसी घोस्टा आड	1600000.00	पूर्ण
60	जखोली	रहड़	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैनजैम रहड़ सेरा	1400000.00	पूर्ण
61	जखोली	बकसीर	अमृत सरोवर जलाशय और सीसी जलाशय चैनजैम धंधालू	1500000.00	पूर्ण
62	जखोली	बजीरा	अमृत सरोवर पास एई वाली तोक बजीरा	800000.00	पूर्ण
63	ऊखीमठ	पयजगपुड़ा	अमृत सरोवर काण्डा तोलाख	500000.00	पूर्ण
64	ऊखीमठ	हुस्सू	अमृत सरोवर अखोड़ सैर तोक	500000.00	पूर्ण
65	ऊखीमठ	सपणीखेड़ी	अमृत सरोवर छप्पर फौगा तोक	600000.00	पूर्ण
66	ऊखीमठ	रौंसी	अमृत सरोवर बौंसार के ऊपर वाले तोक में	500000.00	पूर्ण
67	ऊखीमठ	देवर	अमृत सरोवर अमृत सरोवर चंडी नामक तोक	900000.00	पूर्ण
68	ऊखीमठ	अन्दवाड़ी	अमृत सरोवर ज्वालामुखी तोक	500000.00	पूर्ण
69	ऊखीमठ	देवलीभनिग्राम	अमृत सरोवर जयजगण तोक	1500000.00	पूर्ण
70	ऊखीमठ	स्यूड़ी	अमृत सरोवर ताल तोक में	600000.00	पूर्ण
71	ऊखीमठ	तुलंगा	अमृत सरोवर कुनाती गोद तोक	1000000.00	पूर्ण
72	ऊखीमठ	रौंऊसेरा	अमृत सरोवर पनद तोक	1500000.00	पूर्ण
73	ऊखीमठ	पक्कू	अमृत सरोवर ध्यानल तोक	2000000.00	पूर्ण
74	ऊखीमठ	गिरिया	कुण्ड के ऊपर अमृत सरोवर	1500000.00	पूर्ण
75	ऊखीमठ	सारी	अमृत सरोवर देवरिया ताल तोक में	1000000.00	पूर्ण

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

ANNEXURE-16

25763

।। कार्यालय नगर पंचायत तिलवाड़ा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।

पत्रांक 422 /नपति तगे/2023-24 दिनांक 26/10/2023

सेवा में,

उपजनपद मजिस्ट्रेट /उपायुक्त,
जिला गंगा संरक्षण समिति,रूद्रप्रयाग।

विषयः नगर पंचायत तिलवाड़ा द्वारा किए गये कार्यक्रमों की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, सम्बन्ध में आपके कार्यालय के माध्यम से नगर पंचायत तिलवाड़ा द्वारा किए गये कार्यक्रमों की सूचना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है, जिसके क्रम में माह अक्टूबर कार्यक्रमों की सूचना निम्नानुसार है –

क्रमांक	दिनांक	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम स्थल का नाम एवं	कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या
1	14/08/2023	आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जूलूस एवं शिलान्यास निर्माण	मन्दाकिनी नदी के किनारे गौरीधाम सर्मणी	29
2	18/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान	मन्दाकिनी नदी के किनारे वार्ड नं–04 एवं वार्ड नं–09	11
3	19/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान	पुराना अलकनन्दा पार्क नं–02 गौरव पुलिस एवं वार्ड नं–01 तिलवाड़ा	20
4	20/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान एवं स्वच्छता शपथ	[illegible] टिपरा नगर सुरक्षा परवार	50
5	22/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान एवं स्वच्छता शपथ	वार्ड नं–01 बस्ती	30
6	24/09/2023	स्वच्छता अभियान	मन्दाकिनी नदी के किनारे पयाली पुल तक	35
7	25/09/2023	स्वच्छता अभियान	मन्दाकिनी नदी के किनारे एवं घाट का सफाईकर्मी संघ के पीछे वार्ड नं–03	26
8	26/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान	मन्दाकिनी नदी के किनारे	30
9	27/09/2023	स्वच्छता विषयक जनजागरूकता प्रशिक्षण एवं स्वच्छता सम्बन्धी	राजकीय विद्यालय तिलवाड़ा	35
10	28/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत नुक्कड़ नाटक	नगर पंचायत तिलवाड़ा अन्तर्गत समीप वार्ड नं–03 तिलवाड़ा	80
11	29/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत विशेष प्रतियोगिता	पुराने पंचायत तिलवाड़ा कार्यालय होल वार्ड नं–03 तिलवाड़ा	15
12	30/09/2023	स्वच्छता की सेवा के अन्तर्गत मेरा गांव मेरी प्रतियोगिता	गढ़वाल मण्डल विकास निगम तिलवाड़ा से कुमिस पॉवरी तक	85
13	01/10/2023	1–सफाई अभियान चैती 2–पुस्तक भ्रमण (स्वच्छ सहायक समूह की महिलाओं एवं विद्यार्थियों के माध्यम से)	मुख्य बाजार से मन्दाकिनी नदी तक सफाई अभियान चैती टिपरी पार्किंग	200 से अधिक
14	02/10/2023	महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती कार्यक्रम एवं शुभारम्भ	नगर पंचायत कार्यालय सभन	45

अतः सूचनार्थ महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार –फोटोग्राफ्स कुल फोटो 2 शीटों में

(वासुदेव कंसवाल)
अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत तिलवाड़ा

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(वासुदेव कंसवाल)
अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत तिलवाड़ा

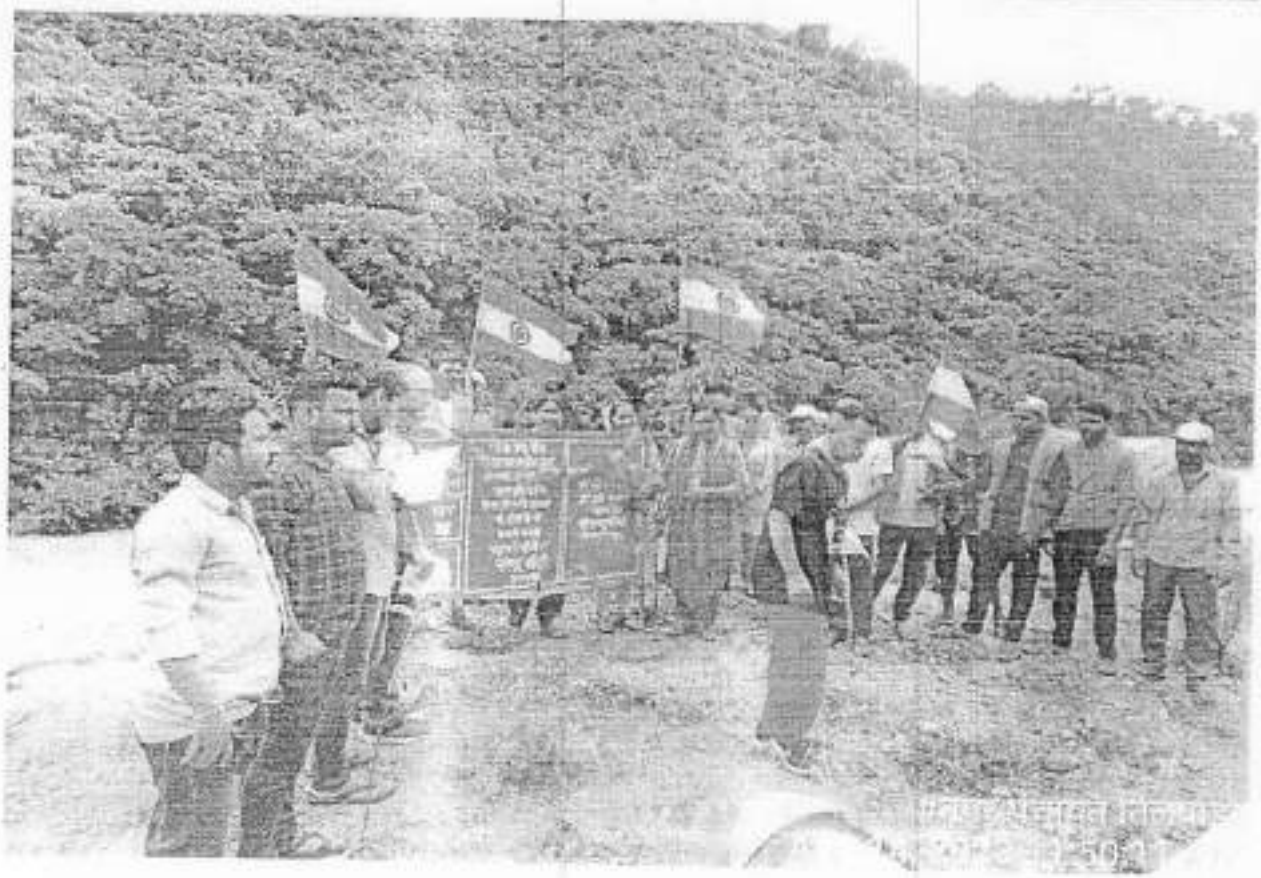

25765

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग ।।
Email- nptilwara@gmail.com

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग ।।
Email- nptilwara@gmail.com

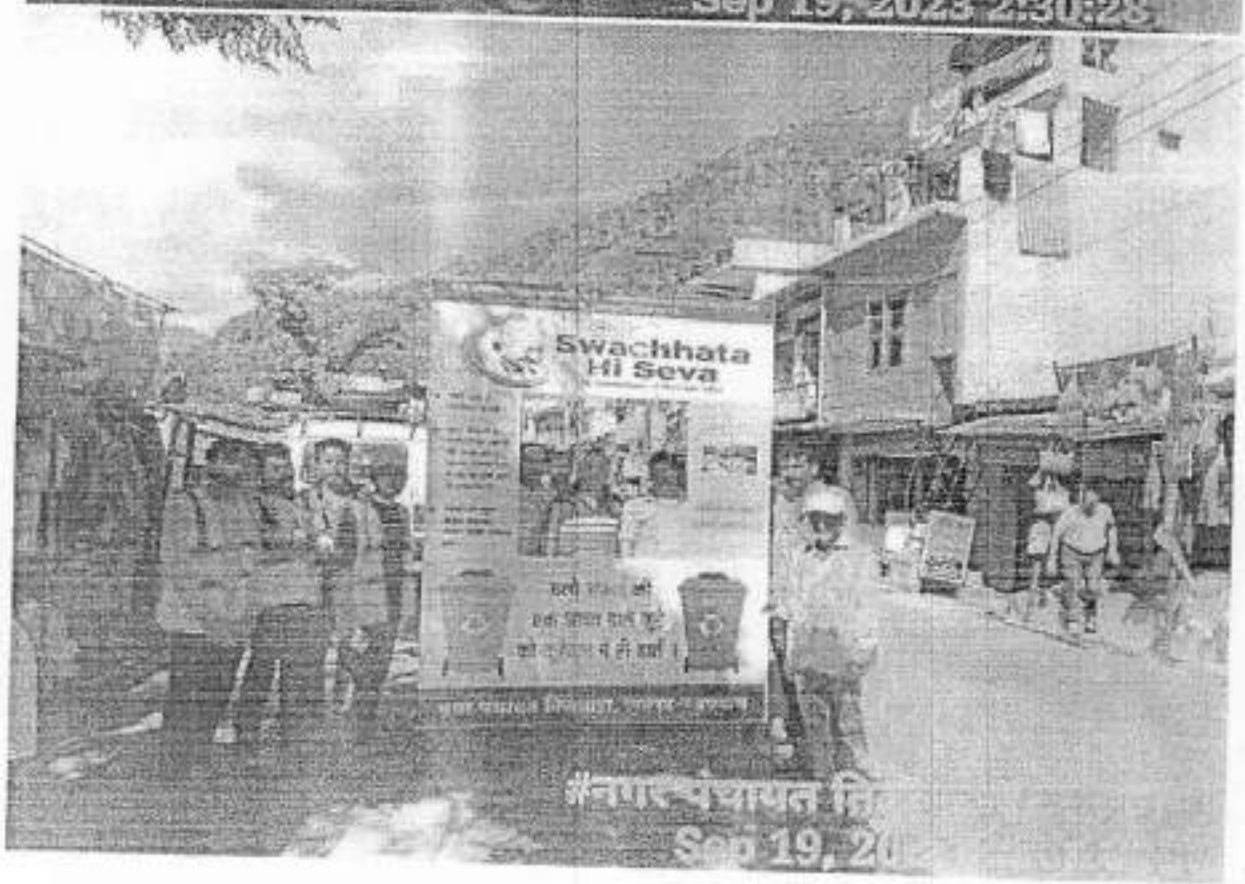

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।
Email- nptilwara@gmail.com

Swachhata
Hi Seva
Sep 22
Swachhata
Hi Seva
15 September - 2 October 2023

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग ।।
Email- nptilwara@gmail.com

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।
Email- nptilwara@gmail.com

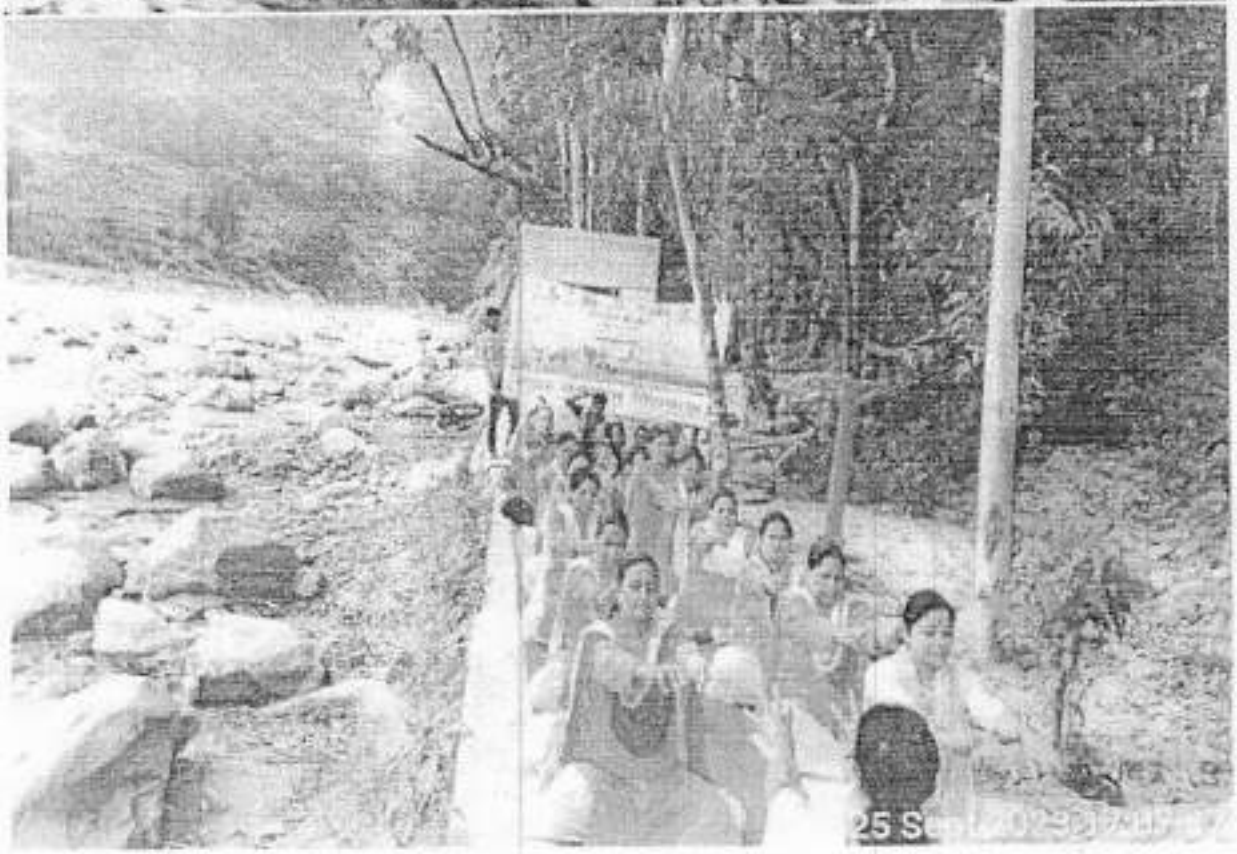

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।
Email- nptilwara@gmail.com

|| कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग ||
Email- nptilwara@gmail.com

Swachhata
Hi Seva

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।
Email- nptilwara@gmail.com

|| कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग ||
Email- nptilwara@gmail.com

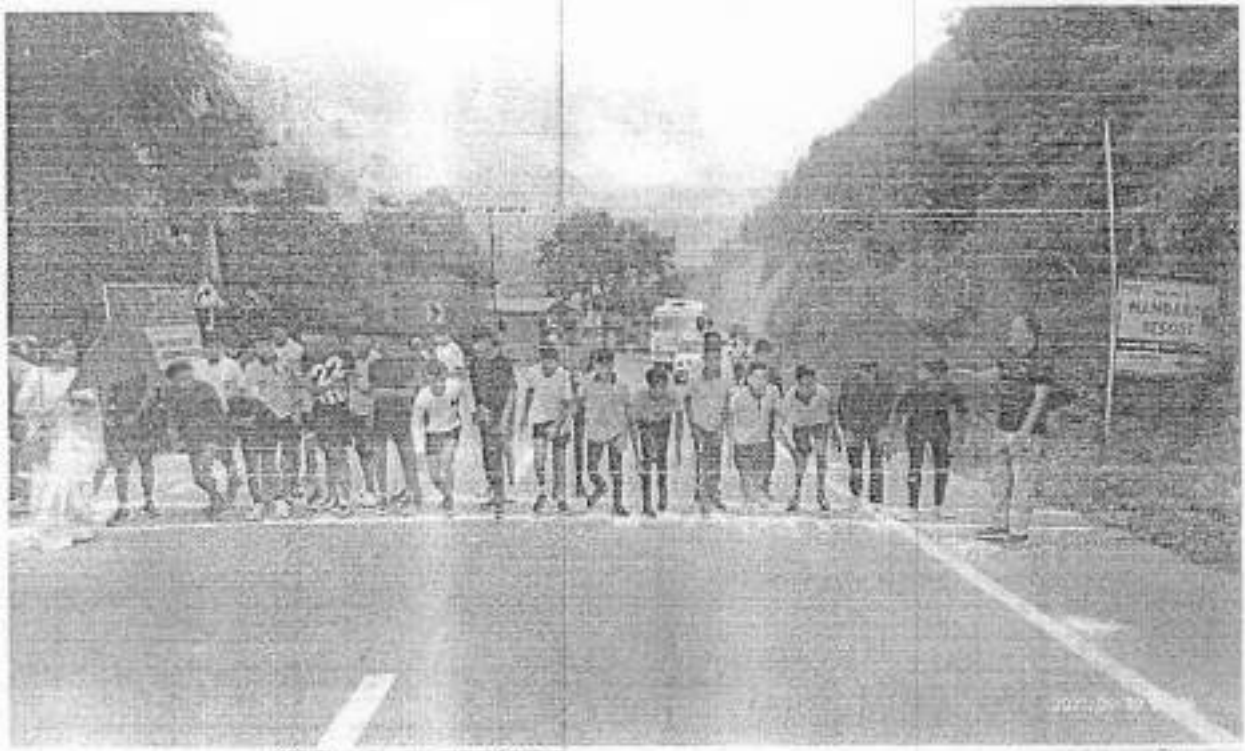

25776

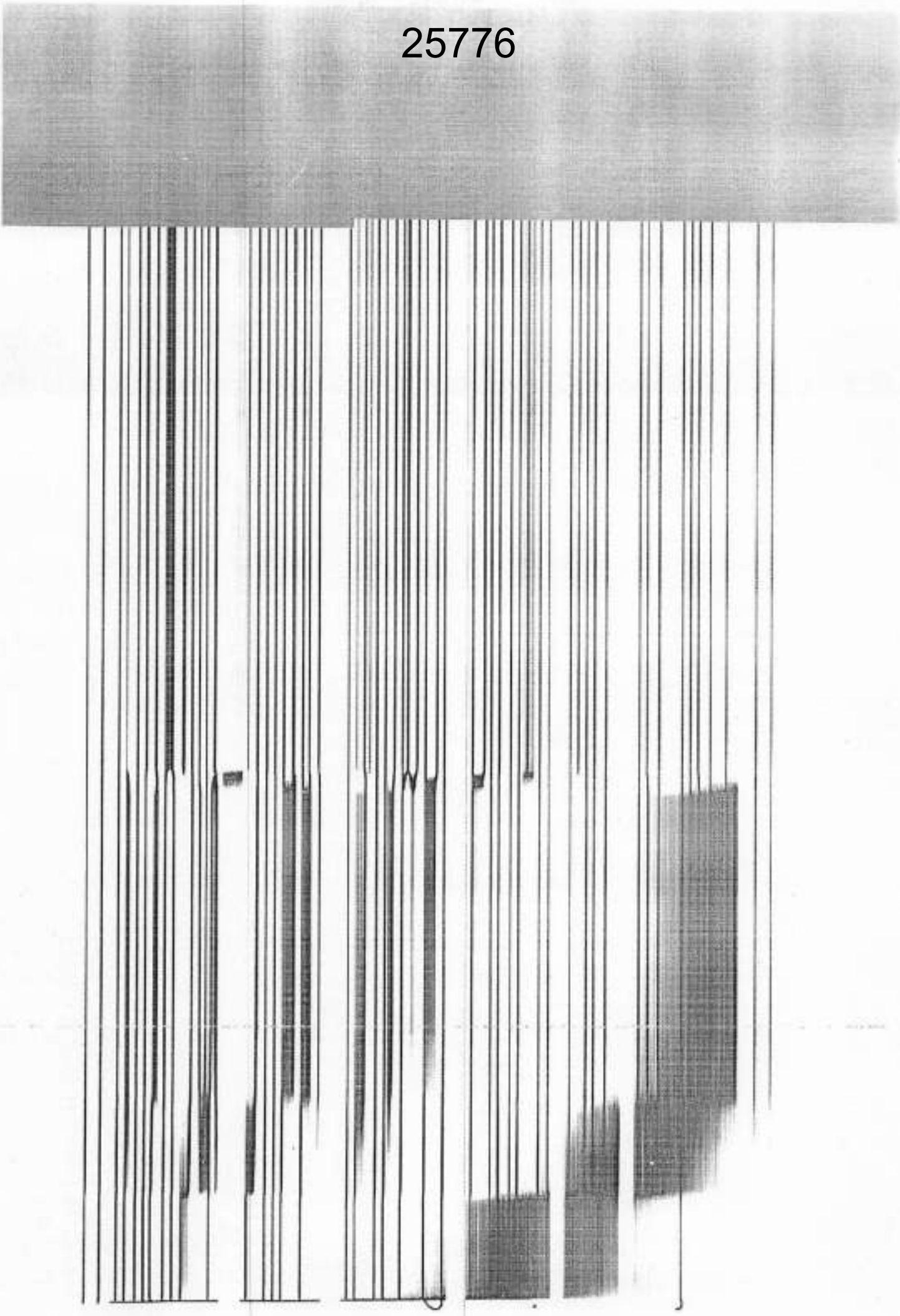

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।
Email- nptilwara@gmail.com

State/Union Territory: Uttarakhand

Name and address of person/s compiling this information:- SDM Jakholi

Section 1: Identification, Location and Jurisdiction

1.1 Name of the Wetland (Alternative names, including in local language should be given in parenthesis after official name):- **Badhanitaal.**

1.2 Name of the Village(s) , Tehsil(s), Municipal area(s):- **Badhaat, Jakholi.**

1.3 Name of the District(s) in which wetland complex is located:- **Rudraprayag.**

1.4 Geographical coordinates (Latitude and Longitude, to degree, minutes and second)
Latitude: From **30°29'48.80"N TO 30°29'49.61" N**

Longitude: From **78°55'27.89" E TO 78°55'23.26" E**

1.5 Name of the Department/Agency which has jurisdiction over the wetland/wetlandcomplex:- Revenue Department

Section 2: Site Characteristics

2.1 Area of wetland / wetlands category(ha):- **0.44**

2.2 Wetland type (Please tick appropriate categories and sub-categories):- **Inland.**

☑ Natural (Inland)	☑ Permanent lakes
	☐ Seasonal/ intermittent lake
	☐ Permanent streams/ creeks
	☐ Seasonal/ intermittent streams/ creeks
	☐ Oxbow
	☐ River floodplain
	☐ Permanent freshwater marshes
	☐ Seasonal/ intermittent freshwater marshes
	☐ Shrub-dominated wetlands
	☐ Tree-dominated wetlands
	☐ Geothermal wetlands
	☐ Karst and other subterranean hydrological systems
☐ Natural (Coastal)	☐ Coastal lagoon
	☐ Estuary
	☐ Intertidal mud, and or salt flats
	☐ Mangroves
	☐ Coral reefs
☐ Human-made	☐ Aquaculture pond / Tank
	☐ Salt pan
	☐ Dam / Reservoir

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

2.3 Depth(m) Average 30m Maximum 60m (approx)

2.4 Elevation (m above meansealevel) 2102 mtr

2.5 Waterregimes

a) Main source of water (tick allapplicable)

☑ Rainfall ☑ Groundwater ☑ Catchment runoff ☐ Direct / indirect inflow fromriver

☐ Others, please specify

b) Waterpermanence

☑ Mostlypermanent ☐ Mostlyintermittent

c) Destination of water fromwetland

☑ Feedsgroundwater ☑ Todownstreamcatchment ☐ Toriver ☐ Tosea

d) WaterpH

☐ Acid (< 5.5) ☐ Circumneutral (5.5-7.4) ☐ Alkaline (>7.4)

☑ Not known

e) Watersalinity

☑ Fresh(<0.5g/l) ☐ Brackish (0.5 -30g/l) ☐ Euhaline (30- 40g/l)

☐ ypersaline(>40g/l) ☐ Notknown

f) Nutrient inwater

☐ Eutrophic ☐ Mesotrophic ☐ Oligotrophic

☑ ☑ Not

Known

17/09/2023

अनुमोदित
वाइल्ड बोर्ड

तहसीलदार
जखोली।

उप जिलाधिकारी
जखोली।

2.6 Climaticsetting:-

a) AnnualRainfall/Snowfall (mm) 1540 mm

b) Temperature(°C) Minimum 0 Maximum 35

c) Humidity (%) Minimum 25 Maximum 87

2.7 Area of zone of influence(inha) 19 ha. [Ref paras 32-34of the guidelines on wetlands]

2.8 Major land use within zone of influence (provide as approximate % of catchment area)

Forests 21.50 %

Plantation 0 %

Agriculture 68.00 %

Settlements (Rural) 10.50 %

Settlements(Urban) ____ %

Industrial ____ %

2.9 Map of wetland complex and zone ofinfluence- attached naksha and khasra

(To be enclosed as Annex I and II to this proposal)

Section 3: Biodiversity

3.1 Notable plant species present inwetland:-**Banj, Burans, Moru, Ringal, Dendar**

3.2 Notable animal species present inwetland:- **Leopard, Bear, Sambhar, Wild Boar.**

3.3 Species of conservation significance (rare, endangered, threatened, endemic species)

3.4 Major plant invasive aliens pecies

3.5 Major animal invasive alien species

19/08/2023

तहसीलदार
जखोली।

उप विभागीकारी
जखोली।

Section 4: Ecosystem services

Importance	Relevant for the site (please tick yes or no)	If Yes, Details (upto 50 words for each category)
Source of drinking water for people living and around	☐ Yes ☑ No	
Source of water for agriculture	☐ Yes ☑ No	
Fisheries	☐ Yes ☑ No	
Cultivation of aquatic food plants	☐ Yes ☑ No	
For buffalo wallowing and use of domesticated animals	☐ Yes ☑ No	
Medicinal plants	☐ Yes ☑ No	
Is a recreational site	☑ Yes ☐ No	For spiritual and tourism.
Buffering communities from extreme events as floods and storms	☐ Yes ☑ No	
Groundwater recharge	☐ Yes ☑ No	
Water purification	☐ Yes ☑ No	
Acts as a sink for sediments	☐ Yes ☑ No	
Has significant cultural and religious values	☑ Yes ☐ No	This tal is religiously related to god Vasudev and Shri Kedarnath Dham.
Is a site for recreation and tourism	☑ Yes ☐ No	Baisakhi mela and spiritual tourism.
Supports noteworthy plants species	☐ Yes ☑ No	
Supports noteworthy animal species	☐ Yes ☑ No	
Site of high congregation of migratory water birds	☐ Yes ☑ No	
Supports life cycle of fish or amphibians	☑ Yes ☐ No	Due to its spiritual values fishing is totally prohibited and supports lifecycle of fishes in this pond.
Mining Any other, please list	☐ Yes ☑ No	
Any other, please list	☐ Yes ☑ No	

तहसीलदार
जखोली।

उप जिलाधिकारी
जखोली।

Section 5: Pre-Existing Rights and Privileges:-

Nature of right and privilege	Relevant for the site (please tick yes or no)	Does this negatively impact the wetland's ecological health?	Brief description (upto 50 words for each category)
Community Fishing (without any lease or permissionfrom government department)	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Fishing under lease from government department	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Harvestofplants(withoutany lease or permission from government department)	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Harvest of plants under lease from government department	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Agriculture or horticulture within wetland	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Grazing	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Religious practices	☑ Yes ☐ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	Fishery and any other practices are totally prohibited due to spiritual values.
Withdrawal of water for domestic use	Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Notassessed	
Withdrawal of water for agriculture or fisheries	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Bathing or wallowing of domestic animals	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Plying of boats	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	
Any other, please list here	☐ Yes ☑ No	☐Yes ☐ Not ☑ Not assessed	

17/08/2023

तहसीलदार
जखोली।

उप जिलाधिकारी
जखोली।

Section 6: Present and Potential Threats:-

Threat	Degree	Present or Potential	Additional information, if any
Changes in water inflow and outflow	☐ High ☐ Medium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	
Pollution	☐ High ☐ Medium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	
Unsustainable harvest of biological resources	☐ High ☐ Medium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	
Mining	☐gh ☐ledium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	
Siltation	☐ High ☐ Medium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	
Encroachment	☐ High ☐ Medium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	
Spread of invasive species	☐ High ☐ Medium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	
Any other, please list	☐ High ☐ Medium ☑ Low	☐ Present ☐ Potential	

Section 7: Activities Proposed to be Prohibited (other than those listed in Rule 4(2) of Wetland Rules and Regulated:-

Activity	Whether prohibited or regulated	Regulation within wetlands or zone of influence	If regulated, indicate the level of regulation (in terms of people, restricted area or any other)	Name of department / agency responsible for regulation /prohibition	Additional information, if any
Withdrawal of water / impoundment/diversion or any other hydrological intervention	prohibited	☑ Wetland / Wetlands complex boundary ☐one of influence		Local society	
Harvesting of resources (living / non-living)	prohibited	☑ Wetland / Wetlands complex boundary ☐one of influence		Local society	
Grazing	prohibited	☑ Wetland / Wetlands complex boundary ☐one of influence		Local society	
Discharge of treated sewage/ effluent / wastewater	prohibited	☑ Wetland / Wetlands complex boundary ☐one of influence		Local society	
Construction of boat jetties, and facilities for temporary use , as pontoon bridges	prohibited	☑ Wetland / Wetlands complex boundary ☐one of influence		Local society	
Aquaculture, agriculture and horticulture activities within the wetland boundaries	prohibited	☑ Wetland / Wetlands complex boundary ☐one of influence		Local society	
Any other, please list		☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☐ Zone of influence		Local society	

तहसीलदार अम्बोली।

Section 8: Actives Proposed to be permitted:-

All human activites are prohibited in wetland due to social and religious values of Badhanital.

Activity	Place a tick mark if relevant	Within wetlands or zone of influence	Additional information, if any
Tourism	☐	☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☑ Zone of influence	Due to socio-religious and natural importance eco-tourism can be permitted in zone of influence outside the wetland boundary.
	☐	☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☐ Zone of influence	
	☐	☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☐ Zone of influence	
	☐	☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☐ Zone of influence	
	☐	☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☐ Zone of influence	
	☐	☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☐ Zone of influence	
		☐ Wetland / Wetlands complex boundary ☐ Zone of influence	

Section 9: Listing of Available Scientific Resources Used:-.....

CHECKLIST

- ☑ Responsible agency has been clearly identified and details of contact person included
- ☑ Wetland/ wetlands complex boundary has been delineated using GIS and firmed up by adequate ground truthing
- ☑ Wetland/ wetlands complex map has been provided at required scale
- ☑ Zone of influence has been delineated and included in wetland map or a separate map
- ☑ Wetland zone of influence is sufficient to manage all activities
- ☑ Site's importance have been listed, and for major categories, justification is provided
- ☑ Site's biodiversity values are listed, and for major categories, justification is provided
- ☑ List of pre-existing rights and privileges is provided
- ☑ Consistency or inconsistency of pre-existing rights and privileges is indicated to be best of available knowledge
- ☑ Threats to site are listed, and for major categories details are provided
- ☑ Activities prohibited, other than those listed in Rule 4(2) have been mentioned
- ☑ List of activities to be regulated within wetlands and zone of influence is provided
- ☑ List of activities to be permitted is provided

तहसीलदार जखोली। उप जिलाधिकारी जखोली।

25785

Annex I : Format for compiling list of wetlands

S.No.	Wetland Name	Geographical coordinates (latitude and longitude of the centre of the the wetlands		District (s) in which the wetland is located	Village	Wetlands type	Wetlands sub-type	Area (ha.)	Khasra or Survey numbers	Whether falls within category of regulated wetlands as per Wetlands Rules
		latitude	longitude			(inland or coastal)	(natural or humanmade)			
1	Badhanital			Rudraprayag		Inland	Natural	0.44 ha		Yes

Total No of Wetlands : 1

Total No of Wetland To be Regulated/Notified Under Wetland Rules : 1

17.07.2023

तहसीलदार
जखोली।

Sub Divisional Magistrate
Jakholi, Rudraprayag
जखोली।

नकल खतौनी ज0वि0रहित ग्राम- बधाणी उप0निरीक्षक क्षेत्र- उखीमठ

तहसील- ऊखीमठ जनपद- रुद्रप्रयाग

फाट (खेवट) खाता की क्र0स0	गुन्झिखिब (खतौनी) खाता न0	खातेदार या काबिज का नाम पितृनाम तथा निवास स्थान	गुदवत कास्त या कब्जा	हाल खसरा न0	क्षेत्रफल नाली / मुट्ठी में	नामोल्लेख
1	2	3	4	5	6	7
22	22	3321205 सरकार वर्ग 10 I जलमग्न	हाल बन्दोबस्त से	805 1246 1359 1361 1474	0.435 0.005 0.005 0.006 0.008	हाल बेनाम " " " खड्डा
			योग	9	0.542	

नाप नक्शा खतौनी आदि से तैयार की गई है।

13/08/2023

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- उखीमठ
जनपद- रुद्रप्रयाग

25787

दूरह नक्शा - ग्राम - बधानी

ग्रा० स० मिरचौक खाल - कोट लांबर तहसील - जखोली जिला रुद्रप्रयाग

पैमाना - 64" = 1 मील

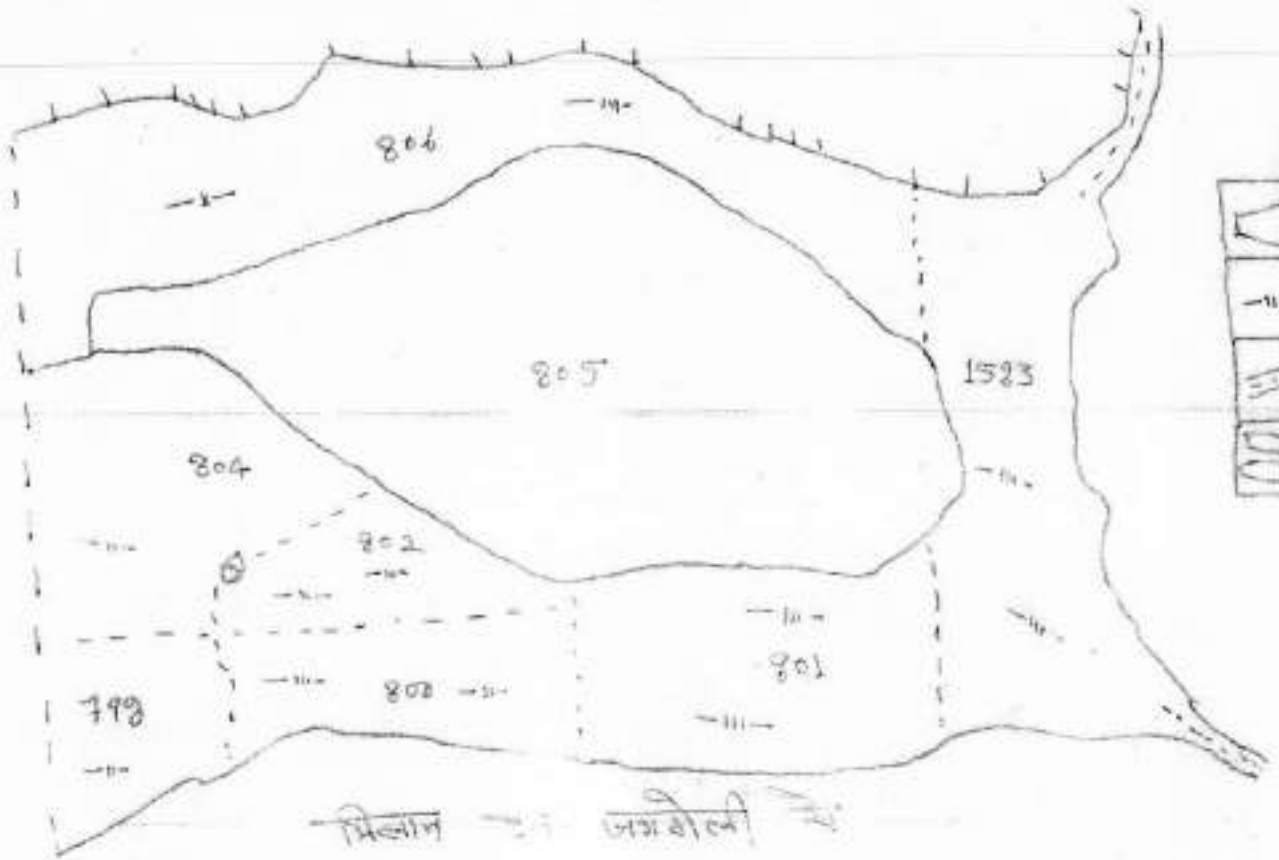

अन्नमाट

	तालाब
	बंजर झाड़ी
	खेत
	नाम ग्रेम

25788

नकल असरा ग्राम - [illegible]

ग्रा. उ. निरी अव. क्षेत्र - कोट आंगर तहसील - लामचेली जनपद - [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
[illegible]	0.66	21	पु. व. सरकार नदी ४ (3) (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.66		
802	0.075	21	पु. व. सरकार नदी ४ (3) (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.75		
801	0.129	21	पु. व. सरकार नदी ४ 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.129		
802	0.060	21	पु. व. सरकार नदी ४ 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.60		
803	0.001	21	पु. व. सरकार नदी ४ 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.01		
804	0.135	21	पु. व. सरकार नदी ४ 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.135		
805	0.435	22	पु. व. सरकार नदी - 10-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उपजाऊ (Arable)	0.435		
806	0.236	21	पु. व. सरकार नदी ४ 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.236		
1023	0.185	21	पु. व. सरकार नदी ४ 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.185		
योग	1.322 हे.															योग	बंजर	0.877		
																	उपजाऊ	0.435		
																		1.322		

नोट - नकल [illegible] सरकार का हैसार [illegible]

15/02/2023

राजस्व
उप निरीक्षक

292

श्री अभिमन्यु, उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिनंदन करते हुए माह सितम्बर–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी।

1- Public Awareness :– बैठक के दौरान जिला पंचायत अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 16 सितम्बर–2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक "स्वच्छता ही सेवा" तथा माह अक्टूबर–2023 के प्रथम सप्ताह के अन्तर्गत 'Wild Life Week' कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। उक्त कार्यक्रमों में गंगा क्षेत्र को लक्ष्यकर रखते हुए गतवर्षो की भांति बैठक के साथ आवश्यक कार्यवाही की जानी है। साथ ही माह अगस्त–2023 में स्वतन्त्रता दिवस व गैरी लाडी मैरा देश कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन स्थानों पर वृक्षारोपण/पौधारोपण व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, उनके फोटोग्राफ्स जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला पंचायत राज अधिकारी रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।)

2- Preventing Solid Waste Flowing into River :– अपरमहाधिकारी द्वारा पूर्व माह में हुई बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के संबंध में संबंधितों को ट्रेनिंग प्रदान्त हेतु चयनित मुनि की संबंधित विभाग के साथ समन्वयात्मक किये जाने के उद्देश्य में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है, कि ऋषिकोली पार्क, सुमाड़ी, बांसवाड़ा के नजदीक, कांडाखाल आदि स्थानों से कूड़े का उठान तथा निस्तारण किया जाये। साथ ही जनपद के सभी क्षेत्रों में कूड़े के निस्तारण हेतु ओ आकार वाहनों को क्रय कराये गये है, जन वाहनों को दीपावली से माह –फरवरी–2024 में होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

साथ ही अपरमहाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ ऊखीमठ को निर्देश दिये गये है, कि Single use Plastic के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु प्रत्येक माह विशेष रूप से अभियान चलाया जाये एवं इसके संचालन के लिए बालवान बनाये जाये।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग /समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग)

3- River Front Development :– बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ को मन्दाकिनी तथा अलकनन्दा नदी के घाटों एवं संगम पर सौन्दर्यीकरण, स्नान–घाटों आदि किये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग को Electrical Crematorium को स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ)

4- Afforestation :– बैठक के दौरान पृथक वृक्षारोपण हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति से संबंधित विभागों को दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष विभागी प्रगति प्राप्त हुई है, जो संबंधित अनुभाग अन्तर्गत अधीनस्थ अधिशासी अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही "स्वच्छता ही सेवा" एवं 02 अक्टूबर–2023 के अवसर पर वृक्षारोपण/पौधारोपण का कार्य किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/समिति से संबंधित समस्त विभाग)

5- Sewerage Treatment Infrastructure Development :– बैठक के दौरान परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल की जानकारी में स्थित समस्त सीवरेज की अवस्थापना एवं चलन–संचालन पर गतमास कार्य/निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। साथ ही जिला गंगा
संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि Solid Waste Management से संबंधित मामलों अधीक्षणाभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध कराएंगे।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल/जिला गंगा संरक्षण समिति के समस्त सदस्य)

6- Industrial Effluent Monitoring :– जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नहीं है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

7- Ganga Gram :– बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये है कि संगम ग्राम पंचायत/गंगा गिरि/स्वयं सेवक का संगठन बनाकर कूड़े का निस्तारण किया जाये। साथ ही गंगा ग्रामों के अन्तर्गत स्वच्छता ही सेवा तथा 02 अक्टूबर–2023 के अवसर पर गंगा आपदा/स्वच्छता अभियान/वृक्षारोपण/नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

शेषांश 02 पर

8- Biodiversity :- जनपद में पौध विविधता को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रजातियों वाले पौधों द्वारा नक्षत्र वाटिका की स्थापना किये जाने पर कार्यवाही करते हुए वानिकी की दृष्टि से वातावरण को शुद्ध करने वाले पौधों का रोपण सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही- जनपद अधिकारी, रुद्रप्रयाग)

9- Institutional Development :- जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को पहल नमामि अभियान, कैच द रेन-2023 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही किये जाने को निर्देशित किये गये है। मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल संचित केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा कार्यालय आदि में चालान हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त वर्णित अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा पंकजैम की कार्यवाही की जायी है। बैठक के दौरान समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/संस्थाओं को निर्देशित किया गया है, कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सम्बन्धित विभागों उचित स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।

जनपद अन्तर्गत सम्पादित तथा अवलम्बन्ध भूमियों में मिलने वाली अन्य भूमियों यथा ग्राम सभा, वन पंचायत इत्यादि को (चिन्ह अंकित करते हुए) GIS Map पर अधोहस्ताक्षरी एवं उपस्थित कराये जाने हेतु GIS Cell को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/ मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/समस्त सहज निर्माणदायी संस्था / GIS Cell विकासनगर)

10- Wetland and Small River Rejuvenation :- बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को "स्वच्छता ही सेवा" थीम 02 अक्टूबर-2023 के अवसर गंगा ग्राम में वृक्षारोपण/पौधारोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। Writ Petition (PIL) No. 19 of 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु सम्बंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। साथ ही अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को Water Conservation Plan अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही- जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग /अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग)

मुख्य गंगा मोबुल:- गंगा घाटी क्षेत्र के सतत आर्थिक विकास के लिए "अर्ली गेन्स" मोडल के अन्तर्गत एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए कृषि विभाग रुद्रप्रयाग, जिला पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग, अधि.अभि, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग, केदारनाथ (अगस्त्यमुनि) को यथाशीघ्र आवश्यक जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परियोजना अधिकारी उरेडा रुद्रप्रयाग को जनपद अन्तर्गत फीसल एप्लीकेशन करने हेतु अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग/जिला उद्यान विभाग रुद्रप्रयाग/जिला पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग/अधि.अभि, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)/परियोजना प्रबन्धक, उरेडा, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे रुद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देश दिये कि जिला पंचायती राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं जिला गंगा संरक्षण समिति के अन्य सदस्य जिनके द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जा सका है वह सभी अनिवार्य रूप से अगामी बैठकों में मय दस्तावेजों/ अभिलेखों सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(अधि.अभि.)
उप वन संरक्षक/सदस्य व संयोजक।
जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग

संख्या- 9780/ 7 -1 दिनांक 16 दिसम्बर, 2023।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2- समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।
3- जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग।
4- जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन यूनिट नमामि गंगे देहरादून।
6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7- सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(अधि.अभि.)
उप वन संरक्षक/सदस्य व संयोजक।
जिला गंगा संरक्षण समिति, रुद्रप्रयाग।

श्री सौरभ गहरवार, जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2023 को जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग में आहुत जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम /विभाग	हस्ताक्षर	मोबाइल नम्बर
01	श्री सौरभ गहरवार	जिलाधिकारी		
02	Abhinavya	DFO Rudrapray		
03	Anil Panwar	DDO RPG(R)		
04	Rahul Pant	PO UREDA		9410919631
05	Tirthwant Singh Chauhan	EE. I.D. RPG.		9634581661
06	Sandeep Kumar Sati	AE I.D. Kedarnath		7895141212
07	[illegible]	[illegible]		RL5025928?
08	Ganesh Agarwal	Rohini Project Education		9634860784
09	Shivraj Panwar	S.I. PP Rudraprayag		9410522483
10	Chandra Shekhar	E.O N.P. Jyotirmath		7895053[illegible]
11	Kailash Patwal	C/O Agriculture		9897020103
12	Ravindra Singh	P.M. Panjwal Satyanjan		9821500810
13	सुनिल कुमार	[illegible]		7248354180
14	राहुल भोई	पार्षद NDD		9639716630
15	Abhilasha	DPO, DMC		9012815051
16				
17				
18				
19				
20				
21				

श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2023 को जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग की बैठक की कार्यवृत्त।
उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला गंगा संरक्षण समिति के सदस्यों का अभिवादन करते हुए माह जून–2023 में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग द्वारा माह जून–2023 में हुई बैठक से संबंधित बिन्दु के संबंध में अवगत कराया गया, जो निम्नवत है:–

Public Awareness :– बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि 21 जून, 2023 को "योग दिवस" के अवसर पर गंगा नदी के मन्दाकिनी घाट, अगस्त्यमुनि में योग, गंगा स्वच्छता शपथ, घाटों एवं साफ–सफाई आदि का कार्य किया गया। साथ ही राजकीय इण्टर कॉलेज, रुद्रप्रयाग में युवा उत्सव के अवसर पर नमामि गंगे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 200 प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग करते हुए शपथ व साफ–सफाई का कार्य किया गया। उक्त के अतिरिक्त गंगा नदी के घाटों पर प्रतिदिन गंगा आरती किये जाने हेतु संबंधितों से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने तथा "हरेला पर्व" के अवसर पर जिन स्थानों पर वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किया जाना है, उनमें से किसी एक स्थान का चयन करते हुए "नमामि गंगे" के बैनर का उपयोग करते हुए जिला गंगा संरक्षण समिति रुद्रप्रयाग को वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

Preventing Solid Waste Flowing into River :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधितों को साफ–सफाई, जैविक–अजैविक कूड़े का पृथक–पृथक संकलित करने एवं निस्तारण करने तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही संबंधितों को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु चयनित भूमि को संबंधित विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर कूड़े के निस्तारण हेतु जो वाहन उपलब्ध कराये गये है, उन वाहनों हेतु तत्काल चालक की व्यवस्था करते हुए रोस्टर के अनुसार संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग)

River-Front Development :– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के क्रम में स्थान स्यालसौड़ में गंगा वाटिका तैयार करने हेतु 26.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा संस्तुति दी गयी। जिला गंगा समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि से प्रस्ताव का वित्त पोषण किया जाए। उक्त के अतिरिक्त संबंधितों को निर्देश दिये गये है, कि गंगा घाटों के सौन्दर्यीकरण, साफ–सफाई तथा घाटों पर Electrical crematorium स्थापित किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्र0/जिला परियोजना अधि0 नमामि गंगे/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग/अधि0 अधि0 नगर पंचायत, तिलवाड़ा/ अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/केदारनाथ /अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग)

2/–

Afforestation :– बैठक के दौरान उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया कि वर्षा ऋतु में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा हरेला पर्व तथा अन्य अवसरों पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करने हेतु संबंधितों को निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि/ऊखीमठ/कोदारनाथ/उपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रूद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/समिति से संबंधित समस्त विभाग)

Sewerage Treatment Infrastructure Development :– बैठक के दौरान परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को सीवरेज की अवसंरचना का समय–समय पर मरम्मत कार्य किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल)

Industrial Effluent Monitoring :– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में कोई भी सरकारी/निजी औद्योगिक संयंत्र स्थापित नही है, और न ही किसी संयंत्र द्वारा नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है।

Ganga Gram :– बैठक के दौरान जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के अन्तर्गत 12 राजस्व ग्रामों को गंगा ग्राम हेतु चयनित है। संबंधितों ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य समय–समय पर किया जाता है। गंगा ग्राम हेतु चयनित राजस्व ग्रामों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गंगा ग्राम समिति गठित करते हुए ग्रामों में वृक्षारोपण, साफ–सफाई, प्रतिदिन डोर टू डोर जैविक/अजैविक कूड़ा का कलैक्शन आदि का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, रूद्रप्रयाग तथा जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग अपने अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही गंगा ग्राम हेतु चयनित ग्रामों मे संबंधित व्यक्तियों तथा ग्रामवासियों को नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा न डालने हेतु जागरूक किया जायें। इसके अतिरिक्त गंगा ग्रामों में हरेला पर्व के अवसर पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किया जायें।

(कार्यवाही– जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे/प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र, रूद्रप्रयाग/जिला पंचायत राज अधिकारी, रूद्रप्रयाग/जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

Biodiversity :– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को जनपद में जैव विविधता को बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये के निर्देश दिये गये। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद के स्थान कांकड़ागाड़ में बर्ड वॉच एण्ड ट्रेकिंग का बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त जनपद में स्थित नागताल तथा सड़ागताल में स्थानीय जलीय प्रजाति/मछलियों को डाला जाएगा जिससे ताल में जैव विविधता में वृद्धि हो सकेगी।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग)

Institutional Development :– जनपद में संस्थागत विकास किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया है, कि मुख्य विकास अधिकारी,

रूद्रप्रयाग के कार्यालय भवन में जल शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है, तथा वर्षाजल आदि के संग्रह हेतु कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग को माननीय को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये गये है, कि जल शक्ति अभियान, कैच द रैन–2023 के संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

Wetland and Small River Rejuvenation :– बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद अन्तर्गत छोटी नदियों तथा आर्द्रभूमि में अमृत सरोवर को स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। संबंधित को निर्देश दिये गये है, कि जनपद में अधिक से अधिक अमृत सरोवर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, व अमृत सरोवर के आसपास वृक्षारोपण/पौधरोपण का कार्य किया जाये। साथ ही "हरेला पर्व" की बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– जिला विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग)

बैठक के दौरान संबंधित विभागों को "जल जीवन मिशन" तथा "अर्थ गंगा" से संबंधित कार्ययोजना यथाशीघ्र उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही "अर्थ गंगा" के तहत फलदार वृक्ष, औषधि वृक्ष आदि लगाये जाने हेतु संबंधितों विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग/जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

ह०/–
(दीपेन्द्र सिंह नेगी),
प्र0 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या–5529 /33–जि0गं.स.स. (2022–23) दिनांक 15 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विभाग/सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, रूद्रप्रयाग।
2– जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), रूद्रप्रयाग।
3– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7– कार्यालय प्रति।

प्र0 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रूद्रप्रयाग।

ANN 25795-17

।। कार्यालय नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांक ३५० / विविध / 2023-24 दिनांक 31 अक्टूबर 2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन
प्रभाग / जिला संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति
रुद्रप्रयाग।

विषयः— नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग द्वारा समय-समय पर चलाये गये जन जागरूकता अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत समय -समय पर चलाये गये जन जागरूकता अभियान की कार्यवाही महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

Ajadi ka Amrit Mahotsav- नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग द्वारा "गंगा का संरक्षण एवं आजादी का अमृत महोत्सव" के अन्तर्गत् नगर क्षेत्रान्तर्गत् वार्डो की विशेष साफ-सफाई के साथ-साथ घाटो की विशेष अभियान चलाते हुए साफ-सफाई की गयी। उक्त अभियान में रैडक्रॉस सोसायटी के स्वयं सेवकों द्वारा इस कार्य में श्रमदान कर विशेष सहयोग प्रदान किया गया है।

Mission Life- नेहरू युवा कल्याण रुद्रप्रयाग से साथ पालिका द्वारा मिशन लाईफ अभियान के तहत् व्यापक जागरूकता एवं कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया है।

Swachhta hi Sewa- 1-दिनांक 16 सितम्बर, 2023 को टैक्सी स्टैण्ड, बस स्टैण्ड, में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

2-दिनांक 17 सितम्बर, 2023 को सेवा दिवस के अवसर पर एक दिवसीय इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 का शुभारम्भ रुद्रा बैण्ड से पेट्रोल पम्प रुद्रप्रयाग तक युवाओं व अन्य नागरिकों / जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से किया गया।

3-दिनांक 18-25 सितम्बर, 2023 के मध्य सभी निकायों के द्वारा पर्यावरण मित्रों के उत्तम स्वास्थ्य व जीवन की गुणवत्ता मे सुधार हेतु नगर पालिका के सभागार में सफाई मित्र हेतु सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया तथा नगर क्षेत्रान्तर्गत संचालित बैंको द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगा गया तथा जिनके द्वारा पर्यावरण मित्रों को ऋण उपलब्धता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया।

4-दिनांक 01-02 अक्टूबर को समस्त वार्डो में नागरिकों व सम्मानित जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से वृहद् स्तर पर कोटेश्वर तथा संगम क्षेत्र पर जन-प्रतिनिधियो / स्वच्छता ब्राण्ड एम्बेसडर के सहयोग से श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

5-दिनांक 02 अक्टूबर को पर्यावरण मित्रो, स्वयं सहायता समूहों व स्वच्छता के क्षेत्र मे कार्यरत अन्य को भी सम्मानित किया गया।

Har Ghar Har Ghat Tiranga- नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 13 से 16 अगस्त, 2023 तक "हर घर–हर घाट तिरंगा" कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 15 अगस्त, 2023 को स्वतन्त्रता दिवस के शुभअवसर पर विद्यालयी छात्र–छात्राओं द्वारा प्रात: 0700 बजे रूद्रा वैण्ड से वार्ड नं0 2 पैट्रोल पम्प तक प्रभात फेरी निकाली गयी एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया।

Swachhta Pakhwada- नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग द्वारा समय समय पर स्वच्छता पखवाड़ा के अर्न्तगत जनजागरूकता रैलियां एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गये।

Meri Mati Mera Desh- मेरी माटी मेरा देश" अभियान के सफल आयोजन हेतु नगर क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय परिसर खुरड वार्ड नं0 3 में अमृत वाटिका के अन्तर्गत् पौध रोपण एवं स्मारक पट्टिका स्थापित की गयी।

Harela- पालिका द्वारा "हरेला पर्व" पर वार्ड नं0 3 कोटेश्वर क्षेत्र में मा0 अध्यक्ष की अध्यक्षता में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
रूद्रप्रयाग।

छात्रों ने स्कूलों में चलाया विशेष स्वच्छता अभियान

नगर पालिका रुद्रप्रयाग में सफाई कर्मियों की मेडिकल जांच

रुद्रप्रयाग। ''स्वच्छता ही सेवा'' पखवाड़े के तहत जिलाधिकारी डॉ सौरभ गहरवार के निर्देशन में जनपद में चलाया स्वच्छता अभियान जारी है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, शिक्षण संस्थानों समेत सरकारी एवं निजी संस्थानों में विशेष स्वच्छता अभियान बुधवार को भी जारी रहा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चंद्रनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं अन्य छात्रों ने विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया। वहीं ग्राम सभा जग्गी कांडई में महिला मंगल दल की अगुआई में ग्रामीणों ने पूरे गाँव में प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। महिलाओं ने ग्रामीणों को गांव में कूड़ा न फैलाने की अपील भी की। ग्राम सभा पणड़ासू में भी ग्रामीणों ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाते हुए गांव में कूड़ा न फैलाने की शपथ भी ली। केदारनाथ घाटी में यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। उधर, केदारनाथ धाम में मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा गंगा घाटों की सफाई की गई। सुलभ इंटरनेशनल और नगर पंचायत केदारनाथ के सफाई कर्मियों ने पूरी घाटी में अभियान चलाते हुए दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी धाम में कूड़ा न फैलाने के लिए जागरूक किया। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा एवं इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के तहत नगर पालिका रुद्रप्रयाग में पर्यावरण मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पर्यावरण मित्रों की मेडिकल जांच की गई।

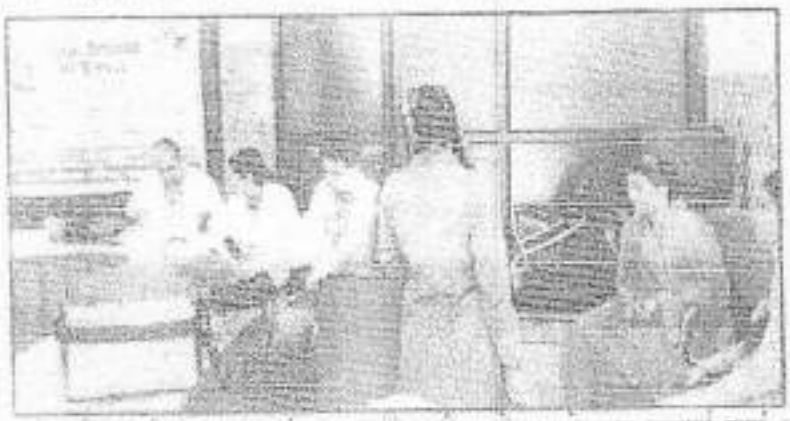

25798

25799

25801

25802

Swachhata
Hi Seva

25804

25805

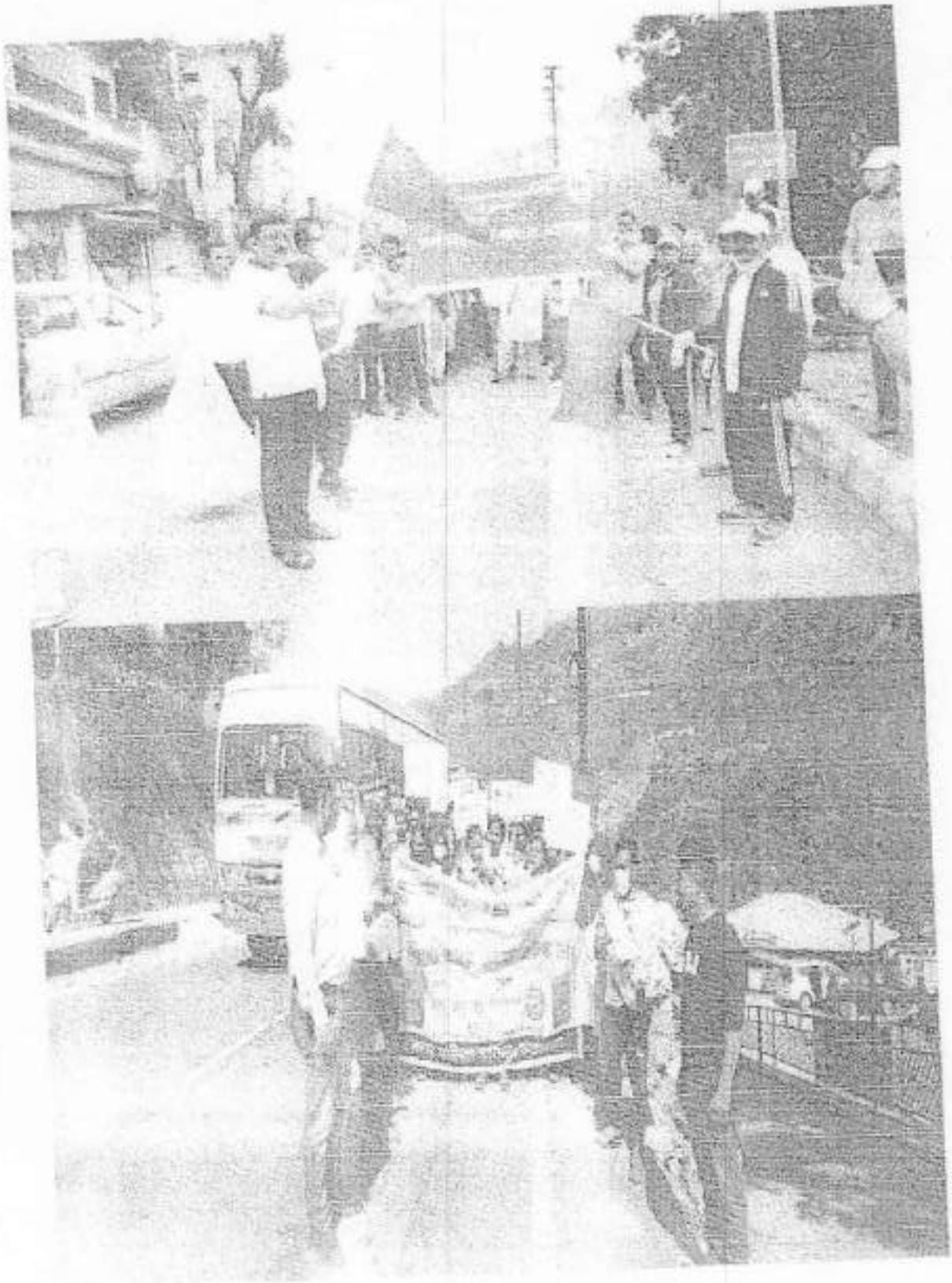

25807

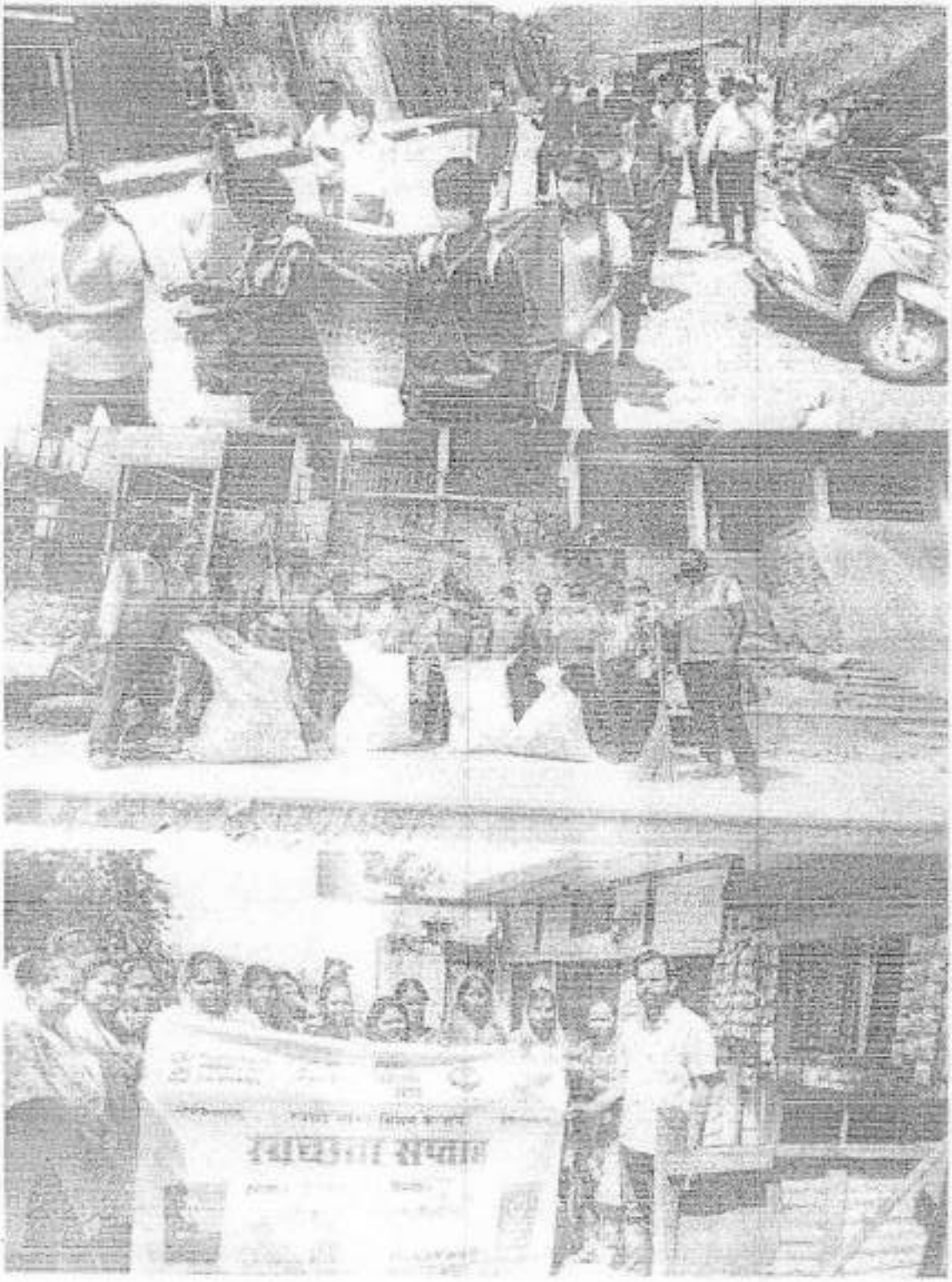

25809

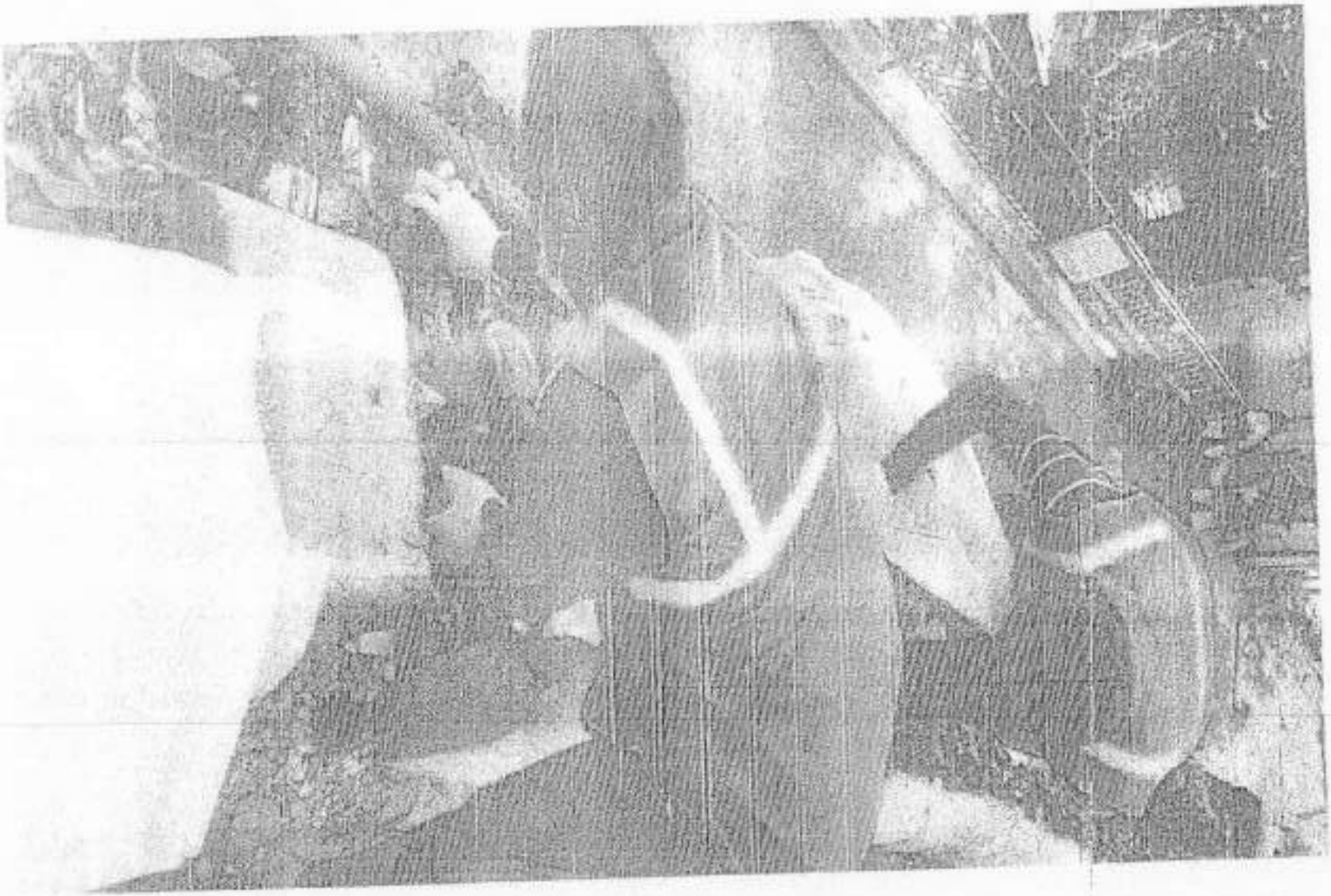

25810

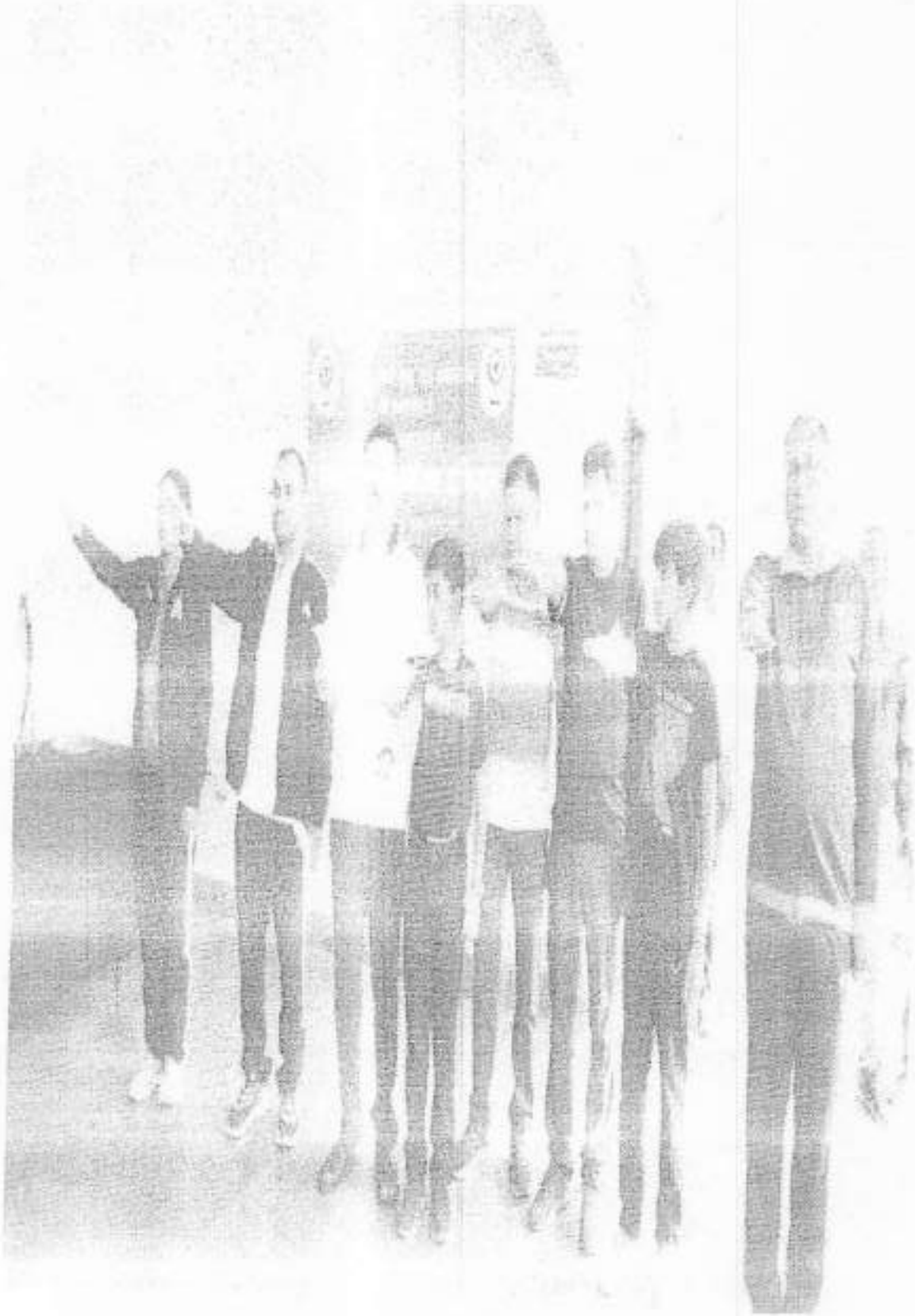

25813

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा मेरी लाईफ कार्यक्रम
के तहत अलकनन्दा नदी के संगम घाट पर सफाई अभियान

25814

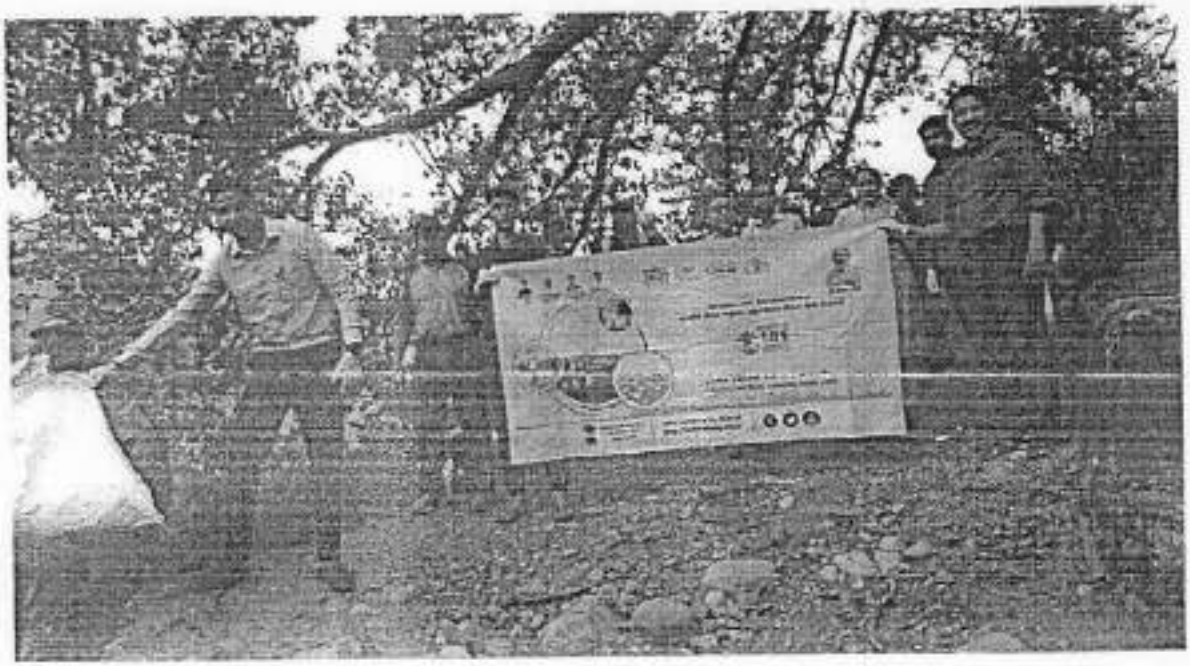

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा मेरी लाईफ कार्यक्रम
के तहत अलकनन्दा नदी के संगम घाट पर सफाई अभियान

25815

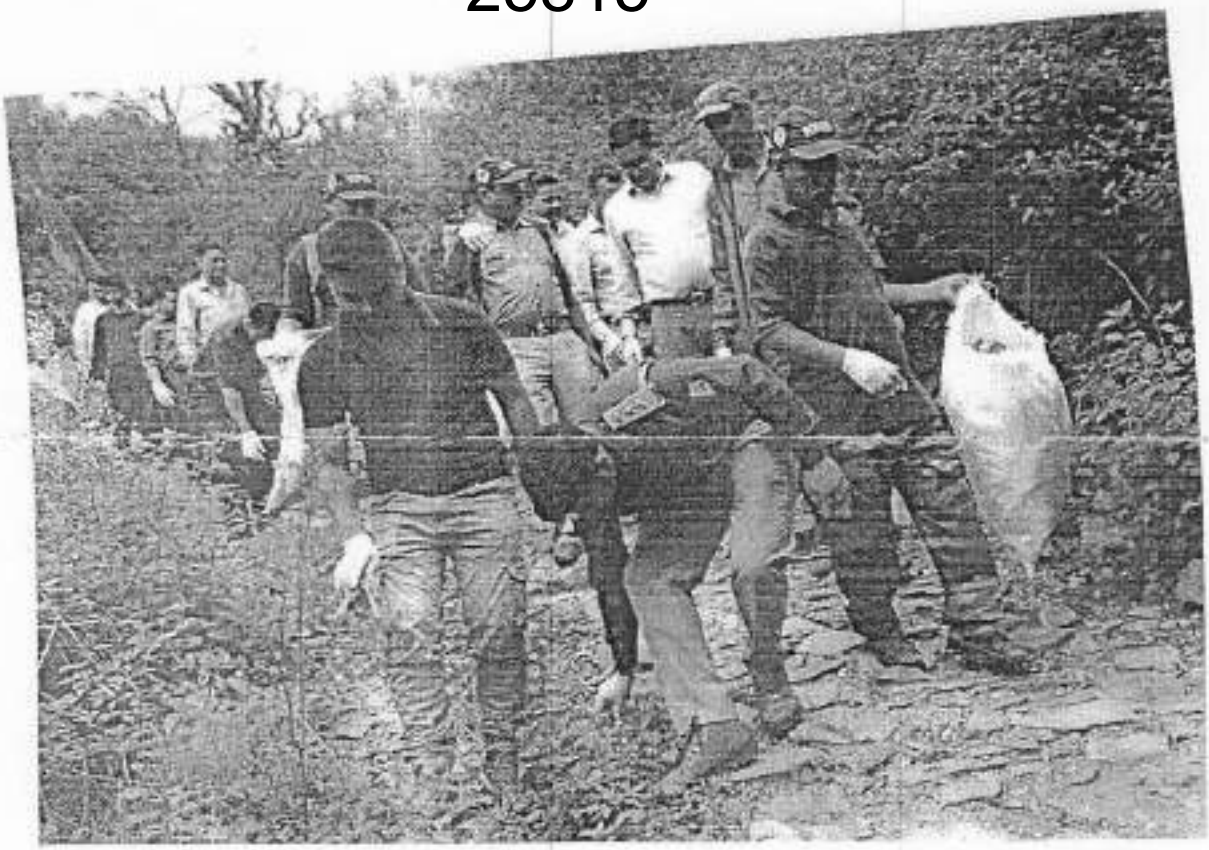

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा मेरी लाईफ कार्यक्रम
के तहत अलकनन्दा नदी के संगम घाट पर सफाई अभियान

25816

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा मेरी लाईफ कार्यक्रम
के तहत अलकनन्दा नदी के संगम घाट पर सफाई अभियान

25817

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा मेरी लाईफ कार्यक्रम
के तहत अलकनन्दा नदी के संगम घाट पर सफाई अभियान

25818

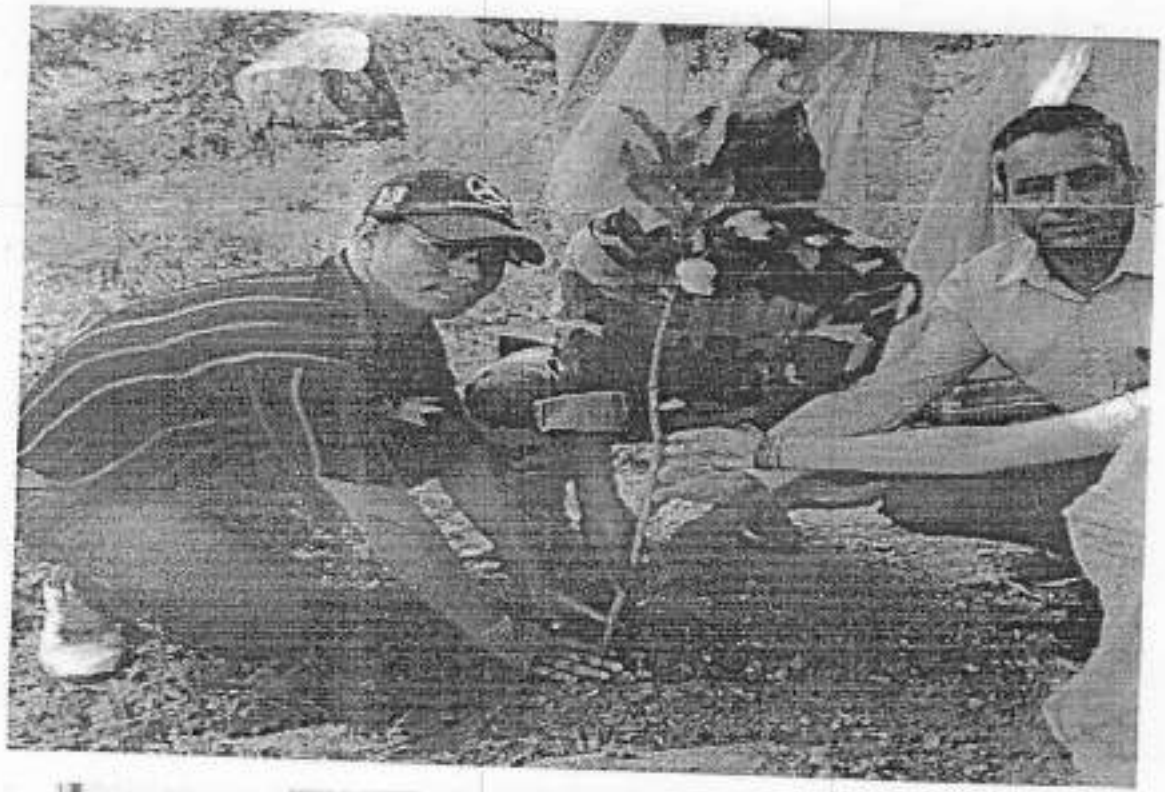

मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम

मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम

25820

25821

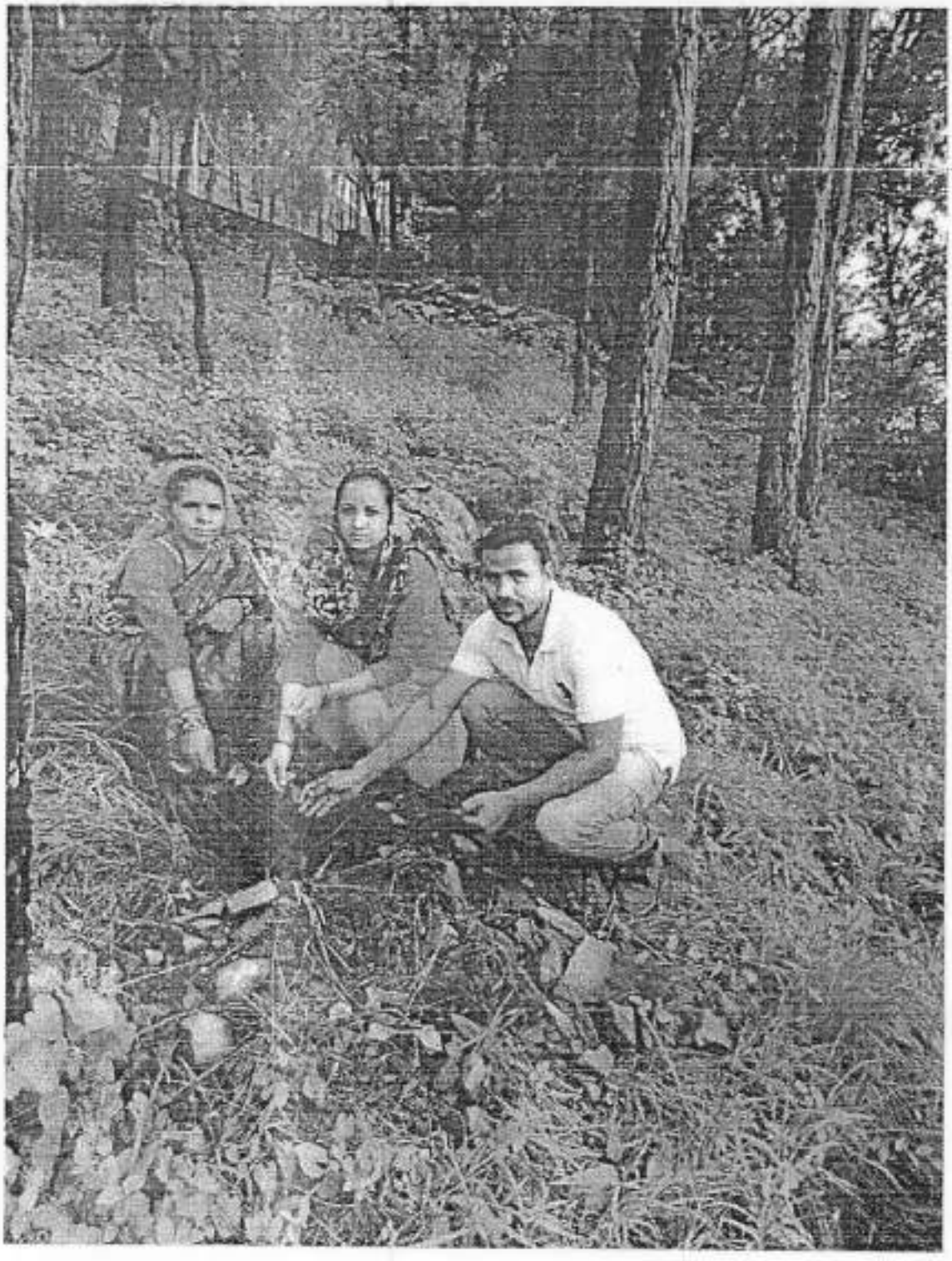

।। कार्यालय नगर पंचायत, रतालाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।
Email- nptilwara@gmail.com

25824

।। कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद–रूद्रप्रयाग।।

Email- nptilwara@gmail.com

कार्यालय नगर पंचायत केदारनाथ।

संख्या- 90 /न0पं0के0-ग0सं0स0का0/(2023-24) दिनांक 21 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग।

विषयः-नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अन्तर्गत आम जनमानस को स्वच्छता हेतु जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके दूरभाष पर दिये गये निर्देश के क्रम में सादर अवगत कराना है।

1-नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा नगर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 20 सितम्बर 2023 से दिनांक 1 अक्टूबर 2023 तक आम जन मानस को जागरूक करने के लिये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अन्तर्गत सरस्वती एवं मन्दाकिनी नदी/घाटों की साफ सफाई के अलावा नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न गली/मौहल्लों की साफ सफाई की गयी है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ धाम में तैनात निकाय के पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर का आयोजन भी किया गया है जिसमें 50 पर्यावरण मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न हैं)।

2-नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा/गंदगी फैलाने पर अभिषिक्त तक 69 चालान किये गये है, जिसमें कि कुल 40,200 (चालीस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि सम्बंधितों से वसूल की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केदारनाथ।

25826

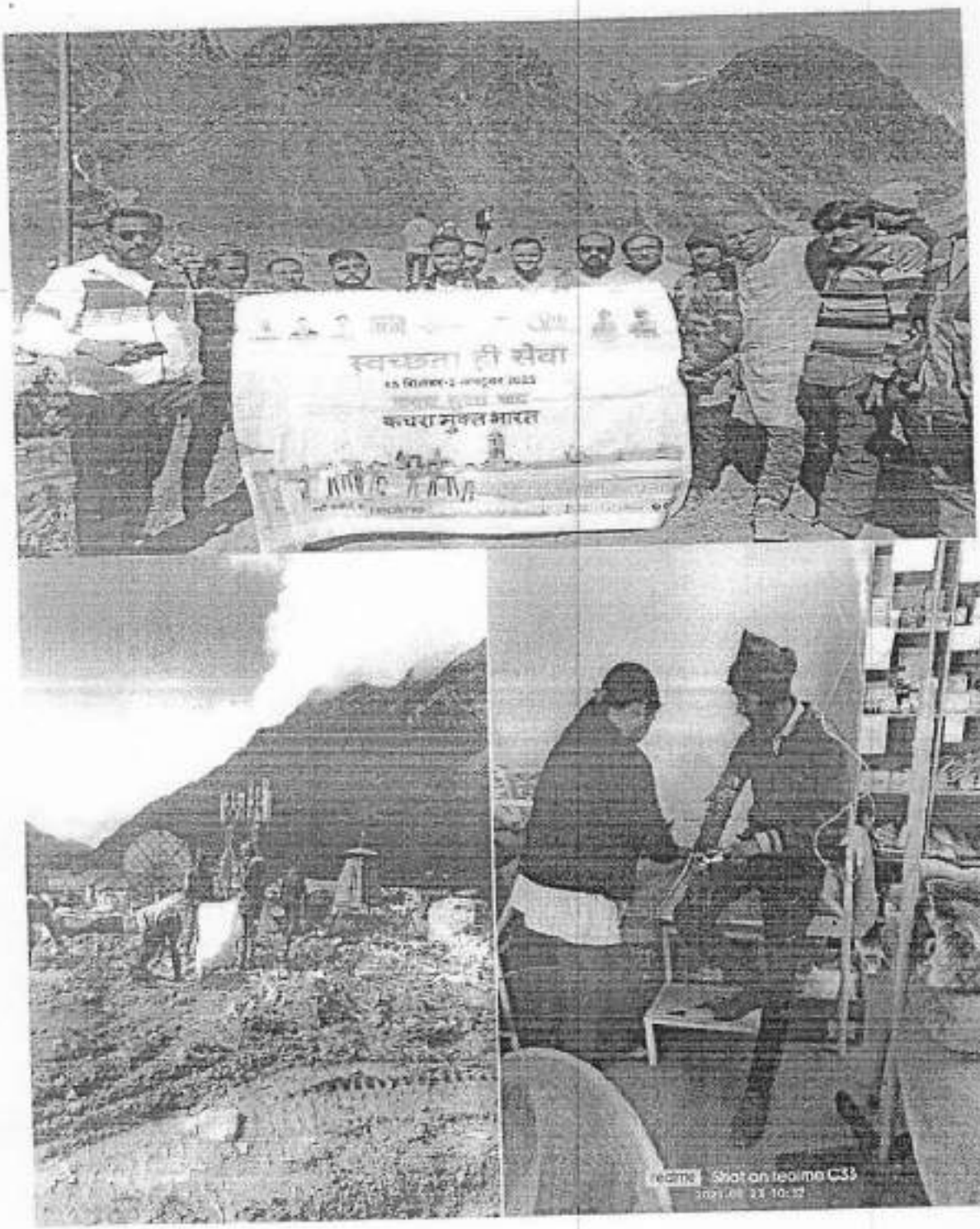

25827

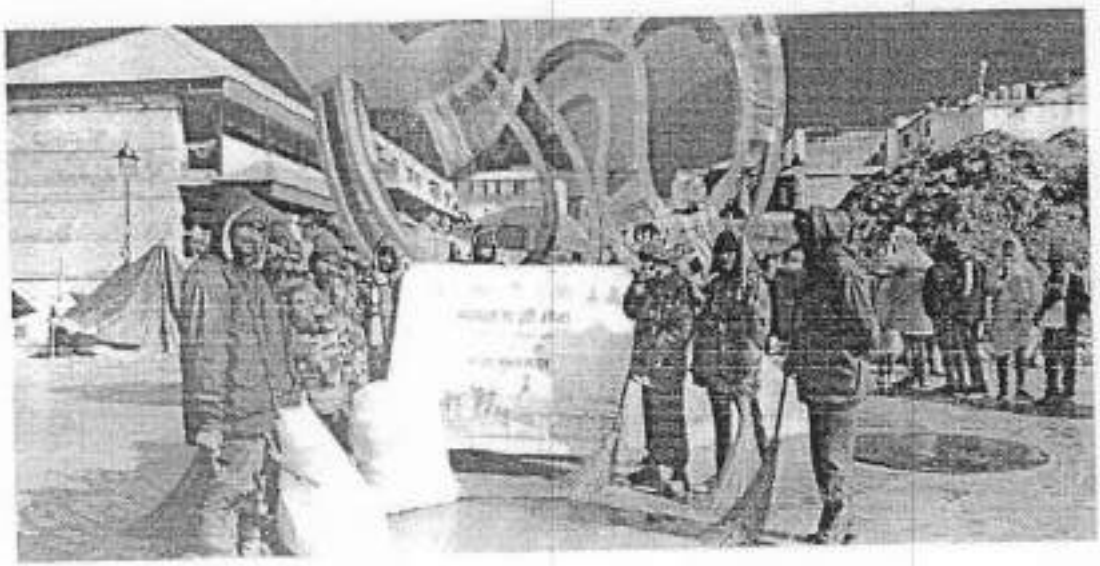

25828

25829

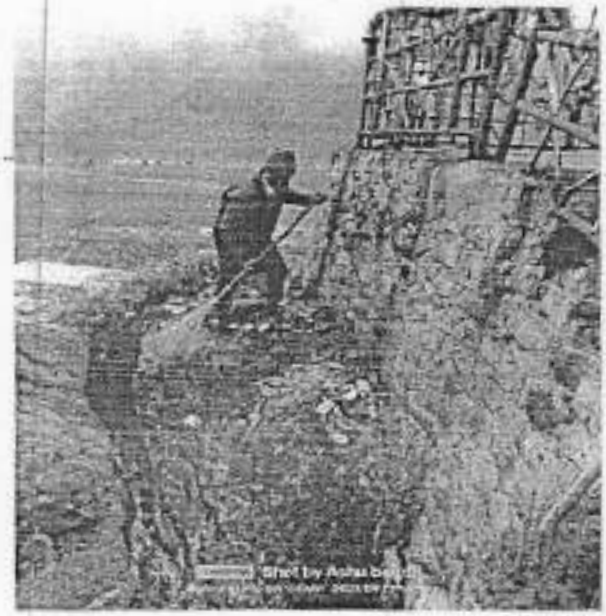

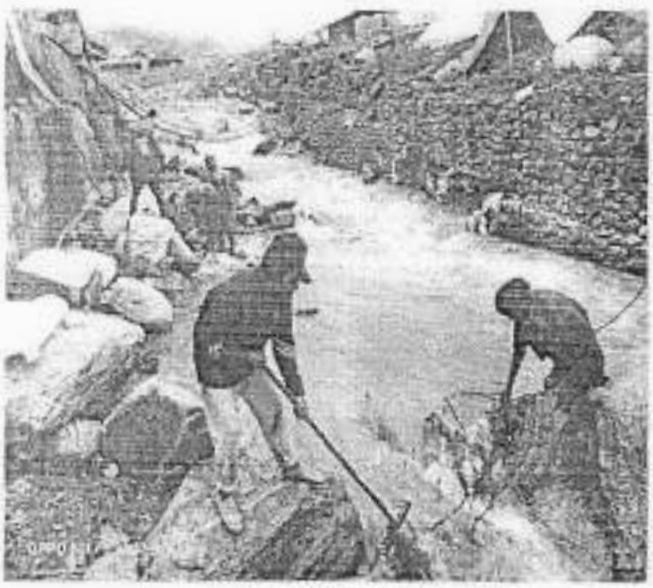

25830

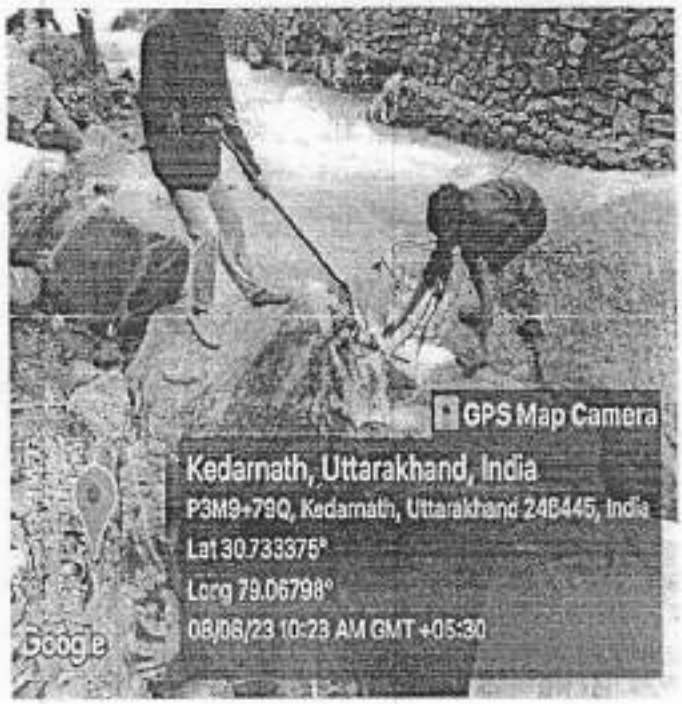
GPS Map Camera
Kedarnath, Uttarakhand, India
P3M9+79Q, Kedarnath, Uttarakhand 246445, India
Lat 30.733375°
Long 79.06798°
08/06/23 10:23 AM GMT +05:30
Google

ઇજા પહોંચાડી મારી

25832

ग्राम पंचायत नाग ककोड़ाखाल

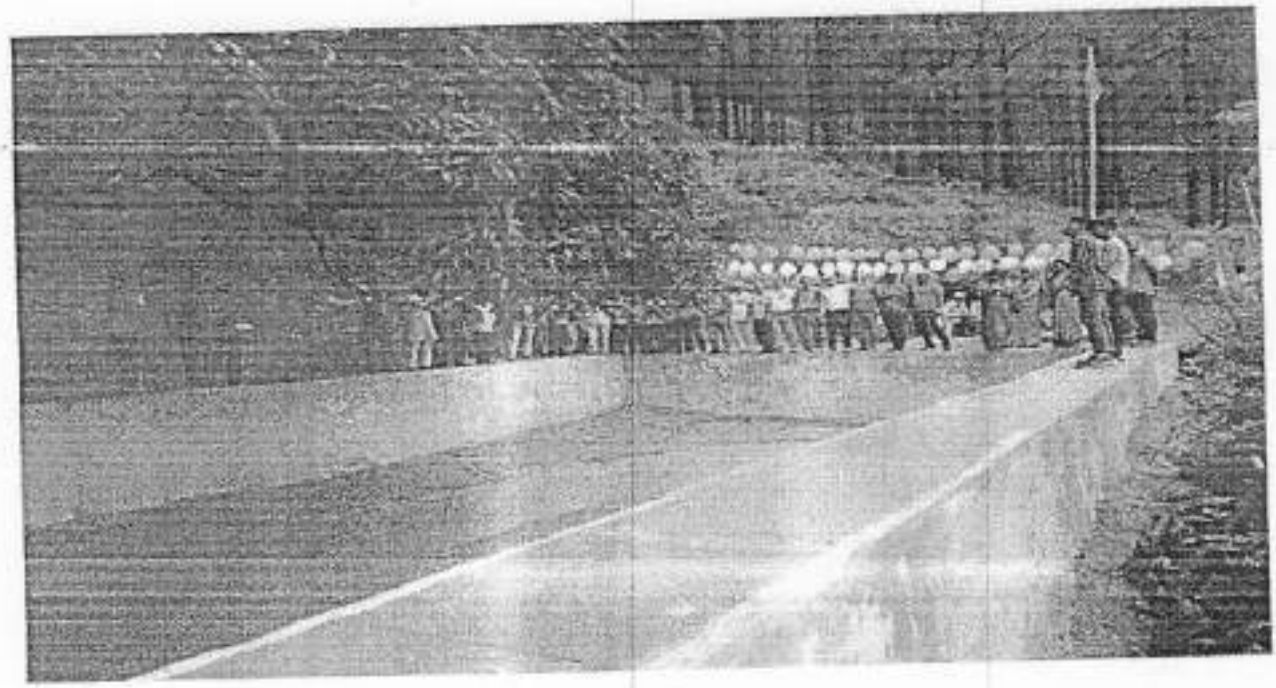

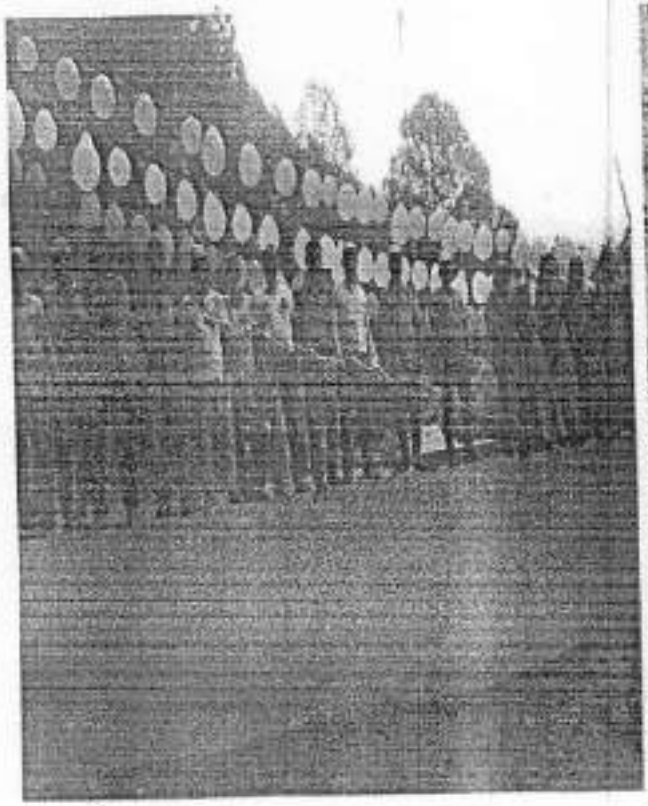

25833

ग्राम पंचायत तुलंगा

25834

ग्राम पंचायत तड़ाग

25835

ग्राम पंचायत बैरांगणा

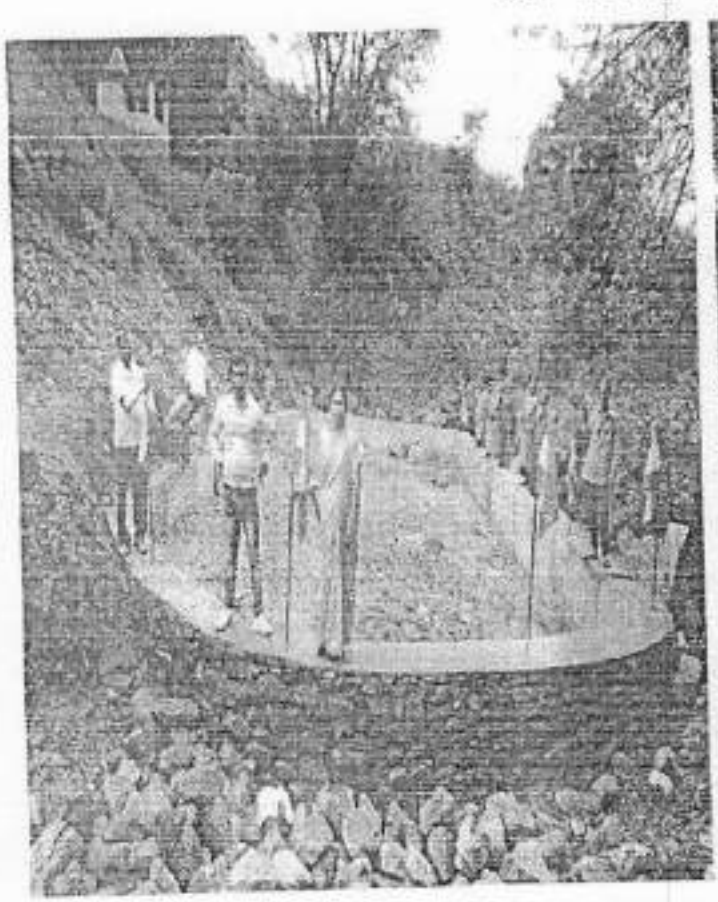

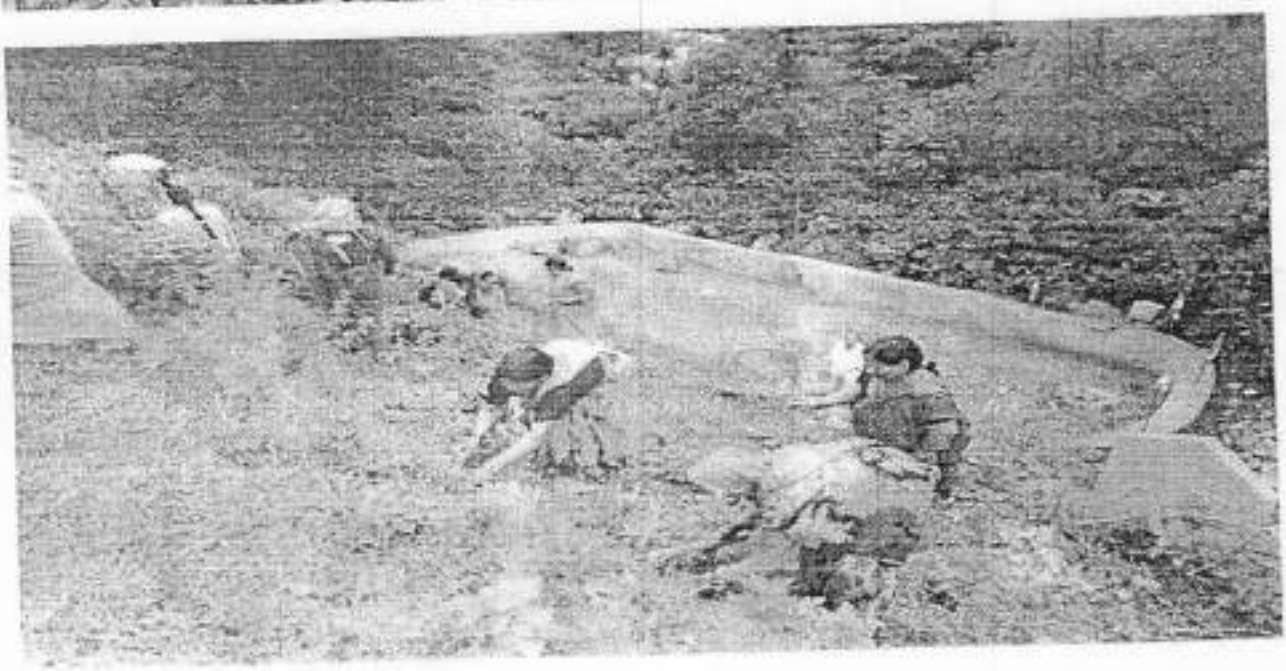

25836

ग्राम पंचायत स्यूणी

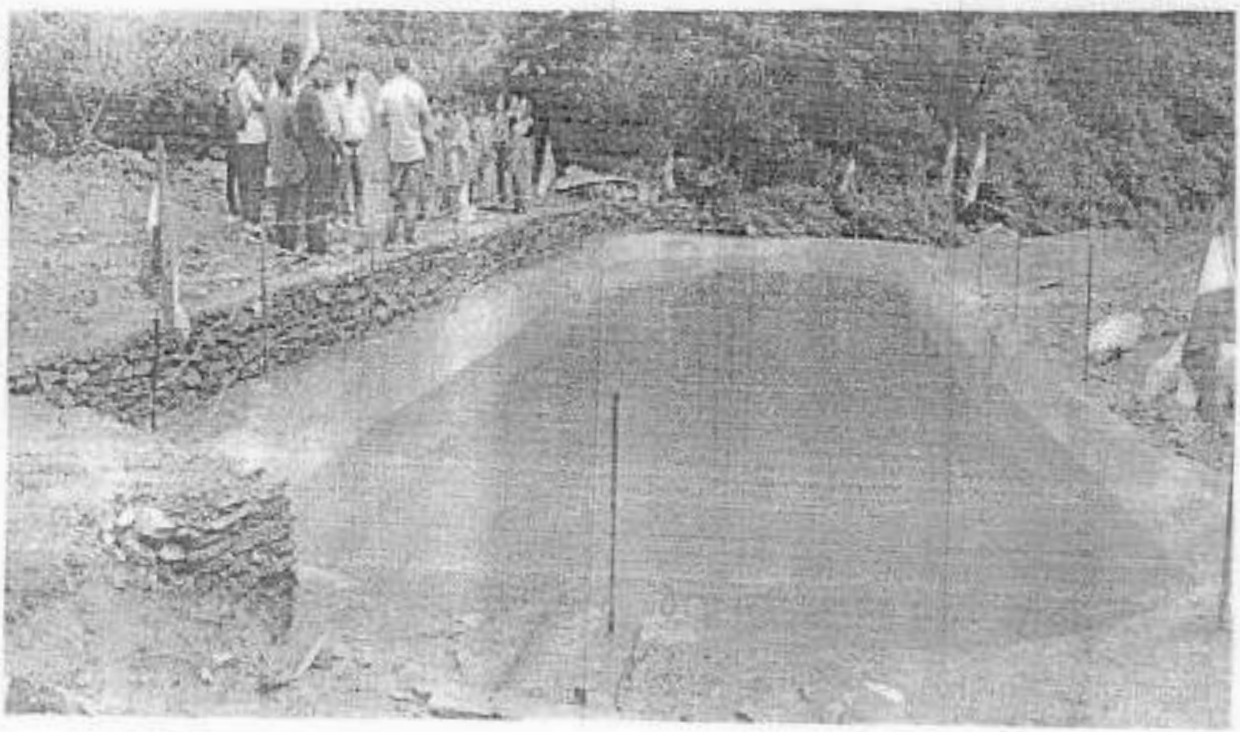

25837

ग्राम पंचायत कान्दी

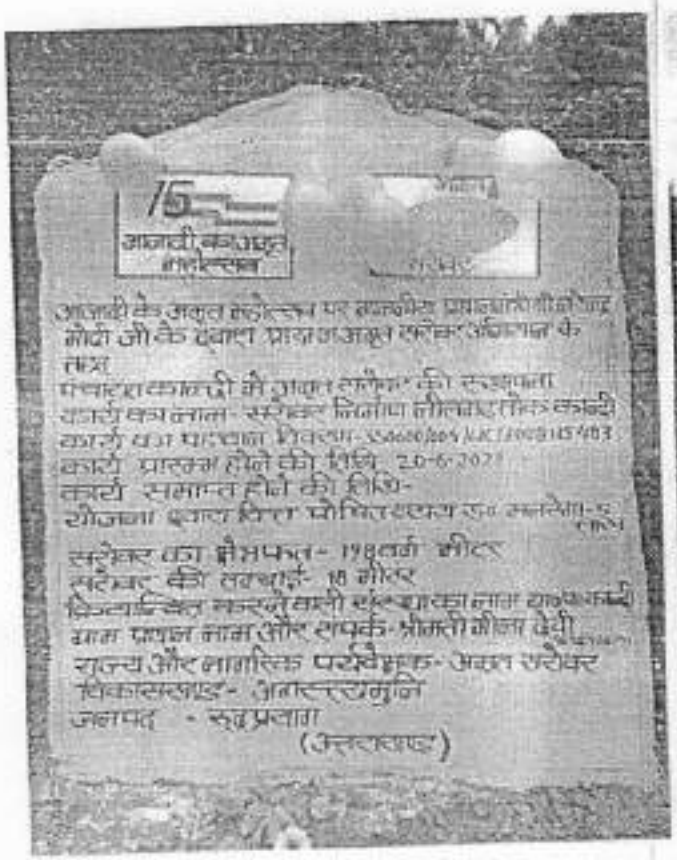

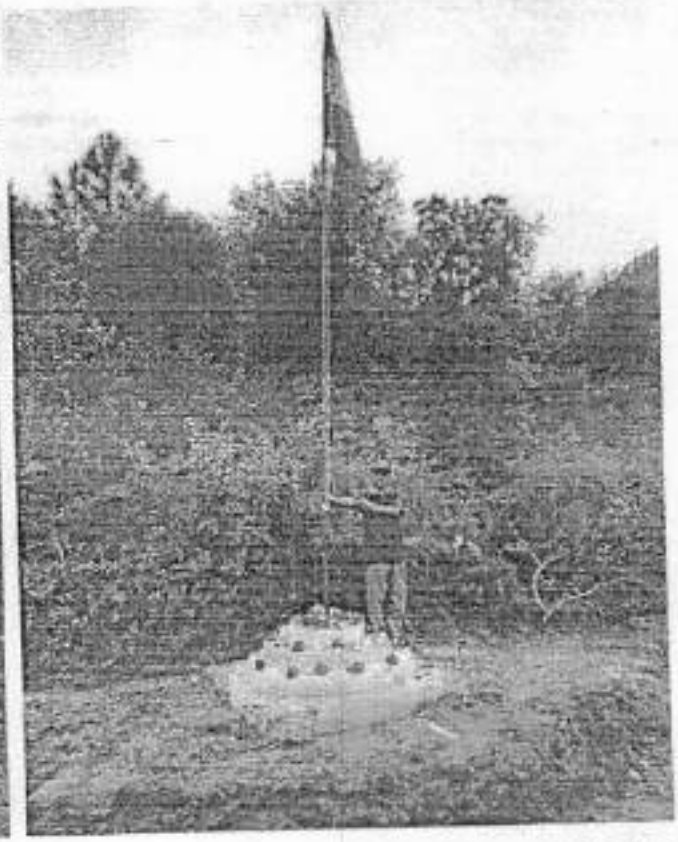

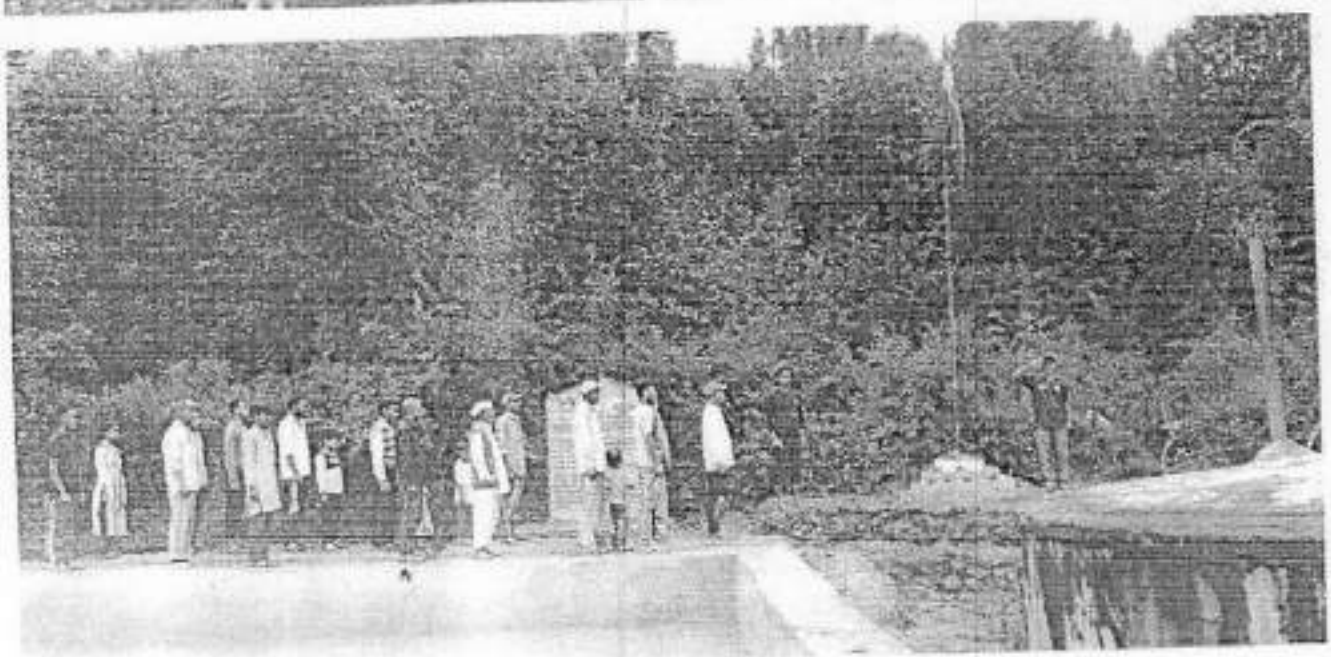

25838

ग्राम पंचायत ग्वाडथापली

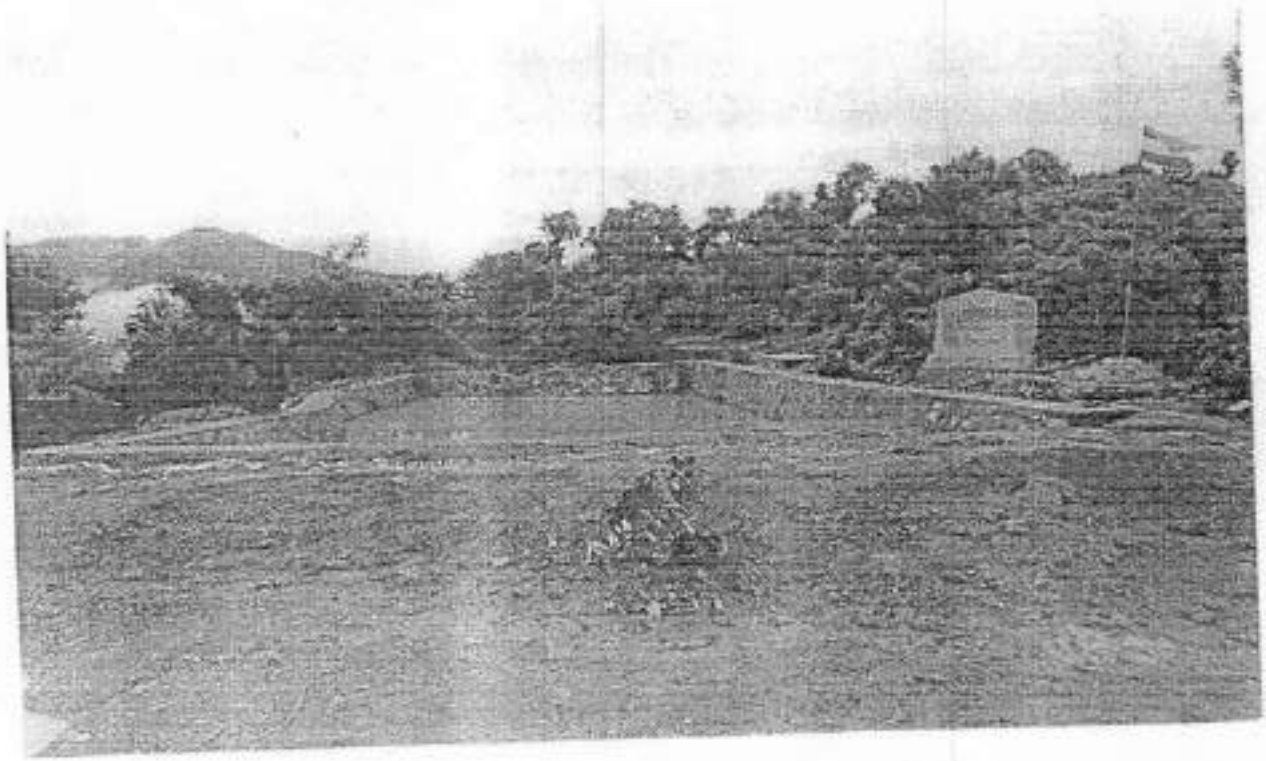

25839

ग्राम पंचायत सारी

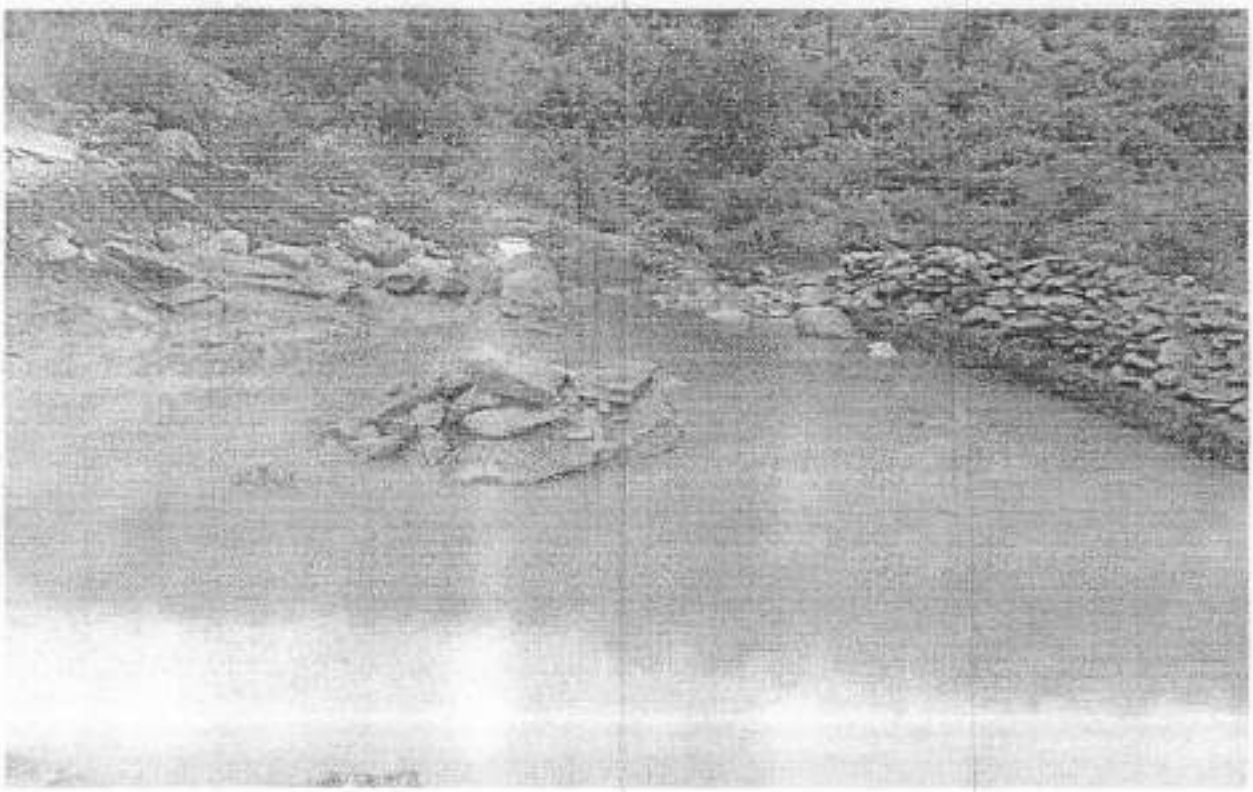

25840

ग्राम पंचायत लमगौण्डी

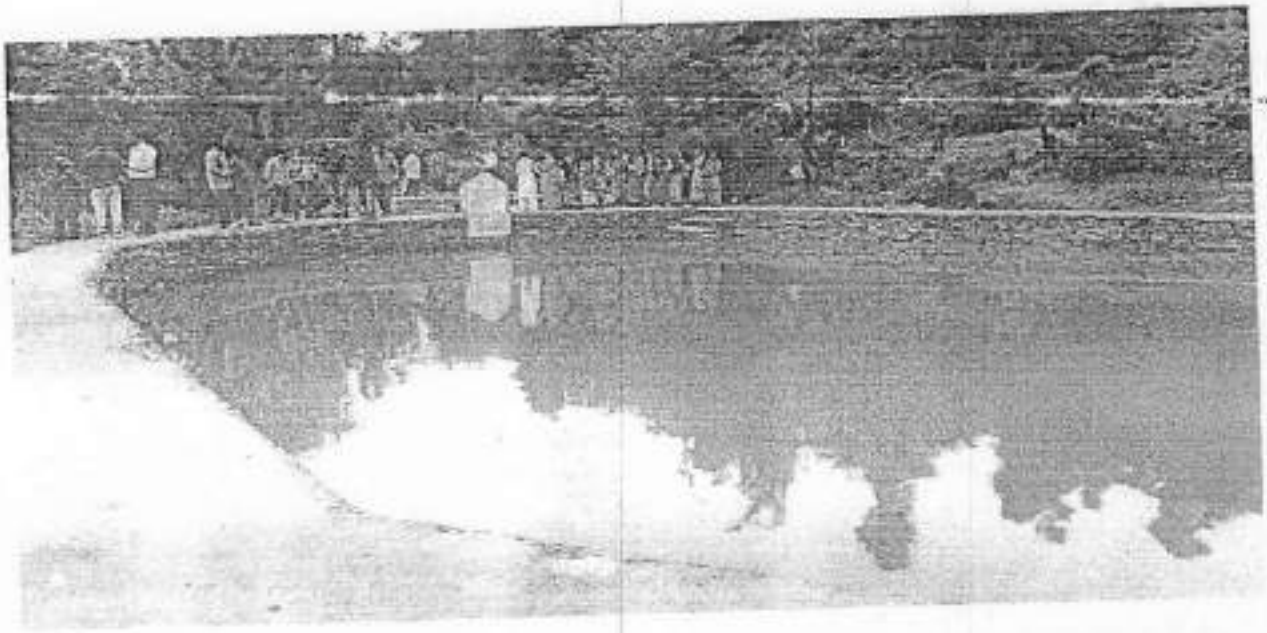

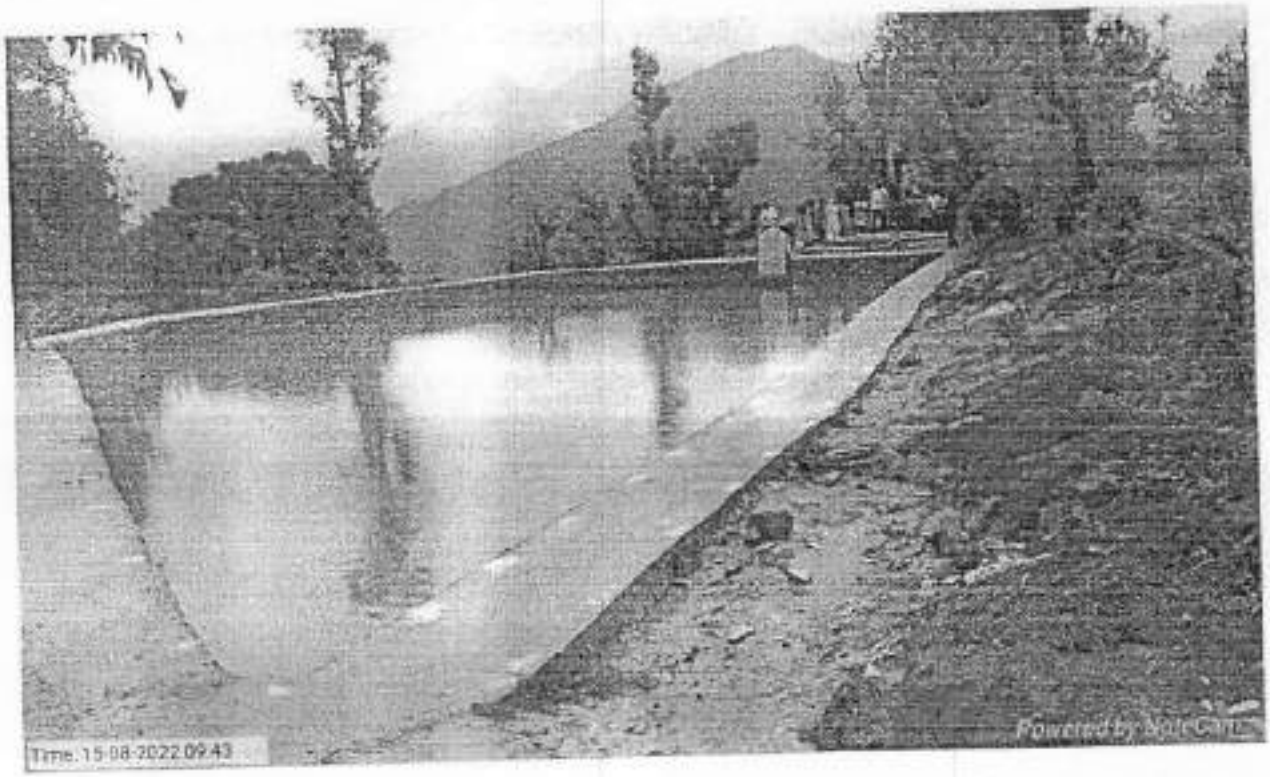

25841

ग्राम पंचायत सौन्दा

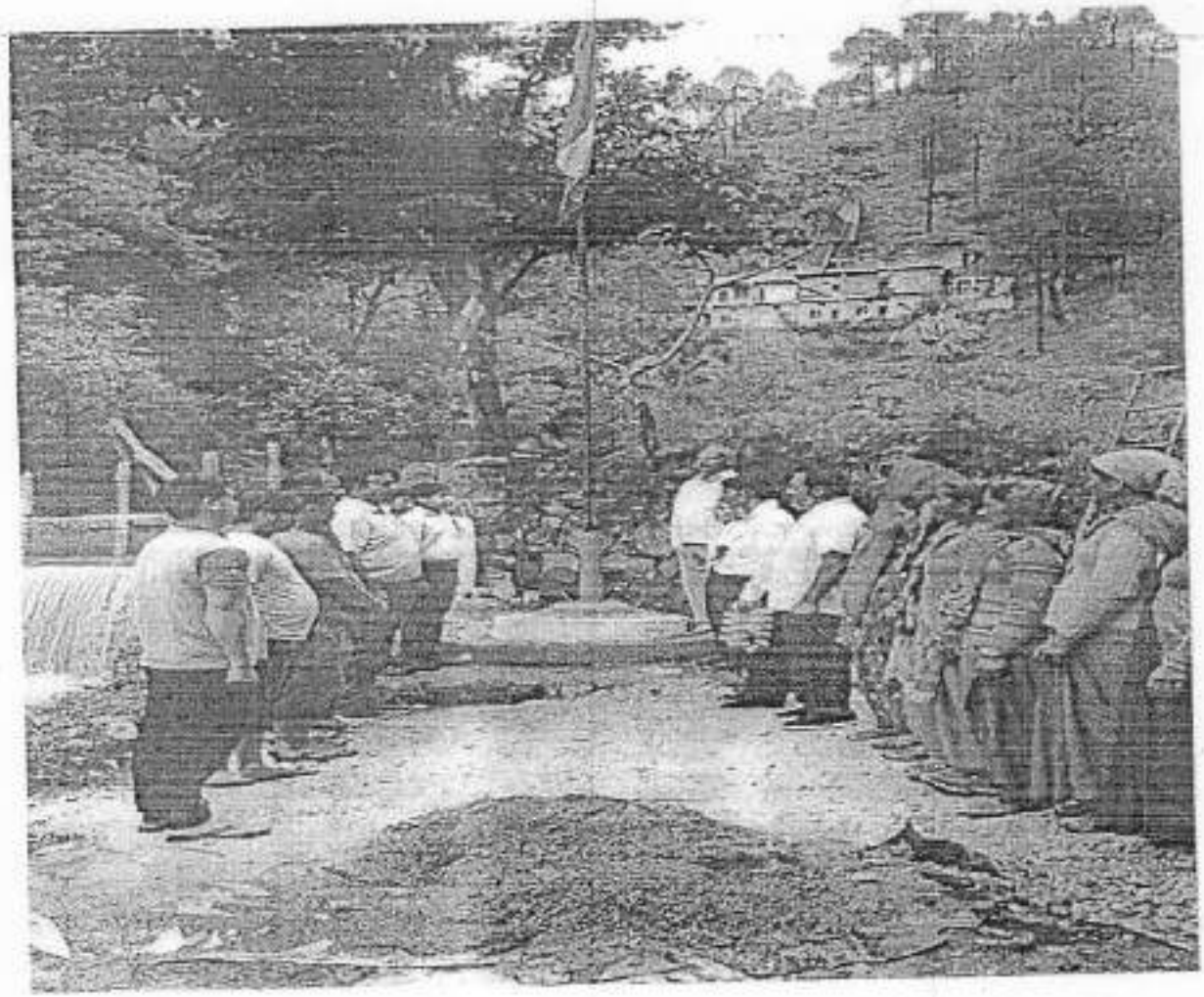

25842

ग्राम पंचायत रांसी

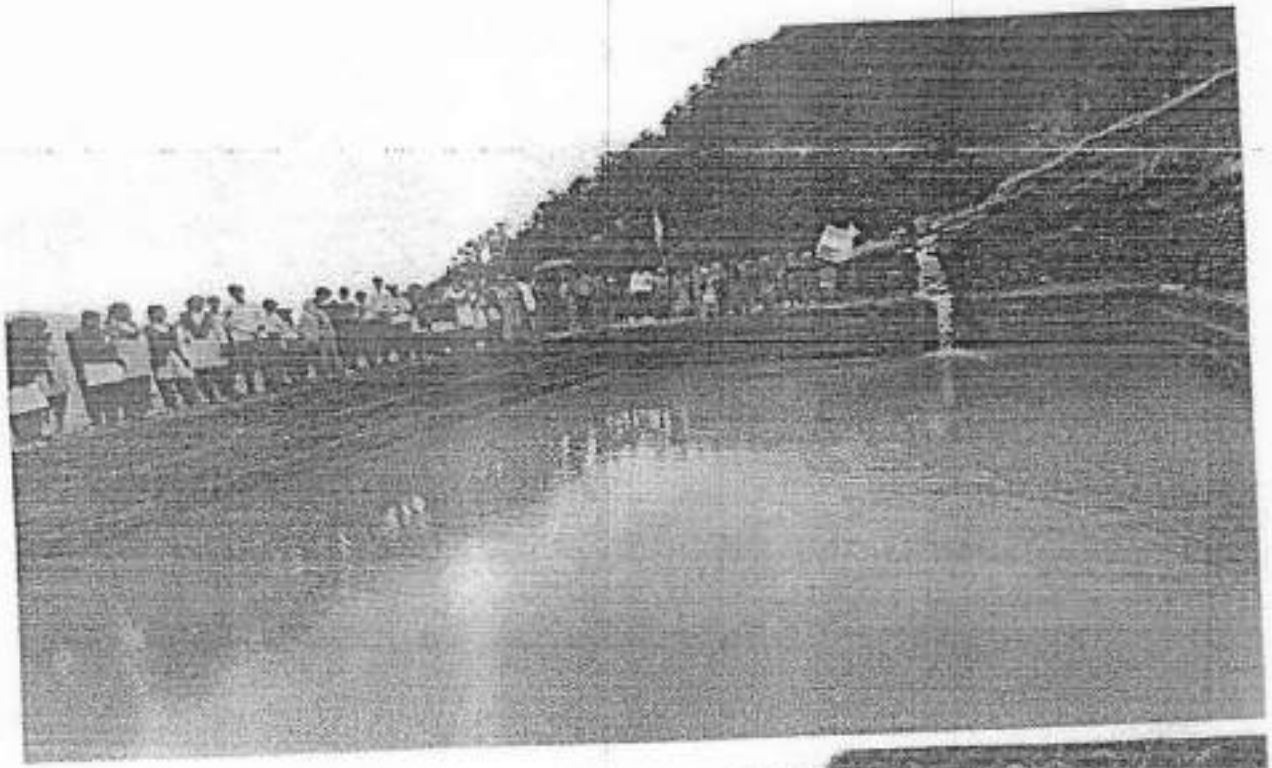

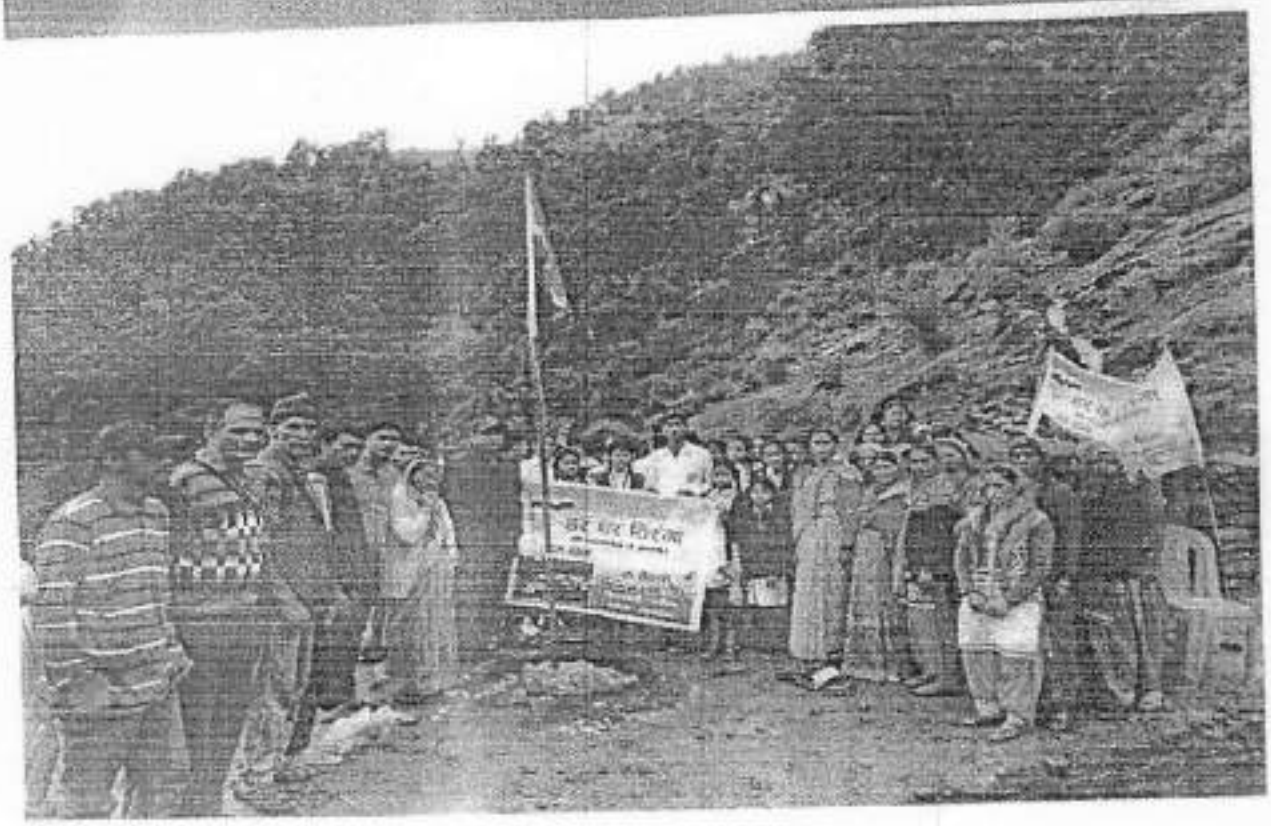

25843

ग्राम पंचायत घिमतोली

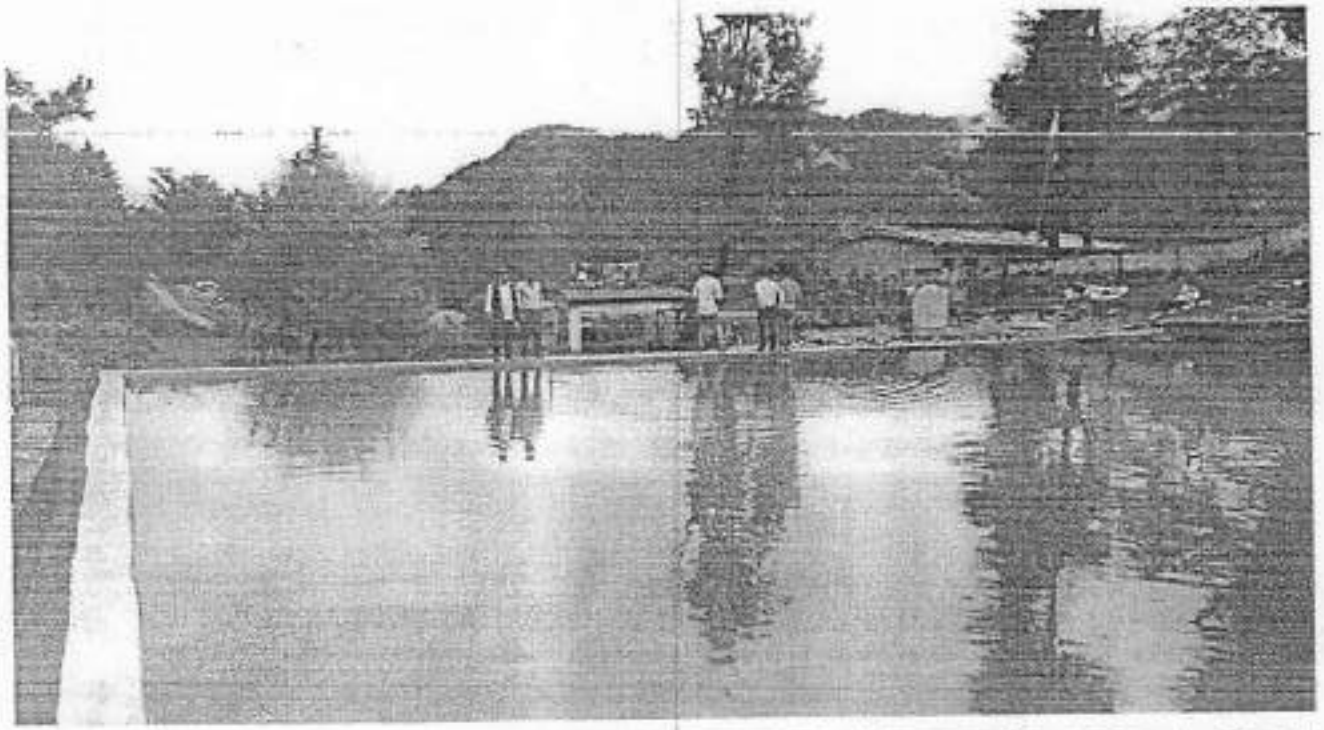

25844

ग्राम पंचायत जखोली बड़मा

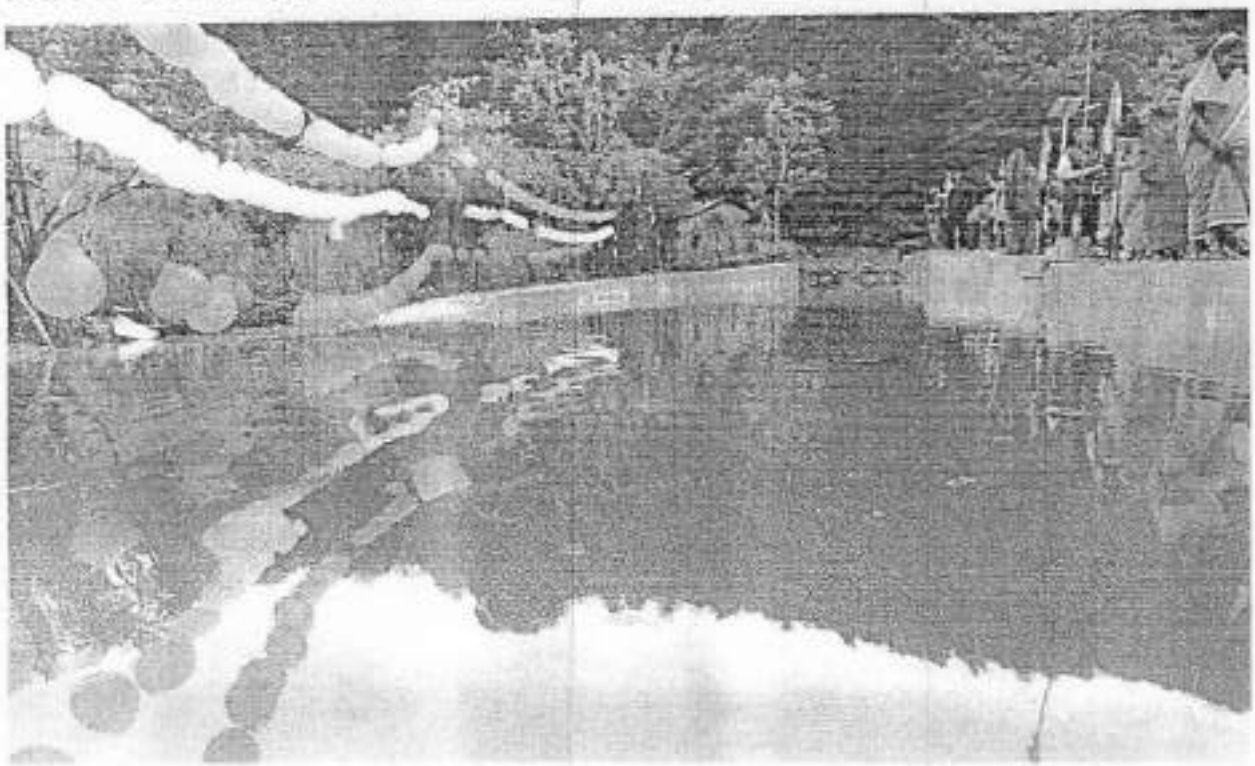

ग्राम पंचायत डुंगर

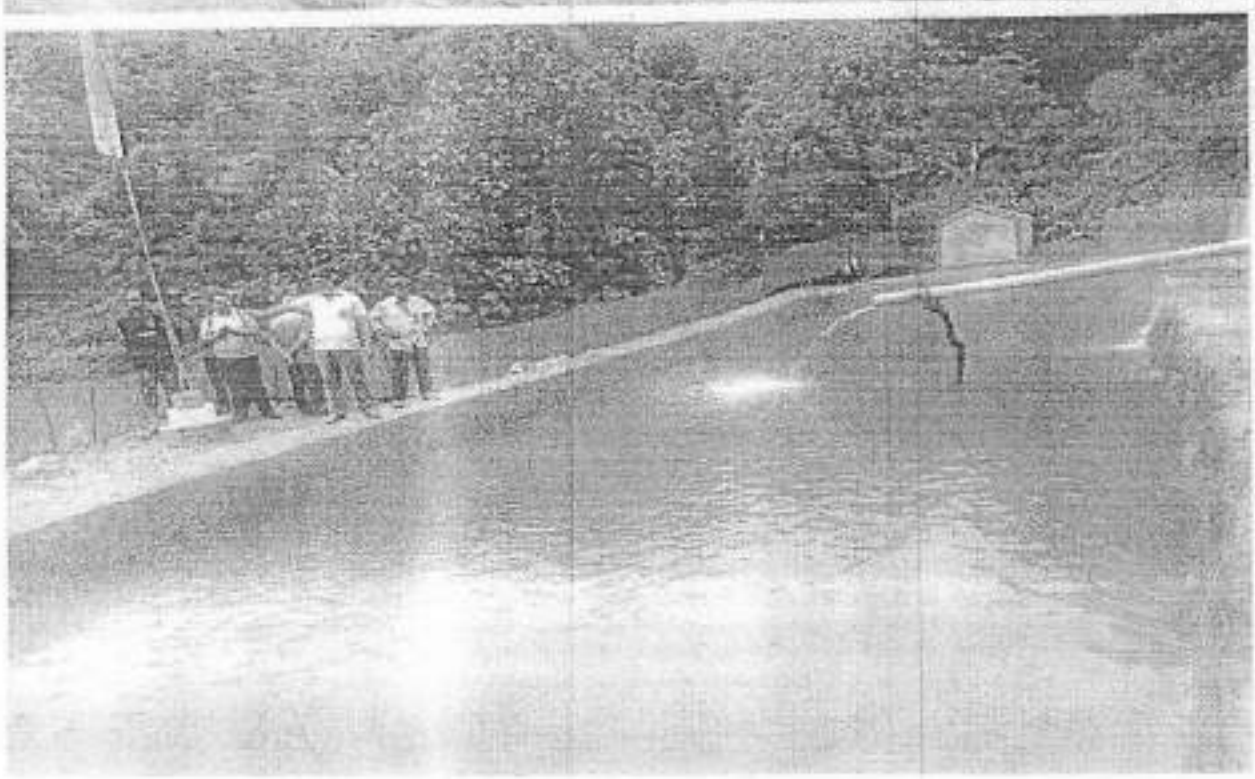

25846

ग्राम पंचायत कोट बांगर

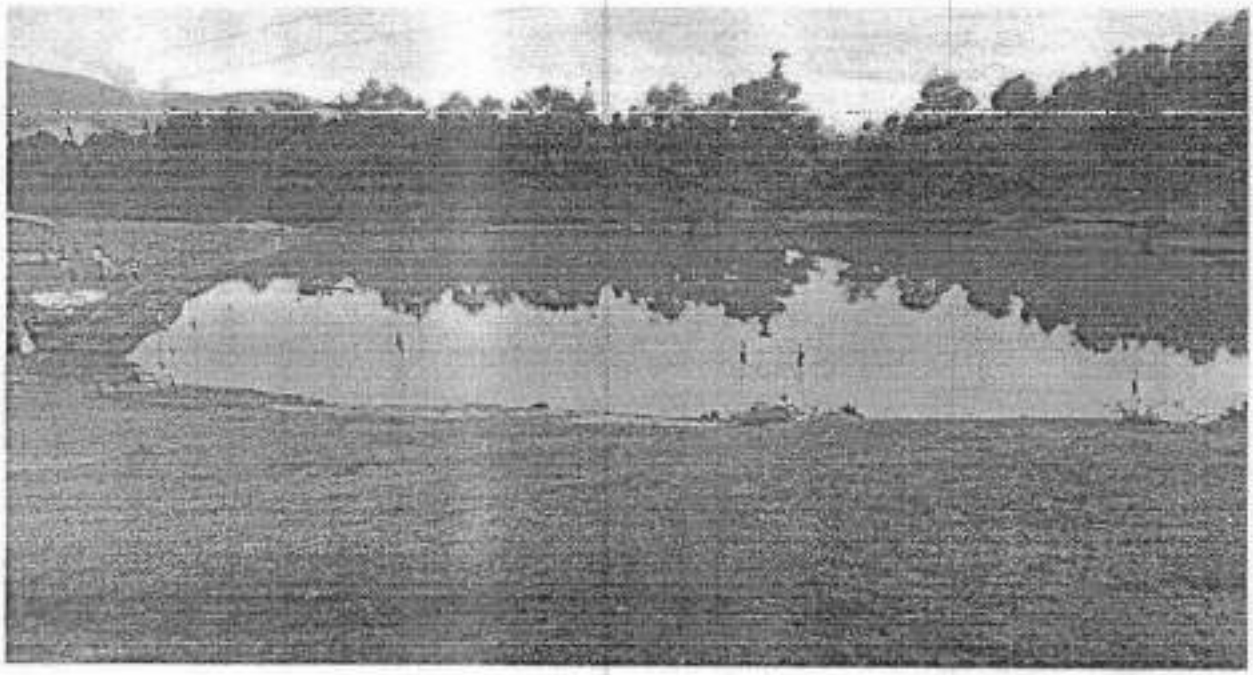

ग्राम पंचायत गिरिया

25847

ग्राम पंचायत पांजणा

I/24879/2023

I/24879/2023

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gouradevi Paryavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahastradhara Road, DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून(उत्तराखण्ड)

Surface Water Quality Characteristics of Rivers and Lakes April 2023

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	DO	EC	BOD	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate N	Nitrite N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	TDS	Designated Best use (CPCB) Water Quality Class
1	River Alaknanda B/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.68	8.2	127	11.2	5.0	50	30	20	80	4.0	4.0	3.8	3.8	ND	0.09	0.02	42.30	0.02	0.16	4.3	2.4	0.28	A
2	River Dhauli Ganga B/C River Alaknanda at Vishnuprayag	Colourless	Odourless	Clear	16°C	7.65	8.0	138	10.8	6.0	110	100	40	102	1.0	8.0	1.8	1.8	ND	0.16	0.02	31.38	0.15	0.16	2.6	7.1	0.09	A
3	River Alaknanda A/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.40	7.2	122	11.0	5.0	110	86	24	80	1.0	2.0	1.8	1.8	ND	0.11	0.05	41.14	0.08	0.35	1.7	2.3	0.07	A
4	River Alaknanda B/C River Nandakini at Nandprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.50	8.0	127	10.8	3.0	108	94	10	98	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.11	0.03	29.62	0.19	0.35	4.3	2.3	0.10	A
5	River Nandakini B/C River Alaknanda at Nandprayag	Colourless	Odourless	Clear	16°C	8.17	9.2	138	10.4	4.0	100	24	28	80	2.0	4.0	2.2	2.2	ND	0.10	0.03	30.10	0.25	0.35	3.0	2.6	0.12	A
6	River Alaknanda A/C River Nandakini at Nandprayag	Colourless	Odourless	Clear	16°C	8.10	9.7	140	10.6	5.0	106	88	20	114	2.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.08	0.02	13.95	0.16	0.18	4.0	2.3	0.16	A
7	River Nandakini B/C River Pindar at Nandprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	8.19	9.8	130	10.6	3.0	104	90	14	110	2.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.01	0.00	18.19	0.09	0.21	3.8	2.7	0.24	A
8	River Pindar B/C River Alaknanda at Karnaprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	8.44	9.5	124	10.2	6.0	96	66	16	76	1.0	4.0	2.2	2.0	ND	0.01	0.03	22.16	0.11	0.16	2.1	2.2	0.10	A
9	River Alaknanda A/C River Pindar at Karnaprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	8.16	9.9	142	10.0	6.0	120	90	30	94	4.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.06	0.04	15.28	0.12	0.19	2.4	2.0	0.09	A
District: Rudraprayag																												
10	River Mandakini B/C River Alaknanda at Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.62	9.5	80	10.6	4.0	70	70	12	76	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.05	0.01	10.32	0.10	0.14	4.4	1.9	0.25	A
11	River Alaknanda A/C River Mandakini at Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.80	9.6	127	10.4	7.0	92	64	28	88	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.06	0.01	10.83	0.04	0.23	3.2	2.0	0.14	A
12	River Alaknanda A/C River Mandakini at Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.65	9.8	122	10.6	3.0	98	57	39	74	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.07	14.37	0.13	0.18	3.5	2.1	0.15	A
13	River Alaknanda D/S at Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.59	9.9	90	10.8	6.0	69	43	14	72	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.07	0.02	15.94	0.18	0.23	4.2	2.6	0.20	A
District: Chamoli																												
14	River Alaknanda U/S at Gauchar	Colourless	Colourless	Clear	18°C	8.10	9.6	86	10.4	3.0	61	37	24	57	1.0	4.0	4.2	3.8	ND	0.08	0.03	20.36	0.15	0.26	3.4	2.4	0.28	A
15	River Tawaghat at Gauchar	Colourless	Colourless	Clear	18°C	7.80	9.5	175	10.6	6.0	46	26	12	82	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.04	0.02	12.65	0.11	0.19	5.1	1.9	0.31	A
District: Tehri Garhwal																												
16	River Alaknanda at Srinagar	Colourless	Odourless	Clear	16°C	7.85	9.4	98	10.4	4.0	78	62	12	65	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.05	0.01	11.17	0.10	0.12	2.6	1.9	0.18	A

Digitally signed Office by Amit Paryal, EE-AP-PCB ... DEPT-PCB on 14/06/2023 03:25:20

25849

Receipt No. ... Dt. 24-06-2023

2023

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46वी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एमओ / सा0–07(Vol-III) / 2023 /

दिनांक :–

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय :– सतही जल नमूनों की विश्लेषण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में NWQMP एवं SWQMP जल गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा चिन्हित झीलों एवं आर्द्रभूमि से माह मई 2023 में सतही जल नमूने एकत्रित किये गये जिसका विश्लेषण बोर्ड की प्रयोगशाला मे किया गया। विश्लेषण के उपरान्त आंकड़ों के अनुसार समस्त अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या आपको संलग्नक के रूप में प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है की आपके अधिकारिता क्षेत्र में संलग्न आख्या के अनुसार जिन अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की आख्या CPCB द्वारा निर्धारित Designated Best Use (DBU) Water Quality Criteria /Standards के अनुसार 'C' 'D' व 'E' श्रेणियों में पायी गयी है उनके विषय में स्थिति स्पष्ट कर एवं कृत कार्यवाही से बोर्ड मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करना चाहें।

संलग्नक :– यथोपरि।

Signed by Amit Pokhriyal
Date: 19-06-2023 11:54:25

भवदीय

(अमित पोखरियाल)
पर्यावरण अभियंता

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एमओ / सा0–07(Vol-III)/2023 /

दिनांक :–

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, को इस आशय के साथ प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित खो जल गुणवत्ता सुधार हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. श्रीमती निहारिका डिमरी, आई0टी0 अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को विभाग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने हेतु सूचनार्थ आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु।

पर्यावरण अभियंता

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

I/25824/2023

I/25820/2023

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahastradhara Road, DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46-बी, सिडकुल, आई टी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून(उत्तराखण्ड)

Surface Water Quality Characteristics of Rivers and Lakes May 2023

District- Chamoli

S.No	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium
1	River Alaknanda B/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Colourless	Odourless	Clear	12°C	8.20	32	48	11.4	6.0	96	81	15	71	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.11	0.03	16.25	0.04	0.10	4.5
2	River Dhauli Ganga B/C River Alaknanda at Vishnuprayag	Colourless	Odourless	Clear	13°C	8.10	34	53	11.0	5.0	88	73	15	67	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.11	0.02	15.14	0.16	0.13	7.2
3	River Alaknanda A/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Colourless	Odourless	Clear	12°C	8.32	30	59	11.2	4.0	102	89	13	66	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.11	0.02	12.74	0.16	0.13	7.2
4	River Alaknanda B/C River Nandakini at Nandprayag	Colourless	Odourless	Clear	15°C	7.80	36	116	10.8	3.0	9	6.0	3.4	64	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.03	18.10	0.14	0.15	1.9
5	River Nandakini B/C River Alaknanda at Nandprayag	Colourless	Odourless	Clear	16°C	7.90	71	108	10.6	4.0	73	62	11	80	1.0	4.0	4.5	1.9	ND	0.13	0.02	23.33	0.16	0.16	2.6
6	River Alaknanda A/C River Nandakini at Nandprayag	Colourless	Odourless	Clear	14°C	8.38	83	125	10.8	6.0	82	73	9	72	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.03	14.26	0.04	0.15	1.6
7	River Alaknanda B/C River Pindar at Karanprayag	Colourless	Odourless	Clear	18°C	8.01	69	106	10.6	3.0	89	76	13	60	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.07	0.03	17.36	0.13	0.16	1.4
8	River Pindar B/C River Alaknanda at Karanprayag	Colourless	Odourless	Clear	17°C	8.12	79	120	10.6	4.0	78	62	16	83	1.0	4.0	4.8	4.0	ND	0.11	0.02	20.33	0.14	0.13	2.1
9	River Alaknanda A/C River Pindar at Karanprayag	Colourless	Odourless	Clear	17°C	8.04	81	124	10.6	3.0	98	81	17	69	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.07	0.03	13.49	0.13	0.22	2.0

District- Rudraprayag

S.No	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium
10	River Mandakini B/C River Alaknanda at Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	16°C	7.40	63	99	10.4	6.0	82	68	14	60	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.11	0.04	13.24	0.11	0.13	4.8	2.1
11	River Alaknanda B/C River Mandakini at Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	17°C	7.85	84	144	10.4	4.0	91	66	25	73	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.01	11.36	0.13	0.18	3.0	2.5
12	River Alaknanda A/C River Mandakini at Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	16°C	7.78	88	125	10.6	5.0	89	60	29	73	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.08	0.05	14.33	0.14	0.16	3.2	1.8
13	River Mandakini D/S at Augustmuni Rudraprayag	Colourless	Odourless	Clear	18°C	7.60	36	66	10.6	3.0	60	43	17	49	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.06	0.02	15.13	0.05	0.11	4.0	2.8

District- Uttarkashi

S.No	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium
14	River Bhagirathi D/S at Uttarkashi	Colourless	Odourless	Clear	18°C	7.30	79	110	10.7	5.0	76	60	16	68	1.8	4.0	43	24	ND	0.11	0.04	22.15	0.18	0.10	3.0	2.2
15	River Yamuna at Barkot	Colourless	Odourless	Clear	18°C	7.40	98	149	10.4	5.0	80	68	14	76	1.8	4.0	1.8	1.8	ND	0.01	0.01	10.82	0.09	0.11	4.7	1.8

District- Tehri Garhwal

S.No	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium
16	River Alaknanda B/C River at Srinagar	Colourless	Odourless	Clear	16°C	7.50	95	141	10.2	5.0	95	62	37	81	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.07	11.33	0.16	0.14	3.6	2.1

Generated from eOffice by Amit Dobhal, EE-AP-PCB, ENVIRONMENT ENGINEER, DEPT. PCB

25851

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–07(Vol-III)/2023/ दिनांक :–

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय :– सतही जल नमूनों की विश्लेषण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में NWQMP एवं SWQMP जल गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा चिन्हित झीलों एवं आर्द्रभूमि से माह जुलाई, 2023 में सतही जल नमूने एकत्रित किये गये जिसका विश्लेषण बोर्ड की प्रयोगशाला में किया गया। विश्लेषण के उपरान्त आंकड़ों के अनुसार समस्त अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या आपको संलग्नक के रूप में प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है की आपके अधिकारिता क्षेत्र में संलग्न आख्या के अनुसार जिन अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की आख्या CPCB द्वारा निर्धारित Designated Best Use (DBU) Water Quality Criteria /Standards के अनुसार 'C' 'D' व 'E' श्रेणियों में पायी गयी है उनके विषय में स्थिति स्पष्ट कर एवं कृत कार्यवाही से बोर्ड मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

Signed by S K Pattnaik
Date: 11-09-2023 13:56:35

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0 पट्टनायक)
सदस्य सचिव

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–07(Vol-III)/2023/ दिनांक :–

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, को इस आशय के साथ प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित को जल गुणवत्ता सुधार हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. श्रीमती निहारिका डिमरी, आई0टी0 अधिकारी (EIACP) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को विभाग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड किये जाने हेतु।

सदस्य सचिव

Generated from eOffice by Pramod Bhandari, JUNIOR LAB ASSISTANT-PCB-PB, JUNIOR LAB ASSISTANT, DEPT-PCB on 12/09/2023 10:21 am

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gaurakhni Paryavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IIT Park, Sahastradhara Road, DEHRADUN (Uttarakhand)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरखनी पर्यावरण भवन
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून(उत्तराखण्ड)

I/35098/2023

I/35098/2023

Surface Water Quality Characteristics of Rivers and Lakes July 2023

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrate	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB) Water Quality Class
1	River Alaknanda B/G River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	12°C	7.59	32	39	10.8	3.9	20	15	05	23	1.0	4.0	7.6	4.8	240	0.06	0.01	15.90	0.10	0.17	2.7	2.4	0.26	A
2	River Dhauli Ganga B/C River Alaknanda at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	10°C	8.21	81	134	10.2	4.9	71	28	43	54	1.0	4.0	4.8	3.9	160	0.09	0.04	15.10	0.49	0.20	3.4	3.2	0.18	A
3	River Alaknanda A/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	12°C	7.97	78	106	10.6	3.9	63	32	31	49	1.0	4.0	5.9	1.8	NIL	0.06	0.01	17.30	0.15	0.22	3.4	3.0	0.19	A
4	River Alaknanda B/C River Mandakini at Siddhpeeth	Turbid	Odourless	Clear	13°C	8.01	67	105	10.3	4.9	60	20	19	34	1.0	4.0	1.1	0.8	240	0.01	0.05	17.50	0.14	0.11	3.7	2.7	0.22	A
5	River Mandakini B/C River Alaknanda at Rudraprayag	Turbid	Odourless	Clear	14°C	7.76	30	89	9.8	3.9	47	42	05	45	1.0	4.0	4.7	4.0	NIL	0.13	0.06	11.20	0.39	0.15	3.0	2.6	0.19	A
6	River Alaknanda A/C River Mandakini at Rudraprayag	Turbid	Odourless	Clear	13°C	7.81	64	96	10.2	4.9	49	45	09	36	1.0	4.0	1.8	1.8	240	0.06	0.02	14.11	0.13	0.13	3.5	3.1	0.21	A
7	River Alaknanda B/C River Pindar at Karnaprayag	Turbid	Odourless	Clear	15°C	7.67	71	100	10.9	5.0	60	30	10	37	1.0	4.0	1.9	1.5	NIL	0.04	0.01	11.31	0.15	0.16	3.2	2.9	0.18	A
8	River Pindar B/C River Alaknanda at Karnaprayag	Turbid	Odourless	Clear	15°C	8.15	76	107	9.5	4.9	51	40	12	35	1.0	4.0	4.9	3.8	NIL	0.09	0.03	14.80	0.09	0.19	3.8	2.5	0.17	A
9	River Alaknanda A/C River Pindar at Karnaprayag	Turbid	Odourless	Clear	15°C	7.99	39	110	10.8	4.9	37	40	04	29	1.0	4.0	1.8	1.8	NIL	0.05	0.02	13.69	0.01	0.10	2.5	2.3	0.19	A

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrate	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB) Water Quality Class
10	River Mandakini B/C River Alaknanda at Rudraprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	16°C	7.88	39	61	9.8	3.9	30	21	09	24	1.0	4.0	5.1	1.3	NIL	0.07	0.02	20.24	0.13	0.22	3.9	3.4	0.29	A
11	River Alaknanda B/C River Mandakini at Rudraprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	17°C	8.20	36	47	10.6	2.9	24	19	05	24	1.0	4.0	3.9	3.3	NIL	0.01	0.00	23.06	0.13	0.08	3.1	2.9	0.23	A
12	River Alaknanda A/C River Mandakini at Rudraprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	17°C	8.10	36	36	10.2	2.9	20	20	00	20	1.0	4.0	3.9	3.9	NIL	0.01	0.00	20.15	0.19	0.20	3.3	3.0	0.26	A
13	River Mandakini D/S at Augustmuni, Rudraprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	15°C	8.26	39	44	10.6	2.4	27	24	07	29	1.0	4.0	1.8	1.8	NIL	0.04	0.01	15.27	0.10	0.24	3.4	3.1	0.24	A

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrate	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB) Water Quality Class
14	River Mandakini D/S at Ukhimath	Turbid	Odourless	Cloudy	14°C	7.88	43	64	9.6	3.9	34	24	21	31	2.0	4.0	4.7	4.4	NIL	0.09	0.04	27.10	0.19	0.26	4.7	4.3	0.29	A
15	River Yamuna at Barkot	Turbid	Odourless	Cloudy	14°C	7.94	45	69	9.6	3.9	37	28	11	40	1.0	4.0	4.7	3.9	NIL	0.07	0.02	21.40	0.13	0.16	4.0	4.0	0.27	A

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrate	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB) Water Quality Class
16	River Alaknanda B/C River Alaknanda at Srinagar	Turbid	Odourless	Clear	17°C	8.04	53	89	10.0	3.9	46	36	10	39	1.0	4.0	1.8	1.8	NIL	0.06	0.03	17.39	0.19	0.13	3.5	3.2	0.21	A

25853

File No. PCB-24007/1/2022-PCB (Computer No. 8720)

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46वी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2697092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचक्यू/सा0-07(Vol-III)/2023/ दिनांक :-

मे

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय :- सतही जल नमूनों की विश्लेषण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में NWQMP एवं SWQMP जल गुणवत्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा चिन्हित झीलों एवं आर्द्रभूमि से माह जून, 2023 में कुछ जल नमूने एकत्रित किये गये जिसका विश्लेषण बोर्ड की प्रयोगशाला में किया गया। विश्लेषण के उपरान्त आंकड़ो के अनुसार समस्त अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या आपको सलंग्नक के रूप में प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है की आपके अधिकारिता क्षेत्र में संलग्न आख्या के अनुसार जिन अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की आख्या CPCB द्वारा निर्धारित Designated Best Use (DBU) Water Quality Criteria /Standards के अनुसार 'C' 'D' व 'E' श्रेणियों में पायी गयी है उनके विषय में स्थिति स्पष्ट कर एवं कृत कार्यवाही से बोर्ड मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

Signed by S K Pattnaik
Date: 21-06-2023 15:23:16 भवदीय

(एस0के0 पट्टनायक)
सदस्य सचिव

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचक्यू/सा0-07(Vol-III)/2023/ दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, को इस आशय के साथ प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित को जल गुणवत्ता सुधार हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. श्रीमती निहारिका डिमरी, आई0टी0 अधिकारी (EIACP) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को विभाग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड किये जाने हेतु।

सदस्य सचिव

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

1/32676/2023

1/32676/2023

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahastradhara Road, DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून(उत्तराखण्ड)

Surface Water Quality Characteristics of Rivers and Lakes June 2023

District- Chamoli

S.No.	Name of the Monitoring Point	Color	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	BOD	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	COD	TSS	TC	FC	DO	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sulfide	Potassium	SAR	Designated Best use (SWQ Water Quality Class)
1	River Alaknanda at Hathiyuri	Turbid	Odourless	Clear	12.5°C	7.39	20	43	11.2	2.4	17	11	03	10	4.0	1.8	1.8	1.8	ND	0.09	0.001	11.57	0.11	0.13	4.2	4.9	0.58	*
2	River Alaknanda D/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Clear	14°C	7.50	30	65	11.0	4.0	16	13	03	20	6.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.07	0.002	12.37	0.12	0.13	3.8	4.3	0.42	*
3	River Dhauli Ganga D/C River Alaknanda at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Clear	13.8°C	7.61	32	145	10.6	5.8	83	35	15	48	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.08	0.003	12.43	0.08	0.16	3.1	3.4	0.19	*
4	River Alaknanda A/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Clear	14°C	7.65	55	128	10.8	5.0	71	31	12	56	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.04	0.001	19.82	0.12	0.15	3.7	3.9	0.19	*
5	River Alaknanda D/C River Nandakini at Nandprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	16°C	7.53	78	118	10.4	3.0	65	31	11	68	3.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.001	18.05	0.12	0.15	4.7	4.6	0.23	*
6	River Nandakini D/C River Alaknanda at Nandprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	17°C	7.60	90	106	10.2	2.0	59	44	06	39	5.0	4.0	41	39	ND	0.09	0.001	7.09	0.05	0.03	3.1	2.2	0.29	*
7	River Alaknanda A/C River Nandakini at Nandprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	18°C	7.70	78	108	10.4	3.0	41	18	03	33	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.08	0.001	12.37	0.03	0.19	3.9	4.1	0.26	*
8	River Alaknanda D/C River Pindar at Karanprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	18.5°C	7.10	80	125	10.2	2.0	63	21	42	53	4.0	4.0	41	43	ND	0.07	0.002	15.26	0.12	0.13	2.7	3.0	0.20	*
9	River Pindar D/C River Alaknanda at Karanprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	18.5°C	7.09	82	125	10.0	3.0	58	28	30	60	1.0	4.0	41	43	ND	0.07	0.002	8.99	0.03	0.04	3.0	2.5	0.17	*
10	River Alaknanda A/C River Pindar at Karanprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	19°C	7.84	78	125	10.4	3.0	60	24	08	55	3.0	3.0	1.8	1.8	ND	0.05	0.001	12.03	0.18	0.11	2.8	2.5	0.16	*

District- Rudraprayag

S.No.	Name of the Monitoring Point	Color	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	BOD	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	COD	TSS	TC	FC	DO	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sulfide	Potassium	SAR	Designated Best use (SWQ Water Quality Class)
11	River Mandakini at Kotmasak	Colourless	Odourless	Clear	10°C	7.41	12	29	11.4	2.0	11	06	02	14	1.0	1.8	1.8	1.8	ND	0.04	0.001	11.19	0.07	0.10	3.9	3.7	0.28	*
12	River Mandakini D/C River Alaknanda at Sonprayag	Turbid	Odourless	Rainy	14°C	7.50	48	72	10.2	3.0	32	14	03	40	3.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.001	10.26	0.17	0.21	4.0	4.3	0.28	*
13	River Alaknanda D/C River Mandakini at Sonprayag	Turbid	Odourless	Rainy	15°C	7.60	55	84	10.3	3.0	40	23	05	52	3.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.06	0.001	27.03	0.19	0.17	3.3	3.8	0.21	*
14	River Alaknanda A/C River Mandakini at Sonprayag	Turbid	Odourless	Rainy	15°C	7.46	50	81	10.4	4.0	34	16	06	30	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.03	0.002	27.11	0.07	0.14	3.8	4.1	0.23	*
15	River Mandakini D/S at Augustmuni, Rudraprayag	Turbid	Odourless	Rainy	15°C	7.31	48	82	10.4	3.0	40	22	18	34	4.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.11	0.003	28.99	0.25	0.19	4.3	4.6	0.29	*

District- Uttarkashi

S.No.	Name of the Monitoring Point	Color	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	BOD	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	COD	TSS	TC	FC	DO	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sulfide	Potassium	SAR	Designated Best use (SWQ Water Quality Class)
16	River Bhagirathi D/S at Gangnani	Turbid	Odourless	Clear	8.9°C	8.40	36	81	11.8	3.0	43	23	13	12	1.0	1.8	1.8	1.8	ND	0.01	0.001	21.72	0.16	0.08	3.6	3.8	0.27	*
17	River Yamuna D/S at Yamunotri	Colourless	Odourless	Cloudy	8.1°C	7.30	18	31	11.2	3.0	15	08	07	19	1.0	1.8	1.8	1.8	ND	0.03	0.001	17.33	0.10	0.13	3.5	3.4	0.22	*
18	River Yamuna D/S at Saruna-Ghati	Colourless	Odourless	Cloudy	8.0°C	7.68	24	36	10.8	4.0	22	06	05	29	1.0	1.8	1.8	1.8	ND	0.07	0.001	19.29	0.12	0.15	3.3	3.7	0.25	*
19	River Bhagirathi D/S at Uttarkashi	Turbid	Odourless	Clear	13°C	8.10	45	87	10.0	4.0	49	41	08	13	1.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.07	0.001	28.54	0.15	0.11	3.9	3.1	0.19	*
20	River Yamuna at Barkot	Turbid	Odourless	Cloudy	14°C	7.92	68	107	10.0	7.0	25	23	00	38	3.0	4.0	1.8	1.8	ND	0.09	0.001	19.26	0.15	0.19	4.0	4.6	0.40	*

2

Generated from eOffice by Amit Pokhriyal, EE-AP-PCB, ENVIRONMENT ENGINEER, DEPT-PCB on 22/08/2023 12:02 pm

25855

File No. PCB-24007/1/2023-UKPCB (Computer No. 8720)

18452/2023

18452/2023

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : mauk.pcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

दिनांक :-

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी0-07(Vol-III)/2023/

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय :- सतही जल नमूनों की विश्लेषण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में NWQMP एवं SWQMP जल गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा चिन्हित झीलों एवं आर्द्रभूमि से माह अगस्त, 2023 में सतही जल नमूने एकत्रित किये गये जिसका विश्लेषण बोर्ड की प्रयोगशाला में किया गया। विश्लेषण के उपरान्त आकड़ों के अनुसार समस्त अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या आपको संलग्नक के रूप में प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है की आपके अधिकारिता क्षेत्र में संलग्न आख्या के अनुसार जिन अनुश्रवण स्थलों के जल नमूनों की आख्या CPCB द्वारा निर्धारित Designated Best Use (DBU) Water Quality Criteria /Standards के अनुसार 'C' 'D' व 'E' श्रेणियों में पायी गयी है उनके विषय मे स्थिति स्पष्ट कर एवं वृत्त कार्यवाही से बोर्ड मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

Signed by S K Pattnaik
Date: 05-10-2023 17:40:25

भवदीय
(एस0के0 पट्टनायक)
सदस्य सचिव

दिनांक :-

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सी0-07(Vol-III)/2023/

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, को इस आशय के साथ प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित को जल गुणवत्ता सुधार हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. श्रीमती निहारिका डिमरी, आई0टी0 अधिकारी (EIACP) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को विभाग की वेबसाईट पर डाटा अपलोड किये जाने हेतु।

सदस्य सचिव

ENVIRONMENT ENGINEER, DEPT-PCB on 06/10/2023 01:17 PM

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

I/38452/2023
I/38452/2023

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gaurdevi Paryavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahastradhara Road, DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून(उत्तराखण्ड)

Surface Water Quality Characteristics of Rivers and Lakes August 2023

District- Chamoli

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB Water Quality Class)
1	River Alaknanda D/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	08°C	8.40	27	45	11.3	4.0	55	21	12	24	1.0	4.0	2.0	<1.8	ND	0.08	0.01	19.28	0.13	0.26	1.3	1.6	0.10	A
2	River Dhauli Ganga D/C River Alaknanda at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	09°C	8.23	59	114	10.4	1.0	98	35	43	53	1.0	4.0	2.0	<1.8	ND	0.02	0.01	28.29	0.30	0.09	2.0	2.4	0.09	A
3	River Alaknanda A/C River Dhauli Ganga at Vishnuprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	10°C	8.30	46	69	10.9	1.0	55	28	17	30	1.0	4.0	2.0	<1.8	ND	0.08	0.01	20.25	0.16	0.22	1.4	1.9	0.08	A
4	River Alaknanda D/C River Nandakini at Nandprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	12°C	8.28	55	83	10.4	1.0	63	44	20	40	1.0	4.0	2.0	<1.8	ND	0.06	0.01	19.24	0.19	0.24	1.6	2.1	0.09	A
5	River Nandakini D/C River Alaknanda at Nandprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	11°C	8.27	50	80	10.0	2.0	66	43	17	51	1.0	4.0	3.9	22	ND	0.07	0.01	16.51	0.11	0.14	2.0	3.0	0.11	A
6	River Alaknanda A/C River Nandakini at Nandprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	12°C	8.30	54	84	10.4	1.0	56	38	10	45	1.0	4.0	2.0	<1.8	ND	0.06	0.01	18.19	0.17	0.18	1.7	3.0	0.10	A
7	River Alaknanda D/C River Pindar at Karanprayag	Turbid	Odourless	Clear	12°C	8.23	56	85	10.2	1.0	61	46	13	49	1.0	4.0	4.1	4.0	ND	0.03	0.02	18.49	0.11	0.15	1.7	2.6	0.09	A
8	River Pindar D/C River Alaknanda at Karanprayag	Turbid	Odourless	Clear	11°C	8.34	71	105	9.8	1.0	80	32	24	70	1.0	4.0	4.0	34	ND	0.06	0.02	20.13	0.13	0.15	2.1	2.9	0.10	A
9	River Alaknanda A/C River Pindar at Karanprayag	Turbid	Odourless	Clear	12°C	8.19	64	95	10.2	1.0	76	31	23	62	1.0	4.0	3.5	2.0	ND	0.03	0.01	19.30	0.10	0.18	1.8	3.1	0.09	A

District- Rudraprayag

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB Water Quality Class)
10	[illegible]	Turbid	Odourless	Cloudy	10°C	8.31	47	73	10.2	1.0	54	45	09	36	1.0	4.0	2.0	2.0	ND	0.03	0.02	[illegible]	0.13	0.16	2.5	3.2	0.20	A
11	River Alaknanda D/C River Mandakini at Rudraprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	09°C	8.10	58	89	10.2	1.0	56	48	13	39	1.0	4.0	4.8	4.5	ND	0.08	0.06	23.15	0.13	0.17	2.6	3.8	0.14	A
12	River Alaknanda A/C River Mandakini at Rudraprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	10°C	8.20	54	83	10.4	1.0	55	45	10	38	1.0	4.0	3.0	2.0	ND	0.08	0.05	35.24	0.13	0.13	2.7	2.9	0.10	A
13	River Mandakini D/S at Augustmuni, Rudraprayag	Turbid	Odourless	Cloudy	10°C	7.90	48	62	10.4	2.0	52	43	11	49	1.0	4.0	2.0	<1.8	ND	0.05	0.02	23.17	0.11	0.13	2.1	2.9	0.19	A

District- Uttarkashi

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB Water Quality Class)
14	River Bhagirathi D/S at Uttarkashi	Turbid	Odourless	Cloudy	15°C	7.50	40	72	9.8	3.0	31	26	09	26	1.0	4.0	40	34	ND	0.03	0.02	23.21	0.21	0.30	2.5	3.0	0.24	A
15	River Bhagirathi at Harsil	Turbid	Odourless	Clear	13°C	7.90	40	62	9.8	3.0	47	41	06	44	1.0	4.0	2.0	<1.8	ND	0.07	0.01	17.11	0.18	0.24	2.7	2.4	0.17	A

District- Tehri Garhwal

S.No.	Name of the Monitoring Point	Colour	Odour	Weather	Temperature	pH	TDS	EC	DO	Chloride	Hardness	Calcium	Magnesium	Alkalinity	BOD	COD	TC	FC	FS	Nitrate-N	Nitrite-N	Sulphate	Phosphate	Fluoride	Sodium	Potassium	SAR	Designated Best use (CPCB Water Quality Class)
16	River Bhagirathi D/S at Tehri	Turbid	Odourless	Cloudy	13°C	8.10	51	94	10.2	4.0	47	49	05	62	1.0	4.0	3.5	2.0	ND	0.07	0.02	17.20	0.17	0.19	2.2	3.6	0.12	A

Generated from eOffice by Amit Paliwal, EE-AP-PCB, ENVIRONMENT ENGINEER, DEPT-PCB on 09/10/2023 01:17 PM

Annexure- 18

25857

// आदेश //

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की गंगा नदी के पर्यावरणीय प्रबंधन की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन हेतु जारी अधिसूचना संख्या-2458 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 की धारा 56 के क्रम में प्रत्येक जिला गंगा समिति निम्नलिखित को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना है-

(ए) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत के ग्राम प्रधान के सम्बंध।

(बी) ऐसे मामले में जो गांव नदी से सटे हुए नहीं हैं, नगर पालिका योजना समिति या महानगर योजना समिति के अध्यक्ष या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आदेश के प्रयोजनों हेतु, जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

अतएव उक्त अधिसूचना के क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अलकनन्दा व मन्दाकिनी नदी के आस पास के निम्नांकित ग्रामों के सम्बंध/ग्राम प्रधान तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है-

क्र० सं०	नदी	राजस्व ग्राम	नामित नोडल अधिकारी
1	मन्दाकिनी	गरुड़ चट्टी	ग्राम प्रधान, गरुड़ चट्टी
2	मन्दाकिनी	जंगलचट्टी	ग्राम प्रधान, जंगलचट्टी
3	मन्दाकिनी	रामबाड़ा	ग्राम प्रधान, रामबाड़ा
4	मन्दाकिनी	गौरीकुण्ड	ग्राम प्रधान, गौरीकुण्ड
5	मन्दाकिनी	मुनकटिया	ग्राम प्रधान, मुनकटिया
6	मन्दाकिनी	त्रियुगीनारायण (सोनप्रयाग)	ग्राम प्रधान, त्रियुगीनारायण (सोनप्रयाग)
7	मन्दाकिनी	कोमलगढ़(सीतापुर)	ग्राम प्रधान, कोमलगढ़(सीतापुर)
8	मन्दाकिनी	न्यालसू	ग्राम प्रधान, न्यालसू
9	मन्दाकिनी	शेरसी	ग्राम प्रधान, शेरसी
10	मन्दाकिनी	गैर	ग्राम प्रधान, गैर
11	मन्दाकिनी	बड़ासू	ग्राम प्रधान, बड़ासू
12	मन्दाकिनी	रैल	ग्राम प्रधान, रैल
13	मन्दाकिनी	फाटा	ग्राम प्रधान, फाटा
14	मन्दाकिनी	खाट	ग्राम प्रधान, खाट
15	मन्दाकिनी	धानी	ग्राम प्रधान, धानी
16	मन्दाकिनी	मैखण्डा	ग्राम प्रधान, मैखण्डा
17	मन्दाकिनी	ब्यूंग	ग्राम प्रधान, ब्यूंग
18	मन्दाकिनी	खुमेरा	ग्राम प्रधान, खुमेरा
19	मन्दाकिनी	भेलसेम	ग्राम प्रधान, भेलसेम
20	मन्दाकिनी	हयूण	ग्राम प्रधान, हयूण
21	मन्दाकिनी	नाला	ग्राम प्रधान, नाला
22	मन्दाकिनी	आली लग्गा कालीमठ	ग्राम प्रधान, आली लग्गा कालीमठ
23	मन्दाकिनी	आरसू	ग्राम प्रधान, आरसू

क्रमशः 2/-

107	अलकनन्दा	बेला	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग
108	अलकनन्दा	सुमेरपुर	
109	अलकनन्दा	तिलमी	
110	अलकनन्दा	लगेरी	
111	अलकनन्दा	पुनाड़	
112	अलकनन्दा	रैतोली	

उक्त अधिसूचना की धारा 56 (2) के तहत प्रत्येक नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अलकनन्दा व मन्दाकिनी नदी या अन्य क्षेत्र जिसके लिए वह नोडल अधिकारी है के निम्न दायित्व होगें-

1. गंगा नदी की और उसकी सहायिकाओं में प्रदूषण को रोकना।
2. गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करना।
3. नोडल अधिकारी अपने गावं से सटे हुये नदी तटो पर उपचारात्मक कार्यवाही न होने की स्थिति में जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के संज्ञान में ला सकते हैं।
4. अन्य दायित्व जैसा जिला गंगा समिति उचित समझे।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.10.2023

ह0/-

(सौरभ गहरवार)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या–236 /33–01 (2023–24) रुद्रप्रयाग दिनांक, 17 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
2. समस्त नामित नोडल अधिकारी, राजस्व ग्राम (द्वारा–जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग)।
3. जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, रुद्रप्रयाग।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त नामित नोडल अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत रुद्रप्रयाग/तिलवाड़ा/अगस्त्यमुनि /ऊखीमठ/केदारनाथ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निकाय क्षेत्र में नामित नोडल अधिकारियो को अपने स्तर अवगत करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

25859

24	मन्दाकिनी	गाड़ी	ग्राम प्रधान, गाड़ी
25	मन्दाकिनी	भैंसारी	ग्राम प्रधान, भैंसारी
26	मन्दाकिनी	भेंगीतल्ली	ग्राम प्रधान, भेंगीतल्ली
27	मन्दाकिनी	फल्ली फसालत	ग्राम प्रधान, फल्ली फसालत
28	मन्दाकिनी	सिंगोली	ग्राम प्रधान, सिंगोली
29	मन्दाकिनी	लमगौण्डी	ग्राम प्रधान, लमगौण्डी
30	मन्दाकिनी	पटाली	ग्राम प्रधान, पटाली
31	मन्दाकिनी	पटकण्डी	ग्राम प्रधान, पटकण्डी
32	मन्दाकिनी	गिवाड़ी गांव	ग्राम प्रधान, गिवाड़ी गांव
33	मन्दाकिनी	भीरी	ग्राम प्रधान, भीरी
34	मन्दाकिनी	डमार	ग्राम प्रधान, डमार
35	मन्दाकिनी	टेमरिया	ग्राम प्रधान, टेमरिया
36	मन्दाकिनी	बरम्बाड़ी	ग्राम प्रधान, बरम्बाड़ी
37	मन्दाकिनी	जतई कुरसाल	ग्राम प्रधान, जतई कुरसाल
38	मन्दाकिनी	नगरसाल	ग्राम प्रधान, नगरसाल
39	मन्दाकिनी	घटबगड़	ग्राम प्रधान,घटबगड़
40	मन्दाकिनी	बण्टी	ग्राम प्रधान, बण्टी
41	मन्दाकिनी	गयनी चक बण्डार	ग्राम प्रधान, गयनी चक बण्डार
42	मन्दाकिनी	नैली	ग्राम प्रधान, नैली
43	मन्दाकिनी	भटवाड़ी सुनार	ग्राम प्रधान, भटवाड़ी सुनार
44	मन्दाकिनी	स्यासू	ग्राम प्रधान, स्यासू
45	मन्दाकिनी	बंडापुरी	ग्राम प्रधान, बंडापुरी
46	मन्दाकिनी	हाट	ग्राम प्रधान, हाट
47	मन्दाकिनी	बुटोल गांव	ग्राम प्रधान, बुटोल गांव
48	मन्दाकिनी	गयनी गांव	ग्राम प्रधान, गयनी गांव
49	मन्दाकिनी	गिंवाला	ग्राम प्रधान, गिंवाला
51	मन्दाकिनी	चाका	ग्राम प्रधान, चाका
52	मन्दाकिनी	पिनगड़ी	ग्राम प्रधान, पिनगड़ी
53	मन्दाकिनी	गहड़घाट	ग्राम प्रधान, गहड़घाट
54	मन्दाकिनी	फल्यटी	ग्राम प्रधान, फल्यटी
55	मन्दाकिनी	जैली	ग्राम प्रधान, जैली
56	मन्दाकिनी	भिल्ली	ग्राम प्रधान, भिल्ली
57	मन्दाकिनी	जीर्ग	ग्राम प्रधान, जीर्ग
58	मन्दाकिनी	सुमाड़ी	ग्राम प्रधान, सुमाड़ी
59	मन्दाकिनी	कण्डा	ग्राम प्रधान, कण्डा
60	मन्दाकिनी	मैदनपुर	ग्राम प्रधान, मैदनपुर
61	मन्दाकिनी	रतनपुर	ग्राम प्रधान, रतनपुर
62	मन्दाकिनी	दरमोला	ग्राम प्रधान, दरमोला
63	मन्दाकिनी	गंगासल	ग्राम प्रधान, गंगासल
64	मन्दाकिनी	डांगी	ग्राम प्रधान, डांगी
65	मन्दाकिनी	भैंसगांव	ग्राम प्रधान, भैंसगांव

क्रमशः 3/-

66	अलकनन्दा	झालीमठ	ग्राम प्रधान, झालीमठ
67	अलकनन्दा	नगरासू लग्गा सारी	ग्राम प्रधान, नगरासू लग्गा सारी
68	अलकनन्दा	छिनका	ग्राम प्रधान, छिनका
69	अलकनन्दा	कोठगी	ग्राम प्रधान, कोठगी
70	अलकनन्दा	भटवाडी	ग्राम प्रधान, भटवाडी
71	अलकनन्दा	निरवाली	ग्राम प्रधान, निरवाली
72	अलकनन्दा	धारकोट	ग्राम प्रधान, धारकोट
73	अलकनन्दा	धुर्येती	ग्राम प्रधान, धुर्येली
74	अलकनन्दा	ऊमरोला सौड़	ग्राम प्रधान, ऊमरोला सौड़
75	अलकनन्दा	जवाड़ी	ग्राम प्रधान, जवाड़ी
76	अलकनन्दा	मरोड़ा	ग्राम प्रधान, मरोड़ा
77	अलकनन्दा	घिवाई	ग्राम प्रधान, घिवाई
78	अलकनन्दा	भैंसारी	ग्राम प्रधान, भैंसारी
79	अलकनन्दा	नगरासू	ग्राम प्रधान, नगरासू
80	अलकनन्दा	मवाणा	ग्राम प्रधान, मवाणा
81	अलकनन्दा	शिवानन्दी	ग्राम प्रधान, शिवानन्दी
82	अलकनन्दा	सौड़ लग्गा कलना	ग्राम प्रधान, सौड़ लग्गा कलना
83	अलकनन्दा	रतूड़ा	ग्राम प्रधान, रतूड़ा
84	अलकनन्दा	झिरमोली	ग्राम प्रधान, झिरमोली
85	अलकनन्दा	नरकोटा	ग्राम प्रधान, नरकोटा
86	अलकनन्दा	पपडासू	ग्राम प्रधान, पपडासू
87	अलकनन्दा	मल्यासु तल्ला	ग्राम प्रधान, मल्यासु तल्ला
88	अलकनन्दा	मल्यासु मल्ला	ग्राम प्रधान, मल्यासु मल्ला
89	अलकनन्दा	नौगाव लग्गा बोलाणी	ग्राम प्रधान, नौगाव लग्गा बोलाणी
90	अलकनन्दा	दैंजी का माण्डा	ग्राम प्रधान, दैंजी का माण्डा
91	अलकनन्दा	सिरोबगड़	ग्राम प्रधान, सिरोबगड़
92	मन्दाकिनी	श्री केदारनाथ	अध्यक्ष, नगर पंचायत केदारनाथ
93	मन्दाकिनी	धुन्नी मनोली	
94	मन्दाकिनी	सेमरी	
95	मन्दाकिनी	अनोला	अध्यक्ष, नगर पंचायत अगस्तमुनि
96	मन्दाकिनी	बनियाडी	
97	मन्दाकिनी	फलाई	
98	मन्दाकिनी	बेडूबगड़	
99	मन्दाकिनी	गाकोट	
100	मन्दाकिनी	सिल्ली सेरा	
101	मन्दाकिनी	रामपुर	अध्यक्ष, नगर पंचायत तिलवाड़ा
102	मन्दाकिनी	तिलवाड़ा	
103	मन्दाकिनी	गौड़ मूतोर	
104	मन्दाकिनी	मैठाणा	
105	मन्दाकिनी	सांदर	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग
106	अलकनन्दा	खुरड	

क्रमशः 4/-

ANNEXURE-19

25861

//पंजीकृत//

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे,
पता– 105 (नया नं. 545/941 द्वितीय तल) राजपुर रोड,
आर.टी.ओ. कार्यालय के सामने,
देहरादून।

संख्या-653 /33–नमामि गंगे (2020–21) दिनांक रूद्रप्रयाग 18 सितम्बर, 2023

विषयः– **Minutes of the Joint Meeting of the Supervisory Committtee & Executive Committee (constituted as per the order of Hon'ble National Green Tribunal in O.A. 200/2014) under the chairmanship of Principal Secretary, Forest and Environment, Govt. of Uttrakhand.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–478/SPMG/Namami Ganga/SC Dated 26.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है, कि परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अपने पत्रांक–974/जी0–4/88 दिनांक 13.09.2023 द्वारा "Sewerage Treatment Infrastructure Development" के अन्तर्गत इकाई द्वारा एस0पी0एम0जी0 द्वारा Constituted as per the order of Hon'ble National Green Tribunal in O.A. 200/2014 में दिये गये निर्देशों के क्रम में Tributay wise से संबंधित PPT की हार्ड कापी उपलब्ध करायी गयी है।

अतः परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा Constituted as per the order of Hon'ble National Green Tribunal in O.A. 200/2014 में दिये गये निर्देशों के क्रम में Tributay wise उपलब्ध करायी गयी PPT की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(वीर सिंह बुदियाल),
अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Scanned by CamScanner

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
बदीनाथ रोड, श्रीनगर गढ़वाल

Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Srinagar-Garhwal-246174

Tel 01346 297113 Email: pdganga.srinagar@gmail.com

पत्रांक 974/जी0-4/66 दिनांक 13.09.2023 | प्रेषण का माध्यम: ई-मेल ✓ | डाक द्वारा

सेवा में,

ADM/MZ

उप वन संरक्षक,
सदस्य व संयोजक,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
रुद्रप्रयाग।

14/9/23

विषयः— जिला गंगा संरक्षण समिति की दिनांक 11.09.2023 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त पर आख्या

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 588/दिनांक 16.08.2023 के द्वारा जिला गंगा संरक्षण समिति की दिनांक 11.09.2023 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त पर इस इकाई से सम्बन्धित बिंदु "Sewerage Treatment Infrastructure Development" के अन्तर्गत इस इकाई द्वारा एसटीपीएसजी0 द्वारा Constituted as per the order of Hon'ble National Green Tribunal in O.A. 200/2014 में दिए गये निर्देशो अनुपत की पृथक-पृथक Tributay wise से सम्बन्धित PPT तैयार किए जाने हेतु आवेशित किया गया, के अनुक्रम में वांछित PPT की हार्ड कापी तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग महोदय।
2. महाप्रबन्धक निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
3. ई0 मीनाक्षी खण्डूरी0अभि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित कार्यालय में पीपीटी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13/09/2023
परियोजना प्रबन्धक

* Work 2022-23 works

आज़ादी का अमृत महोत्सव
G20
Arth Ganga
नमामि गंगे
गंगा नदी की सहायक नदियों को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने हेतु कार्य योजना एवं निराकरण
जिला गंगा सुरक्षा समिति
जनपद रुद्रप्रयाग

25864

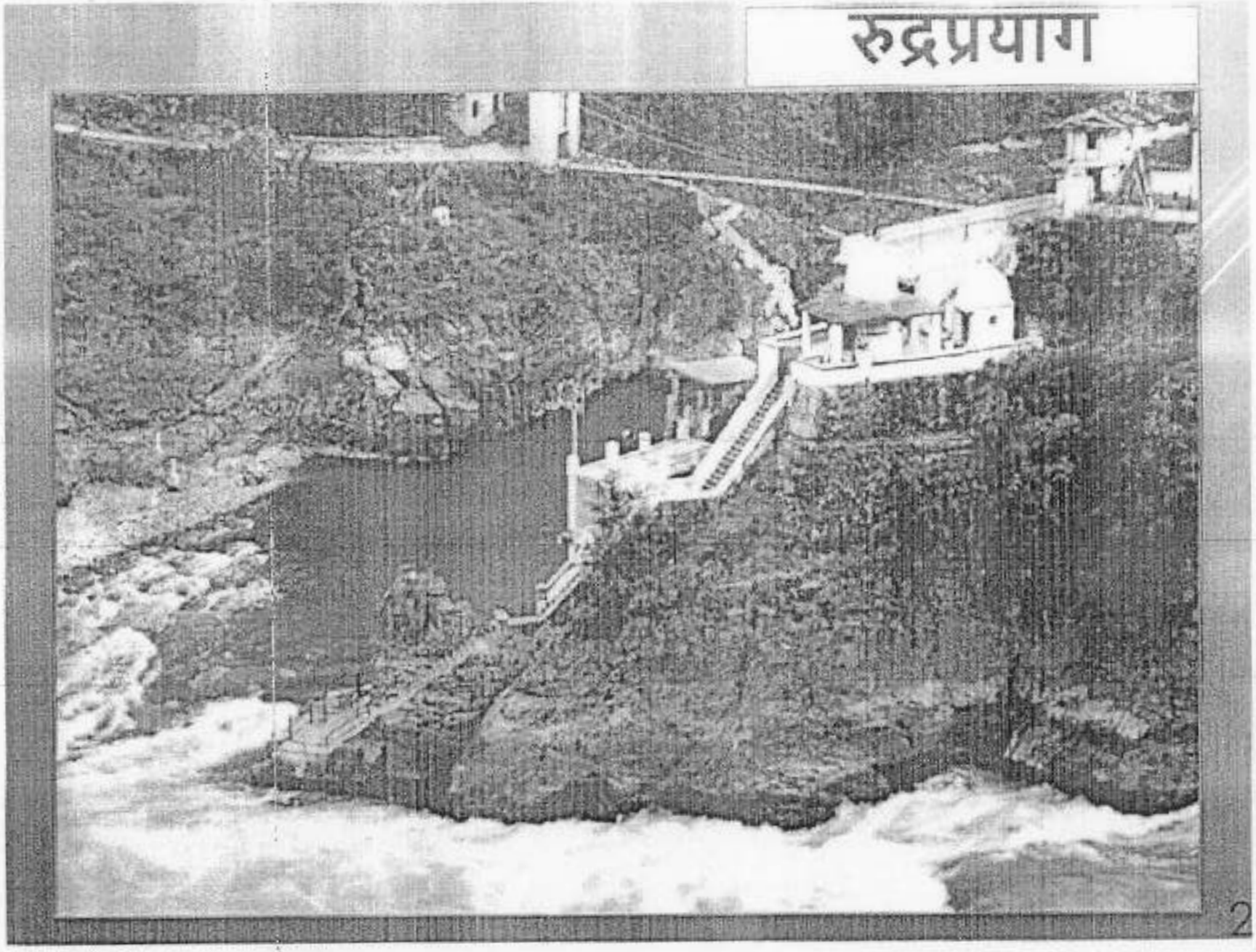

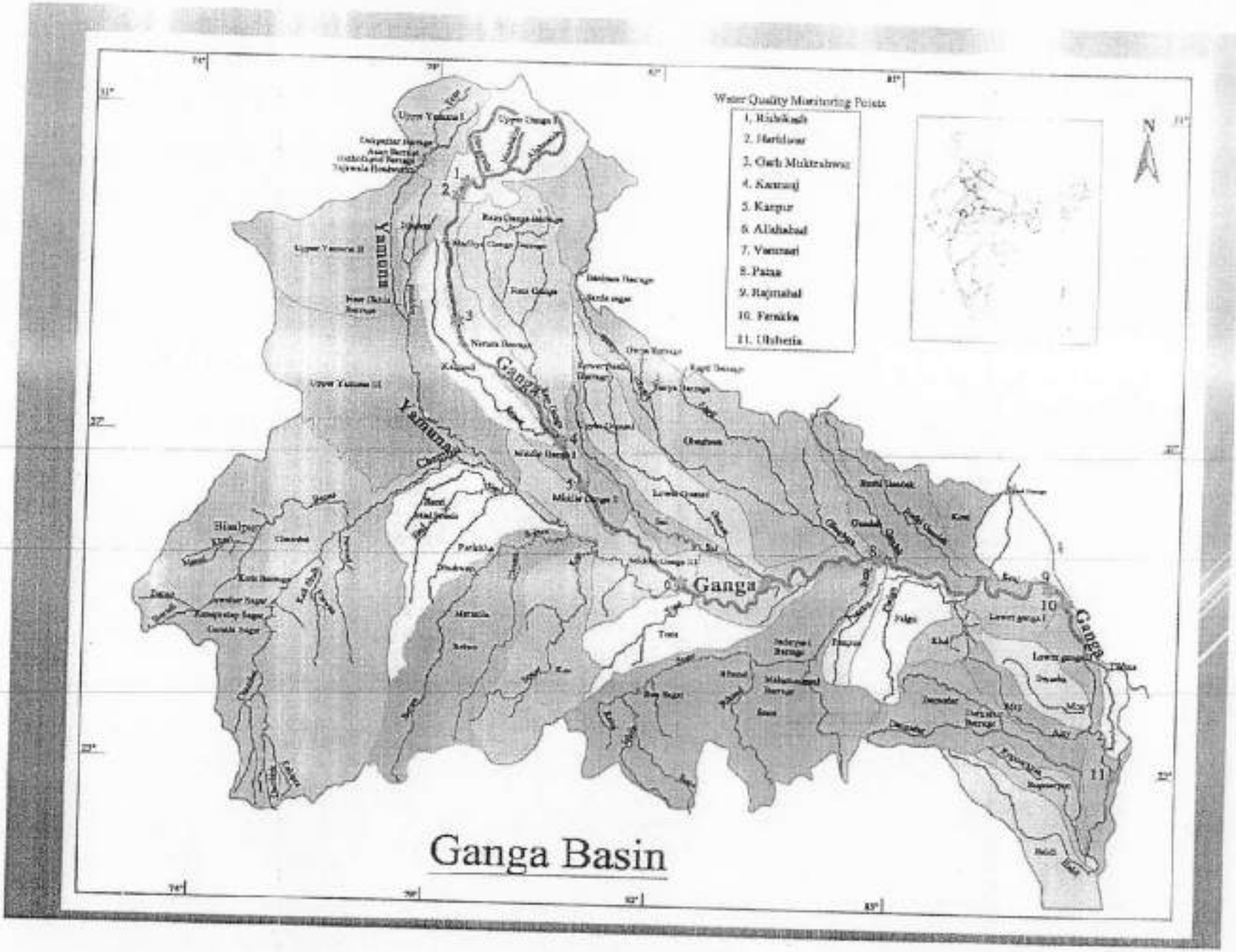
Water Quality Monitoring Points
1. Rishikesh
2. Haridwar
3. Garh Mukteshwar
4. Kannauj
5. Kanpur
6. Allahabad
7. Varanasi
8. Patna
9. Rajmahal
10. Farakka
11. Dhubelia
Yamuna
Ganga
Ganga
Ganga
Ganga Basin

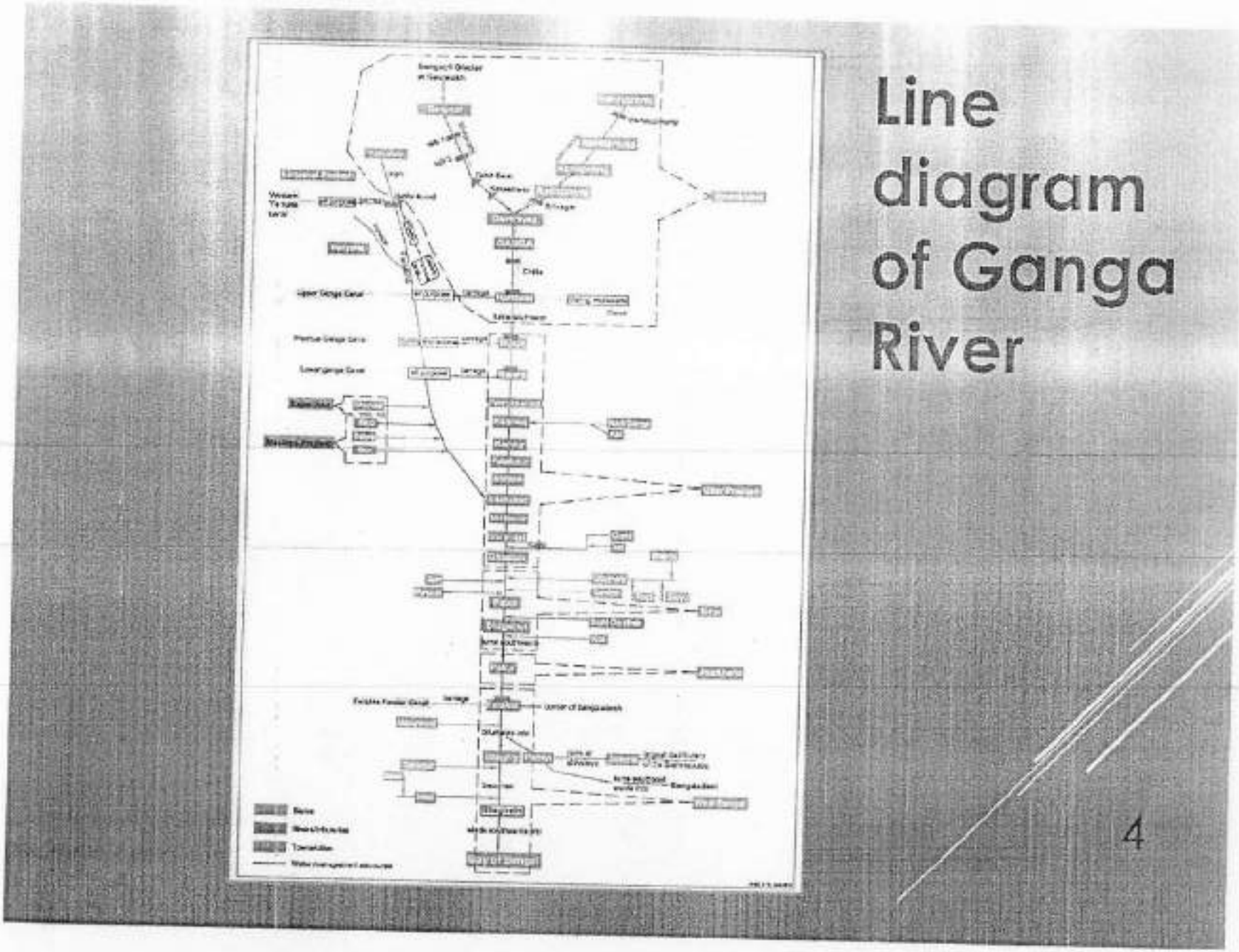
Line
diagram
of Ganga
River
4

जनपद रुद्रप्रयाग के अंर्गत गंगा नदी की सहायक नदियां का प्रवाह मैप

5

अलकनंदा नदी –एक परिचय

यह उत्तराखंड में संतोपंथ और भगीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किमी तक बहती है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अलकनंदा चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी और पौड़ी जिलों से होकर गुज़रती है।. गंगा के पानी में इसका योगदान भागीरथी से अधिक है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। तिब्बत की सीमा के पास केशवप्रयाग स्थान पर यह सरस्वती नदी से मिलती है। केशवप्रयाग बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माणा नामक स्थान पर स्थित है। अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग जनपद में लगभग 40 किलो मीटर लम्बाई में प्रवाहित होती है

मन्दाकिनी नदी –एक परिचय

मन्दाकिनी नदी (Mandakini River) भारत के उत्तराखण्ड राज्य में बहने वाली एक हिमालयाई नदी है। यह अलकनन्दा नदी की एक मुख्य उपनदी है, जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोतधारा है। इस नदी का उद्गम स्थान केदारनाथ के निकट है। मन्दाकिनी का स्रोत केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी हिमनद है। सोनप्रयाग में यह नदी वासुकिगंगा नदी द्वारा जलपोषित होती है। रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत यह पवित्र नदी लगभग 80 किलोमीटर प्रवाह के पश्चात् अलकनन्दा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अलकनन्दा नदी वहाँ से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहाँ बह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है।

DETAILED GAP ANALYSIS (CAPACITY vs GENERATION) OF SEWERAGE

7

परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा),उत्तराखंड पेयजल निगम
श्रीनगर

DETAILED GAP ANALYSIS (CAPACITY vs GENERATION) OF SEWERAGE

Sl. NO.	Town	Sewage Genration	STP Capacity (mld)		Sewage Generation Gap
		Yr 2040	Existing	Under development / approved	
1	Kedarnath	3.36	0	60.00	0.00
2	Gaurikund	0.16	0	0.22	0.00
3	Ukhimath	0.94	0	0.00	0.94
4	Agustmuni	2.14	0	0.00	2.14
5	Tilwada	0.12	0	0.10	0.02
6	Rudraprayag	2.42	0.525	0.000	2.42

ACTION PLAN TO FILL THE CAPACITY GAP

ACTION PLAN TO FILL THE CAPACITY GAP

Sl. NO.	Town	Sewage Genration Gap	Action Plan
1	Kedarnath	0.00	Work is In Progress by PWD Guptkashi under Master Plan of Shri Kedarnath G
2	Gaurikund	0.00	No need
3	Ukhimath	0.94	Fecal Sludge Treatment Plant to be Proposed in Ukhimath Town under SBM 2-0
4	Agustmuni	2.14	DPR is being returned to UKPJN by NMCG vide letter no Pr-12011/27/2018-0 NMCG, dated 11-08-2021 due to reason given by NMCG- "NMCG has examine 3069.65 DPR and observed that no change in water quality of river Mandakini in upstream & down stream of the town indication there may be no pollution load from the town to river"
5	Tilwada	0.02	The drains contaminating Mandakini river under Tilwara town will be tapped and flowed after being treated through STP.
6	Rudraprayag	2.42	The drains contaminating Alaknanda and Mandakini river under Rudraprayag town will be tapped and flowing of drian water after being treated through STP.

Details of the existing STPs their compliance status & plan for rehabilitation /Upgradation

Details of the existing STPs their compliance status & plan for rehabilitation /Upgradation

Rudraprayag I &D with STP

S.N.	Details of STPs	Capacity of STP (in Mld)	Compliance	Rehabilitation / Upgradation	Remarks
01	Near Anoop Negi School	0.075	No	Not in functional due to cloud burst in 2021,	DPR sent to NMCG for Restoration of STP
02	Near Rudra complex		Yes		
03	NearBus Stand	0.075	yes		
04	Near State Bank		yes		
05	Near Masjid	0.10	yes		
06	Near Steel Bridge		yes		
07	Beleni Road Rudraprayag	0.050	yes		

Detailed Status of ongoing pollution abatement works in the Basin

13

नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

तीनों विकासखण्डो में उपलब्ध कराये गये कूडा वाहन

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अन्तर्गत तीनों विकासखण्डो को एक–एक कूड़ा एकत्रीकरण वाहन उपलब्ध कराये गये है, विकासखण्डों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों का रोस्टर तैयार किया गया हैं। कूड़ा वाहन ग्राम पंचायत से एकत्रित प्लास्टिक को कम्पैक्टर सैन्टरों तक पहँचाकर प्लास्टिक निस्तारण करने का कार्य कर रहे हैं।

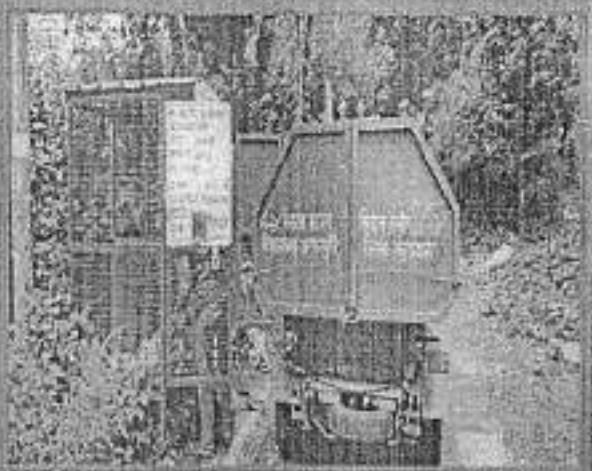

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु निराकरण

- केदारनाथ जी

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

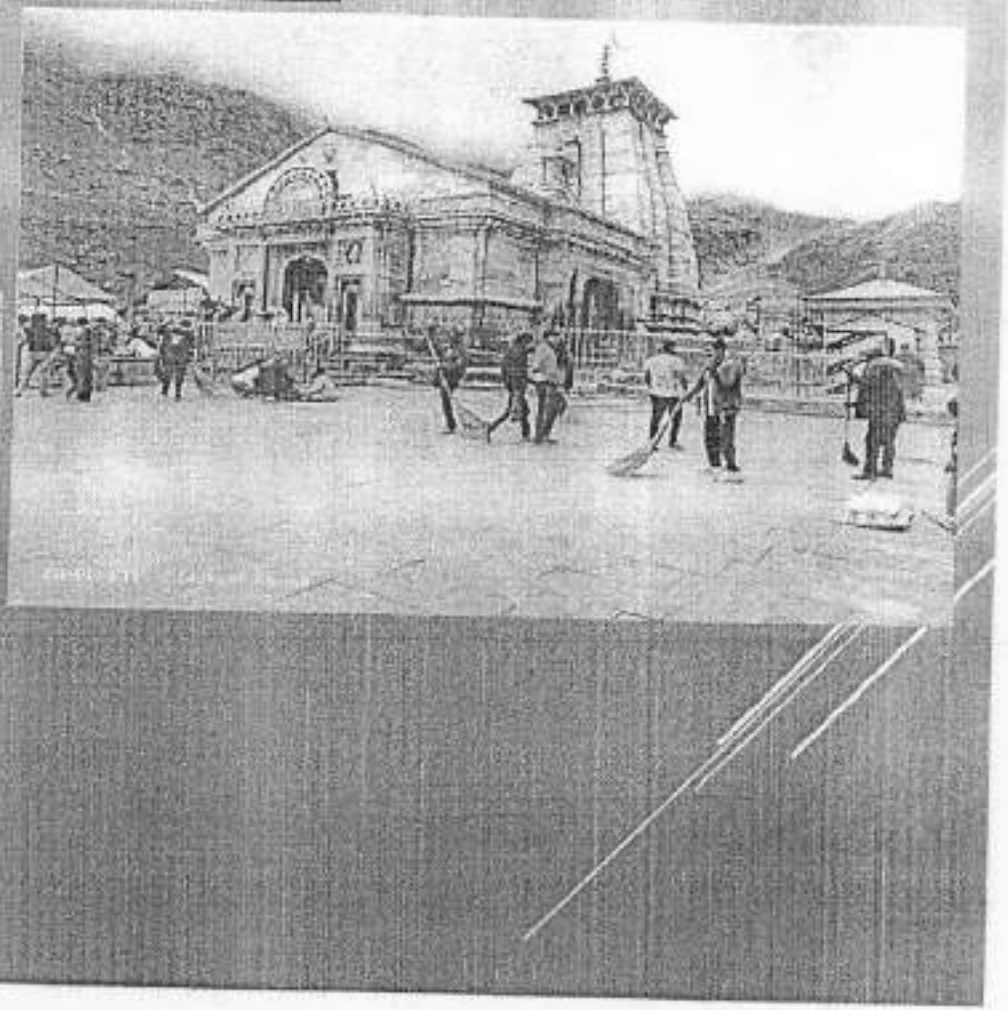

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

- केदारनाथ जी
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, रूद्रप्रयाग

प्लास्टिक कॉम्पेक्टर शेड

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विकासखण्ड–जखोली की ग्राम पंचायत–मयाली, विकासखण्ड–उखीमठ की ग्राम पंचायत–मनसूना एवं विकासखण्ड अगस्त्यमुनि की ग्राम पंचायत फलई में स्वजल परियोजना द्वारा प्लास्टिक कॉम्पेक्टर शेड का निर्माण कार्य किया जाता है तथा पंचायती राज विभाग द्वारा कॉम्पेक्टर मशीन स्थापित की जाती है। ग्राम पंचायतों से प्लास्टिक कूडा एकत्र होकर विकासखण्डों में स्थित काम्पेक्टर मशीनों में काम्पेक्ट होने के लिए भेजा जाता है। काम्पेक्टर शैड का रखरखाव एवं संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जाता है।

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ गौरीकुंड

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ग्राम पंचायत के गौरी गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये 10 गोवर गड्ढे तथा 08 जैविक/अजैविक कूडेदानो का 150 जैविक/अजैविक निर्माण कर डस्टबिन भी वितरित किये गये हैं। जिसमें प्लास्टिक एकत्रित कर समय–समय पर कूड़ावान के माध्यम से प्लास्टिक कम्पैक्टर सैण्टर सोनप्रयाग में निस्तारण हेतु भेजा जाता हैं।

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ सोन प्रयाग

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सोन प्रयाग में यात्राकाल में सुलभ इण्टरनेशनल के माध्यम से प्रत्येक दिवस को कूड़े का निस्तारण कर कूड़ावान के माध्यम से प्लास्टिक कम्पैक्टर सैण्टर सोनप्रयाग में निस्तारण हेतु भेजा जाता हैं तथा मार्गों पर सुलभ द्वारा प्लास्टिक कूडा करने हेतु डस्टबिन स्थापित भी किये गये है, जिनमें कूड़ा भर जाने के उपरान्त निस्तारण किया जाता है। खजल के माध्यम से ग्राम पंचायत त्रियुगीनारायण में 30 गोबर गडढे तथा 8 जैविक/अजैविक कूड़ेदान का निर्माण किया गया है तथा 285 जैविक/अजैविक डस्टबिन वितरित किये गये हैं।

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु किया गया निराकरण

➢ ग्राम पंचयत मयाली, मनसूना तथा फलई में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई की स्थापना

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विकासखण्ड–जखोली की ग्राम पंचायत–मयाली, विकासखण्ड–उखीमठ की ग्राम पंचायत–मनसूना में कम्पेक्टर मशीन की स्थापना की गई है तथा विकासखण्ड अगस्त्यमुनि की ग्राम पंचायत फलई में स्वजल परियोजना द्वारा प्लास्टिक कॉम्पेक्टर शेड का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा पंचायती राज विभाग द्वारा कॉम्पेक्टर मशीन स्थापित की जायेगी। ग्राम पंचायतों से प्लास्टिक कूड़ा एकत्र होकर विकासखण्डों में स्थित काम्पेक्टर मशीनों में कॉम्पेक्ट होने के लिए भेजा जायेगा। काम्पेक्टर शेड का रखरखाव एवं संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जिस हेतु तीनो विकासखण्डों में कूड़ावाहन उपलब्ध कराये गये है।

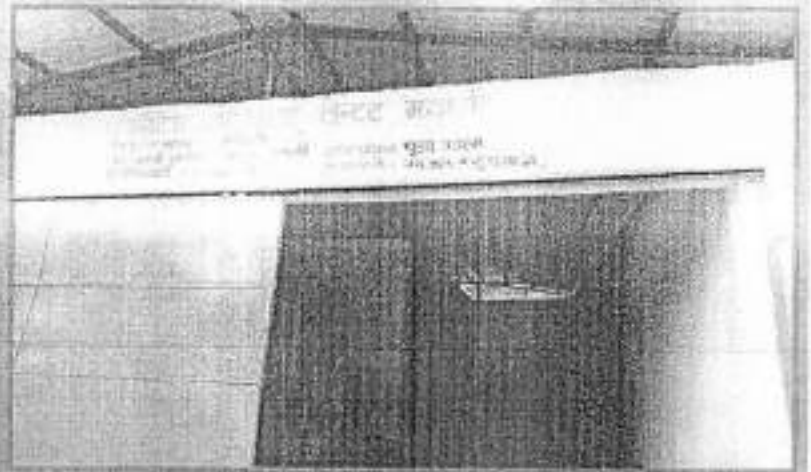

ग्राम पंचायत मनसूना

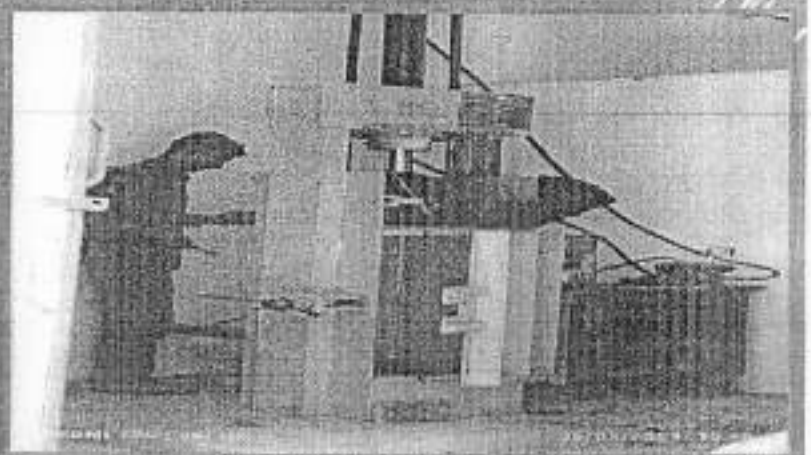

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ भीरी/चन्द्रापुरी

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ग्राम पंचायत के भीरी में 8 गोबर गडढ़े तथा 4 जैविक/अजैविक कूड़ेदानों निर्माण किया गया है। तथा ग्राम पंचयत चन्द्रापुरी में 35 गोबर गडढे एवं जैविक/अजैविक कूड़ेदानो का निर्माण किया गया है। 08

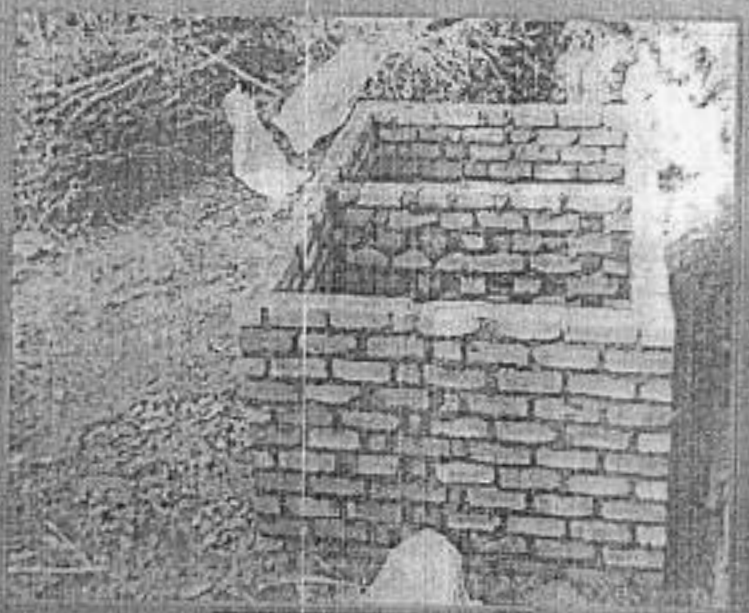

गोबर गडढा ग्राम भीरी

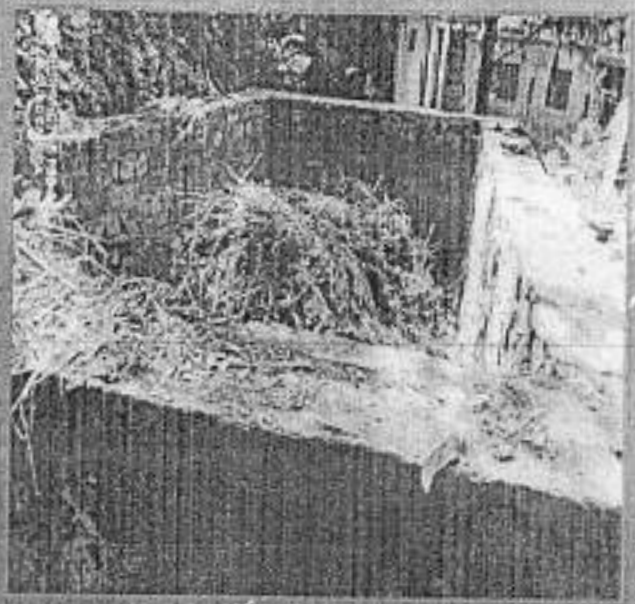

गोबर गडढा–चन्द्रापुरी

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ तिलवाड़ा (नौला पानी एम0आर0एफ सेन्टर)

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर पंचायत तिलवाड़ा द्वारा वार्ड न0–4 नौला पानी स्थित स्थान पर सैग्रिगेशन सेन्टर निर्माण किया गया, जिसमें निकाय में कार्यरत पर्यावरण मित्रों द्वारा प्रत्येक दिन डोर–टू–डोर कलेक्शन व एन0एच से प्राप्त सूखें कूडें की छटाई कि जाती है,इस के अतिरिक्त विभाजित अपशिष्ठ जैसे गत्ते, प्लास्टिक बोटल, रद्दी, इत्यादि की कॉम्पैक्अर मशीन द्वारा सिल्ली तैयार कि जाती है।

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ वार्ड न0–01 रामपुर (खाद निर्माण सेन्टर)

नगर पंचायत तिलवाड़ा द्वारा वार्ड न0–1 रामपुर बवाई रोड़ स्थित स्थान पर खाद निर्माण सेन्टर में निकाय में कार्यरत पर्यावरण मित्रों द्वारा प्रत्येक दिन डोर–टू–डोर कलैक्शन व एन0एच से प्राप्त गीलें कूडें से खाद का निर्माण किया जाता है।

24

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ मयाली

➢ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विकासखण्ड–जखोली की ग्राम पंचायत–मयाली, विकासखण्ड–रुद्रप्रयाग स्वजल परियोजना द्वारा प्लास्टिक कॉम्पेक्टर शेड का निर्माण कार्य किया जाता है तथा पंचायती राज विभाग द्वारा कॉम्पेक्टर मशीन स्थापित की जाती है। ग्राम पंचायतो से प्लास्टिक कूड़ा एकत्र होकर विकासखण्डों मे स्थित कामपेक्टर मशीनों में कामपेक्ट होने के लिए भेजा जाता है। कामपेक्टर शेड का रखरखाव एवं संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जाता है।

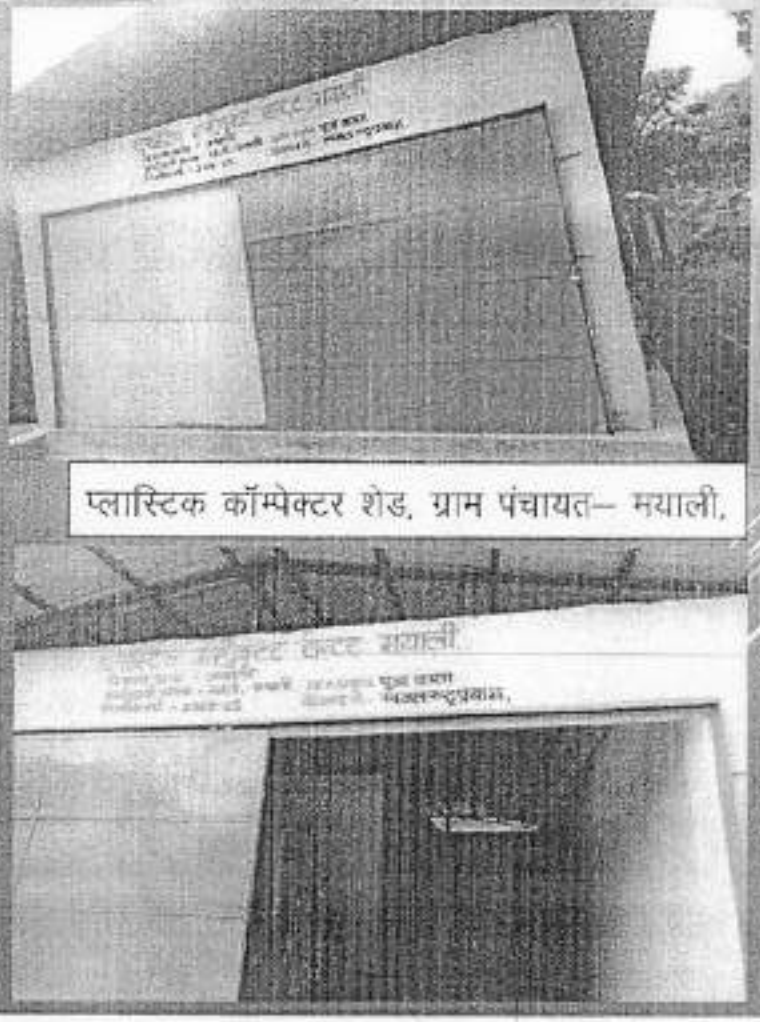

प्लास्टिक कॉम्पेक्टर शेड, ग्राम पंचायत– मयाली,

मन्दाकिनी नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

निर्माणाधीन प्लास्टिक कॉम्पेक्टर शेड, ग्राम पंचायत– फलई, विकासखण्ड–अगस्त्यमुनि, जनपद–रूद्रप्रयाग

26

अलकनंदा नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य योजना

➢रुद्रप्रयाग

➢ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत् सभी 07 वार्डो मे उत्सर्जित जैविक तथा अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु 31 पर्यावरण मित्र एवं 22 मोहल्ला स्वच्छता समिति तैनात किये गये हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक घर से डोर–टू–डोर जैविक अजैविक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जैविक व अजैविक कूड़ा अलग–अलग एकत्रित कर पालिका के कूड़ा वाहनों के माध्यम से ट्रंचिग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान मे पालिका के पास वार्ड नं0 7 रैंतोली में 0.0801 हे0 तथा 0.601 हे0 राजस्व भूमि उपलब्ध है जहां पर कूड़ा निस्तारण का प्रबन्धन किया जा रहा है। छंटनी किये जा रहे अजैविक कूड़े हेतु अलग–अलग कम्पार्टमेंट बनाये गये हैं, जिनको सामग्रीवार यथा–प्लास्टिक बोतल, कपड़े, गत्ते, इत्यादि अलग–अलग रखा जाता है, पालिका के पास वतमान में 01 कॉम्पैक्टर मशीन संचालित है जिसके माध्यम से एकत्रित अजैविक कूड़े को काम्पैक्ट कर पैंकेट/बैग तैयार कर विक्रय किया जाता है। पालिका द्वारा आतिथि तक अजैविक कडे के विक्रय से रू0 11,34,913/–की आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा पालिका द्वारा जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर 06 पिट्स निर्मित किये गये हैं जहां पर उक्त पिटों में जैविक कूड़े को एकत्रित कर जैविक खाद तैयार की जा रही है। वर्तमान तक पालिका द्वारा 73 किग्रा0 जैविक कूड़ा के विक्रय से रू0 730/–की आय प्राप्त हुई है।

नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग

ट्रचिंग ग्राउण्ड पर तैयार कम्पैक्ट कूड़ा विकय कर वाहन पर अपलोड करते हुए

कॉम्पैक्टर मशीन

28

अलकनंदा नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ नगरासू-घोलतीर

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धनः– ग्राम पंचायत नगरासू में ग्राम पंचायत के माध्यम से 95 गोबर गडढे व 10 जैविक तथा अजैविक कूड़ेदानो तथा 2 सैग्रीगेशन शेड का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत मरोड़ा के घोलतीर में 2 प्लास्टिक एकत्रीकरण हेतु सैग्रीगेशन शेड का निर्माण किया गया है।

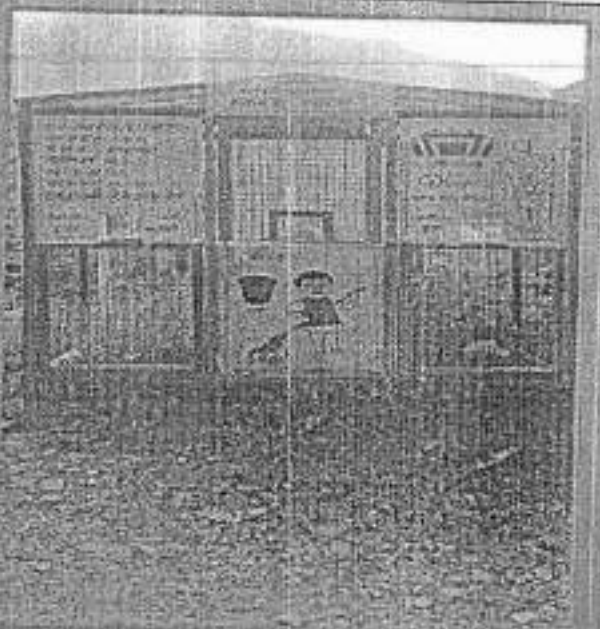

अलकनंदा नदी को निर्मल एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु ठोस अपशिष्ट निराकरण

➢ रतूड़ा

➢ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ग्राम पंचायत रतूड़ा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये 25 गोबर गड्ढे तथा 06 जैविक/अजैविक कूड़ेदानों का निर्माण किया गया हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से प्लास्टिक सैग्रीगेशन सैन्टरों का निर्माण किया भी किया गया है, जिसमें प्लास्टिक एकत्रित कर समय–समय पर कूड़ावान के माध्यम से प्लास्टिक कम्पैक्टर सैण्टर रूद्रप्रयाग पंहुचाया जाता है।

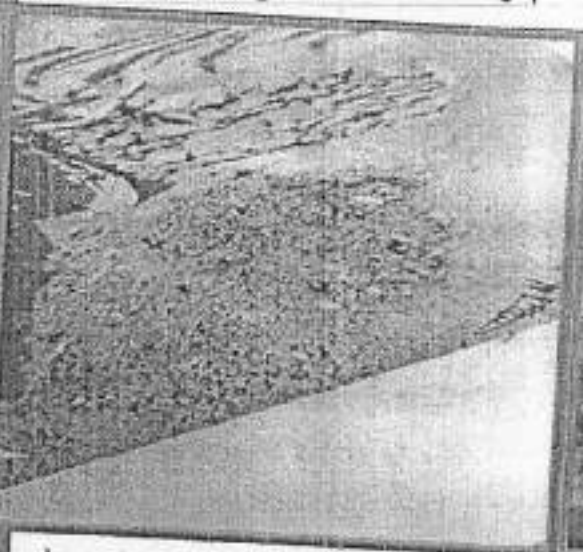

गोबर गडढा ग्राम पंचा0 रतूड़ा

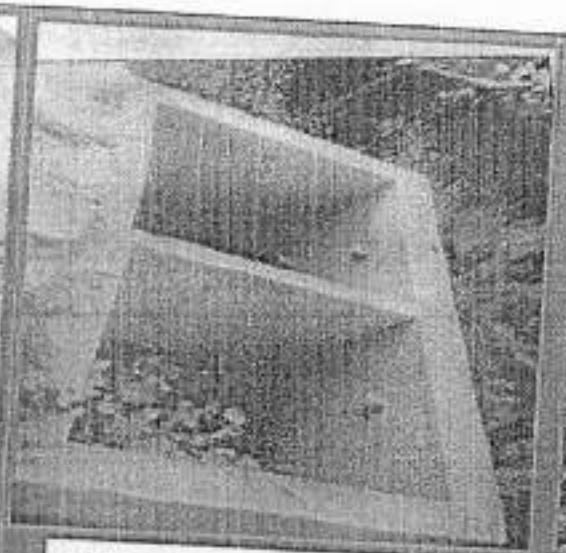

कूड़ादान ग्राम पंचा0 रतूड़ा

सैग्रीगेशन शैड ग्राम पंचा0 रतूड़ा

Status of Industrial pollution in town

There are no major/minor industries in Rudraprayag Dist.

31

Assistance Required from GOI in general and from NMCG

Assistance Required from GOI in general and from NMCG

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा वन क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के पूर्व निस्तारण हेतु कार्ययोजना बनायी गयी है। वर्तमान में कई पर्यटक स्थल, ट्रैक रूट व चार धाम यात्रा मार्ग वन क्षेत्र से होकर गुजरते है जिससे उन क्षेत्रों मे ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे वन प्रभाग मे इस संबंध में कोई भी विभागीय वित्तीय/मानव संसाधन उपलब्ध नही हैं।

अतः NMCG अथवा भारत सरकार से धनराशि की आवश्यकता है। इस हेतु कार्ययोजना आगामी स्लाईडों मे दी गयी है।

	Forest Area(in Ha)			
	Reserve Forest	Civil	Van Panchayat	Total
1	2	3	4	5
RudraprayagForest Division	59867.26 (55%)	31885.447 (29%)	15584.95 (14.5%)	107337.657

Forest Rudraprayag Division

Challenges in Solid/Plastic Waste Management in Forest Areas

- Lack of Solid Waste Management system in rural areas resulting in waste dumped in nearby forest Areas.
- Huge influx of tourist resulting generation of huge amount of Solid waste along Kedarnath-Badrinath route and other important tourist sites like Tungnath, Kartik Swami etc.
- Sprouting of dhabas, restaurants etc who dump their waste in nearby forest areas.
- Lack of logistic and financial resources with forest department to deal with issue of Solid waste management.
- Waste segregation at source is still not prevalent in rural areas.
- Unscientific waste disposal being used like burning of plastic waste, dumping of waste in forest areas, streams.
- The high altitude meadows, lakes and glacial areas are the locations most thronged by the adventure tourists, students and trekkers and often get littered by plastic waste.
- The local bodies and their representatives and also erring industrial units often through away the plastic waste in roadside forest areas.
- Lack of viable alternative to plastic.

Impact of Plastic Waste

- Impact on wildlife, aquatic ecosystem and local ecology.
- Increasing incidences of Human-Wildlife conflict as wild animals likemonkeys, bear, wild boar are attracted near these garbage dump points.
- Plastic objects breaks down into micro plastics that can pollute ecosystemand harm microorganisms.
- Pollution of streams, springs, rivers and ground water.
- Aesthetically unpleasing sight.
- Impacton water availability, fodder availability and livelihoodopportunities of locals.
- Adverse health impact.

Hotspots

Based on the general observation over a period of years by the field staff and media reporting, frequent plastic waste dump areas shall be identified by competent officers as hotspots from plastic waste generation standpoint. These hotspots forest areas shall be sanitized and cleared of plastic waste on a regular basis.

Range	Place	Location GPS	Forest status (RF/Civil/Van Panchayat)
Rudraprayag	Dhanpur 2 com. Bc	30°17'24.05"N,79°4'22.82"E	RF
Khankra	Dhari Devi temple	30°15'20.11"N,78°52'43.53"E	Civil
South Jakoli	Chirbatiya Market	30°23'25.89"N78°50'9.28"E	Civil
	Mayali Market	30°22'43.06"N78°53'46.33"E	Civil
	Sangam View Point	30°17'17.03"N, 78°58'34.70"E	RF
North Jakoli	Bedhani Tal	30°29'49.85"N78°55'26.37"E	Civil
Agustmuni	Chopta-Baniyakund-Panger	N- 30° 28' 58" E- 79° 10' 33"	R.F. Van Panchayat
	Deoaritaal trek	N- 30° 31' 10" E- 79° 07' 50"	Civil Forest
	Kartik Swamy Temple	N- 30° 23' 09" E- 79° 05' 55"	Reserve Forest
	Kanakchori Near R.F.	N- 30° 22' 58" E- 79° 06' 42"	Civil / R.F.
	Koleshwar Temple	N- 30° 18' 06" E- 79° 00' 19"	Civil Forest
	Rudraprayag Sangam	N- 30° 17' 17"	Civil Forest
	Mohankhaal	**N- 30° 22' 42" E- 79° 08' 55"**	**Civil / R.F.**
Guptkashi Unit	Kalimath Temple	N- 30° 33' 43" E- 79° 05' 04"	Civil Forest.
	Vishwanath Temple	N- 30° 31' 38" E- 79° 04' 51"	Civil
	TrijuginarayanTemple	**N- 30° 38' 29" E- 78° 58' 37"**	Civil

Collection Mode and Storage Mo

The range officer concerned forest div and protected areas shall be the working unit for collection of plastic waste in above identified sites. The concerned Range Officer shall as per the plan undertake collection of plastic waste generated/dumped by engaging rag pickers and sanitation workers. The voluntary mode by field staff would also be engaged under shram daan for collecting plastic waste. This would be mostly done on important occasions like Environment Day, Ozone Day, World Forestry Day et . Hygiene, Sa ety nd Protective gear shall be ensured during the collection of plastic waste at the identified sites Plastic waste collected from forest areas will be brought to road head. From road head the waste will be brought to designated Collection point. The storage will be done in temporarily created store with fire proof mechanism.

Range	Collection Point	Location GPS	Remarks
Rudrapra yag	Bhanadhar	30°16'42.26"N, 78°58'17.76"E	NIL
Khankra	Dharidevi	30°15'20.11"N, 78°52'43.53"E	NIL
South Jakoli	Range office Jakhni	30°22'43.06"N 78°53'46.33"E	NIL
North Jakoli	Agustmuni	30°22'33.70"N 78°54'37.26"E	NIL
Agustmun i	Chandrapuri	N- 30° 23' 17" E- 79° 01' 04"	Chandrap uri
Guptkashi Unit	Phata	N- 30° 34' 29" E- 79° 03' 19"	

Forest in Rudraprayag Division

Transportation and Disposal Mode

The plastic waste collected as above shall be transported by the concerned ranges/units to the nearest compactor, plastic waste processor and land fill sites. The distance of transportation shall be in the range of 20-15 km maximum. Once the plastic waste collected is handed over to the above said agencies, the disposal of plastic waste by the forest department will be said to have been achieved.

Range	Collection/Storage point	Location of Compactor/Plastic processing site/Landfill	Distance of Transportation (Approx in KM)
Rudraprayag	Bhanadhar	Segregation center Raitoli	5km
Khankra	Dharidevi	Segregation center Raitoli	20 km
South Jakholi	Mayali	Segregation center Mayali	20 km
North Jakholi	Agustmuni	Segregation center Agustmuni	4 km
Agustmuni	Chandrapuri	Agustmuni Nagar Panchayat	7 km
Guptkashi Unit	Phata	Ukhimath Nagar Panchayat	25 km

57

Forest in Rudra Prayag Division

Non Recurring expenditure for Infrastructure development and capacity building –

S.NO.	Details	Estimated Cost	Justification
1	Pickup/camper vehicle	12 Lacs	Departments does at have dedicated vehicle for Waste collection and disposal in forest areas. Hiring of vehicle in long fun is costly affair.
2	Composting system at forest nurseries	1.5 Lacs	For disposal and manure generation from segregated organic waste.
3	Signages, banner, pamphlets for awareness	0.5 Lacs	For IEC activities and warning at prominent places.
4	Installation of eco-friendly dustbins (Material-Ringall, Bamboo etc)	1.00 Lacs	Promotion of sustainable living waste to wealth products.
5	Promotion of eco-friendly cutlery, bags (Dona-pattal, cloth bags)	1.00 Lacs	Promoting alternative to plastic in temples/tourist spots in forest areas.
6	Promote eco-friendly non plasti products in offices	0.5 Lacs	Promoting eco-friendly non plastic products for office use eg flex, bottles etc.
7	Capacity building of staff	0.5 Lacs	To promote composting, orientation of staff.
8	Upcycling of plastic waste	0.5 lacs	To reuse and upcycle plastic waste like PET bottles (as plant pots, plastic flex banners (to make bags) poly bags (to make bricks) etc.
9	Total	17.50 Lacs	

Forest in Rudra Pra... Division

Recurring expenditure–

S.NO.	Details	Estimated Cost	Justification
1.	Site identification and collection @ Rs 5 per Kg (Expected target- 100000 kg)	5 lakh	Dedicated team of Outsourcestaff (3 person@ 12500/month for 12 months=4.5 lakh + WasteHandling expenses
2.	Creation and Maintenance ofstorage points @ Rs 1 lakh/unit (6 units in 6 ranges)	6 lakh	For waste collection, segregation and storage
3.	Protective gears/equipment	1 Lakh	For safe disposal of waste
4.	Transportation of plastic waste collected to designatedsites(@Rs 250/ton for 1000 tonnes	2.5 lakh	Fuel/Hiring of vehicle for transport
5.	Awareness and Sensitization Programme	0.5 lakh	LS
6.	Administrative/ContingencyExpenditure	1 lakh	For record keeping, enforcement drives, complain redressal, fuel for vehicles
7.	Site Identification and collection @ Rs 5 per Kg (Expected target- 100000 kg)	5 lakh	Dedicated team of Outsource staff (3 person@ 12500/month for 12 months=4.5lakh + Waste Handling expenses
8.	Creation and Maintenance ofstorage points @ Rs 1 lakh/unit (6 units in 6 ranges)	6 lakh	For waste collection, segregation and storage
	Total	**16.00 Lacs**	

S.No	Details	Estimated Cost	Justification
1.	Non Recurring Expenditure	17.50 Lacs	
2.	Recurring Expenditure	16 .00 Lacs	
	Total:-	33.50 Lacs	

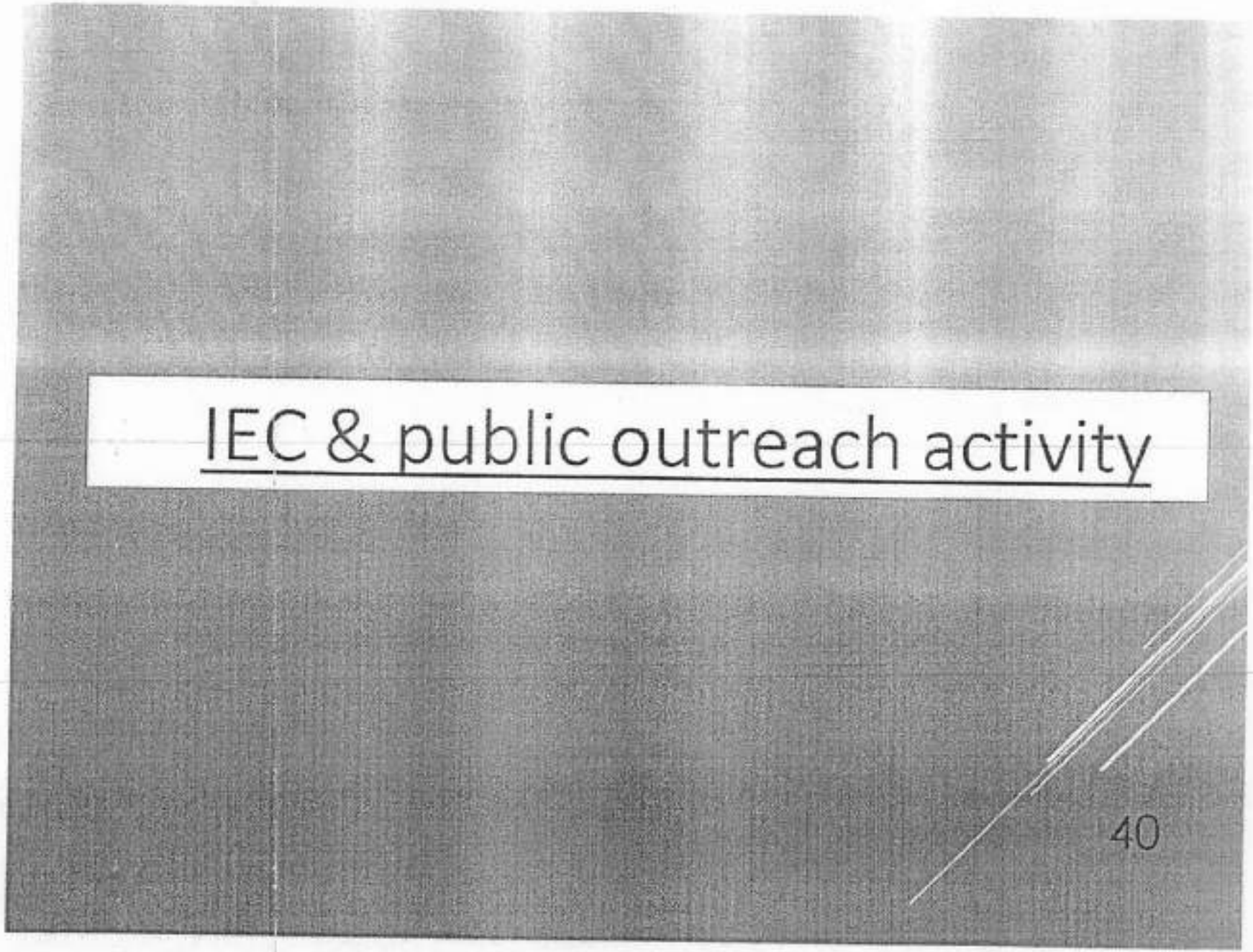
IEC & public outreach activity
40

25902

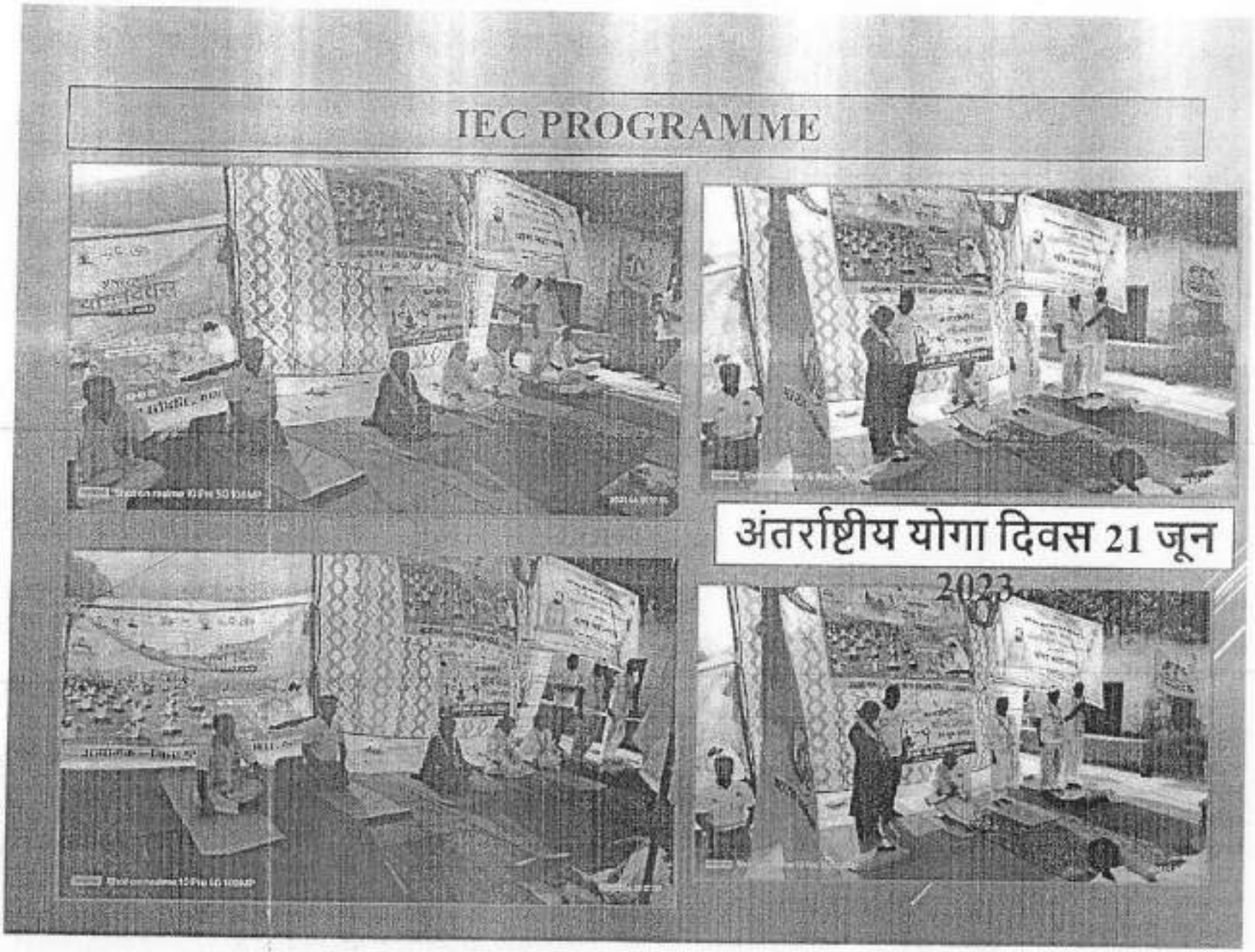

25903

IEC & PUBLIC OUTREACH ACTIVITY IN THE DISTRICT

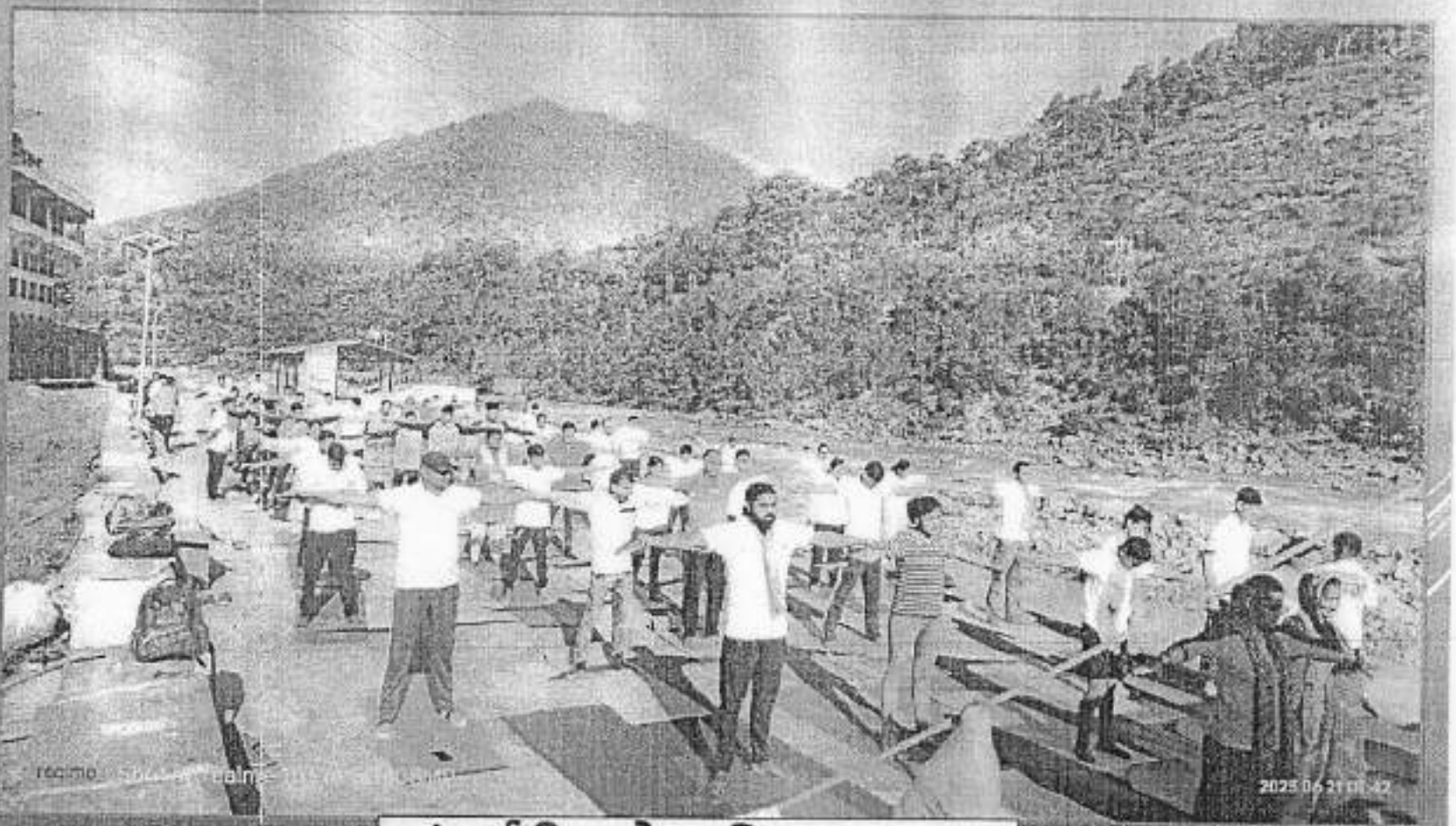

25904

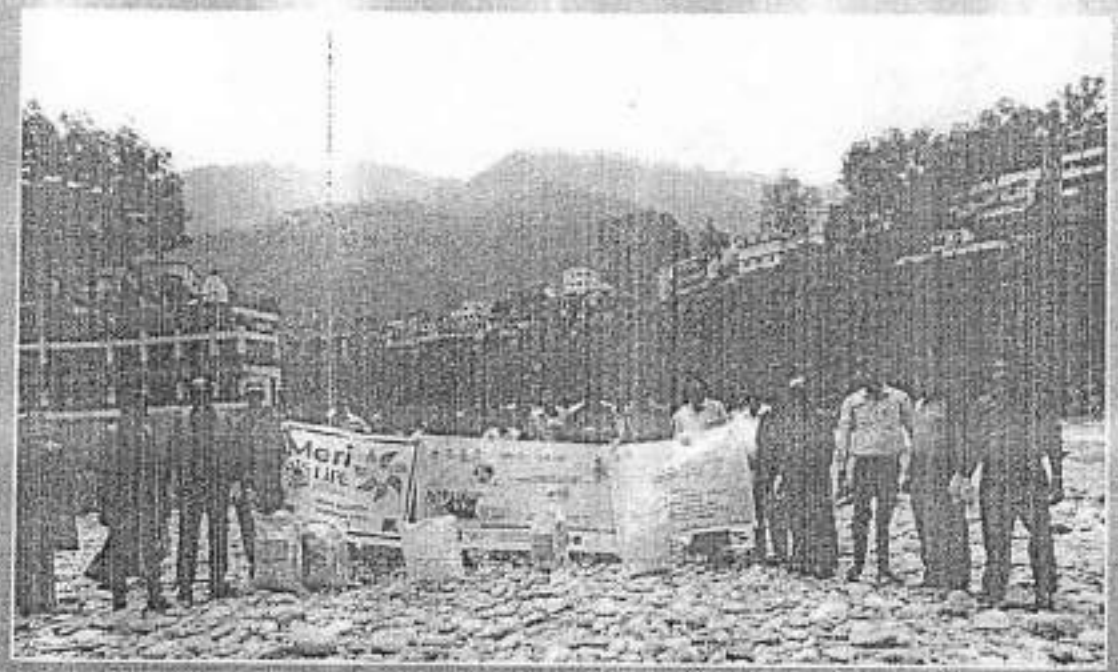

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा मेरी लाईफ (Life Style for Environment) के तहत अलकनन्दा नदी के संगम घाट पर सफाई अभियान.

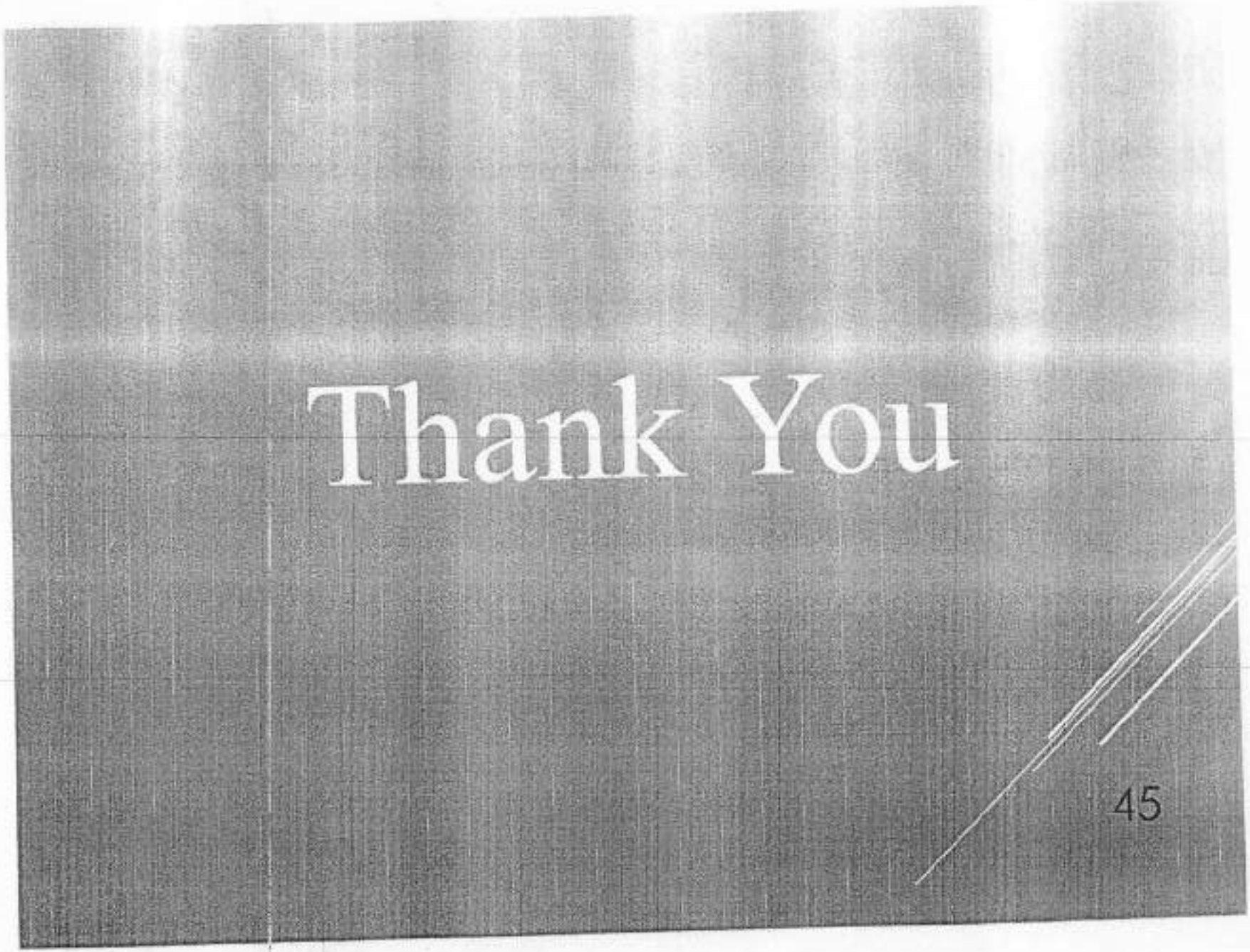
Thank You
45

ANNEXURE 20

25906

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

उप वन संरक्षक/
जिला संयोजक
जिला गंगा संरक्षक समिति
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 909 मु0कृ0अ0/प्रा0अनु0–विविध पत्रा0/2023–24/दिनांक 26-10-2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 में दिये गये निर्देशों के परिपालन के सम्बन्ध में

महोदय ,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक 1541/7–2 दिनांक 20.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 में दिये गये निर्देशों के परिपालन के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या चाही गया है।

अतः उक्त के क्रम बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार तैयार कर आपकी सेवा मे सादर प्रेषित की जा रही है।

Sr.No.	Issues	Compliance
1	Agricultural run-off and contamination and streams with pesticides and other chemicals	District Rudraprayag has been declared completely organic since 2015. So agriculture department rudraprayag is not distributing chemical pesticides and other chemicals in any way.

भवदीय

मुख्य कृषि अधिकारी
रूद्रप्रयाग

1829

25907

ANNEXURE-21

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

विषय– रिट पिटीशन संख्या–49/PIL/2012 IN RE In the matter of conservation of Ecology and Environmental conditions of Kedarnath Temple बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

CLCON No.208/2023 गौरी मैनसबी बनाम डॉ0 सौरभ बहरवाल के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन हेतु Recykal कम्पनी द्वारा Digital Deposit Refund System चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में स्थित समस्त व्यवसायों/दुकानदारों को इस ग्रुप द्वारा क्यू.आर. कोड दिया गया है। इस क्यू.आर. को पानी की बोतलों में लगाया जाता है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में स्थित दुकानदारों द्वारा केवल क्यू.आर. कोड लगी पानी की बोतलों का विक्रय किया जा रहा है। उपभोक्ता से क्यू.आर. कोड लगी बोतल पर 10 रूपया अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है तथा उपभोक्ता द्वारा पानी की बोतल का उपयोग कर वापस Digital Deposit Refund System सेन्टर में देकर अपना अतिरिक्त चार्ज का 10 रूपया वापस लिया जाता है। इस वर्ष Recykal कम्पनी द्वारा क्यू.आर. कोड के साथ 1.95 लाख बोतले विक्रय की गयी, जिनमें से 60.00 हजार से अधिक बोतले एकत्रित कर दी गयी है तथा उन्हें रिसाईकिल हेतु भेजा जा चुका है।

Recykal कम्पनी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(मंजू राजपूत 25/7/2023
उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ।

recykal

www.recykal.com

25-July-2023

Dr. Saurabh Gaharwar IAS
District Magistrate,
Rudraprayag Collectorate

Ref: Recykal/DRS/Kedarnath/2023/July-02

Subject: Digital Deposit Refund System implemented in Kedarnath regarding

Respected Sir,

Digital Deposit Refund System is an innovative initiative lead by District Administration, Rudraprayag in partnership with Hyderabad based Technology Startup- RECYKAL. This initiative focuses on a model that aims to bring in behavioral change in end-consumers against littering. In a Deposit Refund System the consumer pays a fully refundable deposit which is in addition of the MRP. This deposit amount is then fully refunded when the consumer returns the unique QR coded packaging to an designated collection point setup along the yatra. DRS system ensure consumers to deposit plastic containers such as bottles at designated collection centers and play a critical role in mitigating plastic pollution across the region.

Impact of Initiative

This initiative is being implemented onground since May 2022. In this year, project has distributed 1,95,000 bottles with QR Codes; of which over 50,000 have already been collected. Combined with other collection methods, materials has been channeled 10MT (4,00,000 plastic bottles) of plastic to recycling and diverted it from entering the Mandakini River.

This remarkable initiative was also recognized by the Govt. of India and the District of Rudraprayag and Recykal are a proud recipient of the Digital India Awards 2023 under the category Digital Initiatives in Collaboration with Startups, presented by our hon'ble president Smt. Droupadi Murmu.

Future expansion plan

This year aim is to cover atleast 70% of QR coded containers through DRS to authorized recyclers before the end of the Yatra. This initiative to be further expanded to cover all plastic packing beyond bottles in the coming season.

Warm regards,

Srikrishna Balachandran
Authorized signatory
Recykal, Hyderabad

Rapidue Technologies Private Limited
CIN : U72300TG2015PTC101913

Corporate Office
Sy. No. 134/2, Platinum street,
Whitefield, Opp. SLN Terminus, Gachibowli,
Hyderabad, Telangana - 500 032

Registered Office
#401, Janardana Plaza,
Lumbini Enclave, Gachibowli,
Hyderabad, Telangana - 500 032.

recykal

#startupindia

Sabka Sath Swachh Rudraprayag

through

Recykal Deposit Refund System

What is DRS?	4
DRS Kedarnath	6
Implementation	6
Stakeholders	9
Administration: Tehsil Ukhimath	9
DRS Operator: Recykal	9
IEC Awareness	10
Status of Project	11
Phase 1	11
Phase 2	12
Feedback from Stakeholders	15
Feedback from Pilgrims	15
Feedback from Customer	15
Comments from DRS Operator: Recykal	15
Comments from District Administration: Tehsil Ukhimath	15
Photo Gallery	16
Media	16
IEC Collaterals	18
DRS in Action at Kedarnath	18
DRS Deoria Tal	23
Status of Project	23
Feedback from stakeholders	23
Photo Gallery	23
DRS Chopta	24
Implementation Plan	24
Stakeholders	24
IEC Awareness	24
Status of Project	25
Photo Gallery	26
Media	25
Onsite images	26

1. What is DRS?

Recykal implemented the Digital DRS scheme for collection of waste from the source of generation. In this, a customer pays a deposit (INR 10) in addition to the QR coded product price. When the customer returns their empty container to a Deposit Collection Centre, the deposit is refunded to them. DRS changes consumer behavior by placing a value on the waste, thereby enabling efficient increased plastic waste recovery and better quality for recycling.

- Recykal used its technology to generate and print unique QR code stickers based on predicted demand for all licensed retailers operating in the region.
- Licensed retailers collect the QR stickers (one per plastic bottle in their inventory) from a Recykal employee at the Recykal point by paying cash / UPI per sticker.
- The retailer then pastes the QR stickers on every water / cold drink / beverage bottle being sold at their shop. Stickers can also be placed on all items packaged in plastic.
- While buying the plastic bottles, citizens pay an extra Rs.10/- as a Deposit on each bottle purchased.
- After consuming the water / cold drink / beverage, citizens now return the empty bottle at the designated Recykal Deposit Refund Collection Centre and get back their Rs.10/- (Green deposit).
- Citizens who do not return their containers at the designated collection points will lose their deposit. Such containers can be picked by waste collectors or any person who can then avail of the deposit refund upon returning the containers.
- The waste collected at each collection point, with the help of District Resources, is then moved to the central segregation and baling hub.
- Real-time data on material collected, deposits collected and refunded is accessible by the District Administration.

A pictorial representation of the DRS project implemented is shown below:

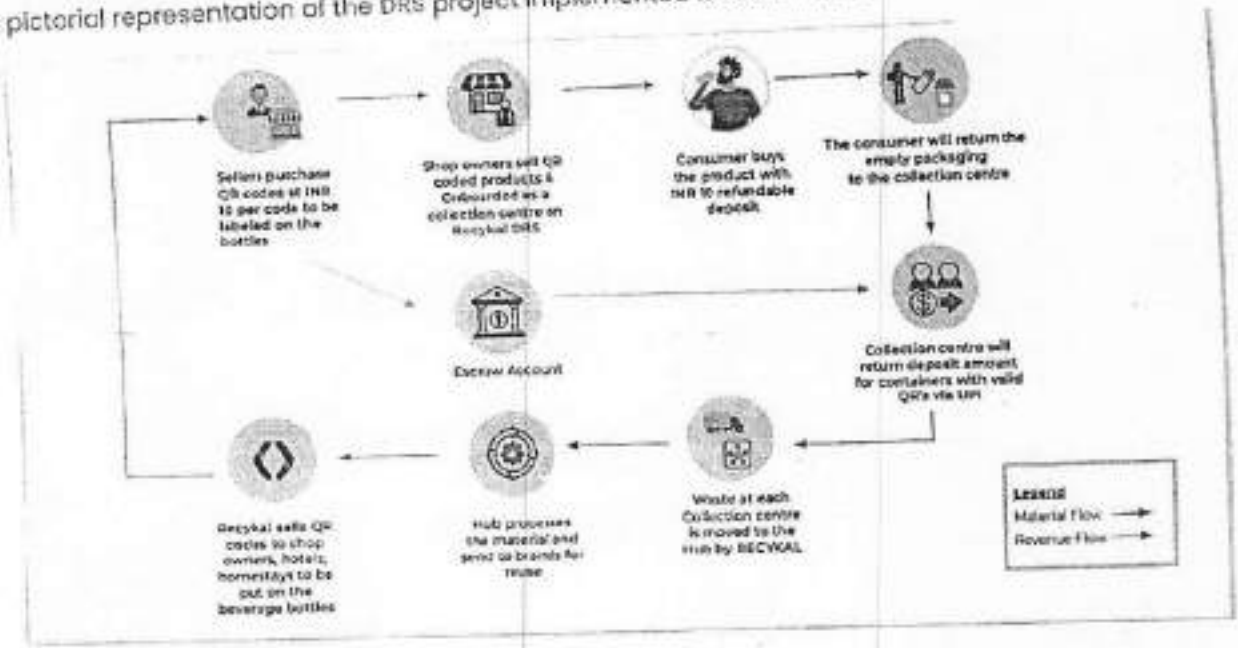

2. DRS Kedarnath

To tackle the increasing problem of plastic waste in Kedarnath, Tehsil Ukhimath had reached out to various agencies for innovative and disruptive solutions. Recykal proposed a one-of-its-kind **Deposit Refund System** project to SDM, Ukhimath dtd. 3rd May 2022 under the Plastic Waste Management Rules, 2016.

The project was proposed keeping in mind the ever-increasing footfall at Kedarnath and the littering issues caused by the pilgrims along the trek and in the town of Kedarnath. Keeping the sanctity and aesthetics of the Kedarnath trek intact has been the motto of this project from its very conceptualisation. The project is first-of-its-kind in the country and is gaining recognition amongst the pilgrims visiting Kedarnath.

The success of the digital Deposit Refund System Phase 1 in 2022 showed a **cumulative increase in the plastic collection** (from 0-5% to a whopping 54%) with more and more plastic being retrieved around the holy Kedarnath shrine this was implemented in; a step closer to nudging behavioral change! For Phase 2 dt. August 15, 2022 to present, Recykal is aiming big to prevent more plastic from leaking into the valleys & rivers by expanding the initiative's territory to a 50+ km range; from Guptkashi till the **temple of Kedarnath.**

How are the collective efforts of the district administration and the technology partner, Recykal, helping address this in a systematic way?

The proposed solution will involve cohesive working of various ecosystem participants and will be managed by Recykal with the overall program authority being the local government administration. The solution will leverage technology at all levels and use QR codes to enable end-to-end traceability and efficiency of material and money flows. The focus of the solution will be on items purchased by visitors from licensed retailers.

2.1. Implementation

The project is implemented in 2 phases.

Phase 1 - May to August 2022

Phase 1 started on 6th May 2022, following process was followed in the phase: -

- Phase location - Kedarnath shrine area
- Shopkeeper purchases QR code from Recykal and sticks it on the PET Water / Cold Drink / Beverage bottles being sold at the shops
- Citizens pay Rs.10/- extra for each bottle as a deposit

- After consuming water / cold drink / beverage, Citizens return the empty bottle at the collection centre and get back Rs.10/- deposit
- Number of Collection centre - 2

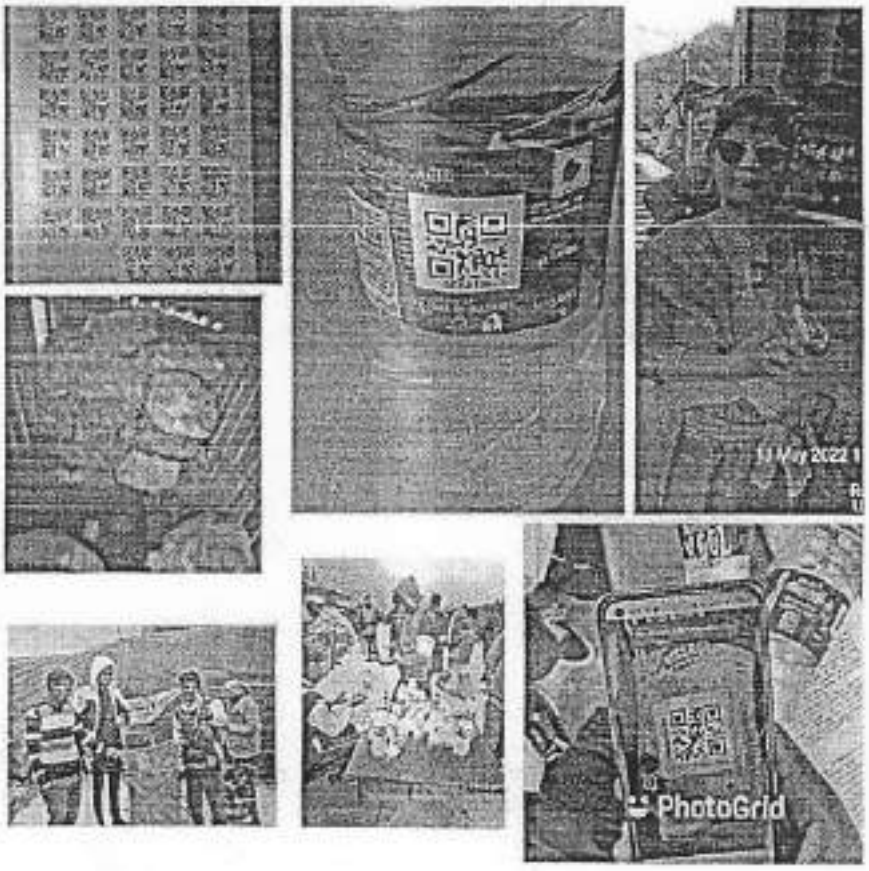

(L-R) Phase 1: QR Codes generated by Recykal; QR codes posted on bottles; Consumer purchases QR coded bottle; QR coded bottles returned to our collection centre; QR Code scanned through DRS mobile application to authenticate QR Code; Collected waste at our DRS collection centre; Collected waste from across 14 DRS collection centres.

Phase 2 - August to November

Phase 2 started on 15th August, following process was followed: -

- Phase location - Guptkashi to Kedarnath shrine area (33km)
- Shopkeeper purchases QR code from Recykal and sticks it on the PET Water / Cold Drink / Beverage bottles being sold at the shops
- The design of QR code labels is changed to create more impact on pilgrims
- Citizens pay Rs.10/- extra for each bottle as a deposit
- After consuming water / cold drink / beverage, Citizens now return the empty bottle at the collection centre and get back Rs.10/- as a deposit

- No of Collection centres - 14

(L-R) Phase 2 : Modified QR codes pasted; Pilgrim returning bottle at Recykal DRS collection centre; QR code scanned using Recykal DRS mobile application; validating QR code; deposit refund successfully paid

2.2. Stakeholders

2.2.1. Administration: Tehsil Ukhimath

Notification

Tehsil Ukhimath issued a notification to call shopkeepers mandating the sale of bottles with QR codes only. In Phase 2, the district administration at Rudraprayag mandated the area from Guptkashi to Kedarnath as a **'Plastic-Regulated Zone'**. This was a necessity to ensure every bottle is covered under the digital Deposit Refund System and citizens have an incentive to return the bottle instead of littering it.

Space Allocation

The Digital DRS operators were provided space to set up Deposit Refund Centers and plastic collection centers by the Tehsil.

Monitoring

Tehsil Ukhimath & the Rudraprayag District Administration conducted regular checks to ensure shopkeepers are selling QR-coded bottles only. The non-compliant shopkeepers were fined & local policies were passed to ensure its success. These checks ensure no malpractices in the implementation of the digital Deposit Refund System.

2.2.2. DRS Operator: Recykal

Recykal is an **end-to-end digital solutions provider** that enables the waste management and recycling value chain in India to promote more efficient and effective recyclable waste. Recykal's Closed-loop Deposit Refund System application enables streamlined disposal of waste at clearly defined geographical locations with restricted entry/exit points. Digital innovations like such have earned Recykal recognition as **Technology Pioneer** by the **World Economic Forum**.

Recykal sees an opportunity to derive value from collecting high-quality material via digitizing and streamlining the waste disposal process. All waste collected at the collection points will be owned by Recykal and sent for further processing.

Digital technology

Recykal has a suite of software applications to enable efficiency, transparency and traceability of all material and money flow in the digital deposit refund system.

Application for Recykal: A web application for use at the Recykal Head Office for the generation of QR codes and keeping track of the QR code lifecycle, transactions and material movement.

Application for Checkpost: A mobile application for the Checkpost agent to onboard shops, dispense QR code stickers and collect payments.

Application for Collection Points: A mobile application for the collection point agent for scanning and validating the QR stickers on the containers returned by the consumers and refunding the deposit amount to the consumers.

Application for Hub: A mobile application for the hub to keep a track of the material received from the collection points on a daily basis.

Dashboard for Government Authorities: A web application for the local government authorities to enable them to keep a track of the waste collections.

2.2.3. Commercial Establishments

The term commercial establishment will cover all establishments used for commercial purposes, such as a restaurant, retail store, supermarket, homestays, hotels, or any other establishment with a common business area. Following are the responsibilities: -

- Cooperate with Recykal for smooth operation of the project
- Educate pilgrims wherever required

2.2.4. Pittu

Pittu provides transportation to less abled people by carrying them on their back. Following are other responsibilities: -

- They also collect plastic waste as an extra source of income(incentives). Mainly collected from littered waste.

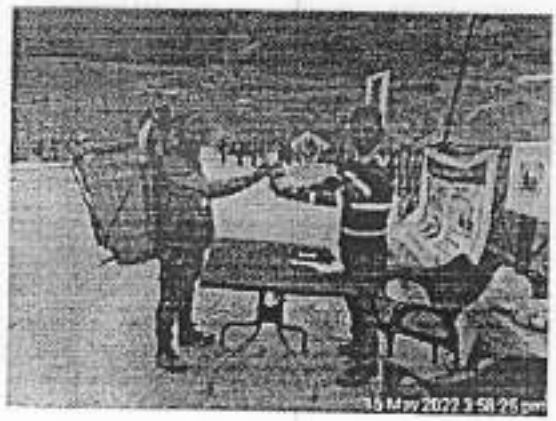

(L) Recykal staff explaining to the pittus on how the DRS collection system works, encouroging them to participate and generate additional income; (R) QR coded bottles returned to the collection centre by a pittu

2.2.5. Mule Transportation Service

- Provide transportation to less abled people by carrying them on mules
- These people take care of logistics of collected waste
- They also collect plastic waste as an extra source of income (incentives). Mainly collected from littered waste

2.2.6. Pilgrims/Tourists

People who visit Kedarnath shrine.

- Protect the environment by not littering
- Buy products which have QR code labels pasted on it
- Cooperate and follow the process

2.3. IEC Awareness

Recykal deployed a team of 15+ members to the designated geographic region (from Guptkashi to Kedarnath). This team conducted IEC activities to educate Trade Unions, the Taxi Association Guptkashi, and Hotel Associations of Guptkashi, Phata, Sitapur, Sonprayag, GauriKund & as well as pithuwalas and ghodiwalas on the digital DRS project, and distributed the QR codes for bottles in every establishment.

Recykal held several aggressive IEC along with support from DAR which:-

- Ensured pilgrims and shopkeepers become more sensitive to the issue of waste management and thus make a commitment to keep the environment clean and green
- Increased participation by citizens and local Pittu wala enabled efficient bottle collection. These bottles otherwise would have landed in the Mandakini River and other rivers flowing through these Himalayan ranges and polluting potable drinking water
- Recykal held various workshops to kick start the program with shopkeepers, distributors which would help them understand how the program will work in phases, solve their doubts, and help them wherever needed

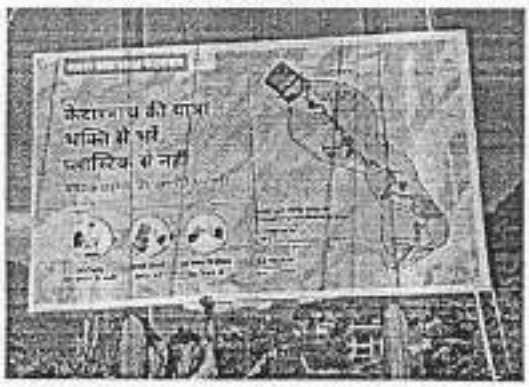

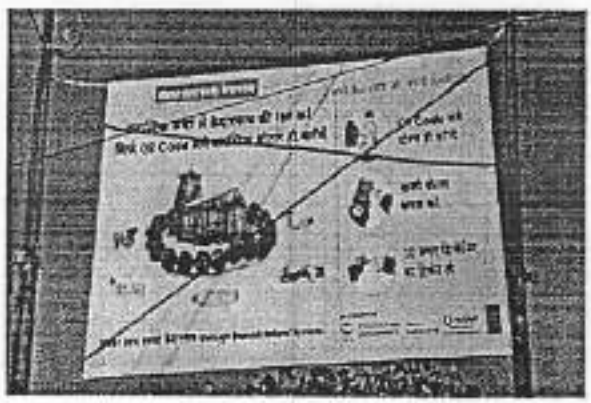

Awareness banners and broadcasting was widely implemented along the Kedarnath track

Awareness sessions conducted for the local stakeholders to educate them on the project implementation and the benefits of their participation.

Plastic bottle collection/Deposit Refund Centers

Initially, 3 collections were established to refund the citizen or any other person who returns the bottle. This was then scaled to 4 centres at the top of the trek and more at the base of Guptkashi & Sonprayag.

IEC Awareness at Schools

Awareness sessions conducted at schools to educated them on the DRS program and plastic waste management

2.4. Status of Project

2.4.1. Phase 1

- ✔ With great support from key stakeholders, Recykal was able to distribute QR codes to all the 65 shops at Kedarnath without a hassle.
- ✔ Recykal was able to set up 3 collection centers, known as a "**Deposit Refund Centre**", successfully and have witnessed consumers getting motivated to not litter, walking

In at our collection centers appreciating the effort of the Government and Recykal.

- ✔ Along with the support of the government Recykal was also able to conduct an aggressive IEC campaign and ensure the pilgrims and shopkeepers become more sensitive to the issue of waste management, thus making a commitment to keep the environment clean & green.
- ✔ The scheme has been able to generate an additional source of livelihood for Pittuwalas, Ghadiwalas, and Sulabh employees who have been able to bring back QR Code labelled bottles and obtain a free deposit in return.
- ✔ The local administration of Ukhimath intervened with non-cooperative shopkeepers and ensured the usage of QR Codes across all shops, thereby helping the field team in enforcing this scheme in the Kedarnath area successfully.
- ✔ With increasing participation by citizens and locals, the bottle collection percentage increased from close to 0-5% to 54%. These bottles otherwise would have landed in the Mandakini River and other rivers flowing through these Himalayan ranges and polluting drinking water.
- ✔ The collection activity carried out by various stakeholders has been detailed below. We can observe that the citizens, Pittuwalas, shopkeepers and locals helped to jointly collect recyclable material.

2.4.2 Phase 2

- ✔ With the support of the District Administration of Rudraprayag, Recykal was able to distribute QR codes to 673 business establishments from Guptkashi to the temple of Kedarnath.
- ✔ The number of Deposit Refund Centres also increased from 4 in Phase 1, to 12 deposit refund centres for Phase 2. The team on-ground witnessed many locals & tourists responsibly disposing of their plastic bottles & being motivated to prevent littering in the region.
- ✔ Along with the support of the government Recykal was also able to conduct aggressive IEC campaigns with the local Trade Unions, Taxi Association Guptkashi, Hotel Associations of Guptkashi, Phata, Sitapur, Sonprayag, Gaurikund, as well as pithuwalas and ghadiwalas to ensure pilgrims and shopkeepers become more sensitive to the issue of waste management, thus making a commitment to keep their environment clean & green.
- ✔ The scheme continues to generate an additional source of livelihood for Pittuwalas, Ghadiwalas, and sanitation workers who have responsibly gathered & returned QR-code labelled bottles and obtained the deposit in return.

- ✔ The District of Rudraprayag intervened to ensure the usage of QR Codes by mandating a local law, stating the region from Guptkashi to Kedarnath as a **'Plastic Regulated Zone'**; thereby helping the field team in enforcing this scheme successfully.
- ✔ Due to a heavy influx of tourists during season time, the increased participation by citizens, locals & authorities continues to increase the collection percentages of plastic bottles. These bottles would otherwise have landed in trenches around the region or flowed into the rivers of the Himalayan region; thereby polluting drinking water.
- ✔ With the joint effort of the district administration, tourists & locals, **Phase 2** (dt. August 15, 2022 - present) **enabled the recovery of 8644 plastic bottles** as of September 19, 2022. This means, **₹86,440** in total was refunded to the public. The sustainability impact of Phase 2 is as depicted below:
- ✔ So far, the sustainability impact of digital DRS implemented from Guptkashi to Kedarnath is as follows:

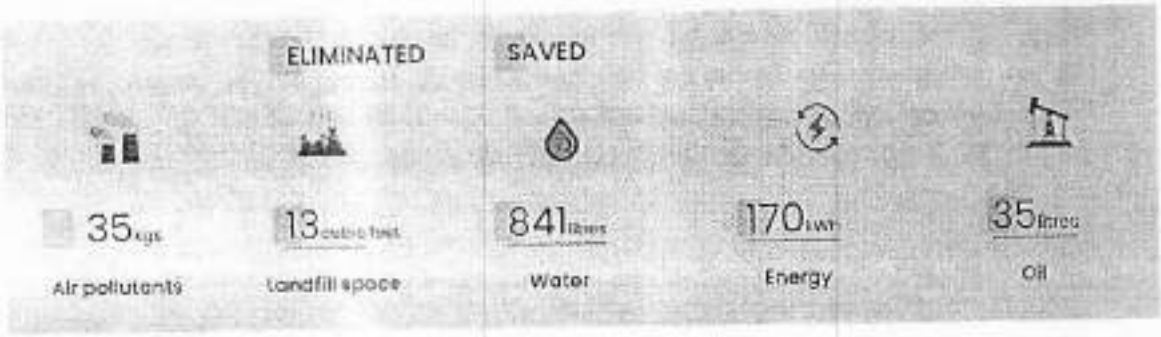

	Phase – 1	Phase – 2
Timeline	May – July 2022	August – October 2022
Area covered	Kedarnath	Guptkashi to Kedarnath
Shops	115	431
QR Codes	10,650	40,450
Refunded	3,231	4,586
Collection Counters	3	10
Local Employment	7	14

2.5. Feedback from Stakeholders

Feedback from Pittuwala

" 10 बोतल देने से म 100 पये कमा लेता ह,ूँ मुझे एक व त का खाना मु त म मल जाता है और साफ़ सफाई भी रहती है इसक मुझे ख़ुशी है " - **Ravi**

Feedback from Customer

" This scheme is really good because while I was coming from 14 kms I noticed a lot of plastic bottles and plastic wrappers. Plastic wrappers are really slippery so they're very dangerous, so this idea of collecting plastic bottles is really good, so people will just come and give plastic bottles and they get 10rs, this is a really good idea. If this system can be mandated with all shopkeepers it will give huge impact " -**Saloni Mishra**

Comments from District Administration: Tehsil Ukhimath

"Recyckal's DRS idea is a seed, we need to nourish it in the best possible way so that it can manifest itself into larger possibilities." - **Jitender Verma**, Sub-Divisional Magistrate, Ukhimath

2.6. Photo Gallery

2.6.1. Media

Business Standard

DRS system launched to incentivise plastic waste disposal at Kedarnath

LATEST NEWS

DRS featured in Business Standard

SAKSHI POST

See How Hyderabad based Start-up Recykal is Addressing Plastic Waste Disposal At Kedarnath Temple

Sakshi Post

Date of Publication	Publication	Publication Link
16 July	Business Standard	https://www.business-standard.com/article/current-affairs/drs-system-launched-to-incentivise-plastic-waste-disposal-at-kedarnath-122071600180_1.html

16 July	The Week	https://www.theweek.in/wire-updates/national/2022/07/16/des4-ukd-kedarnath-plastic-waste.html
16 July	Hans India	https://www.thehansindia.com/news/national/unique-system-to-incentivise-plastic-waste-disposal-at-kedarnath-753767
16 July	Dev Discourse	https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2111660-start-up-launches-drs-system-to-incentivise-plastic-waste-disposal-at-kedarnath
16 July	Latestly	https://www.latestly.com/agency-news/india-news-start-up-launches-drs-system-to-incentivise-plastic-waste-disposal-at-kedarnath-3956068.html
16 July	Know Plastics	https://knowplastics.org/deposit-refund-system-an-innovative-solution-to-reduce-plastics-pollution-in-kedarnath/
16 July	Tech Phoenix	https://techphoenix.in/drs-system-launched-to-incentivise-plastic-waste-disposal-at-kedarnath/
16 July	ESI Covered	https://esiliners.com/news/indnews/solidwaste/drs-system-launched-to-incentivise-plastic-waste-disposal-at-kedarnath-business-standard/
16 July	Urall News	https://uralinews.com/drs-system-launched-to-incentivise-plastic-waste-disposal-at-kedarnath/
16 July	Beam Start	https://beamstart.com/news/drs-system-launched-to-incentivise-16579517417689
16 July	The Hawk	https://www.thehawk.in/posts/Start-Up-Launches-DRS-System-To-Incentivise-Plastic-Waste-Disposal-At-Kedarnath/62d2e44c94825e29a08b5d5d
16 July	Press Bee	https://en.pressbee.net/show/1478912.html
17 July	Sakshi	https://english.sakshi.com/news/national/see-how-hyderabad-based-start-recykal-addressing-plastic-waste-disposal-kedarnath

2.6.2. IEC Collaterals

IEC Collaterals that served as visual reminder to prevent littering. These collaterals were in the form of posters, banners, etc.

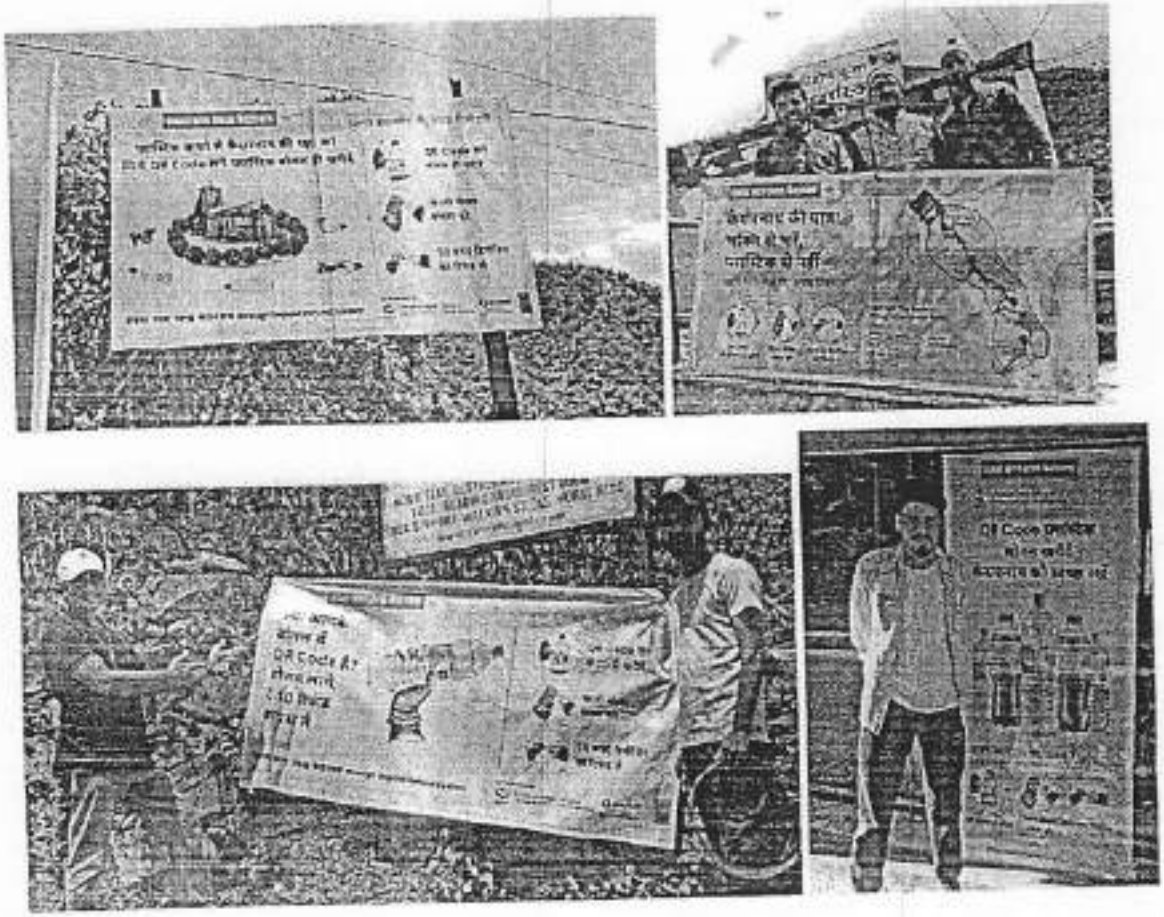

Some of the IEC collaterals in & around the Plastic-Regulated Zone.

2.6.3. DRS in Action at Kedarnath

The District administration deeming the area from Guptkashi to Kedarnath as a Plastic Regulated Zone.

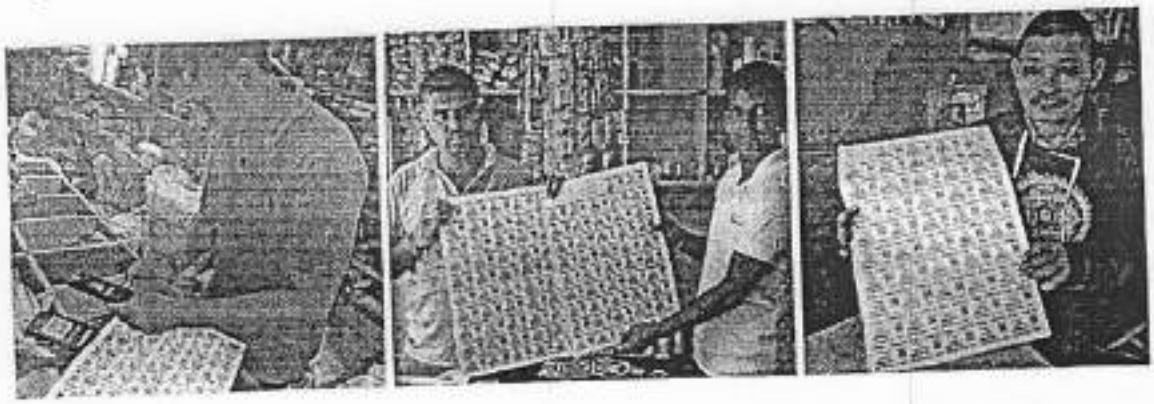

Local establishments purchasing QR codes to paste onto plastic bottles.

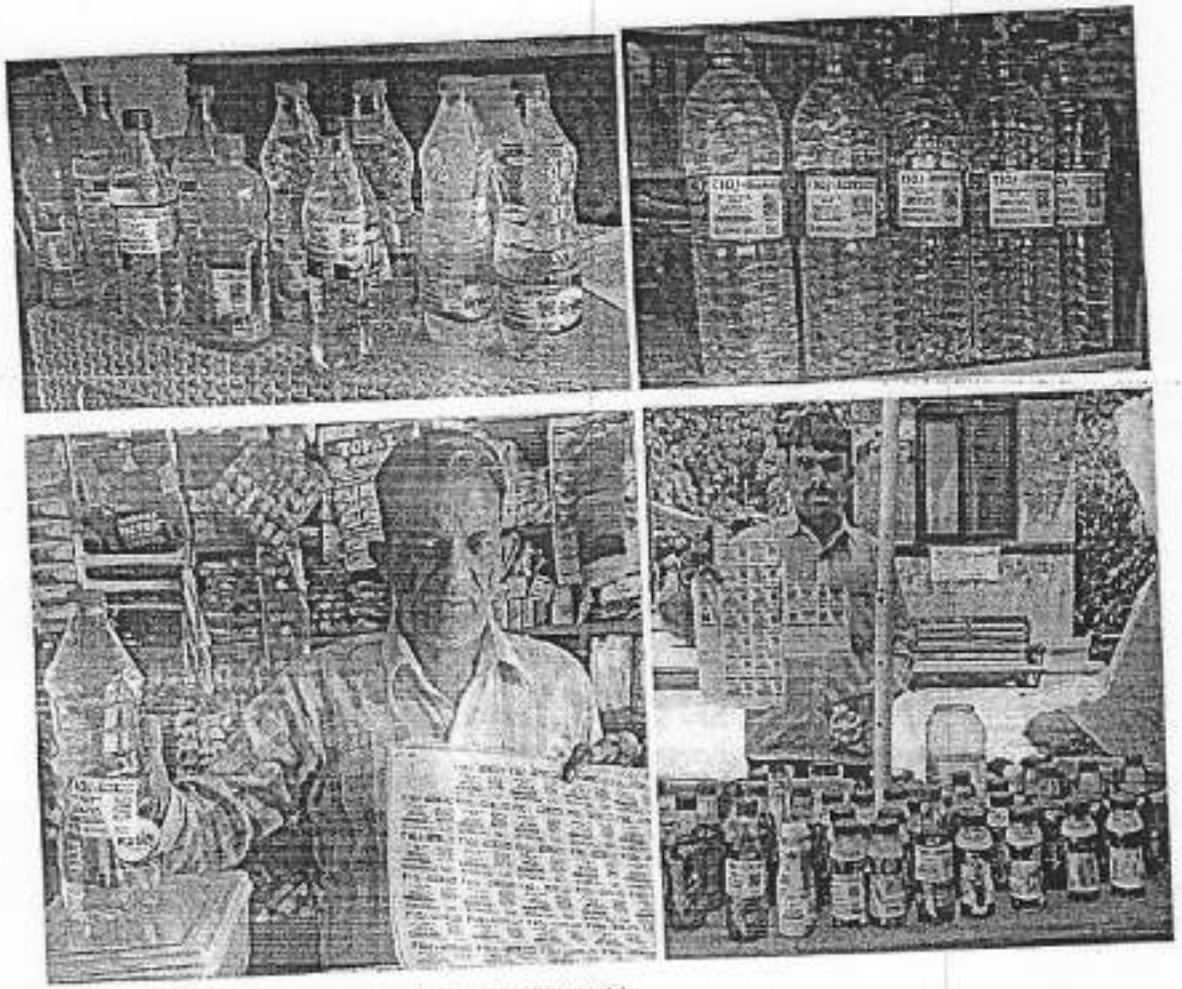

QR codes posted onto bottles before being sold.

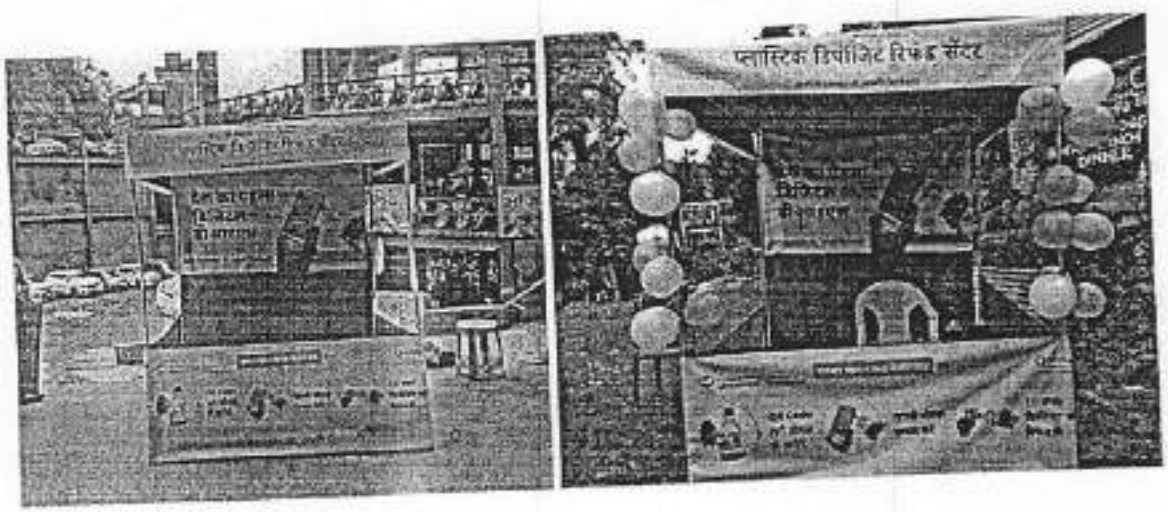

Some of the Deposit Refund Centres set up by Recykal

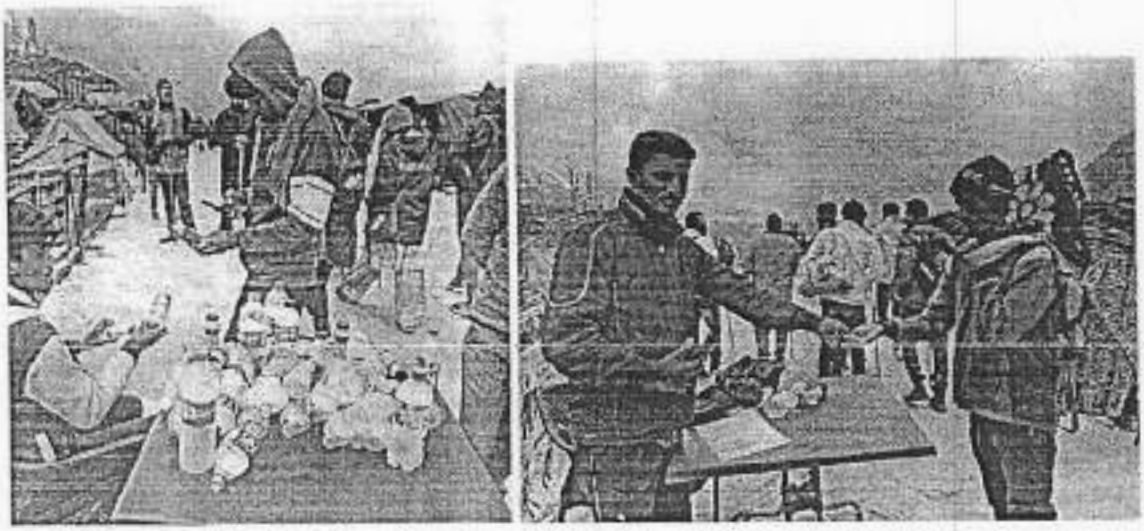

Locals & pithuwalas availing customers' refund for responsibly returning the plastic bottles.

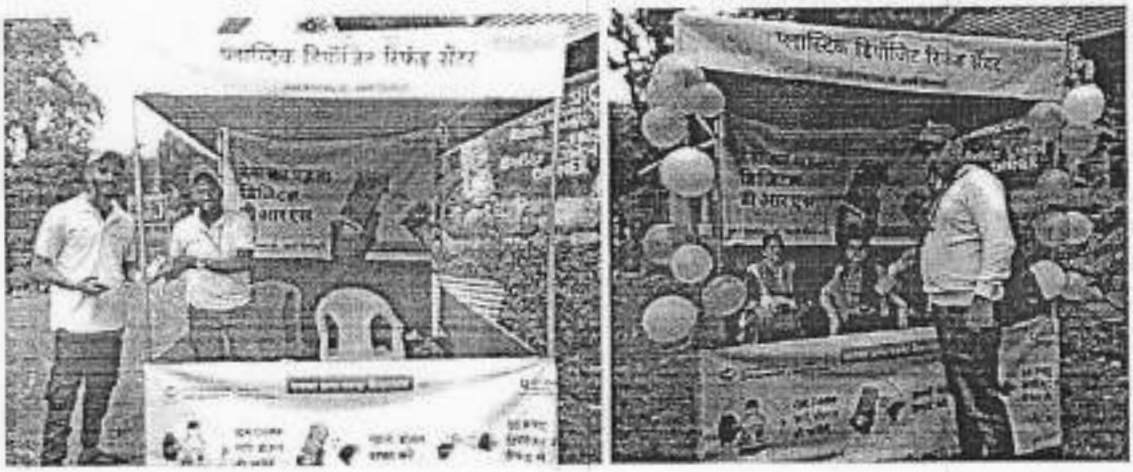

Tourists responsibly disposing their plastic bottles & getting their Green Deposit.

Locals collecting discarded plastic bottles to return at a Deposit Refund Centre.

3. DRS Deori Tal

DRS was implemented at the Deori Taal Vikas Mahotsav held on 19th August 2022. The one day event was held to engage all visitors to the mela

3.1. Status of Project

- 1000 QR codes distributed to stall owners
- Onboarded 16 stall owners
- 670 bottles refunded
- 2 collection counter

3.2. Feedback from stakeholders

Feedback from Customer

"This is a very good initiative to help reduce the plastic waste in our surroundings" - Krishna Pawar

3.3. Photo Gallery

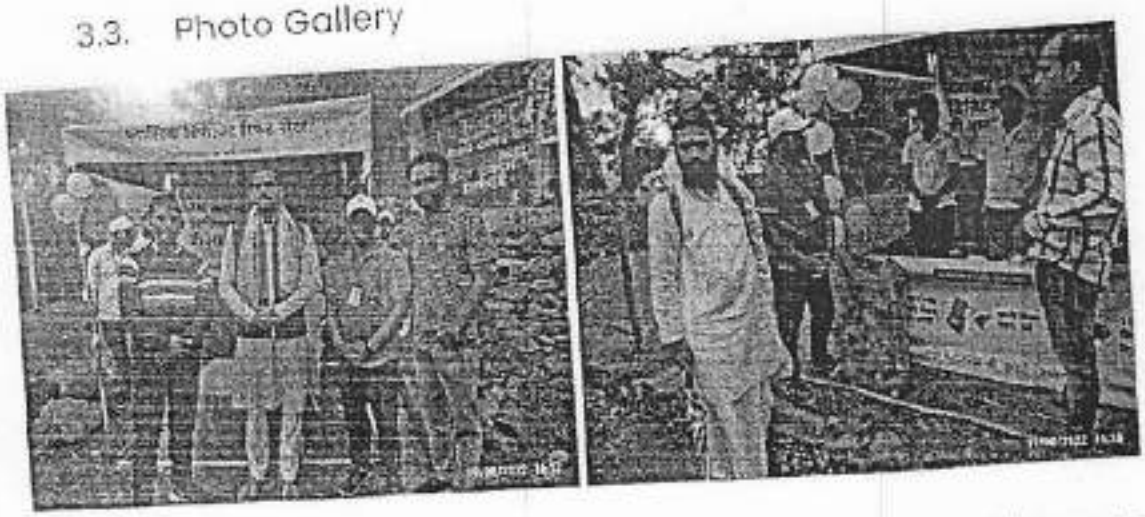

(L) Recykal DRS team with the local adhyaksh at the Deori Tal Vikas Mela (R) Recykal DRS team at the Collection centre with the SDM.

Customers returning the plastic waste for a refund, at Recykal Collection Centres

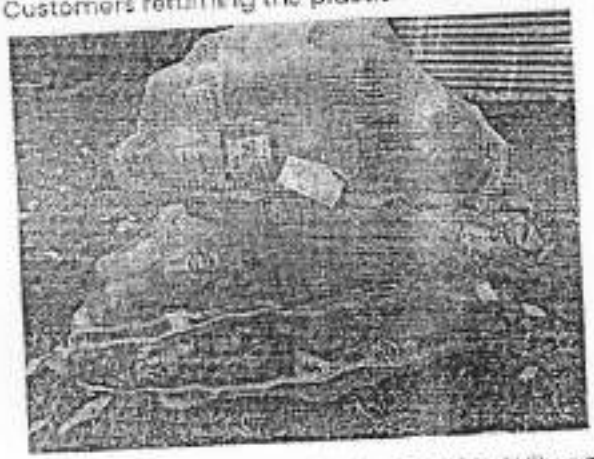

Plastic bottles collected at the Deori Tal Vikas mela held on 19th August 2022.

4. DRS Chopta

- DRS implementation - Makkubend – Dugalbetti – Baniya Kund – Chopta (dist 15km)
- Chopta can be accessed through Rudraprayag (Mostly accessed) & Gopishwar Chamoli (this route is shut during winters)
- People visiting kedarnath drive through chopta to visit tungnath and then make way to badrinath
- Open all year round with peak footfall May-June and October to December
- Key attractions
    - Tungnath temple
    - Chandrashila lake
    - Camping
- Chopta is on the border of rudraprayag district - beyond chopta is Chamoli district

4.1. Implementation Plan

A grand launch of DRS in Chopta on 15th december 2022 was received well by local shop owners, mule owners, forest officials and the local trade and taxi union members

Shopkeepers and resort owners were called in to collect the QR sheet to be pasted on PET bottles (10rs), oil bottles (10rs), Prasad packets (10rs), raincoats (5x10rs)

The immediate response from consumers was positive – but with a few questions raised (highlighted in challenges)

4.2. Stakeholders

The stakeholders identified are

4. DRS Chopta

- DRS implementation - Makkubend – Dugalbetti – Baniya Kund – Chopta (dist: 15km)
- Chopta can be accessed through Rudraprayag (Mostly accessed) & Gopishwar Chamoli (this route is shut during winters)
- People visiting kedarnath drive through chopta to visit tungnath and then make way to badrinath
- Open all year round with peak footfall May-June and October to December
- Key attractions
    - Tungnath temple
    - Chandrashila lake
    - Camping
- Chopta is on the border of rudraprayag district - beyond chopta is Chamoli district

4.1. Implementation Plan

A grand launch of DRS in Chopta on 15th december 2022 was received well by local shop owners, mule owners, forest officials and the local trade and taxi union members

Shopkeepers and resort owners were called in to collect the QR sheet to be pasted on PET bottles (10rs), oil bottles (10rs), Prasad packets (10rs), raincoats (5x10rs)

The immediate response from consumers was positive – but with a few questions raised (highlighted in challenges)

4.2. Stakeholders

The stakeholders identified are:

- Trade Unions
- District Administration
- Gram Panchayat
- Hotel Unions
- Taxi Unions
- Ghoda/Khachhar union

4.3. IEC Awareness

As of date no IEC awareness sessions have been conducted, since the project is under its pilot phase. However, the stakeholders were made aware of the project, plan and implementation at the inaugural of DRS Chopta on 15t September 2022.

4.4. Status of Project

- 11,100 QR codes distributed to shop owners
- Onboarded 55 shops
- 130 bottles refunded
- 1 collection counter[1]
- 2 local staff employed

4.5. Photo Gallery

4.5.1. Media

अब चोपता और तुंगनाथ में भी क्यूआर कोड लगा पानी और खाना बिकेगा

15 से योजना होगी लागू, डिपोजिट सेंटर पर जमा होंगी खाली बोतलें

संवाद न्यूज एजेंसी

ऊखीमठ। रुद्रप्रयाग के बाद अब पर्यटक स्थल चोपता और तुंगनाथ क्षेत्र में भी क्यूआर कोड लगी पानी की बोतलें और खाने का सामान मिलेगा। वाहनों पर बिना क्यूआर कोड लगे बोतल और खाने का सामान नहीं ले जा सकेंगे। प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए प्रशासन, व्यापार मंडल और हिमाद्रिकल संस्था 15 सितंबर से इसे लागू करेंगे।

मनियारकुंड से चंद्रशिला तक सर्वाधिक पर्यटक पहुंचते हैं जबकि

प्लास्टिक के कचरे से निजात मिलेगी

दीनबंधु में तुंगनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं और प्लास्टिक कचरा वहीं छोड़ जाते हैं। प्लास्टिक कचरे से निजात पाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने व्यापार मंडल चोपता और हैदाकोट की हिमाद्रिकल संस्था के साथ संयुक्त कार्ययोजना बनाई है। मनियारकुंड से तुंगनाथ तक 20 दुकानदारों के साथ अनुबंध किया गया है जिनके पास क्यूआर कोड

लगे पेय व खाद्य पदार्थ होंगे। इनके सामान खरीदने पर 10 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे और डिपोजिट सेंटर पर प्लास्टिक का सामान लौटा देने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

व्यापार मंडल चोपता के अध्यक्ष सुरेंद्र मैठाणी ने सभी व्यवसायियों और पर्यटकों से सहयोग की अपील की। उपजिलाधिकारी एसडीएम डिंपल वर्मा ने कहा कि डीआरएम एप की मदद से प्रत्येक दिन की क्यूआर कोड पैकेट व खाने योग्य पदार्थों की बिक्री व खाली बोतलों की वापसी का आंकड़ा भी पता चल जाएगा।

प्लास्टिक बंद पदार्थों पर क्यूआर कोड लागू

[1] Collection centres to be increased as per the feedback received from the pilot stage

DRS featured in local newspaper

Date of Publication	Publication	Link
15 Sept	Dastak Pahadi	http://dastakpahadi.co.in/28514/
15 Sept	Pahad Raftar	https://pahadraftar.com/dham-mein-bakalon-per-qr-code-jari-kar-diya-gaya/
15 Sept	Hill Vani	https://hillvani.com/qr-code-applicable-in-all-business-establishments-of-tungnath-valley/

4.5.2. Onsite images

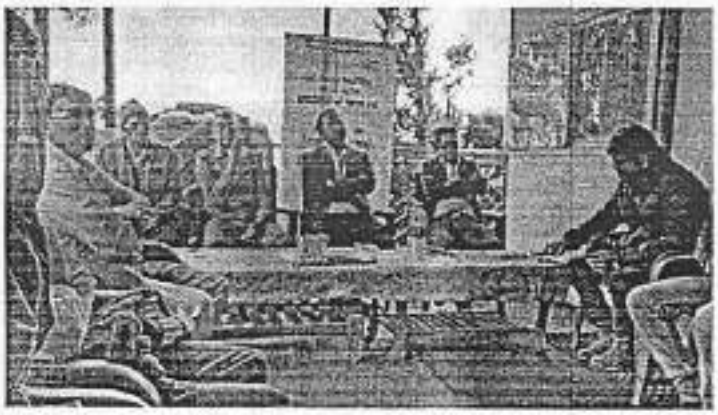

Inauguration day - Recykal, Adhyaksh Vyapar Sangh, Chopta and DAR explaining importance of DRS program to local people of Chopta

Distribution of QR stickers to shopkeepers by Recykal

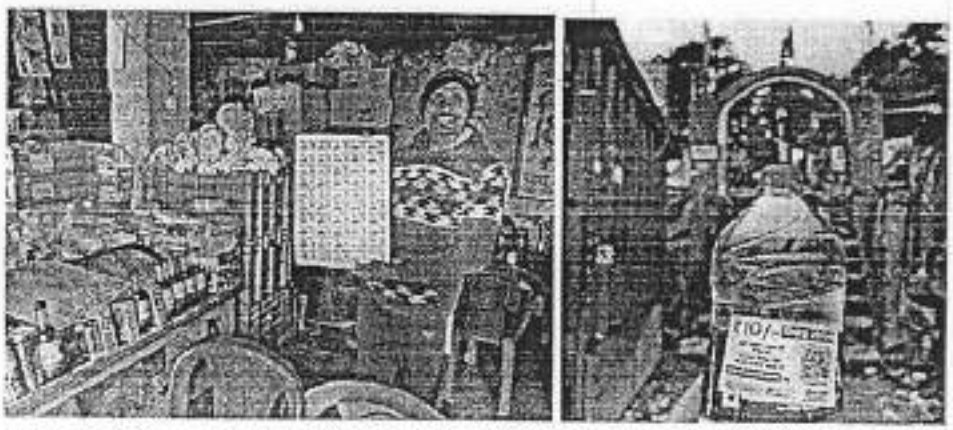

QR codes pasted onto bottles before being sold

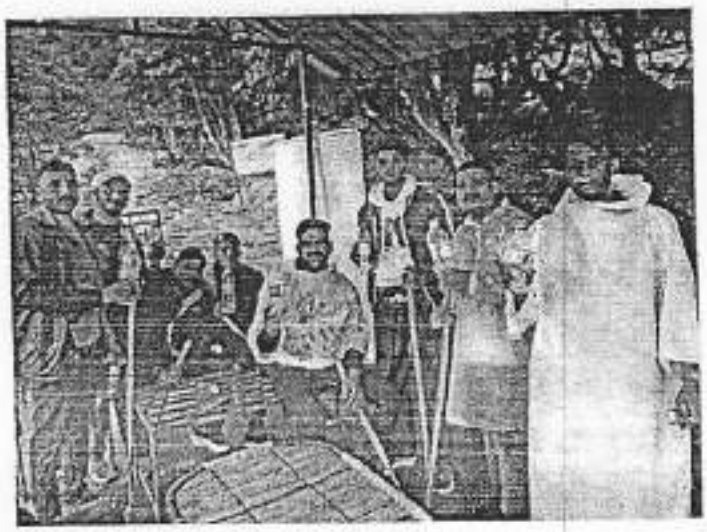

Pilgrims returning the plastic waste for a refund, at Recykal Collection Centres

ANNEXURE-22

25939

प्रेषक,

व्यवस्थाः प्रभारी
सुलभः इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)।

विषयः <u>ठोस अवशिष्ट/प्लास्टिक पदार्थ एवं लीद निस्तारण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपसे हुई चर्चा के क्रम में श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में ठोस अवशिष्ट/प्लास्टिक पदार्थ एवं लीद निस्तारण कार्य संस्था द्वारा नियमित रूप किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में अभी तक दिनांक 12 मई 2023 को 5.25 टन, दिनांक 06.06.2023 को 1.52 टन एवं दिनांक 24.07.2023 को 2.93 टन इस प्रकार कुल 9.70 टन अवशिष्ट/प्लास्टिक पदार्थ कॉम्पैक्ट कर रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है (पावती की छायाप्रति संलग्न)। जिसका सुगतम रिसाइक्लिंग कम्पनी के द्वारा नगर पंचायत, केदारनाथ को किया जाता है एवं अभी तक 3000 टन लीद निस्तारण किया जा चुका है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

<u>संलग्नः</u> उपरोक्तानुसार

भवदीय

29/07/23

प्रभारी
सुलभः इण्टरनेशनल सोशल
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

25940

Sulabh International Social Service Organisation
Uttarakhand State Branch, Dehradun

Road Sweeping Work At Shri Kedarnath Paidal Yatra Marg, Distt- Rudraprayag.

S.NO.	Particular	Scope of Work	
		Caretaker	Supervisor
A	Road Sweeping Work		
	Pre approved Caretaker/Supervisor	336	30
	Additional Caretaker/Supervisor	54	-
	Total	390	30
	Garbage/Solid Waste/Plastic & Mule Excreta (Dung) Disposal Work		
	Collected garbage/Solid Waste/Plastic is compacted by reaching it in the compactor mechanical device located at Sonprayag. (Photographs attached)		
	In Shri Kedarnath Paidal Yatra Route the mule excreta (dung) is collected by labours and disposed of in the pits built there.		
	Collected mule excreta (dung) from Gaurikund Ghodapadhav, Sonprayag Ghodapadhav is transported by trucks to Dumping Zone Rampur. (Photographs attached)		
	Cleaning and maintenance of toilets (Steel Frame Toilet-221 Seats, Permanent Sulabh Toilets-193 Seats)on the Shri Kedarnath Yatra route is done regularly by the Sulabh organisation during the entire		
B	Toilet Cleaning & Maintenance Work		
	Permanent Sulabh Toilet Complexes	193 Seats	
	Steel Frame & Temporary Flexi Toilets	235 Seats	

सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन
उत्तराखण्ड राज्य शाखा, देहरादून

श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में सफाई कार्य, छोटा अवशिष्ट/प्लास्टिक एवं खच्चर लीद निस्तारण कार्य का विवरण।

क्र0 सं0	पैदल यात्रा मार्ग का नाम	स्वीकृत आदेश संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	व्यय राशि	कार्यकारियों की संख्या	सफाई कार्य में उपयोग होने वाले सामान एवं पीट	अभियुक्ति
1	सीतापुर पार्किंग से गौरीकुण्ड घोड़ापड़ाव तक (क्षेत्रफल 8.50 लाख वर्गफीट)	स्वतन्त्रादेश सं0 TS-1-BUD/16/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र सं0 7943/2-7-27/2022-23 दिनांक 26.01.2023	1,99,57,000	30,13,000	91,92,795	सेक्टरवाईज :7+17= 88 सुपरवाईजर : 08	1. कुमट्टोली (7 नग) 2. हैण्डट्रोली (17 नग) 3. डस्टबीन (240 सी0–13 नग, 150 सी0–13 नग, 120 सी0–4 नग) पीट–(गौरीकुण्ड–2 पीट, सी0सी0 चबूतरा निर्मित, क्षमता 6000 लीटर)	1–छोटा अवशिष्ट/प्लास्टिक एकत्रीकरण एवं डिस्पोजल :– सफाईकर्मियों के द्वारा दो पालियों में प्रातः तथा सायं, पैदल मे छोटा अवशिष्ट/प्लास्टिक को कूड़ादानी, कूड़ादान, डस्टबीन में उपलब्ध कराये–गये कूड़ादान से एकत्रित कर कूड़ा वाहन एवं खच्चर द्वारा सोनप्रयाग स्थित सॉलिड वेस्ट के लगाये पॉलीपेक्ट कर दिया जाता है। 2–खच्चर लीद एकत्रीकरण एवं निस्तारण :– सफाईकर्मियों द्वारा प्रातः तथा सायं, पैदल मे खच्चर लीद को हैण्ड ट्रोली एवं बैग में एकत्रित कर पीट में एकत्रित किया जाता है। जिसे पीट पाक होने के उपरान्त खच्चरों एवं वाहन द्वारा सोनप्रयाग स्थित डम्पिंग साईट में भेज दिया जाता है
2	गौरीकुण्ड घोड़ापड़ाव से जंगलचट्टी तक (क्षेत्रफल 3.50 लाख वर्गफीट)	स्वतन्त्रादेश सं0 TS-1-BUD/20/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र सं0 7576/2-7-27/2022-23 दिनांक 14.03.2023	3,81,69,000	1,53,67,000	1,74,40,160	सेक्टरवाईज :110+10= 120 सुपरवाईजर : 08	1. कुमट्टोली (9 नग) 2. हैण्डट्रोली (9 नग) 3. डस्टबीन (240 सी0–7 नग 150 सी0–7 नग, 120 सी0–3 नग) 4. पीट– (मैनकाइन्ड–2 पीट, सी0सी0 ऑफ निर्मित क्षमता 7500 लीटर)	

27/07/23

Sulabh International
Social Service Organisation
Uttarakhand State Branch Dehradun
H No. 852, Indira Nagar, Phase-2
...249206 (U.K)

क्रम सं0	कैचमेन्ट एरिया कार्य का नाम	प्रशासनादेश संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	व्यय राशि	सफाईकर्मियों की संख्या	सफाई कार्य में उपयोग होने वाले उपकरण एवं पीट	अभियुक्ति
3	जंगलचट्टी से रामगाड़/छोटी खिन्दोली तक (लम्बाई 9.70 लाख कन्टीजेंट)	प्रशासनादेश सं0 TS-1-BUD/19/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022	8,75,01,000	2,50,86,000	3,70,87,307	केयरटेकर 85+7= 92 सुपरवाईजर : 08	1. कूड़ाट्रॉली (6 नग) 2. हैण्डट्रॉली (9 नग) 3. डस्टबीन (240 लीO-7 नग, 150 लीO-7 नग, 120 लीO-4 नग) 4. पीट- (पैरलक्शिटर-2 पीट, पीवीसी वाटर टैंक, क्षमता 7600 लीटर)	1-ग्रीन अवशिष्ट/प्लास्टिक एकत्रीकरण एवं डिस्पोजल :- सफाईकर्मियों के द्वारा दो श्रमिकों से युक्त दो ग्रीन अवशिष्ट/प्लास्टिक को कूड़ाट्रॉली, कूड़ाबीन, डस्टबीन से उठाकर कच्चे-पक्के कूड़ाबीन में एकत्रित कर उपरान्त एक श्रमिकों द्वारा गौरीकुण्ड एवं गौरीकुण्ड से फूटा वाहन एवं सफाई द्वारा सोनप्रयाग स्थित कैचमेन्टवार में लाकर कॉम्पेक्ट कर डिसाइक्लिंग हेतु भेजा जाता है। 2-ब्लैक वेस्ट एकत्रीकरण एवं डिस्पोजल :- सफाईकर्मियों के द्वारा कच्चे, रामगाड़, चेल्ला से डस्टबीन एवं हैण्ड ट्रॉली एवं बैग में डस्टबीन पीट में एकत्रित किया जाता है। जिसे भीड़ कम होने के उपरान्त एकत्रित एवं श्रमिकों द्वारा गौरीकुण्ड एवं गौरीकुण्ड से फूटा वाहन द्वारा रामपुर स्थित डम्पिंग यार्ड में भेज दिया जाता है।
4	रामवाड़ा/छोटी खिन्दोली से श्री केदारनाथ तक (लम्बाई 3.00 लाख कन्टीजेंट)	प्रशासनादेश सं0 TS-1-BUD/21/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र सं0 1977/2-7-21/2022-20 दिनांक 14.03.2023	3,91,22,000	1,57,36,000	1,77,80,270	केयरटेकर 70+20= 90 सुपरवाईजर : 08	1. कूड़ाट्रॉली (3 नग) 2. हैण्डट्रॉली (9 नग) 3. डस्टबीन (240 लीO-6 नग, 150 लीO-6 नग, 120 लीO-3 नग) 4. पीट-(केदारनाथ गोड़ाकाट्रा-2 पीट, क्षमता 12500 लीटर, पैरलक्शिटर-2 पीट, क्षमता 10000 लीटर, पीवीसी वाटर टैंक)	

1. सफाईकर्मियों के द्वारा दैनिक रूप से साफ-सफाई करने के उपरान्त डिस्पोजल (पैरलक्शिटर पाउडर, सोडियम पाउडर, क्लिनाईल, पैरलक्शिल पाउडर) का छिड़काव किया जाता है एवं पीट में एकत्रित कच्चर लीद में ओ0डी0सी0 का डिसपोज किया जाता है।

2. डिसेन्ट्रल वास्ते कार्यों के रामपुर डम्पिंग यार्ड (सफाईकर्मी-30, सुपरवाईजर-4) में एकत्रित (अभी तक 3000 टन) किये गये कच्चर लीद को Dhal Waste Management Team के द्वारा निस्तारित किया जाता है। कुछ मात्रा में ट्रेंच भरने में ईंधन के रूप प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है।

3. अभी तक दिनांक 12 मई 2023 को 5.25 टन, दिनांक 06.06.2023 को 1.52 टन एवं दिनांक 24.07.2023 को 2.90 टन तथा योग कुल 9.70 टन अवशिष्ट/प्लास्टिक पदार्थ कॉम्पेक्ट कर रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। जिसका भुगतान रिसाइक्लिंग कम्पनी के द्वारा नगद कराया, केदारनाथ करे किया जाता है।

Sulabh International
Social Service Organization
Uttarakhand State Branch Dehradun
H.No. 852, Indira Nagar, Phase-2
Pin-248006 (U.K)

25943

सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन
उत्तराखण्ड राज्य शाखा, देहरादून

श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पर्यावरण
मित्रों द्वारा कराये जा रहे सफाई कार्य का
फोटोग्राफ।

केदारनाथ बेस कैम्प

दिनांक 24.04.2023

केदारनाथ हेलीपैड

दिनांक 25.04.2023

25945

केदारनाथ बेस कैम्प

रुद्राप्वांइट

केदारनाथ बेस कैम्प

दिनांक 27.04.2023

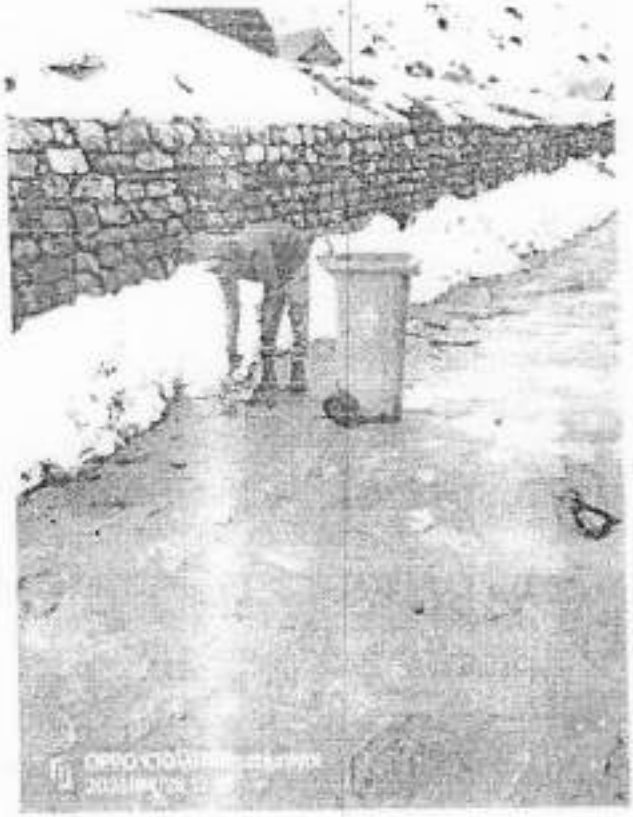

केदारनाथ

दिनांक 29.04.2023

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

दिनांक 02.05.2023

केदारनाथ हाट बाजार

दिनांक 04.05.2023

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

दिनांक 04.05.2023

दिनांक 10.05.2023

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

25949

केदारनाथ घोड़ा पडाव दिनांक 11.05.2023

केदारनाथ घोड़ा पडाव दिनांक 12.05.2023

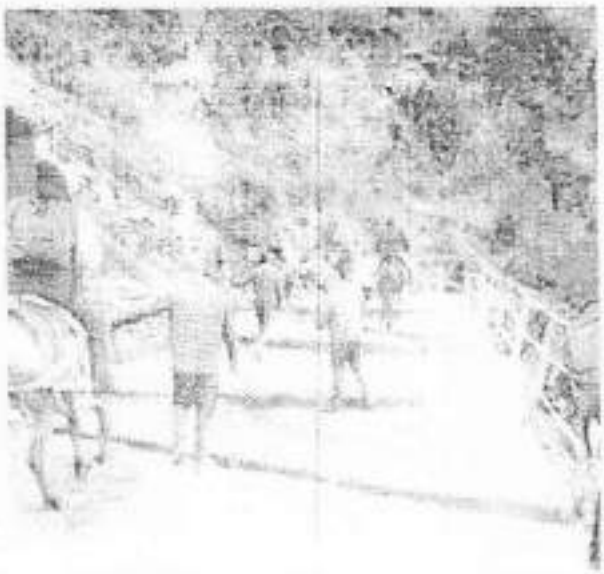

25950

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

दिनांक 15.05.2023

केदारनाथ

दिनांक 16.05.2023

दिनांक 18.05.2023

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

रुद्रप्रयाग

दिनांक 20.05.2023

दिनांक 21.05.2023

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

दिनांक 25.05.2023

बेस कैम्प

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

दिनांक 26.05.2023

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

दिनांक 27.05.2023

25954

दिनांक 29.05.2023

केदारनाथ घोडा पड़ाव

केदारनाथ घोडा पड़ाव

दिनांक 29.05.2023

केदारनाथ

दिनांक 02.06.2023

केदारनाथ

दिनांक 02.06.2023

केदारनाथ घोड़ा पड़ाव

दिनांक 04.06.2023

केदारनाथ

दिनांक 06.06.2023

केदारनाथ बेस कैम्प

दिनांक 06.06.2023

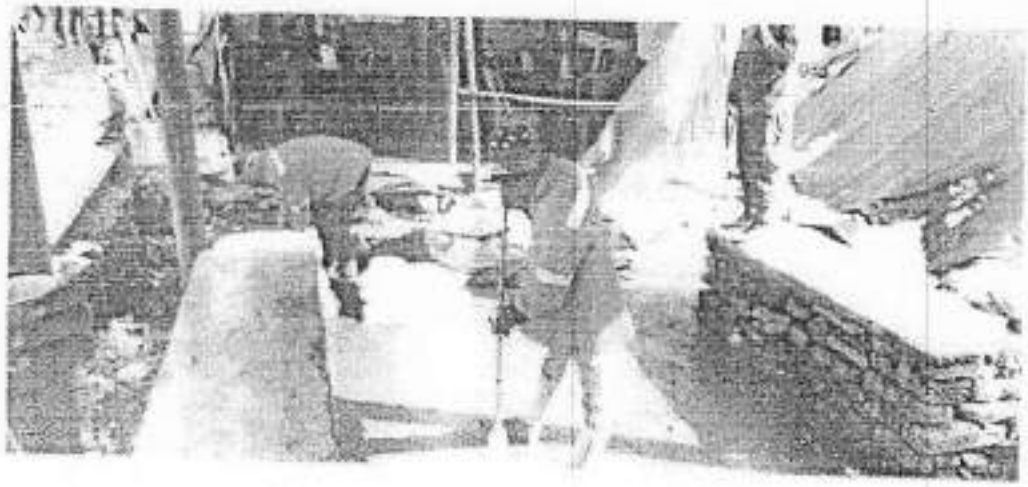

रुद्राप्वांइट

दिनांक 06.06.2023

25958

केदारनाथ

दिनांक 07.06.2023

केदारनाथ

दिनांक 04.05.2023

केदारनाथ

दिनांक 08.06.2023

भैरव ग्लेशियर

दिनांक 08.06.2023

बड़ी लिन्चोली

दिनांक 09.06.2023

बड़ी लिन्चोली

दिनांक 09.06.2023

भीमवली

दिनांक 09.06.2023

भीमवली

दिनांक 09.06.2023

भीमवली नया रास्ता

दिनांक 10.06.2023

भीमवली बाजार

दिनांक 10.06.2023

भीमवली

दिनांक 10.06.2023

जगलचट्टी

दिनांक 10.06.2023

दिनांक 11.06.2023

जंगलचट्टी

दिनांक 11.06.2023

गौरीकुण्ड नेपाली बाजार

दिनांक 11.06.2023

गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव मार्ग

गौरीकुण्ड गेट के पास

दिनांक 12.06.2023

दिनांक 12.06.2023

घोडा पडाव गौरीकुण्ड

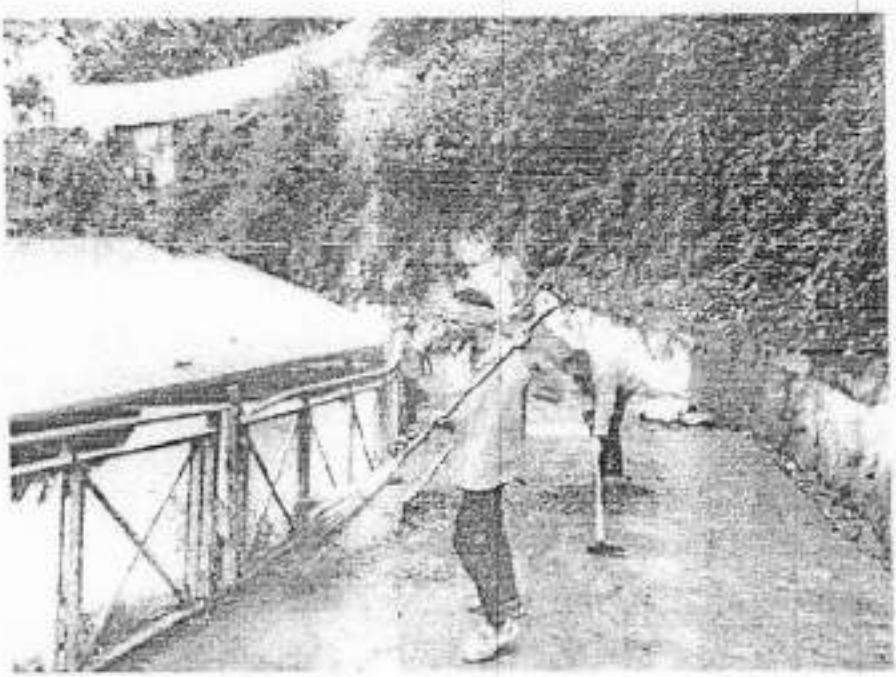

गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव मार्ग

दिनांक 13.06.2023

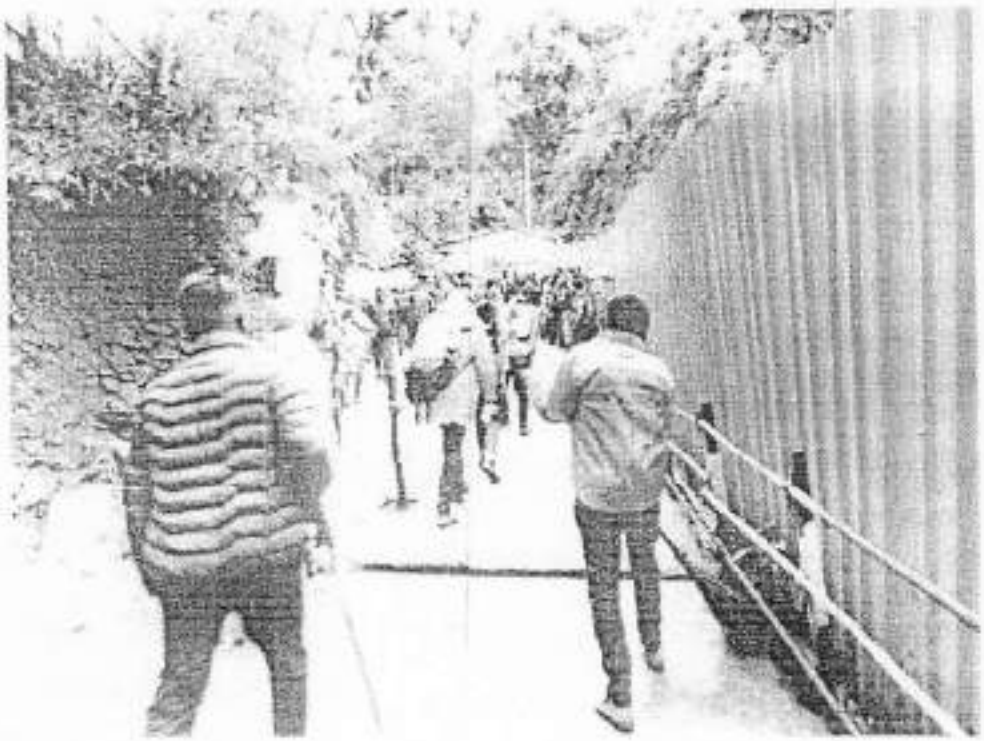

गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव

दिनांक 13.06.2023

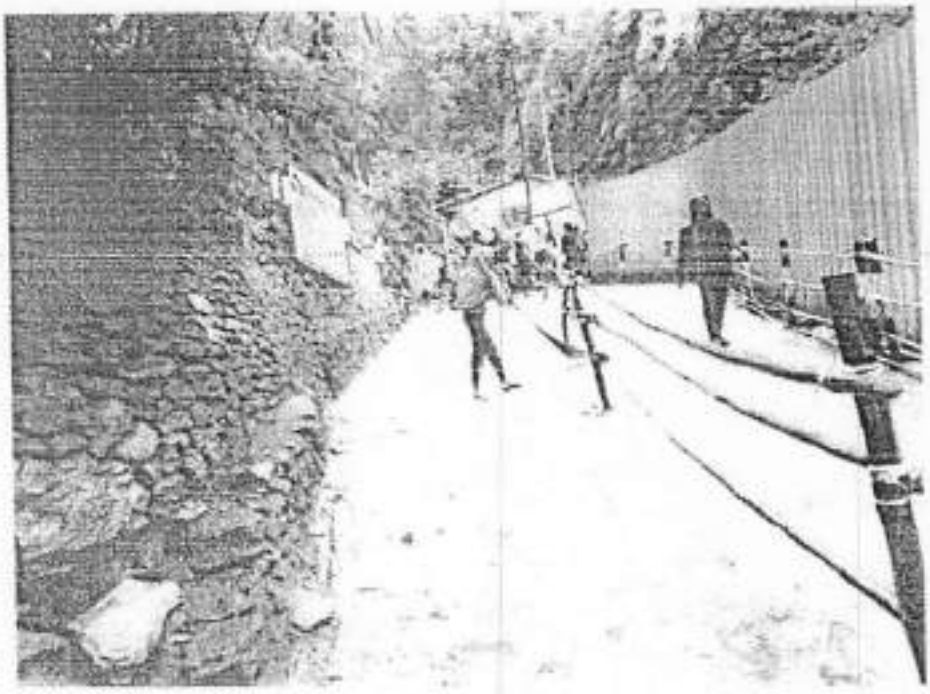

प्रीपेड काउन्टर गौरीकुण्ड

दिनांक 14.06.2023

दिनांक 14.06.2023

गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव

गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव

दिनांक 14.06.2023

गौरीकुण्ड बाजार

दिनांक 14.06.2023

छौरी हैलीपैड से ऊपर

दिनांक 14.06.2023

25970

सोनप्रयाग

दिनांक 14.06.2023

श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पर्यावरण मित्रों द्वारा एकत्रित किये गये लीद निस्तारण कार्य का फोटोग्राफ।

सोनप्रयाग

दिनांक 25.06.2023

दिनांक 25.06.2023

गौरीकुण्ड

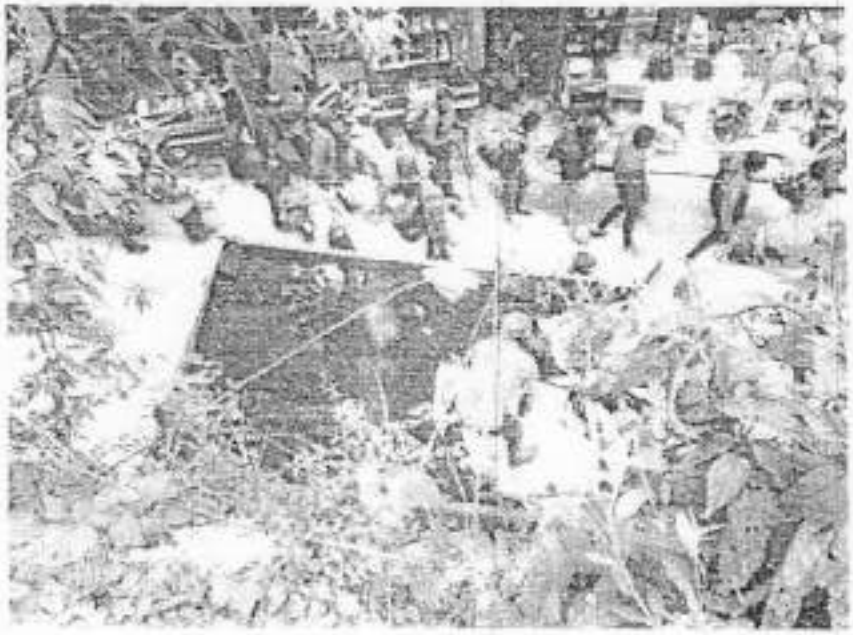

दिनांक 25.06.2023

दिनांक 25.06.2023

सोनप्रयाग

दिनांक 25.06.2023

सोनप्रयाग

25974

गौरीकुण्ड

दिनांक 25.06.2023

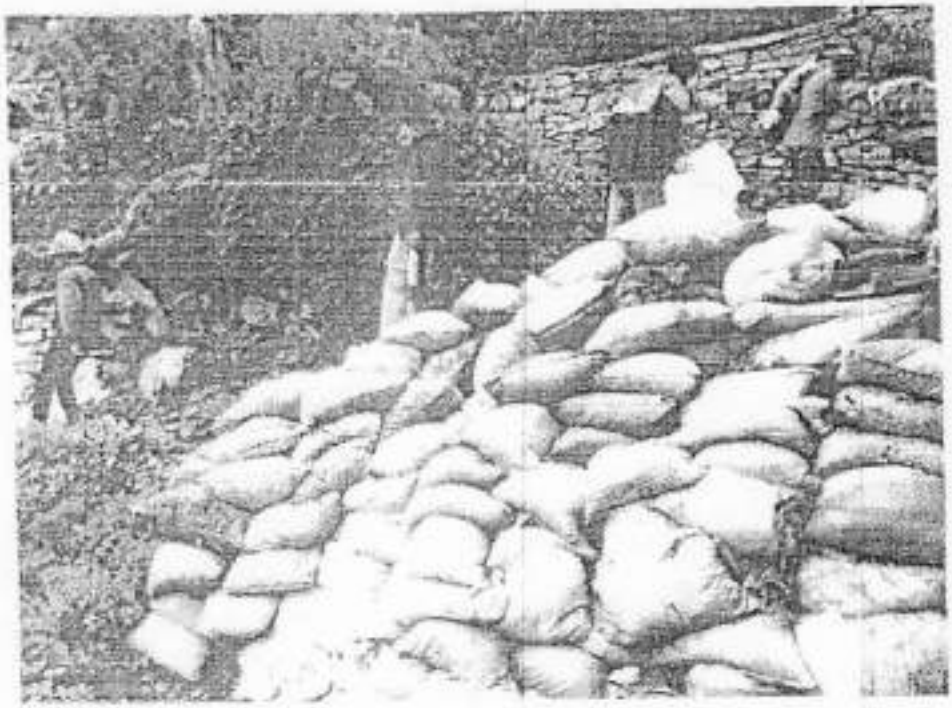

प्रेषक,

व्यवस्था प्रभारी
सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य विकास अधिकारी
रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)।

विषय: कन्टेम्प्ट पिटीशन सं0–209/2023 गौरी भौलेखी बनाम डी0 सौरव गहरवार के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्र सं0 1018/यात्रा व्यवस्था सेल/2023–24 दिनांक 04 सितम्बर 2023

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्र सं0 1017/यात्रा व्यवस्था सेल/2023–24 दिनांक 04 सितम्बर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा श्री जगदीश सिंह, स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 16.08.2023 के क्रम में श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता के उचित प्रबन्धन एवं निपटान के लिए विकसित किये गये विशेष तंत्र तथा लूछा–कलकट, खच्चरों की लीद का कलेक्शन/निस्तारण आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण फोटोग्राफ्स एवं Diagram सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्था द्वारा श्री केदारनाथ यात्रा व्यवस्था में साफ–सफाई कार्य हेतु खच्चरों की लीद कलेक्शन/निस्तारण, लूछा–कलकट आदि का विवरण एवं फोटोग्राफ्स तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

05/09/23

प्रभारी
सुलभ इन्टरनेशनल सोशल
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
उत्तराखण्ड राज्य शाखा, देहरादून

गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों से एकत्रित ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक का विवरण

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण केन्द्र का नाम	एकत्रित ठोस अपशिष्ट/ प्लास्टिक की मात्रा (टन में)	निस्तारण हेतु गौरीकुण्ड भेजा गया ठोस अपशिष्ट/ प्लास्टिक की मात्रा (टन में)	विवरण की कार्यवाही हेतु नियुक्त कर्मियों की संख्या	गौरीकुण्ड से एकत्रित ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक को ट्रक के माध्यम से गोचरधाम पहुँचाया (टन में)
1	25.04.2023 से 12.05.2023	गौरीकुण्ड से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों के एकत्रित ठोस अपशिष्ट/ प्लास्टिक	5.75	5.26	20	5.26
2	13.05.2023 से 05.06.2023		1.52	1.52	12	1.52
3	06.06.2023 से 24.07.2023		2.95	2.89	14	2.89
4	25.07.2023 से 10.08.2023		2.88	2.88	14	2.88
5	11.08.2023 से 29.08.2023		2.32	2.32	14	2.32
		कुल–	14.70	14.70	–	14.70

गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों से एकत्रित घोड़ा–खच्चर लीद का विवरण

क्रम संख्या	दिनांक	कम्पोस्ट पिट/ पोस्टर का नाम	एकत्रित लीद की मात्रा (टन में)	निस्तारण हेतु गौरीकुण्ड भेजी गयी लीद की मात्रा (टन में)	निस्तारण की कार्यवाही हेतु नियुक्त कर्मियों की संख्या	गौरीकुण्ड से एकत्रित घोड़ा–खच्चर लीद को ट्रक के माध्यम से गोचरधाम पहुँचाया (टन में)
1	25.04.2023 से 12.05.2023	गौरीकुण्ड, फाटा-रामपुर, भीमबली, सिनगोली, रामपुर्वा, बी0 के0 यू0 केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों से एकत्रित लीद	08.50	08.50	30	08.50
2	13.05.2023 से 05.06.2023		04.00	04.00	30	04.00
3	06.06.2023 से 24.07.2023		07.30	07.30	30	07.30
4	25.07.2023 से 10.08.2023		08.70	08.70	30	08.70
5	11.08.2023 से 29.08.2023		05.00	05.00	30	05.00
		कुल–	30.50	30.50	–	30.50

श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग से एकत्रित ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक के निस्तारण से सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण:–

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	यात्रावधि कर्मियों की संख्या	निस्तारण हेतु गौरीकुण्ड भेजा गया ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक	ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक के निस्तारण से प्राप्त धनराशि
1	2021–22	270	3.50 टन	–
	2022–23	299	48.12 टन	रू0 1,58,800/–
	2023–24	336	14.70 टन	रू0 1,04,426/– (रामा पंचायत केदारनाथ धाम में जमा की गयी)

श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में घोड़ा–खच्चर लीद प्रबन्धन हेतु सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा यात्रा मार्ग की साफ–सफाई का विवरण:–

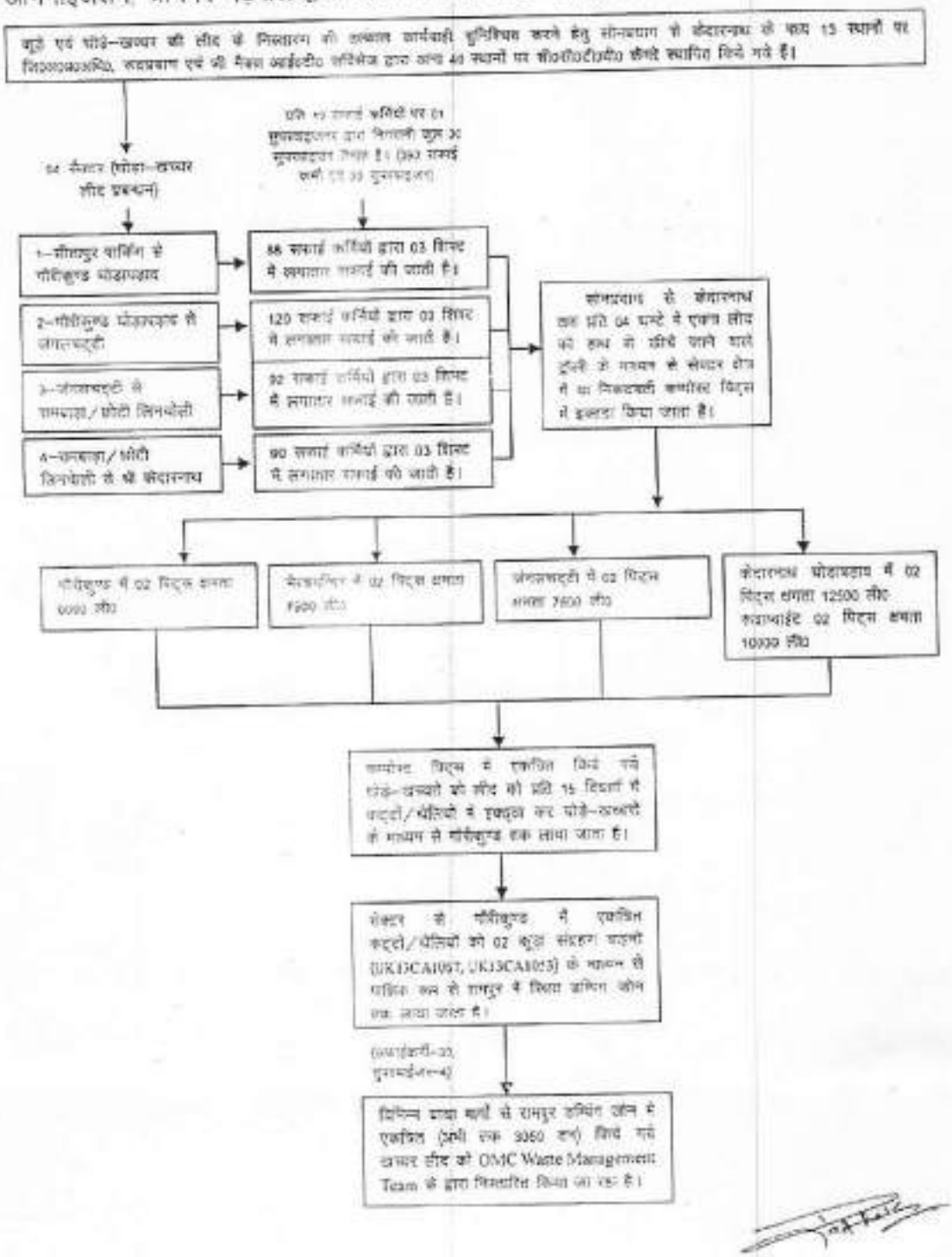

Sulabh International Social Service Organisation
Uttarakhand State Branch, Deluradun

Detailed Time Schedule of Caretaker and Supervisor in Sri Kedarnath Paidal Yatra Mark Roads/Helipad Work-2015

S.No.	Name of Sector	Caretaker/Supervisor Working Time Schedule						Caretaker	Supervisor
		1st Shift 6:00 AM to 2:00 PM		2nd Shift 2:00 PM to 10:00 PM		3rd Shift 10:00 PM to 6:00 AM			
		Caretaker	Supervisor	Caretaker	Supervisor	Caretaker	Supervisor		
01	Sitapur	15	1	14	-	4	1	34	2
02	Sonprayag	24	2	14	1	6	1	45	4
03	Gaurikund	40	2	40	3	10	2	90	7
04	Jangal Chatti	13	1	13	-	4	1	30	2
05	Bhimbali	23	1	13	-	4	1	40	2
06	Chhoti Lincholi	18	1	18	1	5	1	41	3
07	Badi Lincholi	18	2	13	1	3	1	34	4
08	Rudrapolat	20	1	18	1	8	1	46	4
09	Sri Kedarnath	20	2	20	2	7	1	47	5
	Total	171	13	169	8	50	9	390	34

Sulabh International Social Service Organisation
Uttarakhand State Branch, Dehradun

Detailed of Cleaning Items in Sri Kedarnath Paidal Yatra Marg Roadsweeping work 2023

Name of Route	Name of Sector	Description of Cleaning Items							
		Brooms	Spadel	Garbage Trolley	Hand Trolley	PVC Dust Bin	PVC Dust Bin (240 Ltr.)	PVC Dust Bin (150 Ltr.)	PVC Dust Bin (120 Ltr.)
Sitapur to Gaurikund	Sitapur Sonprayag Gaurikund	900	100	16	90	36	72	72	36
Gaurikund to Jungle Chatti	Jungle Chatti, Bhimbali	450	90	18	45	18	36	36	18
Jungle Chatti to Rambara/Chotti Lincholi	Obhoi Lincholi Badi Lincholi	555	111	22	56	22	44	44	22
Rambara/Chotti Lincholi to Sri Kedarnath	Rudrapoint Sri Kedarnath	450	90	18	45	18	36	36	18
	Total	2355	471	94	236	94	188	188	94

08/09/23

सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
उत्तराखण्ड राज्य सभा, देहरादून
श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में सफाई कार्य, यूज अवेलिएट/प्लास्टिक एवं खच्चर लीद निस्तारण कार्य का विवरण।

दिनांक 05.09.2023

क्र0 सं0	पैदल यात्रा मार्ग का नाम	कार्यादेश संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	व्यय राशि	कर्मचारियों की संख्या	सफाई कार्य में उपयोग होने वाले साधन एवं पीट	अभियुक्ति
1	सीतापुर पार्किंग से गौरीकुण्ड पोड़ासकल तक (प्रोजेक्ट 6.50 लाख वर्गमीटर)	कार्यादेश सं0 TS-1-BUD/18/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र सं0 7645/2-1-27/2022-23 दिनांक 25.03.2023	1,96,57,000	80,10,000	91,92,756	सैनिटेशन 21+17= 38 सुपरवाईजर : 04	1. झाड़ूटोली (33 नग) 2. डिब्बाटोली (67 नग) 3. बास्केटीन (240 सी0-33 नग, 160 सी0-45 नग, 120 सी0-08 नग) 4. पीट-(पेरेलमेन्टिक-2 पीट, सी0एस0 बलीक लिमिटेड, क्षमता 6000 सीटर)	1-झाड़ू आवेलिएट/प्लास्टिक-एकत्रीकरण एवं परिवहन :- सफाईकर्मियों के द्वारा दी पालियों में झाड़ू, डलवा, बैरवा से यूज अवेलिएट/प्लास्टिक की झाड़ाटोली, झुड़ावेग, कार्टबीन में एकत्रित कर बड़े-बड़े बुड़बैग में एकत्रित कर मुख्य मार्ग एवं खच्चर द्वारा लोनवदान स्थित कलेक्शन में लाकर कॉम्पेक्ट कर रिसाइक्लिंग हेतु भेजा जाता है। 2-खच्चर लीद एकत्रीकरण एवं निस्तारण :- सफाईकर्मियों के द्वारा झाड़ू, डलवा, बैरवा से खच्चर लीद को डिब्बा टोली एवं बैग में रात्रक पीट में एकत्रित किया जाता है। जिनो पीट भर होने के उपरान्त खच्चरों एवं वाहन द्वारा सोनप्रयाग स्थित डम्पिंग यार्ड में भेज दिया जाता है।
2	गौरीकुण्ड पोड़ासकल से जंगलचट्टी तक (प्रोजेक्ट 3.50 लाख वर्गमीटर)	कार्यादेश सं0 TS-1-BUD/20/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र सं0 7670/2-1-27/2022-23 दिनांक 14.03.2023	3,81,09,000	1,53,07,000	1,74,45,160	सैनिटेशन :510+108 120 सुपरवाईजर : 08	1. झाड़ूटोली (11 नग) 2. डिब्बाटोली (20 नग) 3. बास्केटीन (240 सी0-11 नग, 160 सी0-23 नग, 120 सी0-32 नग) 4. पीट- (पेरेलमेन्टिक-2 पीट, सी0एस0 बलीक लिमिटेड, क्षमता 7400 सीटर)	

08/09/23

क्र.सं.	पैकेज कार्य का नाम	प्रशासकीय संख्या	अनुमानित राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्यस्थलों की संख्या	सम्पादित कार्य के प्रमाणीय होने वाले आयाम एवं पैरामीटर	टिप्पणियाँ
3	केवलवाटी से रुपवास / छोटी डिग्घोली तक (लंबाई 3.70 स्थान कार्पेटिंग)	प्रशासकीय संख्या TS-1-BUD/19/2022-VI -1- Tourism Department दिनांक 18.03.2022	3,76,01,000	1,53,59,000	1,70,87,327	कॉन्ट्रैक्टर: 20+7= 02 सुपरवाईजर : 02	1. सूचनाएँ (14 पग) 2. हैण्डहोती (24 पग) 3. डायरेक्शन (240 लंबा–14 पग, 600 लंबा–12 पग, 120 लंबा–42 पग) 4. पैरा– (विशालकाय–2 पैरा, सीमांकित क्षेत्रीय क्षमता 2500 सीटर)	1-फोन कार्यालय / एसोसिएशन एवं ऑफिसर :- कार्यालयों के द्वारा दी जानेवाली सेवा के फोन ऑफिस / एसोसिएशन की जानकारी, सुविधाएं, डायरेक्शन के डायरेक्शन 44–46 सूचनाएं में एकत्रित की। कलार एवं अनिली द्वारा पीटीसुपर एवं पीटीसुपर से सूचना संकेत दिए जाने हेतु फोन कॉन्फ्रेंस में डायरेक्शन का रिसाइलिंग हेतु भेजा जाता है। 2-प्रशासनिक एवं एसोसिएशन कार्य विवरण :- कार्यालयों के द्वारा छात्र, शासन, सेवा के सम्बन्ध में दिए होटी एवं सेवा में पाकर पैरा में एकत्रित एवं अंकन है। जिसे पैरा कम होने से उपरान्त कलार एवं अनिली द्वारा पीटीसुपर एवं पीटीसुपर से सूचना संकेत द्वारा एकत्रित किया कार्य में 4.4 दिवस लगा है।
4	रुपवास / छोटी डिग्घोली से भी केवलवाटी तक (लंबाई 3.00 स्थान कार्पेटिंग)	प्रशासकीय संख्या TS-1-BUD/21/2023-VI -1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं क्रय आदेश 1577/2-7-27/2022-23 दिनांक 14.03.2023	1,51,22,000	1,57,24,000	1,77,80,210	कॉन्ट्रैक्टर 704204 20 सुपरवाईजर : 06	1. सूचनाएँ (11 पग) 2. हैण्डहोती (28 पग) 3. डायरेक्शन (240 लंबा–11 पग, 600 लंबा–23 पग, 120 लंबा–36 पग) 4. पैरा–(विशालकाय पीसुपरवाइज –2 पैरा, क्षमता 12500 सीटर, पीटीसुपर –02 पैरा, क्षमता 10000 सीटर, सीमांकित क्षेत्रीय क्षमता)	

1. कार्यालयों के द्वारा दैनिक रूप से मार्ग–लंबाई करने के उपरान्त डिटेलवाक (विशेष संवाहन, मार्ग संचार, निर्माण, सेनाधिप संवाद) का विश्लेषण किया जाता है एवं पैरा में एकत्रित संचार लीड में ओवरलैपिंग का निराकरण किया जाता है।
2. दिनांक प्राप्त मार्गों में प्रमाणित कार्य (लंबाई/कार्य-10, सुपरवाईजर–4) में एकत्रित (लगभग 3052 टन) डिटे को खाना लीड को CMC Waste Management Team के द्वारा निस्तारित किया जाता है।
3. दिनांक प्राप्त मार्गों में एकत्रित खाना लीड को कन्वेयिंग एवं निस्तारण के लिए प्रमाणित कार्य में 03 एवं कन्वेयिंग पैरा का निर्माण किया गया है।
4. अभी तक दिनांक 12 मई 2023 को 6.28 टन, दिनांक 06.06.2023 को 1.52 टन एवं दिनांक 24.07.2023 को 2.93 टन एवं 6.00 टन इस प्रकार कुल 14.73 टन प्रमाणित/संकलित कार्य कॉन्ट्रैक्ट कन्सिलिएशन के लिए भेजा जाता है।

सफाई कार्य में कार्यरत सफाईकर्मी।

25983

सफाईकर्मियों द्वारा एकत्रित कूड़ा एवं खच्चर लीद को सड़क स्थल गौरीकुण्ड लाया जाता है।

गौरीकुण्ड में लाये गये खच्चर लीद को निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन रामपुर ले जाकर निस्तारित किया जाता है।

गौरीकुण्ड में लाये गये ठोस अवशिष्ट/प्लास्टिक को सोनप्रयाग स्थित कॉम्पेक्टर मशीन में ले जाकर कॉम्पेक्ट कर रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाता है।

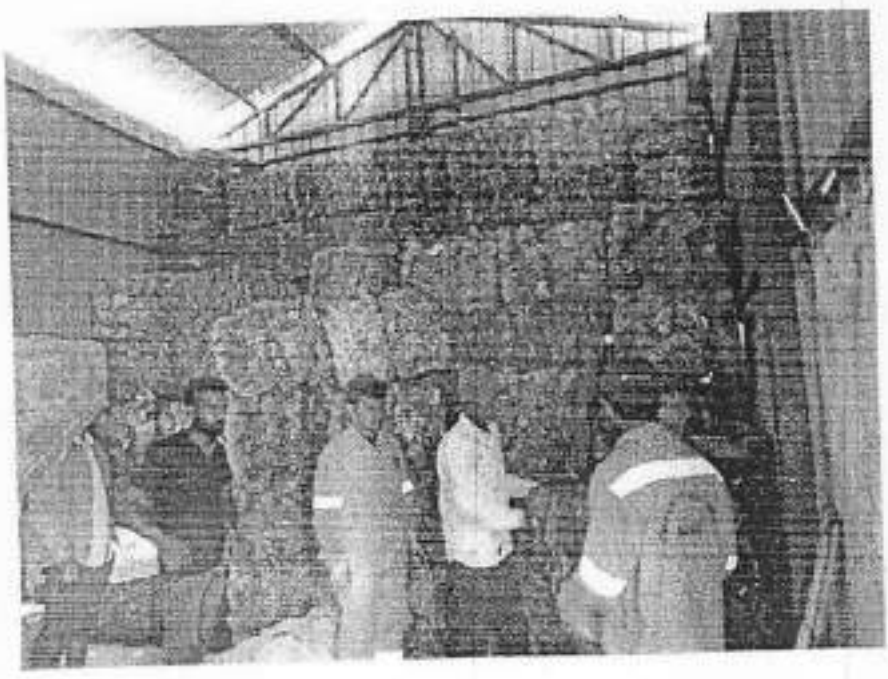

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 30.07.2023 को सोनप्रयाग–गौरीकुण्ड तक घोड़े–खच्चरों की सुविधा, लीद निस्तारण इत्यादि के सम्बन्ध में कृत स्थलीय भ्रमण/निरीक्षण की टिप्पणी:–

जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 30.07.2023 को अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ, प्रभारी सुलभ इण्टरनेशनल आदि संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों की उपस्थिति में सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव तक घोड़े–खच्चरों की सुविधा, लीद निस्तारण इत्यादि के सम्बन्ध में स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया, भ्रमण/स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1– रामपुर स्थित डम्पिंग जोन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री धनंजय पाठक, प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन द्वारा बताया गया कि डम्पिंग जोन रामपुर में सोनप्रयाग एवं गौरीकुण्ड से अभी तक कुल 3000 टन घोड़े–खच्चरों की लीद को एकत्रित किया जा चुका है। डम्पिंग जोन के निरीक्षण में पाया गया कि डम्पिंग जोन जिस स्थल पर बनाया गया है, वहां पर कोई घेराबाड़ नहीं की गई है। डम्पिंग जोन पहाड़ी के ढलान पर बनाया गया है, जिसमें ट्रकों के माध्यम से घोड़े–खच्चरों की लीद को जमा किया जा रहा है। इस संबंध में मौके पर उपस्थित श्री पाठक को निर्देशित किया गया कि डम्पिंग जोन नियमानुसार पक्के टिनशेड का बनाया जाय, जिसमें संग्रहण केन्द्र एवं तत्पश्चात् घोड़े–खच्चरों की लीद से खाद बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से टिन शैड में ही किया जा सके तथा किसी भी प्रकार से खुले में कोई कार्यवाही न की जाय। साथ ही मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ एवं राजस्व निरीक्षक, ऊखीमठ को निर्देशित किया गया कि डम्पिंग जोन रामपुर में डम्पिंग सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित अधिकारी प्रतिदिन डम्पिंग जोन सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं अध्यावधिक स्थिति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ/सुलभ इण्टरनेशनल)

2– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति में गौरीकुण्ड स्थित बायोगैस प्लान्ट घोड़ापड़ाव का निरीक्षण भी किया गया। श्री धनंजय पाठक, प्रभारी, सुलभ द्वारा अवगत कराया गया कि बायोगैस प्लान्ट लम्बे समय से बन्द पड़ा है। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्त बायोगैस प्लान्ट के रामीप घोड़े–खच्चरों की लीद खुले में रखी जानी पायी गई, जिसे किसी प्रकार से

आच्छादित नहीं किया गया है। प्रभारी, सुलभ को निर्देश दिये गये कि तत्काल उक्त स्थल पर टिनशैड का निर्माण करने के साथ–साथ इस स्थल पर संग्रहण केन्द्र भी बनाया जाय तथा उक्त संग्रहण केन्द्र से घोड़े–खच्चरों की लीद को बैग में भरकर वाहन के माध्यम से रामपुर स्थित डम्पिंग जोन में भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ / सुलभ इण्टरनेशनल)

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।।

संख्या– 110 /वै.अधि./2023 दिनांक: 3। जुलाई, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।
2– प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल, श्रीनगर गढ़वाल।

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रेषक,

प्रबंधक,
सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन,
श्रीनगर–गढ़वाल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 097/सु. इ.सो.स. आ. श्रीनगर दिनांक – 09 अगस्त, 2023

विषयः– **दिनांक 30.07.2023 को सोनप्रयाग–गौरीकुण्ड तक घोड़े–खच्चरों की सुविधा, लीद निस्तारण इत्यादि के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 30.07.2023 को सोनप्रयाग–गौरीकुण्ड तक घोड़े–खच्चरों की सुविधा, लीद निस्तारण हेतु महोदय के स्थलीय निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है, कि रामपुर स्थित डम्पिंग यार्ड में पिट्स निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मौके पर टिनशैड का मैटेरियल, सी.सी. ब्लाक, रेत उपलब्ध करा दिया गया है। सी.सी. कार्य गतिशील है, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है (संलग्नक–1)। रामपुर स्थित डम्पिंग यार्ड में पिट्स निर्माण का कार्य दिनांक 25.08.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

2 – गौरीकुण्ड घोड़ापड़ाव में चिन्हित कलैक्शन सेन्टर के निर्माण सामग्री सीतापुर पार्किंग में रखा गया है। जनपद में अत्यधिक बारिश एवं मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्माण सामग्री सीतापुर से गौरीकुण्ड ले जाने में कठिनाईयां आ रही है। गौरीकुण्ड घोड़ापड़ाव स्थित चिन्हित कलैक्शन सेन्टर पर किये गये विकास कार्यों का फोटोग्राफ्स संलग्न है (संलग्नक–2)। गौरीकुण्ड घोड़ापड़ाव स्थित चिन्हित कलैक्शन सेन्टर का निर्माण कार्य दिनांक 30.08.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

संलग्न– फोटोग्राफ्स।

भवदीय,

(संजय पाठक)
प्रबंधक,
सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस
आर्गेनाइजेशन,
श्रीनगर–गढ़वाल।

ANNEXURE-23

25989

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

E-mail-eenhrprayag@gmail.com

पत्रांक 1702/वनभूमि

दिनांक 19/10/2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पी0आई0एल0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक–1325/7–1(जि0गं0सं0स्त0), दिनांक 19.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत स्थिति मोटर मार्ग के मन्दाकिनी नदी के समीप लगे सिंकिंग तथा लैण्ड स्लाइड जोन की Location सहित सूचना संलग्न प्रारुप में अंकित कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

19/10/23

(इं0 निर्भय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

All my Letters

Zone of Division:- NH Division, Rudraprayag

Sinking and Sliding Zones

S.No	NH No	Chainage		Location	Type of Vulnerability	Remark
		From	To			
1	107 (Old 109)	2.180	2.240	Jawari Bypass Near DFO Office	Sinking	Work in progress under Chardham.
2	107 (Old 109)	4.800	4.950	Sander	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
3	107 (Old 109)	7.590	7.690	Medanpur	Landslide	Work sanctioned under AP 2022-23. Tendering work in progress.
4	107 (Old 109)	11.500	11.600	Tilwara	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
5	107 (Old 109)	13.000	13.500	Near GMVN	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
6	107 (Old 109)	23.950	24.000	Andhergadi	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
7	107 (Old 109)	29.200	29.300	Banswada I	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
8	107 (Old 109)	30.390	30.450	Banswada II	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
9	107 (Old 109)	35.210	35.265	Kund Barrage	Sinking	Work sanctioned under AP 2022-23. Tendering work in progress.
10	107 (Old 109)	35.900	36.400	Semli I	Sinking	Treatment work in progress under AP 2022-23
11	107 (Old 109)	36.800	37.300	Semli II	Sinking	Treatment work in progress under AP 2022-23

12	107 (Old 109)	38.000	38.300	Semi III	Sinking	Treatment work in progress under AP 2022-23
13	107 (Old 109)	39.500	40.000	Dhainsari I	Sinking	Treatment work in progress under AP 2022-23
14	107 (Old 109)	40.700	41.000	Dhainsari II	Sinking	Treatment work in progress under AP 2022-23
15	107 (Old 109)	54.750	54.950	Khaat	Landslide	Treatment work in progress under AP 2022-23
16	107 (Old 109)	48.470	48.520	Vidhyodham	Sinking	DPR to be submitted by THDC.
17	107 (Old 109)	53.290	53.610	Devidhar	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
18	108 (Old 109)	54.840	54.980	Khumera	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
19	107 (Old 109)	56.050	56.140	Korkhi I	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
20	107 (Old 109)	56.350	56.460	Korkhi II	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
21	107 (Old 109)	58.940	59.020	Makhanda	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
22	107 (Old 109)	69.880	69.980	Kaladungi I	Sinking	Work sanctioned under AP 2022-23. Tendering work in progress.
23	107 (Old 109)	70.540	70.610	Kaladungi II	Sinking	Work sanctioned under AP 2022-23. Tendering work in progress.
24	107 (Old 109)	71.440	71.520	Rampur	Sinking	Work sanctioned under AP 2022-23. Tendering work in progress.
25	107 (Old 109)	73.000	73.100	Munkutiya	Landslide	DPR to be submitted by THDC.
26	107A	68.000		Taala	Sinking	DPR to be submitted by THDC.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

27	107A	69.000	Masura I	Sinking	DPR to be submitted by THDC.
28	107A	70.000	Masura II	Sinking	DPR to be submitted by THDC.
29	107A	71.000	Sirsoli	Sinking	DPR to be submitted by THDC.
30	107A	82.000	Chinni I	Sinking	DPR to be submitted by THDC.
31	107A	85.000	Chinni II	Sinking	DPR to be submitted by THDC.